Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 12 वां दिवस [संख्या 8

मंगलवार,

दिनांक 27 फरवरी, 1973.

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, राजस्व, सहकारिता, खनिज, यातायात, विकास, आयुर्वेद, पंचायत, सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती ऊषा प्रकाश ।

बयाना उप-जिले में कृषकों को पास-बुकों का वितरण

149. श्रीमती ऊषा प्रकाश (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले के बयाना उप-जिले में कितने खातेदार कृषकों को पास-बुकें वितरित की जा चुकी हैं एवं कुल कितनी पास-बुकें वितरित की जानी शेष हैं ?

(2) राजस्व अभियान सन् 1972 के दौरान उप-जिले में संयुक्त खातेदारों की आराजियों के बंटवारे सम्बन्धी कितने मामले निपटाये गये एवं कुल कितने मामले विचाराधीन रह गये हैं ?

(3) शेष मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) **:** (1) भरतपुर जिले के बयाना उप-जिले में 24,526 पास-बुकें खातेदार कृषकों को वितरित की जा चुकी हैं एवं 22,772 उपलब्ध पास-बुकें वितरण के लिए शेष हैं।

(2) राजस्व अभियान सन् 1972 की अवधि में उप-जिला बयाना में संयुक्त खातेदारों की आराजियात के बंटवारे सम्बन्धी कुल 442 मामले निपटाये गये हैं । अब कोई मामला विचाराधीन शेष नहीं है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

प्रश्न संख्या 150

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री गौरीशंकर ।

सहकारी मार्केटिंग सोसायटी, खानपुर

151. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या खानपुर जिला झालावाड़ में कोई सहकारी मार्केटिंग सोसायटी कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लघु कृषकों को सुविधा पहुंचाने के लिए इसकी शीघ्र स्थापना का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह): जी नहीं। राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अन्तर्गत मण्डी घोषित नहीं की गई और नही वहां के क्षेत्र के निवासियों ने ऐसी समिति गठित करने की मांग की है। मांग आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री गौरीशंकर मुनीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के निवासियों ने, वहां के सरपंचों ने, वहां के प्रधान ने कई दफा दरख्वास्तें भेज दी हैं और उसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि किसी की दरख्वास्त नहीं है। क्या यह गलत है बिल्कुल ?

श्री जुझारसिंह : मैंने निवेदन किया कि उनकी सूचना आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। वैसे अभी मेरे को इसकी इत्तिला नहीं है कि कोई दरख्वास्त उनकी आई है।

श्री गौरीशंकर मुनीम: छः दफा तो याददहिनी करा चुके हैं। मदेरणा साहब से मिल चुके हैं और आप कहते हैं कि कोई दरख्वास्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही करें। श्री हरिश्चन्द्र।

श्री गौरीशंकर मुनीम: कार्यवाही करने से ही काम नहीं चलेगा......

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

प्रश्न संख्या 152

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

प्रश्न संख्या 153

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री भंवरलाल भदादा।

गुवारडी बांध का कार्य

154. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गुवारडी बांध (तहसील भीलवाड़ा) का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ ?

(2) इस बांध की डूब में आये हुए लोगों को उनकी जमीन, कुओं और मकानों का क्या मुआवजा मिल चुका है ? यदि नहीं मिला तो क्यों देरी हो रही है ? यदि मुआवजा मिल गया है तो किन-किन गांवों के लोगों को किस-किस का ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) गुवारडी बांध तहसील भीलवाड़ा का निर्माण कार्य माह जून 1968 को प्रारम्भ होकर जनवरी 1971 में पूर्ण हुआ है।

(2) कुछ जमीन व डूब में आये मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है जिसकी सूची नं० 1 व 2 संलग्न है। कुओं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

का मुआवजा देना बाकी है। शेष जमीन के मुआवजे की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय में जारी है और कुओं के तखमीनें मंजूर किये जा रहे हैं। आवश्यक स्वीकृति मिलते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल भवावा : अध्यक्ष महोदय, 71 से लेकर 73 हो गया है। इसमें दो वर्ष हो गये हैं। कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। अवाप्ति ऑफिसर हैं उनके पास मुआवजा तय करने के लिए पड़ा हुआ है। उनके यहां से तय होते ही यह ले लिया जाएगा।

श्री भंवरलाल भवावा : इसको जल्दी कराइये साहब।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिल्कुल।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : इसमें प्रश्नकर्ता ने जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब तो है ही नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : काहे की ?

श्री विजयसिंह राठौड़ : यदि मुआवजा मिल गया है तो किन-किन को ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी सूची दे दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 153 नम्बर का जवाब दिला दिया जाय। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सवाल 154 हो गया और आप 153 की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : उस वक्त भी निवेदन किया था, यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : एक नीति की बात मैं कहना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं पहले उनके प्रश्नों को लेना चाहता हूं और जो लिखकर दे गए हैं उनको भी लेना चाहता हूं। उसके बाद समय बचता है तो बाकी को भी ले सकते हैं। इस सिद्धान्त से आप सहमत होंगे कि जो हाउस में सदस्य मौजूद हैं उनको पहले लेना चाहिए और जो लिखकर दे गए हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। उससे बचे समय में दूसरे प्रश्नों को लिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इसमें सिद्धान्त से तो सहमति है लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है.........

श्री अध्यक्ष : जब सिद्धान्त से सहमत हैं तो फिर क्या बात है। जो माननीय सदस्य अपने प्रश्न में दिलचस्पी रखते हों उनको आना चाहिए।

श्री जगमोहनसिंह।

आदर्श गांवों में बिजली व सड़कों की व्यवस्था

155. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत की

(श्री जगमोहनसिंह)
रजत जयंती के उपलक्ष में प्रत्येक पंचायत समिति से दो दो गांवों का आदर्श ग्राम हेतु चयन किया गया था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गांवों को बिजली देने व पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत छबड़ा पंचायत समिति के भी दो गांव, निपानियां व महेशपुरा का चयन किया गया था, परन्तु वहां अभी तक न बिजली दी गई है और न सड़क का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इन गांवों में यह कार्य कब शुरू करवा दिया जायगा ?

विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । चयनित गांवों को बिजली देने व पक्की सड़क बनाने के संदर्भ में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और यह कार्य शीघ्र ही शुरू किये जाने की आशा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री दिनेश डांगी : मेरी कॉस्टीट्यूएंसी म भी इसी तरह से इसमें लिया हुआ है । वहां पर एक ही गांव है और तीन गांवों में बिजली नहीं मिली है, न सड़क का काम हुआ है । मंत्री महोदय इसको जल्दी करा सकें तो अच्छा रहेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छी बात है ।

श्रीमती उषा प्रकाश : हर एक पंचायत समिति के लिए ही जल्दी करेंगे, यह तो सबके लिए ही है ।

श्री अध्यक्ष : सबके लिए जल्दी करेंगे । श्री मोहनराज ।

भू-सीलिंग के अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त भूमि

156. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मौजूदा-भू-सीलिंग कानून खातेदारों के अलावा भूतपूर्व राजाओं की निजी सम्पति की सूची में सम्मिलित कृषि भूमि पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो राज्य के किन किन भूतपूर्व राजाओं से कितनी भूमि प्राप्त होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ।

(2) इन भूतपूर्व राजाओं से सीलिंग से अधिक भूमि लेने की अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या राजस्थान में अब तक किसी भी भूतपूर्व राजा की भूमि का अधिग्रहण इस कानून के अन्तर्गत किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां। भूतपूर्व राजाओं से कितनी भूमि प्राप्त होगी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता चूंकि यह अदालतों के निर्णय पर निर्भर होगा ।

(2) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार 12, 885·74 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। परन्तु अदालतों से स्टे प्राप्त होने के कारण अभी भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकी है।

श्री मोहनराज : मेरा प्रश्न यह था कि जो भूमि भूतपूर्व राजाओं से इस वर्तमान सीलिंग कानून के अन्तर्गत ली जाने वाली है वह भूमि अभी तक उसको लेने की क्या कार्यवाही की गई है ? अदालतों के निर्णय के बाद कितनी भूमि मिलेगी और कितनी बांटी जाएगी यह तो अलग चीज है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अपने सीलिंग लॉ के मुताबिक जितनी सीलिंग के अन्दर भूमि आती थी उसके लिए सबको नोटिस दे दिए गए ह अपने रिटर्न सबमिट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अदालतों से स्टे प्राप्त कर लिए हैं जिससे आगे कार्यवाही करने में मजबूरी है।

श्री शंकरलाल (पाली) : इसका तात्पर्य यह है कि भूतपूर्व राजाओं से एक एकड़ भी जमीन प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां अभी तक नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

प्रधानों व सरपंचों के लिये रिजर्व सीटें

157. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति के प्रधान व सरपंच कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानों व सरपंचों के चुनावों में रिजर्व सीटें नहीं रखी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रधान व सरपंचों के लिए भी रिजर्व सीटें रखने का सरकार का विचार है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री मूलचन्द) :–

(1) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) जी हां। प्रधानों एवं सरपंचों के लिए रिजर्व सीटों के लिए कोई प्रावधान नहीं है न रिजर्व सीट रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती है और जिनकी पूर्ती करना चाहती है, नीचे के स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण बिल्कुल उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती हैं। सरकार को बारबार मेरी तरफ से तथा सदन की तरफ से भी कई बार कहा गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह एक बहुत ही असंतोषप्रद बात है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

होम्योपैथिक चिकित्सालय को अनुदान

158. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिला भारत सेवक

(श्री वृद्धि चन्द जैन)
समाज की ओर से चल रहे होम्योपैथिक चिकित्सालय, बाड़मेर को कितनी राशि अनुदान के रूप में मिल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त होमियोपैथी चिकित्सालय के कार्य और रोगी की संख्या को देखते हुए अनुदान की राशि अपर्याप्त है ?

(3) क्या आयुर्वेदिक विभाग इस वर्ष 1972-73 में अनुदान की राशि को बढ़ा कर उक्त चिकित्सालय की वाजिब मांग की पूर्ति कर सकेगा ?

राज्यमंत्री, आयुर्वेद विभाग (श्री जुझार-सिंह) : (1) वर्ष 71-72 में 3,470 रु० अनुदान में दिये गये ।

(2) जी नहीं ।

(3) अनुदान समिति में विचारार्थ रखा जावेगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो होम्योपैथिक अस्पताल चलाया जा रहा है डिस्पेंसरी बाड़मेर नगर में और बाड़मेर जिले के हैड क्वार्टर में, यह राजस्थान में एक ऐसा अस्पताल है जो अपनी एक विशेष महत्ता रखता है और उसमें जो बिलकुल फ्री मेडिसन्स दे रहे हैं, 200 पेशेंट्स आते हैं, जितने पेसेन्ट हॉस्पिटल में आते हैं उतने पेशेन्ट की संख्या ही इस अस्पताल में आती हैं । मेडिसिन्स भी फ्री सप्लाई कर रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडीचर है उसमें फिफ्टी पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट मदद दे तो यहां अच्छी तरह से यह औषधालय चल सकता है, और फ्री मेडीसिन्स भी वितरित की जा सकती है । 16,000 रुपये का एक्सपेन्डीचर है । मैं इसका अध्यक्ष हूं और मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इसमें आठ हजार की मदद दे दे । अभी 3,400 रु० की मदद देती है उसकी जगह आठ हजार की मदद करें तो यह इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से चल सकेगी ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी राशि के बारे में तो निवेदन नहीं किया जा सकता कि कितने दे सकेंगे । लेकिन चूंकि यह हॉस्पिटल अच्छा कार्य कर रहा है इसलिए हर साल अनुदान की राशि बढ़ाई गई है । पिछले साल के मुकाबले इस साल और ज्यादा अनुदान की राशि देने का अनुमान है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

साई योजना का कार्य

159. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जवाई बांध (जिला पाली) में साई योजना द्वारा पानी लाने के लिए कितने रुपयों की धन राशि की योजना बनाई गई है और यह योजना क्रियान्वित करने हेतु प्रति वर्ष योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् कितनी-कितनी धन राशि की स्वीकृति हुई ?

(2) इस योजना को कितने समय में सम्पूर्ण करने का प्रावधान रखा गया है और इससे पेय जल व सिंचाई के लिए कितना कितना लाभ होगा ?

(श्री शंकरलाल)

(3) क्या इस योजना को शीघ्र सम्पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास करना सरकार उचित समझती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्यमंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) इस योजना की अनुमानित लागत 323 लाख रुपये है अब तक इस योजना के प्रति वर्ष बजट में किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:—

1969–70	10 लाख
1970–71	36 लाख
1971–72	36 लाख
1972–73	32 लाख

(2) इस योजना की वर्ष 1975-76 तक पूरा होने की सम्भावना है इससे जवाई नदी में 1,800 एम० सी० एफ० टी० पानी डाले जाने का प्रस्ताव है जिससे 18,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

(3) जी हां, इस काम के लिए चतुर्थ पंचवर्षिय योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक राशि उपलब्ध कराई जा रही है । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए रु० 150 लाख का प्रावधान था जिसके स्थान पर रु० 219 लाख का प्रावधान रखा जा रहा है ।

श्री शंकरलाल: यह जो सेण्ट्रल की सर्वे टीम आई थी उसके अन्दर यह चर्चा चली थी कि यह यूटिलिटी का कार्य होने की वजह से इसको फेमीन के अन्दर ले लिया जाये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिचाई मंत्री): इसको फेमीन वर्क्स के अन्दर नहीं ले सकते हैं । उसकी सिफारिश पर गवर्नमेन्ट ने 70 लाख रुपया वर्ष 73-74 के बजट में रखे हैं ।

श्री शंकरलाल : क्या 70 लाख से यह काम पूरा हो जायगा ? 323 लाख की यह योजना है और 70 लाख रुपया दे रहे हैं तो यह काम पूरा नहीं हो सकता है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने भी धन की आवश्यकता होगी वह दिया जायगा । खर्च किया जायेगा । इसकी कोई कमी नहीं होने दी जायेगी । इस पर अभी टनल का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है । इस पर जितना काम हो सकता है उसके लिये प्रावधान किया गया है ।

श्री शंकरलाल : इसके टनल का जो कार्य कराया जा रहा है वह विशेषज्ञों की राय से हो रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : टनल का कार्य विशेषज्ञों की राय से ही बनता है ।

श्री शंकरलाल : इसको जल्दी पूरा कराने के लिये क्या आप दुबारा जांच करवायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी करवाने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री दिनेश राय डांगी : फेमीन वर्क्स में इसको नहीं ले सकते हैं तो इसको डी० पी० ए० पी० वर्क्स में लिया जा सकता है जिसमें कम्पोनेन्ट मेटिरियल की भी कमी नहीं रहेगी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अभी बताया है कि धन की कोई कमी नहीं होगी। 70 लाख अगले साल के लिये रखे गये हैं जबकि पहले 5 लाख का ही प्रावधान था। धन की कमी से इसका काम बन्द नहीं होने दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या मैं जान सकता हूं कि विशेषज्ञों के द्वारा कोई समय का अनुमान लगाया गया होगा कि इस अवधि के अन्दर इसका काम पूरा हो जायगा ? अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञों ने अन्दाजा अवश्य लगाया होगा। टनल खोदना कोई असम्भव बात नहीं है। रुपया और साधन हों तो यह एक साल की अवधि में पूरा हो सकता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : विशेषज्ञों से मालूम कर लिया गया है। टनल एक-एक डाइमीटर दोनों तरफ से खोदी जायगी और उस पर चार या छः आदमी से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

बकानी-झालावाड़ मार्ग की बसें

160. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बकानी (जिला झालावाड़) से झालावाड़ आने के लिए 2.30 बजे बाद कोई सवारी गाड़ी बस नहीं मिलती जिससे जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां की जनता द्वारा इसके लिये विभाग एवं मंत्रीजी को काफी निवेदन भी किया है परन्तु इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि दो साल पहले राज्य परिवहन की बसें बकानी से 4, 4.30 बजे के लगभग कोटा तक जाया करती थी और इधर से (झालावाड़ से) 7 बजे संध्या बकानी जाती रही हैं जो इस समय बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और अब ये बसें पुनः कब तक चालू करवा दी जायेंगी।

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। जनता की मांग पर उपनिरीक्षक, परिवहन ने समय-सारिणी बदलने के लिए दिनांक 29-1-73 को प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, कोटा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो अधिकरण के विचाराधीन है।

(3) जी हां। लेकिन राज्य परिवहन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने राज्य परिवहन निगम का परमिट रद्द कर दिया इसलिये निगम ने दिनांक 18-11-69 को परमिट सरेन्डर कर दिया। तीनधार से बकानी तक 19 मील लम्बे मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध ऐतराजों की सुनवाई डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेंसर के यहां विचाराधीन है। उनका निर्णय होने के पश्चात् ही पुनः बस चालू हो सकेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह कस्बा मध्यप्रदेश से लगा हुआ है और ढाई बजे के बाद कोई मोटर नहीं जाती है। इससे सवारियां रह जाती हैं और

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
लोगों को बड़ी असुविधा होती है। सवारियों को 12 घंटे, 15 घंटे तक ठहरना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि प्राइवेट बसों को टेम्पोरेरी परमिट दे दिये जायें ताकि लोगों को सुविधा मिले।

श्री हरिदेव जोशी: जनवरी के आखिरी तक समय-सारिणी बदलने के लिये लिख दिया गया है। इसको और एक्सपीडाइट करने के लिये लिख दूंगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा: रोडवेज की बस ही नहीं चल रही है तो समय-सारिणी से क्या सुविधा होगी?

श्री हरिदेव जोशी: हाईकोर्ट का फैसला खिलाफ हो जाने के कारण यह बन्द करनी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूराम (बागीडोरा)।

श्री श्रीराम गोटेवाला: प्रश्न संख्या 161।

श्री अध्यक्ष: लिख कर दिया हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: यस प्रश्न संख्या 161।

कडाना बांध से प्रभावित नागरिकों के लिए समिति का गठन

161. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, [जयपुर श्री नाथूराम (बागीडोरा) की अनुपस्थिति में] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कडाना बांध की डूब से प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिये जो हाई पॉवर कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी उसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और अन्तिम बैठक कब हुई?

(2) उक्त कमेटी द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी गईं तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) कडाना बांध से प्रभावित क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों को इस कमेटी में नहीं लेने के क्या कारण हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री):
(1) जी नहीं?

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि प्रश्न नहीं उठता। क्या वहां के लोगों का पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता है? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक में यह पूछा गया है कि कडाना बांध की डूब से प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिये जो हाई पावर कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी उसकी अब तक कितनी बैठकें हुईं और अन्तिम बैठक कब हुई? इसके उत्तर में जी नहीं कहा गया है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। कडाना बांध के सम्बन्ध में गुजरात सरकार के जो मुख्य इन्जीनियर हैं उनका एक स्टेटमेन्ट मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इस बांध पर कार्य तीन महीनों के अन्दर प्रारम्भ हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ यह निर्माण कार्य प्रारम्भ हो रहा है और दूसरी तरफ वहां पर आदिवासी लोग बसे हुए हैं, उनके गांव निश्चित रूप से डूब के अन्दर आयेंगे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
तो क्या राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास की योजना तैयार की है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पुनर्वास के लिये ऐसी कोई हाई पॉवर कमेटी नहीं बनी हुई है । वहां पर एक एरिया डेवलपमेन्ट कमिश्नर को भेजा गया है और उनके जरिये जितनी भी कार्यवाही होनी चाहिये वह हो रही है । यह भी सोचा जा रहा है कि जंगल साफ कर के इन को कहां पर बसाया जा सकता है । उनके लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपके हर संभव प्रयत्न कब पूरे होंगे ? दूसरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में राज्य सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया है, यह घोषणा की गई थी कि इस बांध की ऊंचाई 410 फुट ही रखी जायेगी । इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार का गुजरात सरकार से क्या एग्रीमेन्ट हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : गुजरात सरकार से हमारा कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है । इस पर उनके साथ विचार किया जा रहा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गुजरात सरकार तो 419 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण कार्य करवा रही है जबकि यहां पर सरकार की ओर से सदन को आश्वासन दिया गया है कि यह ऊंचाई 410 फीट होगी । हमारे यहां के बहुत से गांव डूब में आयेंगे । जिस प्रकार से पौंग बांध के लोगों को हमारे यहां पर बसाया गया है और उनके लिये जमीनें रिजर्व की गई हैं क्या उसी प्रकार की व्यवस्था इन गरीब आदिवासियों के लिये की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही करें माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न ही है । राजस्थान सरकार ने इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया था कि इस बांध की ऊंचाई 410 फीट ही रखी जावेगी । इस के ऊपर गुजरात सरकार से किस ढंग से वार्ता की गई है यह जो आश्वासन सदन के अन्दर दिया गया है उसको पूरा कराने के लिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मसाला केबिनेट के विचाराधीन है । हमारा विचार इसकी ऊंचाई 410 फीट तक ही है । फिर भी गुजरात सरकार से बात हो रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गुजरात सरकार ने इसका निर्णय कर लिया है और वह 419 फीट है । अब कब तक राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी ? दूसरी तरफ इसका निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो रहा है । हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के गांव इस बांध से डूब में आयेंगे । जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुआवजा दिया गया है, उनके लिये जमीनें सुरक्षित रखी गई हैं, उसी प्रकार क्या राजस्थान सरकार गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करेगी कि इस बांध से प्रभावित होने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाये और उनके लिये जमीन सुरक्षित रखी जावे ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मुआवजे की बात चल रही है। उन लोगों को बसाने के लिये जमीन भी सुरक्षित रखी जाये इसके लिये गुजरात सरकार से कह रहे हैं। इन आदिवासियों को जो गुजरात के आदिवासियों की पट्टी आती है वहां पर बसाया जाये। यह हमारी ओर से निवेदन कर दिया गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसके लिये जो कमेटी गठित की गई है क्या उसमें जन-प्रतिनिधियों को भी रखने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सही जवाब नहीं आ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डिनरिली प्रेक्टिस यह है कि जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हों उनके प्रश्न पर सप्लीमेन्टरी नहीं की जा सकती है। उनको अलाऊ नहीं किया जाता है। यह प्रश्न चूंकि महत्व का है इसलिये आपको इतनी छूट दे दी गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बार छूट दे दी गई है तो दुबारा भी दी जानी चाहिये। यह राजस्थान के गरीब आदिवासियों का प्रश्न है और इस सदन के अन्दर सन् 68 से बराबर उठाया जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष : पूछना है तो सीधी तरह से पूछ लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 68 से यह प्रश्न राजस्थान विधान सभा में बराबर उठता आ रहा है और राज्य सरकार इस प्रश्न को जितना महत्व देना चाहिये उतना महत्व नहीं दे रही है, और मेरे प्रश्न के लास्ट में यह था कि जन-प्रतिनिधियों को उस कमेटी में सम्मिलित करने में आपको क्या आपत्ति है? क्यों नहीं उसमें जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है ताकि उन लोगों में जो भयंकर असन्तोष व्याप्त है और उनका भविष्य असुरक्षित है उनको किसी प्रकार की सान्त्वना वह दे सकें?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता है, अध्यक्ष महोदय, कि हाई पॉवर कमेटी····

श्री अध्यक्ष : इनको भी कह लेने द। इनका भी जवाब साथ में दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : उस हाई पॉवर कमेटी के बारे में, अध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी है उसके बारे में कहना चाहता हूं। बाकी के बारे में तो सिंचाई मंत्रीजी जवाब देंगे। हाई पॉवर कमेटी नहीं है बल्कि वह केबिनेट की सब-कमेटी है जो कि कडाना के इश्यू को देखती है। उसको हाई पॉवर कमेटी नहीं कहना चाहिए। वह केबिनेट की सब-कमेटी कही जा सकती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : और उस कमेटी में आप माननीय मंत्री महोदय जो उसी क्षेत्र से आते हैं वह भी हैं और मैं भी हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का इंगित उन्हीं की ओर था। आपने हाई पॉवर कमेटी कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : वह हाई पॉवर कमेटी नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह हाई पावर कमेटी नहीं है वह केबिनेट की सब-कमेटी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

हैं। उसमें जन-प्रतिनिधि के रूप में वहां मिनिस्टर साहब भी मेम्बर हैं। हम सब मिलकर वह जो डैम बन रहा है उसके बारे में····

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, 1970 में पार्लियामेन्ट में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के० एल० राव ने ··· घोषणा इस बारे में की थी कि राजस्थान और गुजरात दोनों सरकारें कडाना बांध की ऊंचाई 410 फीट रखने के लिए रजामन्द हो गई हैं और उसके लिए फैसला कर लिया है कि 410 फीट तक ही उसकी ऊंचाई रखी जाय। तो क्या केन्द्रीय सरकार ने जो घोषणा की थी और बाद में आप लोगों ने बातचीत की तो क्या उस ऊंचाई के बारे में दुबारा विवाद छिड़ गया है कि उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है या आपकी कोई कमजोरी रही है या गुजरात सरकार ने इस प्रश्न को दुबारा उठाया है जबकि केन्द्रीय सरकार उस पर घोषणा कर चुकी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि 410 का ही वह है लेकिन गुजरात सरकार यह कह रही है कि हमने वर्ल्ड बैंक से जो लोन इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है वह कम से कम 419 फीट के लिए लिया है। वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस मामले पर एजीटेट कर रहे हैं।

श्री मीठालाल : केन्द्र ने जब अपना निणय 410 फीट की ऊंचाई के लिए दे दिया है फिर क्या कर रहे हैं ? आप न मानें तो मैं आपको प्रोसीडिंग्स लाकर दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्न संख्या 162।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की जो नीति है 410 फीट की ऊंचाई के बान्ध के सम्बन्ध में वह सराहनीय वह है। वह उत्तम निर्णय है, लेकिन मान लिया जाय कि पड़ौसी सरकार गुजरात इस चीज को नहीं मानती है तो अन्ततोगत्वा आप इस मामले को रेसिस्ट करेंगे या आप और गुजरात सरकार बैठकर बात करेंगे तो आप कुछ दब्बू नीति अख्त्यार करके ऐसा कम्प्रोमाइज कर लेंगे जिससे उस आदिवासी क्षेत्र को बहुत नुकसान हो। इस बारे में मंत्री महोदय, कृपा करके कुछ प्रकाश डालें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस मामले में हमने अपना व्यू पांइट केन्द्रीय सरकार के सामने रख दिया है और यह मामला केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया गया है, और वही इस बारे में अन्तिम निर्णय देगें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब केन्द्रीय सरकार हाउस में कह चुकी है तो क्या उनका आश्वासन 410 फीट की ऊंचाई का नहीं माना जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : केन्द्रीय सरकार क्या फैसला करेगी यह मैं नहीं कह सकता।

श्री मीठालाल : 410 फीट के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है। इस बात के लिए

(श्री मीठालाल)
में प्रोसीडिंग्स पेश कर दूं अगर आपको आपत्ति हो तो।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

ड्राफ्टसमेंन और सीनियर ड्राफ्टसमैनों के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति

162 **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज विभाग अधीनस्थ विभागों के कौन कौन ड्राफ्टसमैन और सीनियर ड्राफ्टसमेन ने कितनी 2 अवधि तक कहां कहां कार्य किया ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करे।

(2) क्या किसी ड्राफ्टसमेन या सीनियर ड्राफ्टमेन का एक स्थान पर एक साल या इससे कम अवधि तक कार्य करने से पूर्व ही स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या एक स्थान पर दो साल या इससे भी अधिक समय से कोई ड्राफ्ट समेन या सीनियर ड्राफ्टसमेन कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में दो साल या इससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्य करने वाले ड्राफ्टसमेन या सीनियर ड्राफ्टसमेंन का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) तालिका संलग्न है।

(2) जी हां। एक वर्ष से कम की अवधि में चार कनिष्ठ मानचित्रकार एवं तीन वरिष्ठ मानचित्रकार के स्थानान्तरण हुए। सामान्यतया ऐसा प्रशासनिक दृष्टि से ही किया गया।

(3) जी हां। दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय से कनिष्ट मानचित्रकार एवं वरिष्ठ मानचित्रकार कार्यरत हैं। सामान्यतौर से 2 वर्ष पूरा करने पर आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

जयपुर जिले में चारागाह की भूमि

163. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कितनी चरागाह की भूमि है तथा फागी और चाकसू तहसील के प्रत्येक गांव में कितनी 2 चरागाह भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है और काफी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। फागी तथा चाकसू तहसील के किसी चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के बारे म सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) क्या राज्य सरकार चरागाह पर से अतिक्रमण हटाने के बारे में शक्ति से कदम उठाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) जयपुर जिले में 2,54,949 एकड़ चरागाह भूमि है। फागी तहसील के 149 गांवों में 29,353 एकड़ चरागाह भूमि है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। चाकसू तहसील के 289 गांवों में 19,439 एकड़ चरागाह भूमि है, ग्रामवार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) जी हां। फागी तहसील में 411 बीघा 3 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और चाकसू तहसील में 526 बीघा 9 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही चल रही है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी ही पूरी होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जल्दी की परिभाषा कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे जयपुर जिले का प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : ऐसा है कि चरागाह की भूमि का जो अतिक्रमण है वह हर साल होता है और हर एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग में किसानों की यह बड़ी समस्या आती है। इसलिए इसका निर्णय कर लिया जाय तो अच्छा रहे। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक इन सारे झगड़ों को मिटा दिया जायगा, क्योंकि जयपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है इसलिए तुरन्त ही अतिक्रमण के मामलों को निपटा दिया जाय तो उससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अतिक्रमण के मुकद्मों को जल्दी से जल्दी फैसला करने की हिदायत कर दी जायगी।

श्रीमती ऊषा प्रकाश (बैर) : अध्यक्ष महोदय, चरागाह के मामले जयपुर तक ही सीमित नहीं हैं। हर जगह इस तरह के मामले उठाते हैं तो क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि इन मामलों का सदैव के लिए निपटारा हो जाय ? चरागाह के मामलों के फैसले जल्दी ही होने चाहिए। चरागाहों के नियमन का निर्णय करने के लिए जो आथोरिटी है वह इसका निर्णय 1-2 महीनों के अन्दर कर दें। अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण के पीछे यह स्पष्ट बात है। कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन चरागाहों की इनकम से भ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार को यह सोचना चाहिए और चरागाहों के अतिक्रमण के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम रखना चाहिए।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण के बारे में राजस्व विभाग ने एक सर्क्यूलर निकाला

(श्री भंवरलाल भदादा)
है कि 66 से पूर्व से काश्त कर रहा है तो उसको रेग्युलेराइज कर दिया जायगा, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने, राजस्व विभाग ने एक सक्यूंलर और निकाला है मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं :–

"उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के सम्बन्ध में ऐसे चरागाह की भूमि पर किये गये ऐसे अतिक्रमण के मामले जिन पर अतिक्रमणकारी सन् 1966 से पूर्व काश्त कर रहे अथवा भू-राजस्व की अदायगी हो रही है वह नियमानुसार नियमन किये जायें"।

भू-राजस्व की अदायगी कैसे हो सकती है। अतिक्रमणकारी है तो राजस्व की अदायगी कैसे करेगा। इस प्रकार के परिपत्र भेजकर काफी घोटाले किये गये हैं, और काफी लोगों का जो 66 से पूर्व कब्जा है जो कि रेग्युलेराइज है उनको तंग किया जा रहा है। यह राजस्व विभाग का परिपत्र धोखाधड़ी से भरा हुआ और परेशान करने वाला है। इसके बारे में मंत्री महोदय आश्वासन देगें कि भू-राजस्व की अदायगी का लिखा गया है उसको बगैर हटाये हुए यह संभव नहीं है कि अतिक्रमणकारियों को जो गरीब बेचारे भूमिहीन हैं उन लोगों का नियमन किया जा सके।

श्री चेतराम (टोडा भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चरागाहों के अतिक्रमण की समस्या में एक तरफ तो ग्रामवासियों का हिस्सा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार का हिस्सा है। राज्य सरकार जानबूझकर चरागाहों का आवंटन कर रही है और इन्डाइरेक्टली उनको रेग्यूलेराइज कर रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि चरागाहों को सुरक्षित रखा जाय। राजस्थान में अकाल की स्थिति हर साल होती है वहां पर चरागाहों को सुरक्षित रखा जाय और चरागाहों का कहीं पर भी आवंटन न किया जाय।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : चरागाह पटवारी के कागजात में रहते हैं और मौके पर हमने यह चीज बताई है। इन चरागाहों को उन जमींदारों ने तोड़ा है जिनके पास में जमीन है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : चरागाह की भूमि अत्यन्त आवश्यक है और हम यह समझते हैं कि चरागाह की भूमि पर किसी ने अनधिकृत कब्जा किया है तो वह जायज नहीं है। एक माननीय सदस्य का सवाल था कि 66 से पहले भू-राजस्व के लगाने की आज्ञा दी गई है तो चरागाह भूमि पर कोई लगान वाजिब नहीं होता है। इसलिए परिपत्र अगर इस तरह का जारी हुआ है तो मेरे खयाल से कानून की दृष्टि से जायज नहीं है। भू-राजस्व चुकाने का काम हो सकता है तो वह कैसे हो सकता है। चरागाह की भूमि पर कोई लगान नहीं होता है। अगर इस प्रकार का कोई परिपत्र है तो मैं इसको ठीक करवाऊंगा।

श्री मोहनराज (बाली) : इस प्रकार का परिपत्र शीघ्र विथड्रा किया जाय। आपने स्वयं ने कहा है कि वह कानूनी जायज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह पहले कह दिया है।

श्री मीठालाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अतिक्रमण में भ्रष्टाचार हो रहा है और उससे

(श्री जयकिशन लाल तोमवाड़ा)
सारे किसानों को बड़ी परेशानी है । जब तक यह स्थिति दूर नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं, क्या आप कोई मर्यादा मानने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री मीठालाल ।

यूरिया खाद का वितरण

164. **श्री मीठालाल (लालसोट) :** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि कोटा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी गत दिनों यूरिया खाद लेने वाले किसानों को प्रति पट्टा अनिवार्य रूप से 20 ग्राम लौंग का वितरण किया गया ?

(ख) यदि हां तो क्यों तथा उपरोक्त लौंग सोसायटी द्वारा कहां से किस भाव में क्यों खरीदी गई थी ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त लौंग बहुत ही घटिया दर्जे की है ?

(घ) क्या यह सच है कि इसी प्रकार क्रय-विक्रय सहकारी संघ, दौसा द्वारा लालसोट में खाद्य वितरण के साथ अनिवार्य रूप से वह पाउडर बांटा जो कि आज कल किसी पैदावार में काम नहीं आता ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार पूर्ण जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (क) जी नहीं, परस्वैसिव सेल था ।

(ख) लौंग नेशनल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि०, नई दिल्ली से 116 रु० प्रति किलो की दर से खरीदी गई थी ।

(ग) जी नहीं । अच्छी किस्म की थी ।

(घ) जी नहीं, अनिवार्य रूप से वितरण नहीं हुआ है । चूंकि काश्तकारों के काम की वस्तु है अत: उसके लिए आग्रह किया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल खाद के मामले में बहुत ही गम्भीर आरोप सरकार के ऊपर लगाये गये हैं । इस समय पाउडर देने के मामले में सारे राजस्थान में बहुत ही गड़बड़ी हुई है । इसी तरह से यह लौंग का मामला है । दिल्ली से यह 116 रु० किलो के भाव से मंगाई गई है ।

जयपुर में यह 105 रु० में खरीद सकते है । 19-1-73 को और 20-1-73 को 160 ग्राम दी गई है । काश्तकार लौंग का क्या करेगा । जब एक ने जाकर बेच दी है तब जाकर यह पता चला है । दूसरे यह पाउडर किसानों के काम की चीज है लेकिन इस समय वह पाउडर काम में नहीं आता है । तो केवल आग्रह ही नहीं किया गया है बल्कि जबरदस्ती यह किया गया कि एक कट्टे के साथ में पाउडर लेना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मीठालाल : इस ढंग से क्या कारण है, खाद की स्थिति जो पहले ही इतनी खराब है कि वह ब्लैक मार्केट में मिल रही है ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय किसान लोंग मांगते हैं फिर भी नहीं दी जाती है। फिर क्या कारण है कि माननीय सदस्य इस प्रकार से कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं सोसायटी का अध्यक्ष हूं। मेरा निवेदन है कि किसी को जबरदस्ती पाउडर नहीं दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आ गया है। यह लोंग का प्रश्न कोटे से संबंधित हैं।

श्री जयनारायण रोत : क्या यह लोंग वही लोंग है······

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जुझारसिंह : लोंग नेशनल कोआ-परेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नई दिल्ली ने यह सूचना भेजी कि उनके पास फौरिन की कस्टम द्वारा जब्त की हुई लोंग है। अगर क्रय-विक्रय संघ को आवश्यकता हो तो वह ले सकता है। इस प्रकार से 116 रु० प्रति किलो के भाव से यह लोंग खरीदी गई है जब कि उस समय बाजार भाव 170 रु० प्रति किलो था। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि यह महंगी है। दूसरे माननीय सदस्यों को यह कह दिया है कि वहां पर किसी को जबरदस्ती नहीं दी गई है। अब भी पूरा वितरण नहीं हुआ है। 160 किलो बांट पाये हैं। जबरदस्ती होती तो अब तक बांट दी गई होती।

दूसरा प्रश्न दौसा से सम्बन्धित है। बी० सी० जी० पाउडर खाद के साथ में जबरदस्ती नहीं दिया गया है। परसुएट किया गया है। जिनको चाहिए था उनको दिया गया है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का कानूनी जवाब नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयनारायण रोत : पहले तो मैंने यह समझा कि यह लोंग वह है जो गला साफ करने के काम में आती है।

श्री मीठालाल : इस प्रश्न को मानवीय दृष्टि से देखें। जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, उस तरह से नहीं। दरअसल यह सभी जगह दिया जा रहा है। जबरदस्ती बेचना तो दूर रहा, आग्रह भी नहीं करें। स्पष्ट इस प्रकार की घोषणा कर, जो कुछ किसानों को दिया जाय, उसके साथ में दूसरी चीज नहीं दी जायगी।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, जब पाउडर के भाव बढ़े हुए थे, तो लोगों ने वहां से पर्चेज किया है और बाजार में जाकर बेचा है। इसकी जानकारी करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : मेरा निवेदन है, इस प्रकार से किसानों को क्यों मजबूर किया जाता है? लोंग या उसके साथ कोई दूसरी चीज लेने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? इसका मतलब है कि सरकारी विभाग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। बूंदी में इसका ब्लेक हुआ है। किसान एक-एक कट्टे को परेशान होता रहे। इसको हमारे माननीय सदस्य जबरदस्ती करने की बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

Page No 18

(18)

श्री जुझारसिंह : मार्केटिंग सोसाइटी अपने बिजनेस के लिए अपने ढंग से माल मंगाती है। क्रय विक्रय संघ ने यह किया है कि आप के पास सस्ता उपलब्ध हो गया है। अगर मार्केटिंग सोसाइटी ने बाजार भाव से ज्यादा लिया है तो अलग बात है नहीं तो बाजार से 40-50 रु० कम में माल बिका है। जब यह आब्जेक्शन आया है तो जितना माल बिका है, उसके बाद बेचना बन्द कर दिया है। अगर अब भी मांग है तो को-ऑपरेटिव सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

गंडाला पी० एच० सी० के सब सेन्टरों के लिए जमा कराई गई राशि

165. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के गंडाला पी० एच० सी० के दो सब सेन्टर ग्राम गूंनी व बूढवाल में खोले जाने के लिये ग्रामवासियों ने सरकार के पास धन जमा कराया था? यदि हां, तो कब और कितना कितना?

(2) क्या यह सही है कि पहिले भी इन दो उप-केन्द्रों के खोलने के लिये प्रार्थना की गई थी?

(3) अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और यह उप-केन्द्र कब तक खोले जाने की आज्ञा प्रदान की जावेगी?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। ग्राम गूंनी व ग्राम बूढवाल की जनता द्वारा क्रमशः दिनांक 12-8-66 व दिनांक 2-9-66 को रु० 3,333 विकास अधिकारी पंचायत समिति बहरोड़ के कार्यालय में जमा कराये थे।

(2) जी हां।

(3) मामला जिलाधीश एवं विकास अधिकारी व प्रधान पंचायत समिति, बहरोड़ के दरमियान चल रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सात साल से रुकावट क्यों आ रही है? इसको दूर किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : पंचायत समिति शुरू नहीं करवा रही है—इसके सिवाय दूसरी दिक्कत नहीं दिखती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पंचायत समिति के प्रधान ने लेटर लिखा है। इसकी शिकायत कर चुके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सारी चीजों को देखकर जल्दी शुरू करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

बनाड़ी बांध की योजना

166. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटपूतली तहसील में बनाड़ी बांध बनाने के लिये योजना किस वर्ष में बनाई गई थी तथा उक्त बांध पर कितना खर्चा आने का अनुमान है?

(श्री सुरेशचन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के बन जाने से कोटपूतली तहसील की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी? यदि हां, तो सरकार इस बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू करने का विचार कर रही है?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) इस योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 9.18 लाख रुपये होगी।

(2) इस योजना से कोटपूतली तहसील को करीब 1860 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। योजना की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति होने और आवश्यक धन राशि की उपलब्धि पर ही इस योजना पर निर्माण कार्य आरम्भ हो सकेगा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : कल मंत्री महोदय ने फर्माया था कि जयपुर में बांध बनाने की जगह नहीं है, पैसा कहां खर्च करें? आज कह रहे हैं, पैसा होगा, तकनीकी स्वीकृति हो ी तो निर्माण कार्य आरम्भ हो सकेगा। गत सत्र में प्रश्न पूछा था, उस समय भी यही जवाब मिला था। आज अकाल पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं फिर भी आप इस बांध को नहीं बना पाते हैं, जब कि दूसरी जगह करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन करना है, कल आपका कहना था कि बांध बनाने की जगह नहीं है, पैसा कहां खर्च करें, आज कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। कब यह काम शुरू होगा?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अब तो जगह बता दी, आप निश्चित घोषणा कर दें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : आपको मालूम है कि बहुत से बांध शुरू कर दिये गये हैं। मीडियम और माइनर इरिगेशन के उतने ही काम लेने चाहिए जो एक दो साल में खत्म हो जायें। हमने बारह सौ काम हाथ में ले लिये हैं, सात सौ कम्पलीट हो गये हैं। हम चाहेंगे कि जो काम अभी अधूरे हैं, उनको पहले पूरा करें क्योंकि जो काम मीडियम और माइनर इरिगेशन का अधूरा रह जाता है तो वह पूरा नहीं हो पाता है। आप जानते हैं, कि धन का अभाव है, उसमें जितनी जल्दी हो सकेगी, हम कोशिश करेंगे, इसे लेने की।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इसका अर्थ यह हुआ, वह बांध पूरे होने नहीं हैं और यह बांध का काम शुरू होना नहीं है। इनका मतलब है कि इस बांध का नम्बर नहीं आयेगा। ऐसा है तो आप घोषणा कर दीजिये कि दस साल तक नहीं होगा। हम चुप रह जायेंगे। आज जनता परेशान करती है कि जब सर्वे हो चुका है तो देरी क्यों हो रही है? आप बताइये, कब पैसा मिलेगा और कब काम होगा? जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने में लगें तो दस-बीस साल उसमें लग जायेंगे। आप जब दूसरी जगह दूसरे काम कर रहे हैं तो जयपुर जिले की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं?

श्री मीठालाल (लालसोट) : अगली योजना में ले लेंगे, यह घोषणा कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगली पंचवर्षीय योजना में जरूर ले लेंगे।

प्रश्न संख्या 167.

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :

कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

168. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति द्वारा कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक पद पर किए गए स्थायीकरण को राज्य कर्मचारियों के समान माने जाने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो पंचायत समिति कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में कार्य कर रहे लेखा लिपिकों का स्थायीकरण नहीं किया जब कि वे पिछले 11 वर्षों से इस पद पर काम कर रहे हैं ? जबकि अन्य विभागों में कार्य कर रहे लेखा-लिपिकों को स्थायी किया जा चुका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बने हुए हैं, और उन नियमों में पंचायत समिति के कर्मचारियों के स्थायी-करण किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायत समितियों के लेखा-लिपिकों के पद दिनांक 1-3-72 से ही स्थायी किये गये हैं और उन्हें स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कब से स्थायी किये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : 1-3-72।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेन्ट्री है। इतनी देरी से स्थायीकरण करने का क्या कारण है जब कि कहते हैं कि नियम पहले बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गये। उसका शुक्रिया अदा करो।

श्री हरिदेव जोशी : अब हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसका तो धन्यवाद है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसमें कमी मत रहने दिया करो।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

रजियावास के तलाबों को पानी

169. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नया गांव सारोठ के नाले को बांध कर रजियावास तालाबों में पानी लाने के लिये नहर का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के समय किया गया, जो अधूरा पड़ा है ?

(2) क्या इस नहर के निर्माण से रजियावास तालाब को ही नहीं उसके बाद के कई तालाबों को भरपूर पानी मिलेगा ? क्या इससे सिंचाई के लिये भी पानी उपलब्ध होगा ?

(3) सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूरा कब तक कराने का इरादा रखती है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) सारोठ के नाले से एक फीडर सन् 1964 व 1967 में खोदी गई थी जो अभी अधूरी है । मगर यह फीडर रजियावास तालाब को नहीं बल्कि जवाजा तालाब को पानी देगी ।

(2) जी नहीं, यह फीडर केवल जवाजा तालाब को पानी देकर उसको भरने में सहायक होगी जिससे जवाजा ग्राम की कृषि को अधिक पानी मिल सकेगा ।

(3) कार्य शुरू कर दिया गया है । इस कार्य को पूरा करने में लगभग 1.50 लाख रुपये लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

सांचोर ग्राम पंचायत की फाइलें

170. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जालौर जिले के सांचोर ग्राम पंचायत की आबादी की फाइलें जिला पंचायत कार्यालय द्वारा सन् 1970-71 में मंगा ली गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वे फाइलें अभी तक वापिस नहीं लौटायी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां । पत्रावलियां मंगाने का कारण यह था कि जिलाधीश को पंचायत सांचोर द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि बेचने की जानकारी प्राप्त हुई थी । पत्रावलियां वापिस लौटा दी गई हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उस जांच का नतीजा क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : शिकायत सही साबित नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष । श्री लूणा राम ।

पटवारियों के तबादले

171. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों का तबादला उनके निवास की तहसीलों से अन्य तहसीलों में करने का राज्यव्यापी आदेश प्रसारित किया गया ? यदि हां, तो उक्त आदेश की अनुपालना किन-किन जिलों में की गई है ?

(श्री लूणाराम)

(2) जिन जिलों में उक्त आदेश की पालना नहीं हुई है उसके क्या कारण हैं तथा उसकी पालना कब तक हो जायगी एवं उन अधिकारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिन्होंने इसका पालन नहीं किया ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां। 6 जिलों में पूर्ण रूप से। 7 जिलों में आंशिक रूप से अनुपालना की जा चुकी है।

(2) पटवारियों की कठिनाइयों एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपरोक्त आदेश को माह अप्रेल, 1973 तक स्थगित कर दिया गया है। अतः आदेश पालना न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुखों के रिक्त स्थान

172. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुखों के स्थान रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

सूची नहीं मिली है, अध्यक्ष महोदय?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) रिक्त स्थानों की सूचना जिलाधीशों के माध्यम से एकत्रित की जा रही है।

(2) जिन स्थानों में सरपंच, और उप-सरपंच, प्रधान और उप-प्रधान तथा प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों ही नहीं हैं वहां चुनाव शीघ्र करवाने के आदेश दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह : सूची मांगी थी, वह सूची आने पर जवाब दिया जाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : सूची तो पूरे राजस्थान भर से इकट्ठी करनी थी। 7000 पंचायतें हैं, उनसे इन्फार्मेशन कलेक्ट करनी होती है, प्रयत्न किया लेकिन इत्तला आयी नहीं। मैंने आपके प्रश्न का यह अर्थ समझा, दो स्थान खाली हैं उसके बारे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वह जानना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : सूची भी चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य यह समझते हैं कि प्रश्न का उत्तर इन्कम्प्लीट है, तो अध्यक्ष महोदय, इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री मीठालाल : न्याय पंचायतों के बारे में भी बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : उस पर भी यही उसूल लागू होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह : इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : इसका अर्थ नहीं होगा। सात हजार पंचायतों से इन्फोर्मेशन मंगानी है।

श्री राजेन्द्रसिंह : पंचायत नहीं देगी, कलेक्टर दे सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : असम्भव है।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : एक प्रश्न मेरा यह है, राजस्थान में पाली जिला ऐसा जिला है, जहां नौ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वहां के उप-प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि उप-प्रमुख का चुनाव करा दें। मंत्री महोदय ने कहा, एक्ट में प्रावधान नहीं है। प्रमुख, उप-प्रमुख का चुनाव करायें, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। उप-प्रमुख का चुनाव नहीं कराया गया, यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। वहां पर जनतंत्र की हत्या की गई है।

श्री राजेन्द्रसिंह : इस प्रश्न को डेफर कर दिया जाय, जब तक सूची नहीं आये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी एक इन्डीविजुअल केस के बारे में कह नहीं सकता। क्वेश्चन जनरल है। जहां कहीं जो एक्शन लेना होगा, वह लिया जायगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आपके पंचायत कानून के मुताबिक सरपंच का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सरपंच की मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान उप-सरपंच लेता है। लेकिन उप-सरपंच कतई कुछ नहीं जानता, अंगूठा छाप है, तो जो सरपंच के पढ़े लिखे होने का प्राविजन है, वह लागू करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जो नियमों में है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री दिनेश राय डांगी : मेरे प्रश्न का जबाब नहीं आया है।

श्री हरिदेव जोशी : सरपंच का पढ़ा लिखा होना जरूरी है।

श्री दिनेश राय डांगी : ऐसा होता है कि राजस्थान विधान सभा की सीट खाली रहे। नौ वर्ष हो गये, उप-प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है।

तहसील सांचोर में म्यूटेशन के मामले

173. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में अभी तक काफी म्यूटेशन भरने बाकी हैं ? अगर हां, तो कितने ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चुनाव आपका भी नहीं हुआ है।

श्री दिनेशराय डांगी : नॉमीनेशन फार्म दाखिल किया था, चुनाव लड़ा था। आपकी महरबानी से नहीं आया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (2) बाकी म्यूटेशन काश्तकारों के पूरे कब तक भरवा दिये जावेंगे ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर में काफी भूमिहीन काश्तकारों को उनकी आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो अब तक कब से कितने कब्जे दिये जाने बाकी हैं ? अब ऐसे कब्जे कब तक दिलवा दिये जायेंगे ?

(4) तहसील सांचोर में 91 लैंड रेवेन्यू अधिनियम के तहत कितने मुकदमात कब से फैसल होने बाकी हैं और वे कब तक फैसल करवा दिये जायेंगे ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) तहसील सांचोर में कितने नाजायज कब्जे नियमन किये जाने बाकी हैं एवं वे कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) तहसील सांचोर में 263 मामले म्यूटेशन के बाकी हैं।

(2) बाकी म्यूटेशन माह मार्च, 1973 के अन्त तक पूरे करवाने का प्रयास किया जावेगा ।

(3) तहसील सांचौर में 919 भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है जिसका कारण यह है कि अधिक मात्रा में भूमि आवंटन कार्य नहर क्षेत्र में बिना मौके तरमीन के हुआ है और यहां पर अधिकतया काश्तकार गुजरात एवं बाहर के हैं । इसके अतिरिक्त नहर क्षेत्र में बड़े बड़े चक हैं जिनमें सर्वे पार्टी के बिना सही मौके की जानकारी से कब्जा नहीं दिया जा सकता है जिससे कब्जे देने बाकी हैं । कुछ आराजी ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े चक हैं और आवंटन के अनुसार मौके पर रकबा भी कम है । इस सम्बन्ध में पटवारियान से सूचना प्राप्त कर आवंटन खारिज करने बाबत कार्यवाही की जायेगी ।

(4) तहसील सांचोर में लैंड रेवेन्यू अधिनियम की धारा 91 के तहत 535 मुकदमे फैसल होने बाकी हैं वर्षवार सूची संलग्न है । मुकदमातों की सुनवाई समय समय पर की जा रही है। आवश्यक गवाह सबूत प्राप्त होने पर मुकदमें फैसल कर दिये जायेंगे ।

(5) तहसील सांचोर में बाड़े एवं काबिल काश्त जमीन के क्रमश: 86 व 449 मुकदमें बाकी हैं । काबिल काश्त जमीन के 129 मामले उप-जिलाधीश भीनमाल के यहां नियमन हेतु भेजे जा चुके हैं । बाड़े का नियमन दो माह की अवधि में निपटाने का प्रयास किया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने जानकारी दी है, पहले तो आपने कहा कि म्यूटेशन के मामले इतने बैठते हैं, इसके अलावा हजारों ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं किये गये, उनकी क्या स्थिति है ?

दूसरा आपने बताया कि जो गलत अलॉटमेंट कर दिया उसके लिए कब्जा देने में आप असमर्थ हैं। स्पेशल सेटलमेंट आपने करा दिया और कब्जा दिया नहीं, तो इसके लिये सरकार को व्यवस्था निश्चित करनी चाहिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ आदमी गुजरात के थे, कुछ बाहर के थे, उनको भी जमीन अलॉट हो गई थी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गुजरात के आदमियों को अलॉटमेंट हुआ कैसे ? यह गलत अलॉटमेंट कैसे हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और जो बड़े-बड़े चक हैं उनके मुरब्बों की अभी पेमाइश हुई है, उनको काटकर जल्द ही पटवारी कोशिश कर रहे हैं कि जिनको जमीन अलॉट कर दी गई है उनको कब्जा दिया जाये । इसका जल्द ही फैसला कर दिया जायेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह अलॉटमेंट पांच छः वर्ष से कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। अब कब्जा कब तक दिला सकेंगे ? और जो गलत अलॉटमेंट हुआ है, उनको खारिज करिये। उनसे बीगोड़ी वसूल कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि जिनको नाजायज अलॉटमेंट हुआ है, उनको तो खारिज कर देंगे और जिनको सही अलॉटमेंट हुआ है उनको कब्जा दिला देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपके म्यूटेशन के जो मामले हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको भी अनुभव होगा, म्यूटेशन के बारे में वहां पर जिनका डेथ हो गया, वह करा देना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कई साल तक म्यूटेशन नहीं करा रहे हैं। आदमी मर गया है लेकिन म्यूटेशन नहीं हो रहा है। जो मामले आपने बताये हैं यह कितने वर्षों से पेंडिंग हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1969 के 5, 1970 के 11 और 1971 के 45......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : म्यूटेशन के कितने हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : म्युटेशन का अभियान चला रहे हैं, एक एक साल के 80 हजार म्यूटेशन के केसेज दो-तीन माह में खत्म किये हैं, और मेरा ख्याल है कि 6 महीने में म्यूटेशन के सारे केसेज खत्म कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमृतलाल गहलोत।

फिदूसर खान क्षेत्र में सुविधाएँ

174. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर के फिदूसर की पत्थर की खानों के क्षेत्र से खनिज विभाग ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कितनी धनराशि, रॉयल्टी, किराया और कांटे पर तुलाई के रूप में अलग अलग प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त मदों के अन्तर्गत कितनी धनराशि अलग-अलग प्राप्त होने का अनुमान है ?

(3) क्या यह सत्य है कि फिदूसर खानों में सड़कें अपर्याप्त हैं और जो हैं, वे प्रत्येक दिन लगभग एक हजार भारी मोटर गाड़ियों के दोनों तरफ तीव्र गति से चलने के कारण टूटने वाली हैं या टूट चुकी हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में खनिज विभाग ने फिदूसर खनिज क्षेत्र की सड़कों के विकास और मरम्मत के लिये कोई धनराशि व्यय नहीं की जिससे सड़कों की यह दुर्गति हुई ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(5) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भविष्य में वहां खनिज विभाग को होने वाली आय का कम से कम बीस प्रतिशत वहां की सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये व्यय करने के आदेश दिये हैं जिनका अक्षरशः पालन होना अति आवश्यक है ?

(6) उपरोक्त कार्य के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल (1974 से 1979) में लागू करने का कार्यक्रम कब तक बना लिया जायेगा ?

राज्य मंत्री खनिज, (श्री जुझारसिंह): (1) फिटूसर आदि पत्थर की खानों के क्षेत्र से कांटे पर तुलाई व अधिशुल्क की आय का क्रमवार गत 5 वर्षों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रॉयल्टी	वेमेन्ट चार्जेज	कुल
1967-68	705107.39	2515	107622.39
1968-69	9355461.54	6126	941597.54
1969-70	824967.74	13220	838497.74
1970-71	650629.08	15439	666068.08
1971-72	861198.11	35807	897005.11
(2) 1972-73	1054200.00	45800	1100000.00

(3) खनिज उत्पादन को व यातायात को देखते हुए सड़कें अपर्याप्त हैं व सुधार की आवश्यकता है।

(4) सड़कों की मरम्मत व देखरेख का कार्य पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा किया जाता है। खनिज विभाग ने कोई व्यय नहीं किया।

(5) यह प्रश्न नीति निर्धारण का है जो विचाराधीन है।

(6) पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल का प्रारूप प्रोग्राम बन रहा है जो 31 मार्च, 1973 तक बन जायेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मालाराम।

श्री मालाराम : प्रश्न संख्या 175।

नीम का थाना उप-खण्ड में कृषि भूमि का आवंटन

175. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना उप-खण्ड में सन् 1967 से लेकर अब तक किस-किस ग्राम में किन-किन को कितनी-कितनी कृषि भूमि आवंटित की गई ?

(2) इसमें कितने अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक एवं व्यापारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो भूमिहीन नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलों में भूमिहीनों की कोई सूची नहीं है ? यदि नहीं, तो कृपया यह बताया जाय कि इस सूची के किस-किस नम्बर के काश्तकारों को भूमि का आवंटन हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न द्वारा चाही गई।

(राजस्व मन्त्री)
सूचना बहुत विस्तृत है जो अभी तक नहीं मिल पाई है, इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 176

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 177

श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

खनन के पट्टे

153. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने खनन के कुल कितने पट्टे मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के अन्तर्गत दे रखे ह ? इनमें से कितने व्यक्ति स्वयं दोनों में पट्टेदार होकर कार्य करते हैं और कितने व्यक्ति केवल देखरेख का काम करते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार माइनर मिनरल में ऐसे पट्टे अलग 2 व्यक्तियों को न देकर श्रमिकों या श्रमिक सहकारी समितियों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खनिज राज्य मंत्री (श्री जुझारसिंह):
(1) मेजर मिनरल के अन्तर्गत दिनांक 31-3-72 तक 850 खनन पट्टे दे रखे हैं व माइनर मिनरल के अन्तर्गत 1478 खनन पट्टे तथा 8534 (रेन्ट-कम-रॉयल्टी लीजेज) स्वीकृत हैं। इनमें से कितने व्यक्ति स्वयं दोनों में पट्टेदार होकर कार्य करते हैं और कितने व्यक्ति देखरेख का काम करते हैं। इस बारे की कोई सूचना रखना नियमानुसार आवश्यक नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों तथा श्रमिक सहकारी समितियों को पट्टे स्वीकृत किये हुए हैं तथा जहां तक सम्भव होता है इनको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसा कोई माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्दर प्रावधान रखने की क्या आप कल्पना करते हैं कि जो काम करता है उसको ही पट्टा मिले ?

एक माननीय सदस्य : केवल कल्पना ही ?

श्री जुझारसिंह : उसको प्रायोरिटी मिलती है। माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के रूल 29 के अन्दर.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह तो है। तो कम से कम माइनर मिनरल तो उसी को ही मिलना चाहिये जो काम करता है।

श्री जुझारसिंह : उसको प्राथमिकता देते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : प्राथमिकता की चिन्ता नहीं है। ऐसा कोई रूल है

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
क्या ? दूसरा यह निवेदन है कि आपके पास यह जानकारी नहीं है कि कितने ठेकेदार हैं और कितनों के स्वयं के पट्टे हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे रेन्ट-कम-रॉयल्टी के लीजेज ऐसे ही लोगों को दिये जाते हैं जो स्वयं काम करते हैं और इस समय उनकी संख्या 8534 है। जबकि रेग्युलर पट्टे वालों की संख्या 1478 ही है । भीलवाड़ा में ज्यादातर हाथ से काम करने वालों को ही रेन्ट-कम-रॉयल्टी के लीजेज दिये जाते हैं और उनको प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : बन्द बरेठा और बन्सी पहाड़पुर में छोटे-छोटे आदमियों को दे रखा है या बड़े बड़े को ?

श्री जुझारसिंह : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मेरा निवेदन है कि अपने हाथ से काम करने वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिये, और दूसरा यह निवेदन है कि बूंदी जिले में भी ऐसे खनन पट्टे दिये जाते हैं या केवल भीलवाड़ा जिले में ही दिये जाते है ?

श्री जुझारसिंह : यह सभी इलाकों में दिया जाता है । रेन्ट कम रायल्टी पर भी दिये जाते हैं और रेग्युलर लीजेज भी दिये जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि कुछ खानों के लीजेज जो श्रमिक हैं वह लेना चाहते हैं, कोऑपरेटिव के जरिये उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है ? लेकिन राज्य सरकार लीज इसलिए नहीं देती है कि जो रिजर्व प्राइस उन्होंने बना रखी है वह प्राइस श्रमिक देने को तैयार नहीं है और ऑक्शन में लेने को तैयार नहीं है ।

श्री जुझारसिंह: जिस खान का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वह अलवर की एक खान है । वह खान पहले 3 हजार रुपये सालाना में दी जाती थी लेकिन कुछ अर्से से वह खान नहीं दी जा रही है क्यों कि उसकी रिजर्व प्राइस नहीं मिल रही है । आपने जिस सहकारी समिति के बारे में सिफारिश की थी उसको कलेक्टर ने भी रिकमेंड किया है लेकिन उन्होंने रिजर्व प्राइस 25 हजार के अगेन्स्ट केवल 8 हजार आफर की है । ऑक्शन की तारीख पहले ही तय की जा चुकी थी और उसमें थोड़ा ही समय बाकी था । ऐसी परिस्थिति में 25 हजार की खान को बिना ऑक्शन किये 8 हजार में देना उचित नहीं था, इसलिए नहीं दिया । उसके बाद ऑक्शन भी नहीं हो पाया, और अब इसको मद्देनजर रखते हुए उन श्रमिकों की कोऑपरेटिव की आफर को कन्सीडर करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्रमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की एप्लीकेशन के बाद भी आपने वहां ऑक्शन कराया और लगातार पिछले तीन साल से ऑक्शन कराया जा रहा है पर कोई भी वहां पर नहीं आया तो फिर आप वहां के मजदूरों की जो श्रमिक सोसाइटी है उन्हें ही क्यों नहीं दे देते हैं । वे बेचारे वहां पर बिना काम बैठे हुए हैं । जब कि राज्य सरकार की यह नीति है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रायोरिटी दी जाय ।

श्री जुझारसिंह: उसके बार में भी कन्सीडरेशन किया जावेगा। लेकिन दिक्कत इसमें यह आती है कि उसमें ऑक्शन की डेट निकल गयी। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह 8 हजार रुपये देने को तैयार है। जब कि वह खान 25 हजार रुपये साल में जानी चाहिये। कहां तो 25 हजार और कहां 8 हजार राज्य सरकार को इसमें कितना घाटा होता है। इसके अलावा आप ही यहां पर सदन में कहते हैं कि राज्य सरकार ने उस सहकारी समिति को 8 हजार रुपये में ही कैसे दे दिया। चूंकि कोई अभी तक ठीक हिसाब नहीं बैठ रहा है इसलिए इस पर अभी तक कोई कार्यवाही ही नहीं की जा रही है। लेकिन इस आफर पर भी कन्सीड्रेशन किया जा सकता है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चुरू–नागौरबास मार्ग के परमिट

150. **श्री रावत राम** (छापर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चुरू से नागौर बस सर्विस प्रारंभ करने के लिए सरकार को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब प्राप्त हुए?

(2) आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद परमिट जारी क्यों नहीं किये गये? इस संबंध में सरकार को क्या कठिनाई है और अब उक्त मार्ग पर कब तक परमिट जारी कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य परिवहन अधिकरण को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना पत्र तारीखों की सूची संलग्न है।

(2) प्राप्त हुए कुल प्रार्थना-पत्रों का विवरण राजस्थान राज-पत्र में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु 30 दिन की अवधि का प्रकाशित करना पड़ता है। उपरोक्त 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्राप्त होने वाली आपत्तियों को सरे आम सुनने के लिए जो तारीख निश्चित की जाती है उसके लिए भी 30 दिन की अवधि का नोटिस राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होना आवश्यक है। इस मामले में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची राजस्थान राज-पत्र दिनाक 4-1-73 में प्रकाशित हुई है। राज्य परिवहन अधिकरण अब इन प्रार्थना-पत्रों की ओर उनके विरुद्ध प्राप्त हुई आपत्तियों की सुनवाई की तारीख शीघ्र ही निश्चित कर 30 दिन की अवधि का नोटिस प्रकाशित करेगा। तत्पश्चात् परमिट जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

सवाई माधोपुर जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

152. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कहां कहां पर हैं?

(2) 1 अप्रेल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक किस किस केन्द्र पर कितने इन-डोर और आउट-डोर मरीजों ने लाभ उठाया?

(3) प्रत्येक केन्द्र के स्टाफ की संख्या उनकी सेलेरी पर हुए खर्चा का ब्यौरा केन्द्र वार बताने की कृपा करें?

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) निम्नांकित 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं :—

1. बालघाट
2. भगवतगढ़
3. हिन्डौन
4. मन्डावर
5. मासलपुर
6. गंगापुर
7. गुडा चन्दरजी
8. हाडौती
9. बोंली
10. खन्डार

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

रॉक फास्फेट के ट्रान्सपोर्टेशन का ठेका

167. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झामर कोटड़ा के खानों से रॉक फास्फेट के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये बीकानेर जिप्सम द्वारा अब तक किस किस वर्ष में किस किस व्यक्ति अथवा फर्म तथा कम्पनी को कब कब किस किस रेट से ठेका दिया गया है ?

(2) इस ठेके के सम्बन्ध में किस किस विज्ञप्ति द्वारा कब कब निविदाएं आमन्त्रित की गई ? कृपया ऐसी विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) किस किस व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के किस किस दर की निविदा प्राप्त हुई और किस कम्पनी की निविदा स्वीकृत हुई ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) इन निविदाओं की अन्तिम स्वीकृति प्रशासनिक स्तर पर कहां से हुई ? स्वीकृति देने वाले अधिकारी व मंत्री एवं उसके नीचे अधिकारियों की सिफारिश में किसी प्रकार का कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड ने किस किस को किस किस बात का ठेका दिया इसकी खनिज विभाग को जानकारी नहीं है। क्योंकि उनके द्वारा ठेके देना उनका आन्तरिक मामला है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

नाथद्वारा में सहायक अभियन्ता का कार्यालय

176. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी समय नाथद्वारा में सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का कार्यालय था और जब सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कमी की गई तब उसे तोड़ दिया गया ?

(2) क्या इस वर्ष उदयपुर जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग के सार्वजनिक निर्माण

(श्री मनोहर कोठारी)

विभाग (भवन व पथ) के सहायक अभियन्ताओं के नये कार्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो वे कहां कहां खोले गये ?

(3) नाथद्वारा में पुनः सहायक अभियन्ता का कार्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ? और क्या राज्य सरकार अब भी इस प्रश्न पर पुर्नविचार करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्यालय तोड़ा नहीं गया है, हैडक्वार्टर परिवर्तन किया गया है ।

(2) जी नहीं।

(3) प्रशासनिक कारणों से आवश्यक नहीं है ।

हुकरीया काठादर बांध का सर्वे

177. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हुकरिया काठादर बांध तहसील, खेरवाड़ा जिला उदयपुर का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(2) उक्त तालाब से किन किन गांवों के बीच में होकर नहर जायेगी और प्रत्येक गांव को कितनी कितनी बीघा जमीन पीवल होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) उक्त तालाब का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, हुकरिया काठादर बांध, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर की सर्वे करीब करीब पूरी हो चुकी है, जिसकी डिजाइन तथा तखमीना बनाया जा रहा है। सर्वे के अनुसार इसकी अनुमानित लागत लगभग 3 करोड़ रुपये होगी ।

(2) इस बांध से दोनों ओर नहरें निकाली जाने की तजवीज है। दोनों नहरों से सिंचित होने वाले क्षेत्र की ग्रामवार सूची संलग्न है ।

(3) योजना की स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

71. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदापुरा, जोधपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-4-50 से प्रभावशील सहकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची जो विशेष चयन समिति द्वारा तैयार की गई, उसमें दिनांक 31-12-58 तक नियुक्त स्थायी निरीक्षकों (कार्यकारी व आडिट) की अन्तिम प्रोविजनल संयुक्त वरिष्ठता सूची जो रजिस्ट्रार के क्रमांक एफ. 1. (6-बी) सोडीआर/एस्टे/66, दिनांक 4-7-67 द्वारा जारी की गई में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है एवं जिसके फलस्वरूप मूल सूची के निरीक्षक क्रमांक 35 को निरीक्षक क्रमांक 217 पर स्थान दिया गया ? यदि हां, तो क्यां ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(2) उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में कितने असन्तुष्ट व्यक्तियों के रिप्रेजेन्टेशन्स, रिट्स तथा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस राज्य सरकार को प्राप्त हुए तथा उसमें से कितने मामलों का व किन किन व्यक्तियों का निपटारा अब भी शेष है व क्यों ?

(3) मूल सूची के क्रमांक 35 वें निरीक्षक जैसे हार्ड केसेज को राज्य सरकार क्या राहत देने का इरादा रखती है और उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि अन्तिम प्रोवीजनल संयुक्त वरिष्टता सूची जो क्रमांक एफ 1 (6-बी) सीडीआर/एस/66, दिनांक 4-7-67 द्वारा जारी की गई थी में परिवर्तन हुआ है। दिनांक 1-4-50 के प्रभावशील निरीक्षकों की सूची राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4 (4) इन्टी/ से-52/10002 दिनांक 22-8-52 द्वारा चयन किये हुये निरीक्षकों के साथ प्राप्त हुई थी। दिनांक 4-7-67 को 31-12-58 तक के स्थाई निरीक्षकों की सूची जारी की थी। यह सही है कि उसमें 1-3-50 वाले निरीक्षकों में से क्रम संख्या 35 पर अंकित निरीक्षक की स्थिति में परिवर्तन किया गया था, उसका कारण यह है कि दिनांक 22-8-52 को जो निरीक्षकों की सूची प्राप्त हुई थी उसमें जो निरीक्षक थे उनको राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 24 (7) कोआप/52, दिनांक 29-6-55 द्वारा क्रम संख्या 1 से 10 तक प्रथम ग्रेड, 11 से 24 तक को द्वितीय ग्रेड एवं बाकी के समस्त तृतीय ग्रेड (जिनकी वेतन श्रृंखला भी भिन्न भिन्न थी) माना था। उसीमें क्र० सं० 35 को तृतीय ग्रेड में रखा गया था तथा वर्ष 57-58 इनको द्वितीय ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार दिनांक 4-7-67 को जारी की गई वरिष्ठता सूची जो द्वितीय ग्रेड निरीक्षकों की थी इनका स्थान परिवर्तन होना स्वाभाविक था एवं इन्हें उसी वर्ष के पदोन्नत निरीक्षकों से ऊपर नियमानुसार रखा गया था।

(2) उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध म 12 असंतुष्ट व्यक्तियों के प्रतिवेदन–पत्र प्राप्त हुये थे एवं क्र० सं० 35 का प्रतिवेदन-पत्र व 80 सी. पी. सी. के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के मामलों की जांच की जा चुकी है और फाइनल वरिष्ठता सूची विचाराधीन है।

(3) फाइनल वरिष्ठता सूची निकालते समय यदि इनको नियमानुसार राहत मिलती होगी तो अवश्य दी जायेगी।

सरपंच, प्रधान एवं प्रमुखों के विरुद्ध कार्यवाही

72. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने सरपंच, प्रधान, प्रमुखों पर राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 की धारा 17 (4) के तहत कार्यवाही चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कितने पेंडिंग एन्क्वायरी सस्पेन्डेड हैं तथा इनमें निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद, 1959 की धारा 40 के अन्तर्गत होती है। प्रमुख के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया गया है। जो सरपंच न्यायालय में उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों के कारण निलम्बित हैं उनके लिये निर्णय न्यायालय के निर्णय के बाद ही लिया जा सकेगा। जो विभागीय कार्यवाही में निलम्बित हैं उनमें निर्णय शीघ्र लिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत सड़कों पर कार्य

73. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें ली हुई हैं ?

(2) उन सड़कों पर अकाल राहत विभाग से किस साल में किस किस काम के लिए कुल कितना खर्चा हुआ ?

(3) उपरोक्त सड़कों को सम्पूर्ण कराने का कुल कितना तखमीना है ?

(4) अकाल राहत विभाग से उपरोक्त सड़कों पर जो काम हुआ वह ठेकेदार को संभलाया या नहीं ? अगर हां, तो कितनी कीमत का ?

(स्थगित किया)

राजकीय चिकित्सालय, लालसोट

74. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) स्थित राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अत्यधिक हो जाने के फलस्वरूप भी सरकार की ओर से भेजे जाने वाले दवा पट्टी आदि सामान में कोई बढोतरी नहीं की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी भेजे जाने वाला सामान अत्यधिक अपर्याप्त है ? यदि हां, तो कब तक अधिक सामान भेजना प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1972–73 में उक्त चिकित्सालय के लिये दवाइयों के मद में 5900) रु० स्वीकृत किया गया था एवं 6216.97 पैसे की दवाएं आदि मांग के अनुसार सप्लाई की गई।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम देहलाला में औषधालय

75. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चाकसू (जयपुर) तहसील के देहलाला ग्राम में अब से कुछ समय पूर्व भवन की व्यवस्था होने पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार ने निर्णय लिया था ? यदि हां तो अब नये भवन की व्यवस्था होने पर भी वहां औषधालय क्यों नहीं खोला जा रहा है तथा भविष्य में अब कब तक खोल दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 72-73 एवं 73-74 में नवीन औषधालय खोलने का बजट में प्रावधान नहीं है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, ग्राम बकानी का भवन

76. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बकानी जिला झालावाड़ में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस भवन के लिए कितने रुपयों की स्वीकृति है तथा कितनी राशि खर्च हो चुकी है और अब भवन कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बकानी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का भवन निर्माण साइट का निर्णय न होने की वजह से रुका हुआ है।

(2) इस भवन के लिये 60,000 रुपयों की स्वीकृति प्रसारित की गई थी एवं अब तक 2,980 रुपये खर्च हुए हैं। भवन निर्माण कार्य हेतु साइट का निर्णय होने पर ही कार्य चालू कर दिया जावेगा।

निवाई-लालसोट-दौसा लाइनों पर ट्रान्सफार्मर

77. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निवाई-लालसोट व लालसोट-दौसा विद्युत लाइनों के मध्य अन्य ग्रामों को विद्युत देने हेतु ट्रान्सफार्मर आदि स्थापित करने की कोई योजना के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। निवाई-लालसोट व दौसा-लालसोट 33 के० वी० की लाइनें हैं जिन्हें प्रायः बीच में एक दो गांवों के विद्युतीकरण करने के लिए टेप नहीं किया जाता। इस क्षेत्र को ग्रामीण विद्युतीकरण की स्कीम बनाने के लिये चयनित किया जा चुका है। इस स्कीम की आवश्यकताओं के अनुसार ये लाइनें टेप की जा सकती हैं।

ई० एन० टी० के डॉक्टरों की पदोन्नति

78. **श्री मनुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डॉक्टर एच० के० जैन, ई० एन० टी० व डॉक्टर डी० एल० छंगानी जो कि ई० एन० टी० में कार्यरत है में से सीनियर कौन हैं ? सिनियोरिटी लिस्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डॉ० एच० के० जैन के सीनियर होते हुए भी विभाग ने जूनियर डॉक्टर डी० एल० छंगानी को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डॉ० एच० के० जैन सीनियर हैं। इस विशिष्ठता की वरिष्ठता सूची की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। डी० पी० सी० ने डॉ० एच० के० जैन को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य नहीं माना। इसलिये उन्हें प्रोफेसर नहीं बनाया गया।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बाड़मेर जिले की पशु संख्या

79. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व (भूमि सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर जिले में अभी हाल के पशुगणना के आंकड़े प्रत्येक पशु का अलग से विवरण देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बाड़मेर जिले में अभी हाल की 1972 की गणना में कुल 19,74,350 पशु पाये गये हैं। प्रत्येक पशु का अलग से विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भारत-पाक युद्ध से सीमावर्ती क्षेत्र में फसलों की क्षति

80. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के कारण सीमावर्ती गांवों में मिलट्री के आने जाने, अस्थाई कैम्प बनाकर रहने और कुछ क्षेत्र को खाली कराये जाने आदि से राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती जिलों में कितने किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ और उन्हें किस प्रकार मुआवजा दिया गया ? सूची मय नाम एवं पतों के जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के कारण सीमावर्ती जिले बाड़मेर में 103 व्यक्तियों एवं गंगानगर में 408 व्यक्तियों की फसलों को नुकसान हुआ है। बाड़मेर जिले में इन 103 मामलों के अतिरिक्त हाल ही में फसलों की क्षति के बाबत और प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच कर तकमीना पेश करने हेतु परगना अधिकारी, बाड़मेर को लिखा गया है। इस जिले में उक्त 103

Page No 36

(36)

(राजस्व मंत्री)

व्यक्तियों की फसल क्षति मुआवजे के रूप में रु. 18215–50 पै० दिये गये हैं। बाड़मेर जिले में उक्त 408 मामलों पर कुल मुआवजा 9,54,795·08 स्वीकृत हुआ था। अब तक 7,71,583·61 पै० की राशि मिलट्री द्वारा आंके अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों को बांटी गई है। 1,82 117·50 की राशि का भुगतान करना बाकी है जिनका शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा। 1088·97 की कमी की दुरस्ती सेना अधिकारियों द्वारा बाद में कराई गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

युद्ध के अवसर पर सीमावर्ती 10 मील के क्षेत्र से लोगों को उठकर सुरक्षा के स्थान पर निर्देशानुसार चले जाने के कारण सिंचाई की व्यवस्था भंग होने से कम काश्त होने के कारण गंगानगर जिले में 21282 परिवारों को उनकी फसलों का 2,55,99,650 रुपये का नुकसान अनमानत: हुआ जिसकी जांच की जा रही है।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर जिले में आवंटित भूमि

81. श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर जिले में अनुसुचित जाति तथा जन-जाति के कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई तथा इसके बाद कितने व्यक्तियों को की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने व्यक्तियों को कब्जे तथा पट्टे दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें। पट्टे तथा कब्जे न देने के क्या कारण हैं ?

(3) बाकी बचे हुए व्यक्तियों को कब्जे व पट्टे कब तक दे दिये जायेंगे ?

(4) उक्त वर्ष में फागी तथा चाकसू तहसील में कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर जिले में अनुसूचित जाति के 8.054 व्यक्तियों तथा अनुसूचित जन-जाति के 2,143 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है। इसके बाद 2,116 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है। सूची सम्बन्धित परगना अधिकारी के पास उपलब्ध है।

(2) 9,225 व्यक्तियों के कब्जे दे दिये गये हैं तथा 7,193 व्यक्तियों को पट्टे दिये गये है, कब्जा न देने के मुख्य कारण यह हैं कि बहुत से मामलों में आवंटन के विरुद्ध अपील होकर सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो गये हैं अथवा स्वंय आवंटी कब्जा प्राप्त करने नहीं आ सका अथवा अन्य कोई विवाद है। पट्टा न दिये जाने के भी यही कारण हैं। तथा कुछ मामलों में आवंटियों द्वारा पट्टा फीस जमा न करने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये है। सूची संबंधित परगना अधिकारी के पास उपलब्ध है।

(राजस्व मंत्री)

(3) बाकी बचे हुए मामलों में जिनमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो और जो विवादग्रस्त न हों उनको जुलाई, 1973 तक कब्जे व पट्टे जारी करने का प्रयत्न किया जावेगा। तथा जिन मामलों में स्थगन आदेश है या विवादग्रस्त हैं उनका न्यायालय से निर्णय होने पर कब्जा व पट्टा दे दिया जावेगा। जिन लोगों ने पट्टा फीस जमा नहीं कराई है उनसे पट्टा फीस प्राप्त होने पर पट्टे जारी कर दिये जावेंगे।

(4) उक्त वर्ष में फागी तहसील के 134 व्यक्तियों को तथा चाकसू तहसील के 588 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है। सूची परगना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।

पटवारियों के विरुद्ध कार्यवाही

82. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के कई पटवारियों के विरुद्ध गबन, फर्जी रसीदें, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं?

(ख) क्या यह सच है कि कई पटवारियों को जांच में दोषी पाये जाने पर भी उच्च अधिकारियों ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट के जिन पटवारियों के विरुद्ध, भिन्न भिन्न किस्म के, गबन, रिश्वत, फर्जी रसीदें तथा भ्रष्टाचार आदि के आरोप हैं उनकी सूची संलग्न है।

जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

गुगोर योजना का सर्वे

83. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा, जिला कोटा में गुगोर (हाईडल इरिगेशन) योजना का प्राथमिक सर्वे राज्य सरकार द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है।

फरवरी 23, 1973

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 22 फरवरी, का पत्र क्रमांक 175। नि० स०। अ० वि० स०। 73 मिला। इस कृतज्ञता सन्देश के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवदीय,

जोगेन्द्रसिंह

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:–सर्व श्री गुमानमल लोढा भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने बाड़मेर जिले के सरकारी कैम्प में विभिन्न बीमारियों से सिन्धी शरणार्थियों की मृत्यु के संबंध में दिनांक 22-2-73 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं किन्तु चाहूंगा कि इस विषय पर माननीय पुनर्वास मन्त्री सदन में एक वक्तव्य दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर नगरपालिका द्वारा सुरक्षा कोष के लिये एकत्रित की गई धनराशि के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सर्व श्री मनोहरलाल, गिरधारीलाल व रामसिंह कुड़ी, सदस्य विधान सभा ने नागौर शहर में दिनांक 24 व 25 फरवरी, 73 को हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने मुख्य मन्त्री सम्मेलन में की गई इस घोषणा के संबंध में कि राजस्थान में उत्पादित व प्राप्त बिजली को अन्य प्रदेशों के साथ सम्मिलित कर दिया जाय। एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम दासरोली की जनता को अनाज नहीं मिलने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने ब्यावर उप-खण्ड में अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों को पूरी मजदूरी न देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सर्व श्री मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने तीन अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें से पहले नीम का थाना में 7 बावरी परिवारों के घर जला देने, दूसरे में नीम का थाना में चलते फिरते शल्य चिकित्सालय में हानिकारक दवाइयां वितरित करने और तीसरे में नीम का थाना में सरकारी गल्ले की दुकानों पर खराब गेहूं वितरित किये जाने की चर्चा की गई है।

इन सभी स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

दिनांक 23 फरवरी, 1973 को श्री जीथिंग व श्री विट्ठल भाई, सदस्य, विधान सभा ने जिला बांसवाड़ा के उप-खण्ड अधिकारी के कार्यालय पर दिनांक 15-2-73 को धरणा दिये जाने के संबंध म एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मनोरलाल व श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने कोटा जिले के किशनगन्ज व शाहबाद में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों को भूमि आवन्टन नहीं किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

Page No 39

(39)

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही अहमीयत रखने वाला है। आज हमारा इलाका पूरा अकाल से घिरा हुआ है। वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो मजदूरी दी जाती है वह इतनी कम है कि लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसी स्कीम बनायी है जिससे कि इतना काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे और ऐसा करने से जो मजदूरी उन्हें मिलती है वह करीब एक चौथाई या एक तिहाई तक हो जाती है। जब कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि अकाल राहत क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को करीब ढाई से तीन रुपये या ढाई रुपये देने की घोषणा की थी। यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो राज्य सरकार मजदरी देने की घोषणा करे वह नहीं दी जाकर उसे कम कर दी जाती है। आज स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, जो पहले मजदूरी दी जाती थी उससे भी आधी मिलने लग गयी है। आज हमारे ब्यावर में इसके विरोध में हड़ताल कर दी है। मैं आज अभी वहां पर गया था लोगों ने रास्ता रोक लिया अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सिर्फ ब्यावर की ही नहीं है लेकिन इसी तरह से कार्यवाहियां की गयीं तो यह स्थिति सारे राजस्थान में हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आप जरा इसकी भावनाओं में जाइये। अकाल पड़ा हुआ है। लोग भूखे मर रहे हैं और भूखे पेट एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। इसके लिये मैं आप के मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वहां पर ऐसी व्यवस्था करायी जाय जिससे कि जितना काम करने की उनमें क्षमता है उतना ही काम कराया जाय। आज पहले से तीन गुना काम ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मसले पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिये कि वहां के लोगों को राहत मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रुपया सुरक्षा कोष के लिये जमा हुआ था उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर तो स्टेटमेन्ट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वो भी होगा, अगर आवश्यक हुआ तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने तो जानकारी मांगी है इसमें जानकारी मांगने की बात नहीं है इसमें बहुत से माननीय सदस्य परेशान हैं। इसके लिये गवर्नमेन्ट चाहे तो कल उत्तर दे दे और कल नहीं तो एक दो दिन में उत्तर दे दे, मैं समझता हूं इसका उत्तर जल्दी भिजवा दें तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष : उत्तर जल्दी भिजवा दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह बहुत ही गम्भीर है। जोधपुर की म्युनिसिपैलिटी का चेअरमेन जिसने कि डेढ लाख रुपया सुरक्षा कोष के लिये जमा किया था उसमें से सिर्फ 31 हजार रुपये ही ट्रेजरी में जमा कराये। मैं पूछना चाहता हूं कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
जो बाकी बचे रुपये कहां गये। मैं पूछना चाहता हूं कि ये रुपये किन किन लोगों ने दिये थे। आज स्थिति यह है कि सैकड़ों लोग इनकी रसीदें मांग रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन, सुरक्षा कोष ने म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमैन श्री मोहनलाल पूंगलिया को पत्र लिखा है कि इसके हिसाब किताब दिये जायं। पर श्री पूंगलिया किसी को हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। आखिर पता तो लगना चाहिये कि किस किस ने कितना कितना रुपया दिया और वह कहां कहां जमा कराया गया। लोगों को रसीदें नहीं दी गयीं तो क्यों? लोगों में इसके बारे में घोर असन्तोष है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सुरक्षा मन्त्री महोदय से फरमावें कि वह इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें। श्री पूंगलिया हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं उसके लिये इनके खिलाफ में केस बनाकर गबन के मामले में प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कोष का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपको भेजा है और आपने अभी यह फरमाया है कि उसकी जानकारी के लिये भेजा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह आश्वासन चाहिये कि यह जानकारी कब तक मुझे मिल जायेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूंगलिया के खिलाफ कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय पर दे दी जायेगी।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी अभी अभी मिली है कि जो चीज, जो दवाइयां वहां पर वितरित की जा रही हैं वह आउट आफ डेट हो गयी हैं, और लोग, उनकी डेट निकल जाने से वह दवाइयां पोईजीनस हो गयी हैं जिससे हजारों लोग मर रहे हैं। वहां पर जो चलता फिरता औषधालय है उसमें दवाइयां पाईजन्स हैं और उनकी डेट आफ एक्सपाईरी निकले 6 महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी आते आते तो कई लोग मर जायेंगे।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये तो सही कि जिन दवाइयों की मियाद निकल गयी है, मियाद पूरी हो चुकी है ऐसे इन्जेक्शन, ऐसी दवाइयां और इस प्रकार सड़ा गला गल्ला जनता को जहर दिया जा रहा है। ये दवाइयां जो जहर के तौर पर हैं उनको काम में लाकर जनता को जहर दिया जा रहा है।

सड़ा गल्ला दे रहे हैं, कूड़ा कर्कट जिसमें मिला हुआ है। उसका मैं नमूना लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा। अनाज रखना। यह बजट का मौका नहीं है।

श्री मनोहरलाल : इस प्रकार दवाइयें और सड़ा गला कूड़ा कर्कट मिला हुआ गल्ला देकर आप लोगों की हत्या कर रहे हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी मरें। एक

(श्री मनोहरलाल)
तरफ आबादी घटा रहे हैं और दूसरी तरफ नसबन्दी कर रहे हैं। आबादी ज्यादा बढ़ रही है तो लोगों को जहर देकर खत्म करना चाहते हैं। इतनी दवाइयों की कीमत का मैंने हिसाब लगाया है कि लगभग 60-70 रुपये की दवाइयां हैं। इनमें लीवर एक्स्ट्रैक्ट के इन्जेक्शन्स हैं, विटामिन सी है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो आ जाय गवर्नमेन्ट से तो आपको मौका मिलेगा।

श्री मनोहरलाल : इसको सदन के कब्जे में लिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन में केमिस्ट की दुकान खुल गई है।

श्री मनोहरलाल : जहर देकर लोगों को समाप्त करदेना चाहते हैं। मैं यह मांग करूंगा कि जिन लोगों ने ये दवाइयां बांटी हैं, सड़ा गल्ला कूड़ा कर्कट मिला हुआ दिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करें और तुरन्त इसकी रोकथाम करके यह जो मेरे पास नमूना है वह ले जाकर इसकी जांच की कार्यवाही करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अकाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काफी माल लाये हैं माननीय सदस्य, इसको काबू में कर लिया जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : सरपंच ने चार माह के कोटे को ब्लैक में बेचा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाय और दोषी लोगों को दण्ड दिया जाय जिससे ऐसा करने से बाज आयें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्री मनोहरलालजी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है और जो चीजें लाये हैं, उनके स्थगन प्रस्ताव की ताईद करते हुए चाहूंगा कि यह चीजें सदन के कब्जे में ली जायं।

श्री अध्यक्ष : वह रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सड़ा-गला अनाज मिले उस पर सरकार की जानकारी चाहें और यह सरकार आपके सामने है······

श्री अध्यक्ष : आपके और मेरे सामने रहती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार नीम के थाने में सड़ा गल्ला मिले·········

श्री अध्यक्ष : नियमों में मर्यादा है····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको यह सब भेंट कर देते हैं। खाद्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि इस सड़ा-गला अनाज दिया जा रहा है इसके वितरण की व्यवस्था को तुरन्त बन्द करें और दवाइयां जो बांटी जा रही हैं उस पर भी तुरन्त रोक लगाइये। यह नमूना मनोहरलालजी लाये हैं यह आपके सामने पेश कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जिनकी डेट एक्स्पायर हो गयी है उसका उपयोग तुरन्त रोक दिया जाय। इससे किसी की इन्कारी नहीं होगी। जानकारी करके फिर इसको सदन में रखा जाय।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। माननीय मंत्रीजी ने उसको स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : (श्री मनोहरलाल एवं श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा दवाइयां एवं

(श्री अध्यक्ष)
अनाज का नमूना सदन की मेज पर पेश करने पर) फोटो की आवश्यकता है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह भी करवा लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान औद्योगिकरण की दृष्टि से वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ है और सौभाग्य से राजस्थान में बिजली में कटौती कम से कम थी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के मुकाबले। मुख्य मंत्री सम्मेलन हुआ। समाचार यह मिला कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान की बिजली, जो यहां उत्पादित हो रही है, उसका हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली एवं अन्य प्रान्तों के साथ उसका एक कोमन ग्रिड बना लिया जाय। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में जो स्थिति है बिजली की सप्लाई की वह सब की जानकारी में है कि दो दिन कम कर एक दिन की है....

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण को मैं फर्टेल कर दूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिये क्या स्वीकृति दी है उसके लिये इस सदन को कान्फिडेन्स में लिया जाय क्यों कि कृषि में हमारे यहां पर बिजली की बहुत आवश्यकता है। कुएं बिजली से चलते हैं, उद्योग धन्धे चलते हैं नागरिक सुविधायें बिजली से मिलती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण कर दें और वक्तव्य दें तब तक कौमन ग्रिड लागू न किया जाय। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, है माननीय अध्यक्षजी, कि इसका मारे राजस्थान पर असर होने वाला है। इसलिये इसका स्पष्टीकरण न हो जाय तब तक कौमन ग्रिड में शामिल होकर राजस्थान से उत्पादित बिजली उनको न दी जाय और जो व्यवस्था चल रही है उसको तब तक चलने दिया जाय और किसी प्रकार की बिजली में कटौती न की जाय। मैं आशा करूंगा कि सरकार से इस प्रकार का आश्वासन लेंगे कि जब तक वक्तव्य न दे दिया जाय तब तक इस प्रकार की व्यवस्था लागू न की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्षजी, दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। अनाज का थोक व्यापार और बिजली के सम्बन्ध में, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, कुछ निर्णय लिये गये। इस समय यह सदन अधिवेशन में है। हाउस के प्रिविलेज का क्वश्चन तो नहीं बनता लेकिन यह प्रोप्राइटरी क्वश्चन जरूर है। सदन की परम्परा रही है कि ऐसे मामलों में तुरन्त मुख्य मंत्री को सूचना देनी चाहिये। खेद है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णयों के बाद, कल सदन मिला, स्टेट ट्रेडिंग इन वीट के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये और बिजली के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया है, उनके बारे में हाउस को कान्फिडेन्स में नहीं लिया गया है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जल्दी से जल्दी आज ही सदन को कान्फिडेन्स में लें। सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है। क्योंकि राजस्थान की 2½ करोड़ जनता के जीवन से यह सम्बन्धित प्रश्न है। इसलिये आप हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था। कल इस बारे में अर्ज किया। और मैं आशा करके

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
चलता था कि मुख्य मंत्री सम्मेलन से आवेंगे तो इसको जरूर करेंगे लेकिन अचानक बिजली का कम हो जाना····

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी आज्ञा हो तो अर्ज कर दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारी तो प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : आज भी एक स्थगन प्रस्ताव, जिसके लिये माननीय सदस्य कह रहे थे गंगानगर से संबन्धित बिजली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने भेजा था। उस पर मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि शायद बहुत जल्दी उत्तर दिलाने की व्यवस्था करूं। यह बिजली के सम्बन्ध में है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णयों के लिये कहा। यह मैं मानता हूं कि मेम्बर्स शुड बी टेकन इन्टू कान्फिडेन्स।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार मैं अर्ज करूं···

श्री अध्यक्ष : आज्ञा मांगें तो दे सकता हूं। लेकिन नियमानुसार की बात है तो आप पहले यह सुन लीजिये कि वह नियमानुसार है या नहीं। एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलने का किसी को अधिकार नहीं अतः यह नियमानुसार नहीं है आपका बोलना। आज्ञा चाहेंगे तो उसके लिये दूसरा तरीका है और उसके लिये सोचा जा सकता है। बाकी यह नियमानुसार नहीं है आपका इस पर बोलना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा मांगता हूं। विद्युत के बारे में प्रस्ताव रखा······

श्री अध्यक्ष : उस पर जल्दी हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस पर मैं नहीं बोलूंगा।

लाडनूं के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि भूमि का आवंटन हो रहा है और आज कृषि की अधिकतम जोत पर भी विचार करने वाले हैं। उनको भूमि देंगे जो भूमिहीन हैं। वहां पर भूमिहीनों को भगाया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों को भूमि का अलॉटमेंट किया जा रहा है इसलिये जिस भावना से आज इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत आज लाडनूं में कार्यवाही हो रही है।

एक माननीय सदस्य : वहां कोई भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत भूमि की खरीद कर रहे हैं और वे भी आपकी पार्टी के आदमी हैं।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधेयक पुरः स्थापित किया गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम (अ) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 अध्यादेश संख्या 3 को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखती हूं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 पर अग्रेतर विचार विमर्श

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां नहीं था। मैंने भीलवाड़ा से अमेन्डमेंट भेजे थे....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जो समय के बाद अमेन्डमेंट आये हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आपके ही नहीं 10-20 और भी हैं। बोलने का समय दे दूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरे पास अंग्रेजी में आये हैं, क्योंकि आर्डिनेन्स अंग्रेजी में मिला है।

श्री अध्यक्ष : विधेयक हिन्दी में गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से भीलवाड़ा था।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने भी संशोधन प्रस्ताव भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है और मेरे पास काफी तादाद में संशोधन हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर से पार्टी के नेता और अन्य माननीय सदस्य 10–10 मिनिट में समाप्त कर लें (श्री गिरधारी लाल भार्गव की ओर मुखापेक्ष) आप पहले बोल चुके ह। संशोधन पर जिनका अधिकार है–किसी का राइट नहीं छीना जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है इतना महत्वपूर्ण विधेयक, समय भी बढ़ाना पड़े तो......

श्री अध्यक्ष : वह बाद में देख लेंगे।

श्री खेतसिंह : आपने (श्री रामानन्द अग्रवाल) उस दिन भी 30 मिनिट ले लिये थे। कल आपने रखा है नान-आफिशियल डे। फिर आप एग्री करें तो कल नॉन आफिशियल डे नहीं रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नॉन-ऑफिशियल डे को दूसरी जगह एडजस्ट कर लें तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं निवेदन कर दूं, मेरा भी संशोधन है....

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है आपका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा समय इन्हें प्रदान कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक जो आज राष्ट्रीय स्तर पर भूमि सुधारों के सम्बन्ध में जो बहस हुई है और उस बहस में पहले केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें दी थीं उसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में उन सिफारिशों के आधार पर जनता से वायदे किये, उसके बाद योजना कमीशन के भूमि सुधार वर्किंग ग्रूप ने अपनी कुछ सिफारिशें की, उसके बाद मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन म प्रधान-मंत्रीजी ने एक नाइन मेन कमेटी मुकर्रर की जिसके सदस्य हमारे मुख्य मंत्री श्री-बरकतुल्ला जी भी थे। इस सम्बन्ध मे उन्होंने अपनी सिफारिशें की हैं। उसके बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 22 जुलाई, 72 को अपना निर्णय हिदायत के रूप में और तमाम कांग्रेसी सरकारों को भेजा है जिसके अनुसार सीलिंग का बिल आना चाहिये।

मेरा यह निवेदन है, इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एक बिल जिसको अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वापिस लिया है उस पर भी यह सदन विचार कर चुका है। इसके अतिरिक्त इस बिल मे हम उस विधेयक, उस अधिनियम को जो पहले लागू था सन् 60 से उसको रीपील करने का प्रावधान कर रहे हैं। इसलिये आज हमको यह देखना होगा आया भूमि सुधारों के सम्बन्ध में सीलिंग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर तमाम विवाद होने पर जो दूसरी पार्टियां और खुद कांग्रेस ने जो सिफारिशें की थीं उसके अनुकूल यह विधेयक है या नहीं और जो पहले इस सदन में विचार हुआ उस पर इसमें इम्प्रवमेंट है या रीट्रीट है और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिस बिल को रीपील करने जा रहे हैं उसको सुधार करके इसको प्रोग्रेसिव बनाने की दृष्टि से कर रहे हैं या रीपील-वापिस प्रतिगामी बिल बनाने की दृष्टि से कर रहे हैं।

इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बिल पर विचार किया जाना चाहिये और मैं इसी दृष्टि से सामने रख रहा हूं कि यह बिल कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 22 जुलाई को जो अपनी सिफारिशें की थीं उसके अनुकूल नहीं है। श्री-बरकतुल्ला खां नाइन मैन कमेटी के सदस्य हैं, उसके अनुकूल नहीं है। जहां तक बरकतुल्ला कमेटी का सवाल है उसमें 10 से 18 इर्रिगेटेड लैन्ड डबल फसल वाली के लिये कहा है। उन्होंने फेमिली में बालिग और नाबालिग के सम्बन्ध में कोई फर्क नहीं समझा। उन्होंने मुआवजे के बारे में भी यह कहा मुआवजा ना-मीनल होना चाहिये और वह लगान का कुछ गुना होना चाहिये। मेरा निवेदन है कांग्रेस कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसमें जहां तक सीलिंग कितना हो, इसके बारे में क्लियर है कि 10 से 18 तक और उसमें मुख्य मंत्रियों को निर्देश है जहां तक मुमकिन है 10 के नजदीक होना चाहिये। उसमें यह कहा है कि अगर निजी साधनों से कोई सिंचाई होती है तो उसम निजी साधन को सवाया दिया जाना चाहिये लेकिन 18 एकड़ से फिर भी अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुवा कि निजी साधनों के लिये कांग्रेस वर्किंग

Page No 46

(46)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमेटी की यह सिफारिश है कि दो फसल उगाने वाली भूमि सुनिश्चित साधनों से, उसके अगर निजी साधन हैं तो उसकी अधिकतम सीमा 18 एकड़ रखो गई है और अगर निजी साधन वाली नहीं है और सरकारी/साधन हों तो 14 और 15 एकड़ के बीच, क्योंकि सवाया कहा गया है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 15 एकड़ और 18 एकड़ और यह वायोलेशन में है कि यह दो फसली जमीन के लिये भी 18 ही निर्धारित करती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछला बिल है उसके अन्दर सिफारिश थी कि पैकेज डील 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की बजाय 18 स्टेन्डर्ड एकड़ कर दी जाय याने 3/5 कर दी जाये । उसके मुताबिक हमारे राजस्थान में कम से कम सीलिंग 22 एकड़ थी और 22 एकड़ का चम्बल एरिया में 3/5 हम करें तो वह 13.2 एकड़ आता है । तो उस बिल के अनुसार जिसको मंत्री जी ने वापिस लिया है उसमें सीलिंग 13.2 एकड़ आता था और अब जो मंत्री जी बिल रख रहे हैं उसमें कम से कम 18 एकड़ रखा है इसलिए यह बिल पुराना जो वापिस लिया कांग्रेस कार्यकारिणी और बरकत साहब उन सब की राय के खिलाफ और मेरे ख्याल से मंत्री जी की राय के अनुकूल यह यहां पर पेश हो रहा है, मेरा यह निवेदन करना है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल में मंत्री जी ने कौनसी जमीन दोफसली होती है और कौनसी एक फसली होती है उसका उल्लेख नहीं किया । बड़ी चतुराई से मंत्री जी ने उसका अधिकार एक आथोराइज्ड ऑफिसर को दे दिया है जो कि मंत्री जी के डिपार्टमेन्ट के नियंत्रण में है और वह यह तय करेगा कि कौनसी जमीन दो फसली है और कौनसी एक फसली है । परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में अपना माइण्ड जनता के सामने पहले ही खोल चुकी है और उस बात को छुपाया नहीं जा सकता । इस बिल में वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की है । राज्य सरकार ने जब 13 दिसम्बर को निर्णय लिया इसके प्रारूप के सम्बन्ध में और मंत्री जी ने पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की थी उस समय यह अलग दो फसली और इस तरह का प्रारूप नहीं था । उस समय यह प्रारूप था कि गंग नहर-भाखरा क्षेत्र में इतनी इतनी याने 27, 31, 35 और 39 एकड़ होगी और चम्बल क्षेत्र में जितनी भी थी उतनी ही होगी और इस तरीके से बाकायदा डिफाइन किया था ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मंत्री जी ने कही थी कि राजस्थान में दो फसल उगाने वाली सिंचित सिंचाई का कोई क्षेत्र नहीं है । राजस्थान के सारे लोग, भूमिहीन लोग जो जमीन की आशा लगाये बैठे थे स्तम्भित हो कर रह गये कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व मंत्री जी यह बयान दें कि राजस्थान में कोई जमीन सिंचित दो फसली नहीं है और इसके मुताबिक 18 एकड़ जो इन्होंने रखी है जनता को भुलावे में डालने के लिए और केन्द्रीय सरकार को यह कहने के लिए कि हमने कन्फर्म किया है तुम्हारे पैटर्न को लेकिन वास्तविकता यह है कि यह मैं नहीं कह सकता कि मंत्री जी ने बयान दिया वह राज्य सरकार की ओर से दिया था या अपनी ओर से लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जब तक राज्य सरकार की ओर से उसका खण्डन नहीं हो, मैं यह मान कर चलता हूं कि वह बयान राज्य सरकार की ओर से था और मंत्री जी ने साफ यह कहा था कि दो फसली जमीन यहां पर कोई नहीं है दूसरे इन्टेन्सिटी का प्रिन्सिपल इन्होंने इन्ट्रोड्यूज करने की कोशिश की कि एक फसली भी उसको मानेंगे जिसका 60 परसेन्ट या उससे अधिक इन्टेन्सिटी का इरिगेशन हो। अगर 59 परसेन्ट इरिगेशन है तो वह एक फसली भी नहीं रहेगी और उसको हम बारानी के बराबर मानेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे सन्देह है कि राज्य सरकार ने यह सिंचित भूमि का जो प्रावधान किया है और जो अधिकार प्राविधिकारी को दिये हैं उसकी साफ मन्शा जो राज्य सरकार 14 दिसम्बर को अपने पत्रकार सम्मेलन में साफ कर चुकी है उसके अनुसार है। सरकार की नीयत इस तरीके से इस सीलिंग को लागू करने की नहीं है बल्कि इन्टेन्सिटी के कारण यानी बुनियाद के ऊपर जो न तो कांग्रेस कमेटी के रेज्योल्यूशन में है, न भूमि सुधार कमेटी में है और न 9 मेम्बर्स कमेटी जिसके बरकत साहब मेम्बर थे उसमें है–राज्य सरकार और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री इस प्रिन्सिपल को उठा रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसकी परिभाषा की और जिस तरह की परिभाषा यह करना चाहते हैं उसके मुताबिक तो ट्यूबवैल और पम्पिंग सैट या डीजल सेट से चलने वाले पम्प जो कि 13 तारीख की घोषणा थी उसके अनुसार तो वह भूमि भी चाहे दो फसली होती है उसको भी इन्होंने सिंचित क्षेत्र के अन्दर नहीं रखा था। इसमें अब की बार यह जरूर है कि जो डीजल सेट या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कुए हैं उनको सिंचित क्षेत्र में रखने की कोशिश की है यद्यपि कांग्रेस की तरफ से सचेतक महोदय ने उसको भी हटाने के लिए इसमें अमेन्डमेन्ट दिया है लेकिन मैं कहूंगा कि निजी साधन को सिंचाई का साधन माना जाये या नहीं, उस पर सीलिंग लगाया जाये या नहीं उसकी राष्ट्रीय स्तर पर बहस होगी और बहस होने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कह दिया कि उसका सवाया रख दो और उसके बाद हमारी राज्य सरकार ऐसा पैटर्न रख रही है, उस पैटर्न को मन्जूर नहीं कर रहे हैं वर्ना तो पम्पिंग सेट से सिंचित होने वाली जमीन है उसको 18 एकड़ और जो सरकारी साधनों से होने वाली है उसको 15 एकड़ रखते तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मन्शा है और कांग्रेस दल की मन्शा है उसके अनुकूल यह हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि न केवल इस मामले में बल्कि जहां तक हस्तान्तरण करने के सवाल हैं, ट्रान्सफर्स करने के सवाल हैं यह मौजूदा विधेयक है इसके अन्दर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के खिलाफ इसके अन्दर बड़ी चतुराई से यह प्रोवीजन रख दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह कहा था कि वह तारीख 24 जनवरी, 1971 रखी जाये। इस बात के लिए तो मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम तो 26 सितम्बर, 1970 करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया है और यहां पर 26-9-70 के बाद के ट्रांसफर्स को अवैध करने की कोशिश की है। अब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस विधेयक में राजस्व मंत्रीजी ने बड़ी चतुराई से लेकिन जो बोनाफाइड ंस र्स हैं और वह ट्रांसफर्स 'फोर वेल्यु' है और वह उनके रिश्तेदार को नहीं है तो वह वैध मान लिये जायेंगे। चोर दरवाजा खोलने की कोशिश की है। ऐसा करने की न तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन में है और न कहीं और है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं और कांग्रेस दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, उनके सदस्यों को कहना चाहता हूं कि यह ट्रान्सफर्स का मामला जो लैण्डलोर्ड्स हैं उनकी कभी नीयत सीलिंग लागू करने की नहीं रही है। आपने सन् 60 से सीलिंग एक्ट बनाया था, उसमें 1958 और 1959 के बाद के ट्रांसफर्स को वैध घोषित किया। उसके बाद इस लाबी ने बराबर इनको वैध करार दिया और अब 59 से लेकर 26 सितम्बर, 1970 तक का समय आ गया और अब इनकी नीयत यह है कि जितने भी अप-टू-डेट ट्रांसफर्स हुए हैं उनको भी वैध करा लिया जाय। इसलिए मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य सोचें, इस सदन के माननीय सदस्य सोचें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कान्सेन्शश है इसमें प्रोग्रेसिव पार्टी भी शामिल है उसमें भी 26 सितम्बर, 1970 के बाद के जो बेनिफिशियरीज थे, उनकी वृद्धि करने की बात कही गई है। यह बिल्कुल उसके परपज को डिफिट करने का मकसद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अन्दर जो हमारा पहले से 1960 से चला आ रहा बिल है उसमें जो फेमिली की डेफिनेशन थी उस फेमिल की डेफिनेशन में जो लड़के हैं वह बालिग हों या नाबालिग हों, उन सब को उसका सदस्य मान लिया गया है। इसमें एक बात, मूल संशोधन, जिसको मैं रेट्रोग्रेटरी कहूंगा, तो रिएक्शनरी है जिसमें लैंडलोर्ड के पास ज्यादा जमीन छोड़ने और भूमिहीन लोगों के लिए ज्यादा जमीन लेने का प्रावधान नहीं है। जो नाइनमैन कमेटी थी और जिसके अन्दर बरकत साहब की बिल्कुल घोषित नीति है जिसको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन उस कमेटी ने भी इस बात को कहा था कि फेमिली की डेफिनेशन में माईनर और मेजर में फर्क नहीं किया जाना चाहिए और वैसा ही रहना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हम विधेयक में, जो मेजर हैं, मेरिड है या नहीं, इस बात को भी नहीं कहा गया है, केवल मेजर हो, जिससे कि चोर दरवाजे का रास्ता और खुल सके, 13 साल के लड़के की उम्र भी 18 साल हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय। आप बखूबी अन्दाज लगा सकते हैं कि उसके बाद कौन गवाहियां लेने वाला है और कौन गवाहियां नहीं लेने वाला है। इसलिए उसमें चोर दरवाजा खोल कर माईनर को भी मेजर बनाने का बिल्कुल रास्ता खोला गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल है फेमिली की डेफिनेशन के बारे में, यह हमारे पुराने बिल से ज्यादा रेट्रोग्रेटरी है, जो बरकत साहब की कमेटी की सिफारिश थी उससे रेट्रोग्रेटरी है। यह भूमि ज्यादा भूमिहीनों के लिए नहीं निकाल पाएगा और भूमिधारकों के पास ज्यादा भूमि छोड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त जो इसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कम्पेन्सेशन के क्लाज रखे गये हैं, मुआवजे की बात रखी गई है उसमें तो मैं समझता हूं कि तमाम सीमाओं को, तमाम पोलिटिकल बिहेवियर के नार्म्स को तोड़ दिया गया है, अध्यक्ष महोदय। हमारा जो पुराना बिल है जिसको हम रिपील करने जा रहे हैं उस बिल के तहत जो सरप्लस लैण्ड सरकार अधिगृहित करेगी, उसका मुआवजा या अमाउण्ट, अब अमाउण्ट शब्द कहेंगे, उसको लगान का 30 गुना रखा है। पहली 25 एकड़ जमीन का तीस गुणा, दूसरी 25 एकड़ का 25 गुणा और उससे आगे बढ़ने पर जितनी भी जमीन हो उसका 20 गुणा रखा था। मल्टीप्लाई ऑफ दी रेंट रेट्स। मुझे आश्चर्य है इस बिल में उसको तोड़ कर और सौलह सौ एक एकड़ का नहरी क्षेत्र में और एक हजार रुपया एक एकड़ का चाही क्षेत्र में, इस तरह से लम्पसम इसमें रखा गया है। इसका कितना फर्क होगा। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगाइए। गंगानगर जिले में जहां 1 रुपय 14 आना बीघा रेंट है और एक एकड़ा का तीन रुपया। तीस गुने के हिसाब से भी एक एकड़ का 90 रुपया मुआवजा बैठता है जिसको हम आज 1,600) रु० करना चाहते हैं। यह हम इसको कितना प्रोग्रेसिव दिशा में चेंज कर रहे हैं जब कि नेशनल लेवल पर थिंकिंग दूसरी है। जबकि हम क्राईसिस से गुजर रहे हैं, जबकि हम एफलूएंट सेक्शन पर ज्यादा बर्डन डालना चाहते हैं, जबकि हमने कांस्टिट्यूशन को अमेंड किया है, धारा 31 को अमेंड किया है इसी परपज से ताकि बहुत ज्यादा मुआवजा न देना पड़े और हमारी स्टेट के एक्स-चैकर पर बहुत ज्यादा बर्डन न हो, हम डवलपमेंट के कार्य कर सकें। उस तमाम थिंकिंग को बलाए ताक रख कर इस बिल के अन्दर यह किया गया है, जो मैं समझता हूं कि उन तमाम प्रिंसिपल्स, उन तमाम नार्म्स के जिनके बारे में हम पहले रेफर करते रहे हैं उन सब के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से इस बिल में एक और बात इसके अन्दर इण्ट्रोड्यूज कर दी है और चोर दरवाजा खोला है मंत्रीजी ने और यह किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी जो 20-9-70 से पहले और ज्वाइन्ट प्रोपर्टी के तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया है तो वह प्रोपर्टी उसकी ज्वाइन्ट नहीं मानी जाकर 20-9-70 से पहले ज्वाइन्ट मानी जाएगी, लेकिन बाद की है तो वह अकेले की मानी जाएगी। तो मकसद क्या है? इसलिए किया है कि जो लोग, जिन्होंने सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी की है उसके अकेले पर सीलिंग लागू हो। अगर एक के पास बीस बीघा जमीन एनसेस्टरल और सौ बीघा जमीन सेल्फ एक्वायर्ड हो तो यह चालाकी करना चाहते हैं कि उस सौ बीघा में बीस बीघा मिला कर 110 बीघा कर दिया जाय ताकि उसके अन्दर फेमिली यूनिट कई बन सकें। जो जवान लड़का फेमिली यूनिट बनाता है वह सौ बीघा जमीन है सो कितनों में बंटेगी और उसका पार्टीशन कर दें, लेकिन वही सौ बीघा सेल्फ एक्वायर्ड रहती है तो वह सीलिंग उस एक व्यक्ति पर लागू होगी। उसका वह पार्टीशन नहीं कर सकेंगे और गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। तो माननीय मंत्रीजी, मैं बताऊंगा कि यह क्यों किया है। मैं इसके उदाहरण रखूंगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि इसको क्यों करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सेल्फ इन्टरेस्ट है जिसके कारण से इस तरीके से करने की बात कही गई है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है इसको अमली रूप देने की बात है वह बहुत कमजोर है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खुद इस बात को कहा है·····

श्री अध्यक्ष : समय का भी ध्यान रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : खयाल रहे इसलिए कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ध्यान अवश्य है लेकिन इस बिल पर हमने जितने अमेन्डमेंट दिए हैं, आप देख रहे हैं कि जितने अमेन्डमेंट हमने दिए हैं उतने सब·······

श्री अध्यक्ष : ध्यान ही दिलाया है, मना नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस पर अमल करने का सवाल है यह बड़ी से बडी खामी रही है। तमाम रिपोर्ट आप पढ़ जाइए। इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक पोपुलर बेनिफिशियरीज का सहयोग इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लिया जाएगा, जो भूमिहीन लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर लोग हैं, उनका सहयोग नहीं लिया जाएगा तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बात को कहा है, खास तौर पर कहा है कि पंचायत से लेकर केन्द्रीय लेवल तक पोपुलर सपोर्ट उन लोगों का जिनका सीरियस कन्वीक्शन है इन भूमि सुधारों के बारे में, उनकी स्टेचुअरी कमेटी बनाई जाय और माननीय कांग्रेस के सदस्य इस बात को जानते होंगे और सरकार भी जानती होगी कि केरल की सरकार ने जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का मिलाजुला मंत्रिमंडल है वहां पर इस बिल में, जो नया सीलिंग संशोधन का कानून बनाया गया है उसके अन्दर इस प्रकार की स्टेचुअरी कमेटीज बनाई गई हैं गांव के लेवल से लेकर स्टेट लेबल तक स्टेचुअरी कमेटीज बनाई गई हैं। और उसके अन्दर उन पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को मेम्बर बनाया है जिनका कि लैंड रिफार्म्स के बारे में पोजिटिव अप्रोच है।

(12.48 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं यह निवेदन करूंगा कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बारबार कहा है कि जब तक हम इस प्रकार की कमेटी बनायेंगे यह सम्भव नहीं होगा। हमने अपने दल की ओर से कहा है कि इस प्रकार की कमेटीज हों। अच्छा तो यह है कि ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन हो जावे और वह कमेटी, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन कमेटीज में मेजोरिटि भूमिहीन बेनिफिशियरीज लोगों की हों, मेजोरिटि में भी 50 परसेंट कम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से कम शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों। ट्रासफर ऑफ पावर फोर्म हैव टू हैव नोट, रियल सेंस में होना चाहिए और तभी आप सोशियो-इकोनोमिक चेंज कर सकेंगे। अगर यह कमेटी उसी तरह से तहसीलदार, एस० डी० ओ० और जैसे जागीर कमिश्नर की मुकर्रर की थी उसी तरीके से कुछ अधिकारियों के उपर छोड़ दिया तो उसके फैसले भूमिहीनों के पक्ष में न होकर, खेतीहर मजदूरों के पक्ष में न होकर बड़े 2 जमींदारों के पक्ष में होंगे। इसलिये यह साईना-क्यू-नोन है, रीढ़ की हड्डी है, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से हमारा यह भी सुझाव है कि इसके जो जुडिशियल पावर्स हैं ओरीजिनल और अपीलेट के उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया जाय, और डिस्ट्रिक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल्स को स्पेशल पावर्स हों कि जो पार्टीशन हुआ है, जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको रिओपन वह कर सके। अगर रीजनेबल डाउट है कि यह कानून के खिलाफ है, सीलिंग लॉ को डिफीट करने के लिए किया गया है। तो चाहे पीरियड कोई भी क्यों न हो उसको रिओपन करके यह निर्णय दे सके। और इन डिस्ट्रिक्ट लेबल ट्रिब्यूनल्स के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्पष्ट राय है कि यह सेन्ट-पर्सेन्ट भूमिहीन क्लास से आने वाले लोगों का ही ट्रिब्यूनल होना चाहिए। यह गवर्नमेन्ट को रूल्स बनाने चाहिए। वह क्वालिफाइड लोग हों, लेकिन वह लोग वह नहीं होने चाहिए निश्चित तौर से जो खुद सीलिंग लॉ के अन्दर खुद अपनी जमीन के मालिक हों, उनको नहीं बनाना चाहिए बल्कि वे लोग होने चाहिए जो कि भूमिहीन हों। दिस शुड बी देअर फर्स्ट क्वालिफिकेशन और इस क्वालिफिकेशन में यह क्वालिफिकेशन भी हो सकती है कि वह एम० ए० होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह एम० ए० या बी० ए० हो या नहीं, लेकिन भूमिहीन होना उसका पोस्ट-ग्रेजुएट होना साबित करेगा। उसकी यह क्वालिफिकेशन है वह पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के बराबर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आप उन क्लासेज से जो जमीनों को दबाये हुए बैठे हैं, जो आज इन्टरमीडियेरीज का काम कर रहे हैं, एक्स्प्लायटेशन का काम कर रहे हैं, उससे यह उम्मीद मत करो कि अपने हक के खिलाफ, अपनी क्लास के खिलाफ फैसला देंगे। इसलिए यह हमारा सुझाव है कि 3 आदमियों का हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल हो जिसके दो सदस्य एक शेडयूल्ड कास्ट का और एक शेडयूल्ड ट्राइब्स का हो और तीसरा कोई भी सदस्य हो लेकिन सरकार यह नियम बना दें कि तीसरा सदस्य भी लैण्डलेस हों। यह शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग भी लैण्डलेस होने चाहिए। यह नहीं हो कि जिन शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास बड़ी 2 जमीनें हों और जाति का पट्टा लिखाकर उन्होंने जमीनें इकट्ठी कर ली हैं वह भी बच जाय, क्योंकि उनकी जहनियत आज लैण्डलार्ड से कम नहीं है। इसलिए हमारा यह सुझाव डिस्ट्रिक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल्स के बारे में है और मैं समझता हूं कि हमने यह भी सुझाव रखा है कि जो आपको आथोराइज्ड ऑफिसर है उसकी अपील आप कलेक्टर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास देना चाहते हैं। उस

Page No 52

(52)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

झंझट में आप न पड़ें वर्ना वही हाल होगा जो अभी तक हुआ है और उससे नहीं बचेंगे । उनकी तमाम की अपील डिस्ट्रिक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल के पास जाने दें और इस अपील को फाइनल अपील मानें । किस तरीके से लेना है वह तय कर लें । हम चाहेंगे कि वह चुने हुए हों तो बहुत अच्छा है, चुने हुये रिप्रेजेन्टेटिव लोगों के हों यो बहुत अच्छा है : उस बात को अपन रख सकते हैं । आप बातचीत कर सकते हैं सब विरोधी पार्टी और उन लोगों के साथ बैठ कर जो कि लैण्ड रिफार्म्स में विश्वास करते हों उनके साथ विचार करके उसके नियम बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डिस्ट्रीक्ट लैण्ड ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए । यह हमारे दल का इसके अन्दर प्रोपोजल है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे खेद के साथ कहना पडता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन को, तमाम प्रिन्सीपल को एक तरफ रखने की जो कोशिश की है कि इसमें मुआवजे की इतनी ऊंची सीमा रखी गई है तो इसकी जड़ में क्या है, इसके पिछे क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहूंगा इस सदन में माननीय राजस्व मंत्रीजी पर जो कि इस बिल को पायलाट कर रहे हैं वह स्वयं आज एक बड़े लैण्डलार्ड हैं । उनके पास 12 मुरब्बा जमीन है, और इस बिल की अलग अलग क्लाजेज को आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जिनको मैं अभी आपके सामने रखूंगा उन्होंने इस बिल को इस तरीके से मनीपुलेट करने की कोशिश की है, इस बिल के एक एक क्लाज को इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि जिससे कि इनको लाभ हो, इनकी फेमिली को लाभ हो, इनके लड़कों को लाभ हो, इनकी फेमिली की जमीन भूमिहीनों के पास नहीं जा सके। जिसके लिये यह शपथ लेकर वचन बद्ध हैं कि इनको राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने हितों को नीचे रखकर जनता के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने इन तमाम कोड ऑफ कन्डक्ट को, डेमोक्रेटिक लाइफ की अहमियत को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बालाए ताक रखकर अपने सेल्फ इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, इस सदन को मालूम होगा कि जब लैण्ड रिफार्म्स की आपके दल में चर्चा चल रही थी और उन चर्चाओं में जिक्र आया बागात का कि प्रत्येक बागात की कन्डीशन क्या रखी जाय तो कुछ लोगों ने मांग की, माननीय मन्त्री महोदय जैसे लोगों ने मांग की कि बागात की बारानी जमीन के बराबर बनाया जाय । कुछ जगहों के ऊपर यह कहा गया और आखिर में ज्यादातर का निर्णय यह रहा कि बागात जहां पर हों उन बागात को दो हेक्टर जमीन या 5 एकड़ ज्यादा छोड़ दी जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की स्थिति दूसरी है । हमारे राजस्थान में गंगानगर जिले में और वह भी पुराने लैण्डलार्डस को एक पानी मिलता है तो बागात वालों को चार गुना पानी मिलता है । चार गुना पानी मिलता है तो ज्यादा प्रासपेरस हैं और उसकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्कम चार गुना होती है तो यह बडी हास्यास्पद बात है कि गार्डन्स का 54 एकड के अन्दर माननीय मंत्री जी ने रखा है जबकि 18 एकड़ सामान्य गेहूं, गन्ना प्रोड्यूस करने वाली जमीन को 18 एकड़ के अन्दर रखा है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर जब यह मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय हो गया कि यह रिलेक्सेशन दिया जाता है तो बागात के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने स्टेट गवर्नमेन्ट पर छोड़ दिया कि वह या तो बागात के लिए 5 एकड़ ज्यादा जमीन सीलिंग से छोड़ दें या अगर उनकी हालत के मुताबिक यह मुनासिब समझें कि उसको बारानी समझी जाय तो यह उस पर विचार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कोई अगस्त के महीने में मीटिंग होती है उस समय की है। दिल्ली से माननीय मंत्री फौरन गये गंगानगर। 7 मुरब्बा जमीन आपकी हनुमानगढ टाउन के पास है, चार मुरब्बा आपकी गंगानगर शहर के पास है तो इन्होंने उन तमाम के तमाम मुरब्बों में बागात लगाने शुरू कर दिये और जमीन दूसरी दूसरी जगह थी उन पर बागात लगाने शुरू कर दिये। इसका मतलब यह है कि केन्द्रीय सरकार का थिंकिंग का तो इनको पता लग गया और यहां पर बिल आप खुद बनायेंगे तो यहां के अनुकूल बनायेंगे और उसमें इन बागात को प्रोटेक्शन दिलायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 273 के तहत किसी मंत्री पर या किसी सदस्य पर आरोप लगाते हैं तो आपको आसन को इस संबंध में सूचना देनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह मैंने दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वे तथ्य और दस्तावेज आपने दे दिये हैं माननीय अध्यक्ष को ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आसन से आपको इसकी स्वीकृति दी गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नियमों में साफ है कि सूचना दें। मैंने बात कर ली है और सब तथ्य और दस्तावेज दे दिये हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी कापी भी उनको दे दी है। इसलिए सूचना देना काफी होता है। वह मने दे दी है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से जहां रेवेन्यू मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का इस बिल के द्वारा यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जमीन प्राप्त करें तो इस उद्देश्य की माननीय मंत्री जी कहां तक पूर्ति कर सकेंगे। लोग पुराने बिल में ही काफी जमीनों पर कब्जा किये बैठे हैं इसलिए यह नया बिल ला रहे हैं ताकि ज्यादा जमीन उपलब्ध हो सके। इसलिए स्वयं रेवेन्यू मिनिस्टर की इसके लिए जिम्मेदारी थी कि इस बात को सीक्रेट रखें और सीक्रेट रख कर इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप भी लेते कि कोई व्यक्ति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उस जमीन को खुर्दबुर्द न करे या सीलिंग से बाहर न निकाले। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने 11-12 सारे के सारे मुरब्बों में छोटे छोटे पौधे लगा दिये हैं जो आज भी देखे जा सकते हैं। वह खुद जानते हैं कि वह कितने अर्से के लगे हुए हैं। मेरा यह चार्ज है कि अगस्त के अन्दर मीटिंग हुई उसके बाद नवम्बर और दिसम्बर के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने बागात लगाये हैं और अखबारों के अन्दर इस बात की खूब चर्चा हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) माननीय मंत्रीजी ने तमाम लैण्ड, लार्ड्स को इस तरह से बता दिया कि इसको बचाने का यह तरीका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी के पास 15 जीजी, और 22 जीजी दो गांव हैं इनमें 101 बीघा जमीन इनके पास है, 15 एम० एच० एच० में 144 बीघा जमीन है और 27 एफ० पी० पी० में 25 बीघा जमीन है, यह 171 बीघा जमीन है। यह 25 बीघा जमीन नकी वाइफ के नाम पर है और 25 बीघा जमीन इनके पास गांव दीनगढ़ तहसील सांगरिया के अन्दर है। इनके पास 12 मुरब्बे जमीन है। उसमें 1 मुरब्बा अपने नाम, 1 मुरब्बा बीबी के नाम, शादीशुदा 3 लड़कियों के नाम एक एक मुरब्बा, 3 लड़कों के नाम 9 मुरब्बा सुरेन्द्रकुमार, नरेन्द्रकुमार और महेन्द्रकुमार। सुरेन्द्रकुमार जयपुर में एक्स० सी० एन० हैं। नरेन्द्रकुमार एडवोकेट हनुमानगढ़ हैं। महेन्द्रकुमार जयपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं। यह तो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड जमीन है। इस बिल में प्रावधान किया है, 26-9-70 से पहले अगर आपने सेल्फ प्रोपर्टी को ज्वाइण्ट कर दिया तो यह बिल लागू नहीं होगा। इन्होंने अपने नाम भी कर दिया और अपने बीबी बच्चों के नाम कर दिया। धीरेन्द्रकुमार जो दो साल का बच्चा है, सुरेन्द्रकुमार का, एक मुरब्बा दो साल के बेटे के नाम, एक मुरब्बा 4 साल का बेटा है उसके नाम। इसी तरह से महेन्द्रकुमार ने एक अपने नाम और एक चार साल का बेटा है, उसके नाम। इसी तरह से नरेन्द्रकुमार ने, तो मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर देता हूं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने क्लाजेज रखे हैं, वह गवर्नमेन्ट की घोषणाओं और मान्यताओं के खिलाफ रखे हैं। इन्होंने राजस्थान सरकार की अभी भी जो मंशा रही है, उनके खिलाफ रखा है। बागात के मामले में इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसको दूसरे तरीके से हम लेने वाले हैं। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस बिल की अहमियत है, उनका मतलब भिन्न कर लिया है। 300 बीघा जमीन के ये मालिक हैं। जो बंटवारा किया है, अगर उनको बालिग मान लें तो यह बालिग बंटवारा नहीं कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और उपाध्यक्ष महोदय,

अगर सुरेन्द्रकुमार पर्सनली कल्टीवेट करते हों, यह नहीं है। तो प्रश्न यह है कि टिलर आफ दी सोइल के पास जमीन जाये,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह हमारा लक्ष्य है। यही नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट है, एक एस०सी०एन० है उसके पास यह जमीन हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था कि सीलिंग कानून बने, जल्दी से जल्दी बने, इस पक्ष में हम हैं। लेकिन सबसे पहले जो नेशनल लेविल पर डिबेट हुई है, उसी घोषणा के अनुरूप यह बिल बनाया जाये। इसलिए मेरे दल की ओर से और मेरा ऐसा मानना है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। जो 7 दिन के अन्दर इसी सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे और इसी सत्र में इसको पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो एकाएक तस्वीर हमारे सामने आई है। पिछले सदन में जब यह बिल डिस्कस किया जा रहा था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बिल को स्थगित करने की अपील की थी। उन्होंने यह कहा था कि आज मैं इसको स्थगित करना चाहता हूं और जल्दी ही इस बिल को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाकर इसको हम रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस वादे के बाद एक साल तक यह बिल नहीं लाया गया। जब 15 अगस्त को, (विराम)

(कुछ देर के लिए माइक खराब)

15 अगस्त को जब यह सेशन हुआ तो यह आशा थी कि यह मौका है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बिल को रखेंगे। लेकिन वह भी नहीं हुआ और अब साल भर के बाद यह बिल आया है तो पता चला कि इसको और खराब करने की कोशिश की गई है। पहले जो सीलिंग कानून था उससे हटकर ऐसी बातें बताई गई हैं जो उसूलों के खिलाफ हैं, पालिसी के खिलाफ हैं। जिनको कांग्रेस ने पास किया है, चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में भी कहा गया है। ये चीजें हुई हैं। हमारे दल के द्वारा हमने ये चीजें तय की हैं। एक फैमिली का जो मकसद है, जो काश्तकार है, काश्त जिनका पेशा है, उनको राहत मिले। जो लोग चाहे मिनिस्टर हों या राजा-महाराजा हों, उनको अगर राहत मिलती है तो मकसद पूरा नहीं होता है। हमने संशोधन भी सामने रखे हैं। उनका मूलभूत आधार यही है। लेकिन जिस उद्देश्य से यह लाया गया है, वही समाप्त किया जा रहा है। यह लोग जिनको मुआवजे की रकम दी जा रही है, पहले जो रकम मिल सकती थी, उससे अब दुगनी, चौगुनी और पांच गुनी है। उनको आप हमारे सिर पर बैठायेंगे। हमने यह संशोधन रखा है कि 20% एकड़ पर दे दिया जाये। जो उस रेण्टेड वैल्यू से हटकर जो रकम रखी गई है, उसके आधार पर सही नहीं है। इसके अलावा फैमिली की जो डेफिनेशन दी है, उसमें भी जितने ऐसे लोग जो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, वह इस बिल के परपज को शिकस्त देना चाहते हैं। हमारा आधार तो यह होना चाहिए थी कि किसानों को, लैण्डलेस लोगों को और शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों को राहत मिले। आपको याद होगा कि पिछले बजट सैशन में भी इसी विधान सभा के प्रांगण पर चीफ मिनिस्टर ने यह फर्माया था, मैं बहुत जल्दी ऐसा कोई संशोधन लाने वाला हूं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जिससे सिर्फ काश्त करने वाला ही जमीन रख सकेगा। लेकिन आज तक भी वह संशोधन नहीं आया है। अगर वह संशोधन भी आ जाता तो मैं समझ लेता कि वह लोग कम से कम महरूम हो जायेंगे जो काश्त नहीं करते हैं और जिन्होंने बहुत से मुरब्बे ले रखे हैं। मेरी मान्यता है, जो लोग मंत्रिमण्डल में हैं, जिन लोगों के हाथ में गवर्नमेंट की मशीनरी है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उस आरोप में आधार है तो उनके लिए इज्जत, अदब और इरादे की बात यह होनी चाहिए कि उनको फौरन इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और उनको अलग बैठ कर ऐसे लोगों के हाथ में यह बिल दे देना चाहिए जिनकी यह मन्शा हो कि जो काश्तकार हैं, जो भूमिहीन हैं उनको राहत पहुंचे, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको राहत पहुचे, जिनके पास जमीन नहीं उनको राहत पहुंचे। मेरा जो सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है, हमने जितनी तजवीज रखीं, उसमें यह है कि जो एस्योर्ड इर्रिगेशन है, जिसमें काफी पानी मिलता है, जो भाखरा, चम्बल है, उसे इस बिल से अलग क्यों किया गया है, उस पर सीलिंग का अलग कानून क्यों लगायेंगे। जो डेफिनेशन रखी गई है, उनमें आचर्ड की डेफिनेशन है। यह डेफिनशन मेरी समझ में नहीं आया। आज बहुत सा एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, बिग बिजनेस मैन ने कब्जा कर रखा है और उस पर बाग लगा रखा है, आज उस जमीन पर वह बैठे हैं। इमामुदोल्ला की जमीन है उसको और लोगों ने ले लिया है और वह जमीन एग्रीकल्चर लैंड में चल रही है। उसका मुआवजा दिया जायेगा वह एग्रीकल्चर लैंड का दिया जायेगा, जबकि और लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस ओचर्ड की डेफिनेशन से बिग बिजनेस मैन को फायदा पहुंचता है। बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत सी जमीन पड़ी हुई है जिसमें पेड़ लगा कर ओचर्ड डिक्लेअर करना चाहते हैं। इसलिए यह सीधा निर्धारित करना अनुचित होगा। इसमें जो डेफिनेशन है, उसमें फेमिली की डेफिनेशन है, ओचर्ड की डेफिनेशन है, एक्स्प्लेनेशन है, यह एक्स्प्लेनेशन है कि कौन कौन से लोगों के कौन कौन से ट्रान्सफर बोनाफाइड समझे जायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने रिश्तेदारों को नहीं बेची सबको बेची है, जिन्होंने इस प्रकार पूरी जमीन खुर्दबुर्द कर दी है उनको काफी राहत मिल जायगी। उन्होंने लाखों रुपये की प्रापर्टी ट्रान्सफर कर दी है। यह प्रोटेक्शन उन लोगों को दे रहे हैं जो साल भर पहले जानते थे कि ऐसा बिल आने वाला है, और जो लैंड ट्रान्सफर हो जायगी, वह वेलिड होगी। यह आपकी बोनाफाइडी सिद्ध नहीं करता है। यह सिद्ध करता है कि किसानों को राहत पहुंचाने का आपका इरादा नहीं था, किसानों को आप राहत नहीं देना चाहते हैं। इसलिए जो प्राविजन है उनके बारे में मैं गुजारिश करूंगा, मसलन आपने तय किया कि भूमि के लिए पांच आदमियों की यूनिट मानी है। मैंने कल भी सुझाव दिया था, पांच आदमियों की यूनिट हो, उसके बाद जो कुछ लैंड आवे और जब परिवार पांच आदमियों का है तो वन फिफ्थ के हिसाब से दे दिया जाय। पांच आदमियों से कम हैं तो फिर मेरा सुझाव है, जिस हद तक कम होंगे, उस हद तक

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
वन फिफ्थ के हिसाब से कम कर दिया जाय क्योंकि एक आदमी की भूमि पांच आदमियों की भूमि……

श्री उपाध्यक्ष : आपने खण्डशः विचार के लिए अलग से संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं। अब आप सलेक्ट कमेटी को देने के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने अर्ज किया, जो पृष्ठभूमि है, उसकी और तवज्जह दिलायी। यह मुलतवी किया गया था साल भर पहले, उस समय यह मकसद था, जो हमारे सामने आ रहा है। यह चेंज की गई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सरकार द्वारा, उसका मतलब है कि काश्तकारों को राहत नहीं मिले, भूमिहीन लोगों को राहत नहीं मिले, भूमि उन लोगों के पास रहे जो अब तक किये हुए बैठे हैं। दूसरा मकसद यह है कि कुछ अर्से के बाद कह दें, हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है। आज लोग आशा लगाये हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी और आपने मिलजुल कर घोषणा-पत्र दिया, उससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनको नाउम्मीदी का सामना करना पड़ेगा। इसकी मिसाल इतिहास में कोई नहीं है। उन लोगों ने आपको, हमें मैसिव सपोर्ट दिया, इतनी तादाद में यहां भेजा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो उनके जायज हकूक हैं उनसे उनको महरूम कर दिया जाय। मेरा मकसद सलेक्ट कमेटी में भेजने का यह था कि इसको जल्दी से जल्दी इसी सेशन में असेम्बली के सामने लाया जाय और बदली हुई शक्ल में, जो हमने सुझाव रखे हैं, उनको इनकोर्पोरेट करके इसे पास किया जाय। मौजूदा शक्ल में यह बिल पास किया जाता है तो इससे राहत मिलने वाली नहीं है काश्तकारों को, उनको राहत मिलेगी, जो जमीन पर काबू किये बैठे हैं। इसके अलावा मेरा सुझाव है, राजस्व मंत्री जी महसूस करते है कि वाकई उनको कोई कमजोरी दिखाई देती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें कमजोरी दिखाई देती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो कांग्रेस की परम्पराओं को सामने रखते हुए उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए और अलग जाकर बैठ जाना चाहिए और साधारण मेम्बर की तरह इस बिल को पास कराने में सहयोग देना चाहिए। इस बिल को पास करना चाहिए, जो बदली हुई शक्ल में आवे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री मीठालाल: आपका और इनका तो गठबन्धन हो गया है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव…

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा: आपका तो गंधर्व विवाह हुआ है, आपकी इल्लिगल मैरिज होती है, रखेल वाली मैरिज।

श्री मीठालाल : आज आप इनकी रखेल हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आप आज रखेल हैं क्योंकि यह बिल आपकी तर्ज में आया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल सीलिंग के सबन्ध में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

राजस्थान सरकार ने सबसे पहले सन् 1959 में पारित किया। जिसके पूर्व, जिसके पेश्तर सबसे पहले भूमि पर सीलिंग लागू की जाय, भूमि पर सीमा निर्धारित की जाय इस संबंध में अवाड़ी में कांग्रेस का सेशन हुआ उस समय सबसे प्रथम इस बारे में चर्चा की गई। राजस्थान सरकार ने इस सीलिंग के एक्ट को पारित करने के पश्चात् इस की कार्यान्विति नहीं की। इस बीच में उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्षों के पश्चात् सरकार की ओर से यह भी चेष्टा की गई कि टिनेन्सी एक्ट में संशोधन किया जाय और सीलिंग के सम्बन्ध में अमुक प्रावधान उसके अन्दर प्रविष्ट करके एक नया एक्ट पारित किया जाय। परन्तु यह भी नहीं हुआ। आज यह बिल जो हमारे सामने आयी है, यह समस्त भारतवर्ष में जो सीलिंग की एक सरीखी व्यवस्था शासनारूढ़ दल करने जा रहा है, उसके अनुरूप है। मैं समझता हूं कि उनका प्रारूप कोई विशेष विभिन्नता रखता हो अन्य राज्यों से यह मेरी धारणा नहीं है। किन्तु उसके साथ मुझे यह आशंका अवश्य है कि कदाचित राजस्थान की सरकार इस मेजर को, इस कानून को पारित करने के पश्चात् क्रियान्विति सही रूप, शीघ्र रूप से सुचारू ढंग से नहीं करें, क्यों कि पूर्ववत् राजस्थान सरकार का वतीरा रहा है, उसका आचरण जो रहा है, उसके अनुसार यह शंका व्यक्त करना, मेरें ख्याल से, मैं अनावश्यक नहीं समझता। इसलिए मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर इस विधेयक को पारित करते हैं तो इसकी क्रियान्विति भी विधेयक के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र और सुचारू ढंग से होनी चाहिए। मैं इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह नहीं प्रतीत होता कि सरकार के पास इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक तैयारी है। आखिरकार क्रियान्विति देने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा प्रारूप तो होना चाहिए कि अन्ततोगत्वा कितने व्यक्ति इस विधेयक के द्वारा प्रभावित होंगे। कितनी भूमि सरकार अवाप्त करेगी, कितने भूमिहीन राजस्थान के अन्दर हैं, कितने आदिवासी और हरिजन ऐसे हैं कि जो इस विधेयक की क्रियान्विति सही रूप से देने के पश्चात् लाभान्वित होंगे? यह सरकार के पास मुद्दे, मेरे खयाल में नहीं हैं अन्यथा इस सम्बन्ध में सरकार कुछ न कुछ जानकारी सदन को देती। यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश डालें तो मेरे खयाल में हम लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा इस परिणाम पर पहुंचने के लिए कि आखिरकार इस विधेयक का लक्ष्य किस हद तक सरकार पूरा करने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कई नारे लगाती हुई लोगों को आकर्षित करना चाहती है। मैं समझता हूं आज तक सरकार के अधिकांश नारे जो थे वह निर्विवाद हैं कि आकर्षित तो जरूर थे लेकिन वे नारे ही रह गए। अधिकांश नारे, नारे ही रह गए, अधिकांश रूप से वे नारे कागजों के अन्दर ही रह गए। अगर आप अच्छे से अच्छा कानून बनाते हैं और उसको सही ढंग से क्रियान्विति नहीं देते तो मेरे ख्याल में एक थोथा नारा है और इस तरह की धोखेबाजी जनता के प्रति एक

Page No 59

(59)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तरह से विश्वासघात और गद्दारी सदा के लिए नहीं चल सकती। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जैसे कि कहावत है कि you can fool some persons for some time, you cannot fool all the persons for all time. अंततोगत्वा आपके कामों से, कथनों से नहीं, यह सिद्ध होगा कि आप सच्चे रूप से, लोकप्रिय सरकार, जनहित सरकार, गरीबों का भला करने वाली सरकार हैं, अन्यथा नहीं और अगर यह सिद्ध होने का नहीं है तो न तो गरीबी मिटेगी, न भ्रष्टाचार मिटेगा, न आपके जो दुर्गण हैं वे मिटेंगे। अन्ततोगत्वा क्या होगा, इस देश के अन्दर, यह निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं स्पष्टत: यह अनुभव करता हूं कि विरोधी पक्ष में आज इतना दम नहीं है कि वह सरकार दूसरी बना कर शासन संचालन भारतवर्ष का कर सके। अगर आपका दल आपके पापों से डूबता है तो सारा देश डूबता है और उसके साथ साथ एक तरह से केआटिक कन्डीशन्स अराजकता, उत्पन्न होगी। उसका उत्तरदायित्व उसी दल का होगा जिसने लगातार हमारे देश में 25 वर्ष तक शासन किया है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : अगर हमारी पार्टी तिरती है ? डूब जाती है तो बात अलग है, तिर जाती है, तब उसका यश कौन लेगा ?

श्री लक्ष्मणसिंह : यह भविष्य बताएगा। मैं श्रेय नहीं लूंगा। मैं श्रेय आपको ही देना चाहता हूं। मेरा तो लक्ष्य यह है कि आप ठीक ढंग से आयें, आप पावर करप्टस्, एबसोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सो- ल्यूटली का जो कथन है, आप चरितार्थ न करें, आप नम्र बनें, आपकी जन सेवा की भावना बढ़े, आप सुचारू रूप से, सही ढंग से देश के शासन की बागडोर सम्भालें तो मेरे ख्याल से आपका और हमारा सबका भला है, व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ नहीं है। देश के लिए जो कुछ कहना पड़ता है वह मैं निर्भिकता से अवश्य कहूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक की आप क्रियान्विति भी करेंगे तो मुश्किल से 5 प्रतिशत इस देश के लोगों को शायद लाभ होगा अन्यथा वह भी मिलना कठिन है। आप यनीफॉर्मिटी की दृष्टि से लकीर के फकीर बन कर केन्द्र को राजी करने के लिए इस विधेयक को पारित करा लें, उसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन भावना और इन्टेन्शन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक अच्छे से अच्छे कानून की क्रियान्विति में आप लुपहोल्स इधर से उधर रख सकते हैं जिसके अन्दर लीकेज भी होगा और पता नहीं भ्रष्टाचार और क्या होगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी समझता हूं कि एक या दो प्रतिशत राजस्थान के किसान इस विधेयक के द्वारा प्रभावित होगें तो ऐसे विधेयक को मैं विधेयक नहीं मानता जो सारे राज्य के लाभ को मद्देनजर रखते हुए सरकार लाई है। मैं समझता हूं यह एक तरह की लीपापोती है। मेरे जिले में 5 लाख लोग बसते हैं, उस जिले की जनसंख्या 5 लाख है। सारे राजस्थान में वह सबसे छोटा जिला है और उसमें प्रचुर मात्रा में आदिवासी रहते हैं जिनके पास मुश्किल से दो एकड़ भूमि औसतन नहीं होगी। ऐसे जिले में मुश्किल से 5 या 6 आदमी इस सीलिंग कानून से

(श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रभावित होंगे अन्यथा नहीं । मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि भूमि एलॉटमेंट के अन्दर आज कल जो आपाधापी और अनियमितता हो रही है और जिस तरह से सरकार इस संबंध में लापरवाही बरत रही है, अगर यही हुआ तो जमीन गरीबों के बजाए मालदारों के पास आएगी, इधर से उधर जमीन वितरित हो जाएगी, मुझे आशंका है कि सही ढंग से जमीन का वितरण होगा । अतएव मेरा निश्चित अभिमत है कि आप आर्थिक समानता इस विधेयक के द्वारा नहीं ला सकते । आर्थिक समानता एक हद तक आ सकती है किन्तु वह किस हद तक आ सकती है, किस रूप में आ सकती है और किन तरीकों से आ सकती है, वह बताना मेरा काम नहीं है । आज तो इस विधेयक की समालोचना करते हुए मुझे आशंका है कि आर्थिक समानता नहीं आएगी, आर्थिक विषमता बढ़ेगी, दिन पर दिन गरीब पिसता जा रहा है और कल मैंने जो कुछ भी कहा मंत्रियों के सम्बन्ध में, उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के सम्बन्ध में, शासनारूढ़ दल के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स उनको दुहराना नहीं चाहता । केवल इतना ही कहूंगा कि यह सब धूतक सा रचा हुआ है । उत्पादन के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहूंगा कि आप एक कानून पारित करते हैं, उसको वर्षों तक क्रियान्वित नहीं होने देते, एक तरह से किसान पर स्वोर्ड ऑफ डेमाक्लिस आप लटकाए रहते हैं । ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी आपको करना है, करें, लेकिन आप कोई कानून पारित कर दें अगर वह सही ढंग से इम्पलीमेंट हो नहीं वह तो आपका ही काम है लेकिन एक बार अगर आप कानून पारित करें तो किसान के मन में इस आशंका का निवारण होगा कि 5 साल तक जो कुछ कानून पारित हुआ है उस सम्बन्ध में फिर कानून तो नहीं आएगा, उत्पादन भी इससे बढ़ेगा, किसान थोड़ी बहुत रकम भी उस जमीन में लगाएगा और खेती भी करेगा । आज खेती करना कोई आसान धन्धा नहीं है, खेती करना एक बहुत महंगा धन्धा है और आज सुचारू रूप से खेती करना मेरे ख्याल से दिन पर दिन बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए मैं इसको लाभ का धन्धा नहीं समझता । अभी ठीक है कि भाव इतने गगनचुम्बी पर जा चुके हैं और इनके कारण थोड़ा बहुत किसान ने लाभ उठाया किन्तु आज बैल की जोड़ी की कीमत देखिये, औजारों की कीमत देखिए पम्पिंग सेट्स वगैरह की कीमत देखिए, ट्रैक्टर्स का तो सवाल ही नहीं, ट्रैक्टर्स इने-गिने लोगों के पास होंगे । इन सभी बातों को देखते हुए मैं यह अनुभव करता हूं कि उत्पादन की वृद्धि होनी चाहिए । सरकार का पुनीत कर्तव्य है कि इस कानन को शीघ्रातिशीघ्र लागू करे । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार देश का उत्पादन इस साल 10 करोड़ टन है और राजस्थान का उत्पादन जो होता है उसकी औसतन करीब 50-60 लाख टन की है । हर साल इसी के आसपास अनाज पैदा होता है । लेकिन इस साल जो उत्पादन होगा वह मेरे अनुमान से 30 लाख टन से ज्यादा नहीं होगा । केन्द्र के खाद्य मंत्री महोदय श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने यह फर्माया कि अभी तक करीब ढाई करोड़ टन अन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बाहर से मंगवाया गया है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार और भारत सरकार आजादी के 25 वर्ष बाद भी अनाज जैसी महत्वपूर्ण चीज है उसमें भी स्वावलम्बी नहीं हो सकी । मेरा ख्याल है कि सरकार का पुनीत कर्तव्य है उसकी पालना नहीं की गई । सरकार अपने कर्तव्य से च्युत हो गई और मैं तो कहूंगा कि सरकार फेल रही । आज और भी बातें देखें तो मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार ने उपलब्धियां नहीं की । मैं मानता हूं कि उपलब्धियां की हैं उसे भी मैं नजरन्दाज नहीं कर सकता लेकिन जो भी उपलब्धियां की गई हैं वह जितनी की जानी चाहिए थीं उतनी नहीं हैं । उसके अनुरूप में वेग है । इसका कारण यह है कि हमारे देश की जन संख्या बढ़ रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि जनसंख्या बढ़ने में एक तरह से रेस हो रही है, एक तरह से घुड़दौड़ हो रही है जिसके कारण जो भी उपलब्धियां हमने की वह नगण्य हैं । आज हमारे पोपुलेशन और प्रोडक्शन के एक्सप्लोजन के बीच में अनुपात नहीं है इसके कारण उपलब्धियां जो भी की गयी हैं वह नहीं के बराबर हो रही हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह ऐसे प्रयास करे जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो । अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम सफल नहीं होंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इतना जरूर कहूंगा कि यहां पर खेती के बारे में बहुत कुछ तूल दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति हाथ से खेती करे उसे ही जमीन दी जानी चाहिए । इस पर मैं और मेरे दल की यह विचारधारा है कि इसमें इतनी रिजीडीटी नहीं होनी चाहिए । अगर इसमें आप किसी प्रकार का त्याग का प्रश्न लाना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं मेरे पास भूमि है वह मैं देने को तैयार हूं । लेकिन इतना ज्यादा तूल देना मैं उचित नहीं समझता हूं । मैं समझता हूं कि इससे उत्पादन में कमी हो जायेगी । इसके साथ-साथ देश के किसानों में भी स्थिरता नहीं रहेगी । अगर इस बात को किसी हद तक मान लिया जाय तो कल यह भी सवाल पैदा हो सकता है कि मान लीजिये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के पास एक पेट्रोल पम्प है और उन्हें यह कह दिया जाय कि आप सिर्फ खेती ही कर सकते हैं और पेट्रोल पम्प नहीं रख सकते । इसमें कुछ उदारता बरती जानी चाहिए । इससे लाभ होगा जनता को और लोगों को.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो चाहता हूं कि एक आदमी के पास एक ही धन्धा हो ।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहमत नहीं हूं कि एक व्यक्ति के पास एक ही धन्धा हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महारावल साहब यह तो आपने बहुत छोटी बात कह दी । पेट्रोल पम्प के लिए तो सिर्फ एक बिजली का बटन ही दबाना पड़ता है और वह भी बिजली का ।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कान्ट्रेडिक्शन में पड़ना नहीं चाहता मैं तो मेरे विचार सदन के समक्ष रख रहा हूं। सदन को यह अधिकार है कि वह मेरे विचार माने या नहीं माने। या उस पर विचार करे या नहीं करे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में आपने 6 किस्म की भूमियां रखी हैं वह ठीक है उसके बारे में तो मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता और न ही इसका कोई विशेष विश्लेषण ही करना चाहता हूं। किन्तु आपने इस बिल में जो उपजाऊ और अर्द्ध-उपजाऊ भूमि के बारे में एक ही प्रावधान रखा है उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि उपजाऊ और अर्द्ध-उपजाऊ में कितना रात-दिन का अन्तर है। आप उपजाऊ और अर्द्ध-उपजाऊ भूमि को एक ही श्रेणी में मानते हैं वह मैं उचित नहीं मानता। आपने इसमें उपजाऊ भूमि के लिये जहां पर 54 एकड़ भूमि रखी है वहां पर अर्द्ध-उपजाऊ जमीन के लिए मेरे ख्याल से आपका 72 से लेकर 75 एकड़ जमीन रखी जाय तो उचित रहे। इसमें यह एड कर दिया जाय। इसके साथ-साथ म निवेदन करूंगा कि आप फौजियों के जमीन के बारे में सहानुभूति पूर्वक, उदारतापूर्वक और गम्भीरतापूर्वक विचार करें। राज्य सरकार को पहले उन्हें कन्सीडर करना चाहिए। इसके अलावा आपने जिन फौजियों को जमीन दी है और वह भी अभी-अभी दी है उनसे आप जमीन वापिस नहीं ले लें। इस पर भी आप गम्भीरतापूर्वक, उदारतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इस प्रकार तो अगर आप इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे तो यह होगा कि एक हाथ से आपने उन लोगों को जमीन दी और दूसरे हाथ से आपने उनसे जमीन वापिस छीन ली। यह बात उचित प्रतीत नहीं होगी। उन परिवार वालों को जिनके कि रिश्तेदार मर गये, या लड़ाई में अपंग हो गये हैं जिनको वजह से उन्हें यह जमीनें राज्य सरकार द्वारा दी गयी हैं, उन्हे राज्य सरकार ारा आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जमीन जिसको मिलने वाली है मिलनी चाहिए। जिन फौजियों को जमीन देने का आपने आश्वासन दिया है वह उन्हें मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं कुओं के बारे में निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुए चाहे डीजल से चलते हों चाहे बिजली से उसके लिए भी आपको सहानुभतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आपने जो छूट सेक्शन चार में एग्जम्पशन दिये हैं, उसमें उन्हें सम्मिलित नहीं किया है। मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार उनको भी सम्मिलित करे। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय पम्प्स चाहे डिजल से चलें, चाहे बिजली से चलें, इसमें एग्जम्पशन जरूर होना चाहिये। इसके अलावा कुछ म सेक्शन 10, 11 को अगर हम सेक्शन 24 व 25 के साथ पढ़ें तो मैं निवेदन करूंगा कि उसमें तीन महीने की सजा और 500 रुपया जुर्माना आपने सेक्शन 24 के अन्तर्गत रखा है और सेक्शन 25 के अन्तर्गत आपने 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना रखा है। यह बड़े खेद की बात है। आप एक इन्सान को जेल की सजा देते हैं वह सर्वथा अनुचित

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश, पूरे भारतवर्ष, में कहीं भी नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था न तो सेल्स टैक्स में, न इनकम टैक्स में और न किसी एक्ट में है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह पीनल प्रावधान आपने जो रखा है वह अनुचित है और मैं तो कहूंगा कि यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है सरकार उसके खिलाफ में फ्राड का केस बना सकती है और फ्राड के केस में आप उसका चालान कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जाय, ऐसा मेरा निवेदन है और मेरी मान्यता है कि इस प्रावधान को न रखा जाय। उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो लोग ईमानदारी से कानून की अवेहलना नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि जो कानून की अवहेलना करते हैं और खासकर शासनारूढ दल के जो पिटठू या चमचे हैं, वे पेट भर ऐसा काम करते हैं और सरकार फिर अन्ततोगत्वा उनके जो कुछ भी कसूर और अपराध हैं उनको क्षमा करके रेग्युलेराइज कर देती है। यह रेग्युलेराइजेशन की प्रथा बड़ी निन्दनीय प्रथा है। मैं समझता हूं इसमें सरकार की कमजोरियां निहित हैं और इससे स्पष्ट होता है कि ठेठ नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं जिसका खंडन और विरोध और निंदा करना है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : 25 वर्ष पहले लकड़ी के चाटू थे आज धातु के बन गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कटोरियां, चमेचे, पतिलियां भी बन गयी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : वातानुकूलित मोटरें भी बनी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य, मुझे क्षमा करेंगे हस्तक्षेप के लिए। आपने भूमिधारकों को कैद की सजा न दी जाय ऐसा कहा है। आपने अपने शासनकाल में कितने ऐसे भूमिधारकों को जेल न देकर गरीब को भूमि दिलाई है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसा तो नहीं है। शासन में कमियां हो सकती हैं। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। किन्तु मैं कह सकता हूं कि हमारा शासन उत्तम नहीं था। आज का शासन हमारे से उत्तम हो इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। उस जमाने में गरीब दो रोटी सस्ती तो खा सकता था। उस जमाने में गरीब को, चाहे उसको रावण राज्य कहा जाय, कपड़ा भी सस्ता मिलता था, रहने के लिए उसके पास मकान भी था और आज हजारों और लाखों की तादाद में बम्बई और अहमदाबाद में पटरी पर लोग रात-दिन रहते हैं, सोते हैं, क्या बारिश, क्या सर्दी, क्या गर्मी। ऐसी स्थिति में समाजवाद आयेगा या भ्रष्ट अधिनायकवाद आयेगा उसके पश्चात् अराजकता होगी या क्या होगा यह तो भगवान ही जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था डिक्लेरेशन के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में भी 3 वर्ष का प्रावधान रखा है। यह मामले डिक्लेरेशन न हों तो रिओपन हो सकते हैं। यह 3 वर्ष का प्रावधान भी उत्पादन के सम्बन्ध में और एक सैद्धान्तिक रूप से भी उचित मैं नहीं समझता हूं। तीन साल तक यह स्वार्ड ऑफ डेमोक्लिस लगाये हुए रखेंगे

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता । आखिरकार आपकी अपील की व्यवस्था है। उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो जाय उसके पश्चात् 90 दिन की मयाद रखिये । मैं नहीं समझता कि आपके अधिकारों को कम करना चाहते हैं, आपकी इफिशियेन्सी भी होनी चाहिये ताकि फैसले के बाद 90 दिन की मयाद आप कायम कर और उस सम्बन्ध में इसी मयाद में आप मामला रिओपन करें तो एक हद तक ठीक होगा वरना तीन साल की मयाद का तो मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 4 के एक्स्प्लेनेशन के सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप एक पहले के एक्ट को रिपील कर देते हैं उसके पश्चात् इस एक्ट में यह प्रावधान रखते हैं कि यदि इस एक्ट के अन्तर्गत किसी की जमीन इस एक्ट के अनुसार नहीं मिली और कम ही मिली तो उसमें अभिवृद्धि, बेशी नहीं की जायगी । सरकार की विवशता के प्रति तो मेरी सहानुभूति है। जमीन कोई रबर तो है नहीं कि उसको खींच कर लम्बी बनाया जाय । जो रकबा जमीन का है वह है । उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते । मैं तो यही समझता हूं कि यह बैड ड्राफ्टिंग है । अगर आप एक एक्ट को रिपील करते हैं तो एक धारा को रिवाइज करते हैं, किस प्रकार समन्वय कर, सरकार की क्या मंशा है यह तो सरकार ही जाने लेकिन मेरे खयाल से इस तरह का प्रावधान तो इस बात का घोतक है कि जैसे क्रीकेट में एक फेज है: "हैड्स आई विन एन्ड टेल्स यू लूज" । आखिरकार आपको करना है वह तो आप करेंगे । कानून की हुकूमत है । नादिरशाही तो नहीं है। स्वेच्छाचार तो नहीं है । जिस तरह पहले राजा कभी-कभी मनमानी करते थे तो वह चल सकता था, लेकिन आज लॉ ऑफ गवर्नमेन्ट होकर इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिये, यह अशोभनीय है । इस ओर मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा।

आपने विधयक के अन्दर यह प्रावधान रखा है कि 26-9-70 के बाद इन्तकाल ट्रान्सफर अवैध घोषित किये जायं और इसी प्रावधान को आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है, ठीक है । लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं यह अनुभव करता हूं, मैं यह महसूस करता हूं, कि बहुत सारे, शायद बहुत सारे तो नहीं होंगे, कुछ एक ये इन्तकालात हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हक में हुए तो उनसे छीन कर दूसरों को देंगे, तो बहतर यह होगा कि ऐसे इन्तकालात को उदारता बरतकर रेग्युलेराइज करें । रेग्युलेराइज करने की मैं अभी आलोचना कर रहा था किन्तु रेग्युलेराइज करना है तो गरीब के लिये उदारता से व्यवहार करें तो अच्छा होगा ।

मुआवजे के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि 14 वें पेज में आपने प्रावधान रखा है लम्पसम का, 500 रु० एक साथ देने का, वह नगण्य है। इससे लम्पसम कुछ नहीं रखें तो अच्छा है । आखिरकार सरकार जमीन लेती है तो आपको । लम्पसम के सम्बन्ध में कम से कम दो हजार रुपया रखना चाहिये । दो हजार रुपया रखने के पश्चात् भी क्लॉज उसी प्रकार है, you can read the whole thing so on and so forth.

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है मेरे विचार स्पष्ट करते हुए कि 500 रु० का लम्पसम का प्रावधान है उसको बढ़ा कर दो हजार का लम्पसम प्रावधान करें वह आपकी हैसियत के बाहर नहीं होगा और शोभनीय भी होगा।

शहरी कृषि भूमि के सम्बन्ध में और अर्बन कृषि भूमि के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि इस तरह आपने दो तरफ मार्ग निर्धारित किया है। यह मैं कल कह चुका हूं कि कृषि भूमि शहर में हो तो भी कानून लागू होगा और कृषि भूमि बाहर अर्बन एरियाज में हो तो भी कानून लागू होगा। इसकी समानता के सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि एक तो मान लिया जाय कृषि भूमि 300 रुपये एकड़ के भाव की है और एक कृषि भूमि 300 रुपये गज के भाव की है। उसको आप समानता दे रहे हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। उसके साथ-साथ आपने अर्बन प्रोपर्टी की सीमा 3 लाख पर निर्धारित की है और उसके मुकाबले में 18 एकड़ किसान के लिए सीमा निर्धारित की है। इसकी असमानता को भी आप देखें। आखिरकार किसान हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है, वह सच्चे रूप से हमारा अन्नदाता है, वह सच्चे रूप से कमाऊ पूत है। अगर सरकार सजग होकर उदारतापूर्वक व्यवहार करेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान का मन भी शान्त होगा और वह सरकार के प्रति विश्वास रखेगा।

अतएव, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का सिद्धान्तः विरोध तो नहीं करता, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव भी लाया वह भी चर्चा करने के सम्बन्ध में लाया था, समालोचना करने के लिए लाया था, अतएव जो कुछ भी समालोचना के रूप में मुझे कहना था वह कथन मेरा समाप्त हुआ। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार 15 वर्ष से ज्यादा लम्बी बहस के बाद इसी सदन में इस सीलिंग कानून के बारे में ऐसा विचार बन पाया है। जिस वक्त सन् 1953 में राजस्थान के अन्दर इस कानून को लागू करने के लिए कमेटी बनायी गयी थी और इसको लागू करने के लिये जो उत्साह था और जिस समय यह आशा की जाती थी कि वास्तव में राजस्थान में भूमिहीन किसानों की समस्या को सुलझा सकेंगे, आज बीस वर्ष के बाद जैसा भी कानन हमारे सामने आया है यह आशा तो नहीं कर सकते थे कि जो भूमि उस वक्त लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित करके भूमि की समस्या को सुलझा सकते थे आज कृषि सीलिंग कानून चाहे जो हो उसके रूप से यह संभव नहीं है कि सीलिंग कानून के तहत भूमिहीन किसान की समस्या सुलझ सकेगी। राज्य ने बहुत देर की। और जो भी भूमिपति ह, जो लोग हैं, जिनको अधिक समय मिला, उन्होंने कितनी जमीन छोड़ी होगी। मैं समझता हूं न स्वयं राजस्व मंत्री जी बता सकने की स्थिति में हैं और हमें स्वयं को सन्देहास्पद लगता है कि कितनी जमीन हमको इस कानून के तहत मिल सकेगी। मुझे बड़ा खेद है इतने वर्षों के बाद आज

(श्री शंकरलाल)

इस प्रकार का प्रस्ताव आया । मेरा निवेदन है इस बिल को भी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

आज प्रवर समिति को सौंपने की जो बात है वह इसलिये लाई जा रही है कि इस बिल के तहत जो कुछ उद्देश्य की पूर्ति हम करना चाहते हैं वह उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर पायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं सीलिंग कानून के तहत हमारा जो नारा है वह यह है कि जो जमीन है वह उसके पास जाय जो स्वयं उसको जोतकर पेट भरने की कोशिश करता है । "Land to the tiller" was the first motto put in the First Five Year plan while discussing this ceiling law. उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद इतने साल गुजर गये आज हम इस कानून को ला रहे हैं । क्या हम यह कह सकते हैं इस कानून के तहत जमीन उसी के पास रहेगी जो स्वयं जोतता हो या जो जोतने की ताक लगाये बैठा हो या उनको देंगे जिनके पास जमीन नहीं है और उन लोगों से जमीन लेंगे जो स्वयं जोतता नहीं है और जिसके पास जमीन पड़ी है और जो शोषण करते हैं । क्या कानून इस बात की पूर्ति कर सकेगा ? कदापि नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

इसके अन्दर जो पहले कानून था और बाद में जो कानून आया जो वापिस लिया गया उस सब कानून को देखते हुए हम इस कानून को प्रगतिशील नहीं कह सकते हैं, ज्यादा तरक्की वाला नहीं कह सकते हैं । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ जमीन ट्रान्सफर के बाद बची है या जो जमीन हम देना चाहते हैं उस कानून को दूसरे रूप में लेना पड़ेगा । मेरा एक हिसाब है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । जमीन उसको देना चाहते हैं जो जमीन जोते तो सीलिंग कानून के तहत वह पूर्ति नहीं होगी । पूरी जमीन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा । राज्य को पूरी जमीन हाथ में लेनी पड़ेगी और उन लोगों को देनी पड़ेगी जो स्वयं जोतकर अपना पेट भरना चाहते हैं । क्या आप उन लोगों को देना चाहते हैं, कदापि नहीं होगी । जमाना आयेगा और आवाज उठेगी, मैं आज से उठाना चाहता हूं और इसका केवल मात्र यह जरिया है कि राष्ट्रीयकरण के जरिये सरकार भूमि लेकर उनको दे जो भूमिहीन हैं ।

कानून के जरिये जो लोग जमीन दबाकर बैठे हैं और जो अन्य प्रकार का धन्धा करते हैं, नौकरी करते हैं, वकालत करते हैं और जो आज दिल्ली में जाकर बैठे हैं, बम्बई में जाकर बैठे, राजस्थान में जमीन पर कब्जा कर रखा है । उपाध्यक्ष महोदय चाहे वह दिल्ली में बैठा हो, चाहे वह बम्बई में बैठा हो, सीलिंग के तहत जमीन तो उनके पास रहेगी और गांव में रहने वाले को हम जमीन नहीं दे सकेंगे । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय इस बात को मैंने अच्छी तरह से समझा है । फिर भी हम इस कानून के जरिये कुछ करना चाहते हैं और अगर कुछ भी बात लाना चाहते हैं तो मैंने प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव रखा है वह बिलकुल ठीक है और वह इसलिये रखा

(श्री शंकरलाल)
है कि जो भी केन्द्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में बात की है उसका हम पार्टी के कारण उससे इत्तफाक करते हैं लेकिन उसका पालन हम कहां तक कर पाये हैं, यह सब जानते हैं इसलिये इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके अन्दर केवल जमीनों का वर्गीकरण जोश में करके एक निश्चित सीलिंग की गई जब कि पुराने कानून के तहत, सन् 1963 में जब कानून बना था उसके अन्दर गांव-गांव की भूमि का लेखा-जोखा किया गया था। आज हम नहीं कह सकते हैं एक तहसील में क ही तरह की जमीन है। एक तहसील में और एक गांव में तरह-तरह की जमीन हो सकती है। पाली जिले का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पहले जो कानून इसका 1963 में बना था उसमें पाली जिले की मिनिमम सीलिंग थी वह 36 थी और आज 54 है। मेक्सिमम 140 है। क्योंकि ऐसी भी भूमि है पाली जिले के रोहड़ तहसील में, जोधपुर के पास, वह पूरी की पूरी डेजर्ट में है, वह पूरी की पूरी भूमि अनउपजाऊ है। इसी तरह पाली जिले के जो दूसरे हिस्से हैं वह काफी फर्टीलाइज हैं। मैं नहीं कहता कौन भूमि, किस-किस प्रकार की है लेकिन आज यह बात जरूर है कि एक ही तहसील में एक ही प्रकार की जमीन नहीं है। 1963 में कानून बनने के बाद तीन वर्ष नियम बनाने में लग गये और एक प्रेस्क्राइब्ड मेनर रखा। अब आप यह कानून बना रहे हैं और इसके नियम बनायेंगे फिर आपको वर्षों लगेंगे। कानून बनाने में वर्षों लगे नियम बनाने में भी आपको वर्षों लग जायेंगे। पहले के नियम रीपील, पहले के कानून रीपील। पहले के कानून में यह अवश्य था कि गांव-गांव के आकड़े दिये गये थे। एक ही तहसील में तरह-तरह की जमीन थी तो उस पर तरह-तरह का सीलिंग था। उनका अलग-अलग मापदण्ड था। आज एक जिले में चाहे कितनी भी प्रकार की जमीन हो, एक ही प्रकार का सीलिंग होगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इसका प्रवर समिति के अन्दर विचार करना होगा।

मैं दूसरा निवेदन यह भी करना चाहता हूं इस कानून को देखने से कुछ शंकाएं होती हैं। उनको दूर करना चाहता हूं। राजस्थान नहर परियोजना को छोड़कर क्यों नहीं पूरे राजस्थान में लागू किया जाता है, क्या कारण है, अगर कोई कारण हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं तो हम प्रवर समिति में विचार करेंगे। हो सकता है, आपके कारण सही हों लेकिन विचार करना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री जी ने अपनी लड़की के नाम से जमीन खरीद रखी है।

श्री शंकरलाल : मैं नहीं जानता कौन किसने क्या कुछ किया है, लेकिन इस पर विचार करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है पहले जमीनों के ट्रान्सफर्स लीगल और इल्लीगल करने की बात है। आज इसमें बोनाफाइड ट्रान्सफर करने की बात की गई है। जो ट्रान्सफर्स लैण्ड-लेस टिनेन्ट्स को करने चाहिये इसमें यह भी शब्द उठा दिया गया है। रिलेशन को छोड़कर पूंजीपतियों को बोनाफाइड कर

(श्री शंकरलाल)

दिया तो क्या वह ट्रान्सफर करना ठीक रहेगा। किस बात के उद्देश्य से और किस बात की प्रगति से करेंगे, यह कोई उल्लेख नहीं है। पहले आपने लैण्डलेस को ट्रान्सफर केरन की बात की थी अब आपने लैण्डलेस शब्द को हटा दिया वह बोना फाइड शब्द रखिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन यह शब्द जोड़ना पड़ेगा। उन सबको जोड़ना पड़ेगा वह शब्द नहीं है इसके अन्दर, और प्रवर समिति में इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर मुआवजों की बात कही गयी है। मुआवजा ऐसा रखा गया कि जो हमारे उद्देश्य हैं उससे बिलकुल विपरीत जाती है। पहली बात तो आप जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं और छोड़ेंगे तो वह भी कीमत से छोड़ना चाहते हैं, और यह उन लोगों को मिलेगी जिनके पास कीमत देने को है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह बात हो गयी कि स्टेट के ऊपर इसका भार नहीं रहे, सेन्टर के ऊपर भी इसका भार नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि एलॉटीज को कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। और जब यह बात आती है तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि गांव में रहने वाले भूमिहीन किसान जिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को जमीन देना चाहते हैं वह 1,600 रुपये एकड़ का कम्पेन्सेशन दें। क्या वह मुआवजा देकर जमीन को ले सकेगा? अगर वह मुआवजा नहीं दे सकता तो फिर आपका कौनसा मकसद है? जमीन यदि देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए छोड़ना चाहते हैं जो कि जमीन को पैसे से खरीदेंगे। हमारा यह मकसद नहीं था। इसलिए चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह कहा गया है कि जो रेन्ट है, जो लगान है उससे जोड़ा जाये कि रेन्ट का कितना गुना हो। कम्पेन्सेशन वह रखा जाये और कम्पेन्सेशन आपको रखना चाहिए कि रेन्ट का कितना गुना हो। आप कह सकते हैं कि 20 गुना लगान का होगा, 15 गुना लगान का होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो चाही जमीन है उसके लिए तो 30 गुना रखते हैं, जो उससे घटिया जमीन है उसका 20 गुना रख दिया जाये और जो जमीन थर्ड केटेगरी में है उसका 15 गुना रख दिया जाये। लेकिन आप तो जमीन को बेचना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि जमीन उनको देंगे जो कि भूमिहीन हैं। तो मैं साफ-साफ बता दूं कि यह नहीं होगा और इसमें नहरी और चाही के आंकड़े बताये गये हैं। आपने नहरी और चाही को रखा ही नहीं है। इसलिए सारा कानून ही आपका न्याय संगत नहीं है, कानून की दृष्टि से वाजिब नहीं है और जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं है इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी औचित्यता को देखने के लिए हमें इसको प्रवर समिति में जरूर सौंपना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक और बात कहूंगा और वह यह है कि जमीन जहां एलॉट करने की बात कही गयी है, खण्ड 21, वहां उन्होंने भूमिहीन व्यक्तियों की बात तो कही है कि हम जमीन को भूमिहीनों में वितरण करेंगे लेकिन पिछले सत्र में जो कानून पेश करके वापिस लिया उस समय लैण्डलेस टिनेन्टस की डेफिनेशन जो मुख्य मंत्री जी ने मदन

(श्री शंकरलाल)

में स्वीकार की पर्सनल कल्टीवेशन की तो भूमिहीन तो कोई भी हो सकता है कि जिसके पास भूमि नहीं है वह चाहे पूंजीपति हो, चाहे वह व्यापारी हो, वह चाहे सरकारी कर्मचारी हो। तो यह सब भी भूमिहीन हो सकते हैं लेकिन भूमिहीन में उस व्यक्ति को जमीन मिलनी चाहिए जो कि पर्सनली कल्टीवेट करे। इसलिए यह शब्द भी इससे रखने पड़ेंगे कि भूमि उन लोगों को मिलेगी, उन लोगों को एलाट की जायेगी जो कि पर्सनली कल्टीवेट करने के लिए तैयार हों। तो इस प्रकार के मुद्दे पर हमें प्रवर समिति में विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह ठीक है कि पार्टी की दृष्टि से हम पार्टी के साथ रहेंगे लेकिन हमारे जज्बातों के और हमने जो घोषणाएं की हैं, और चुनावों के समय में जो मुद्दे हमने जनता के सामने रखे हैं, उनके लिए कृपा करके इस कानून को पास मत करवाइये। कृपा करके इसको प्रवर समिति को सौंपिये और वह पुनः विचार करके एक प्रकार का कानून लाये जिससे जनता उस कानून की दाद दे और अपने उद्देश्यों की भी पूर्ति हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

प्रोफेसर श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, जमीन की जोतपर सीमा संबंधी जो बिल पेश हुआ है मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का ही सवाल नहीं है हरियाणा, पंजाब, यू० पी० जितना नार्दर्न इण्डिया है, हम लगातार 20-25 वर्षों से देखते आये ह कि एक कान्सपीरेसी है और एक अनहोली अलायेन्स है कि पोलीटीशियन्स जिसके साथ में सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटर है और मैजारिटी ऑफ लैण्डग्रुप है–इन तीनों का एक ऐसा अनहोली अलायेन्स है जो 20-25 साल से राज्य करते आये हैं, स्लोगन्स दिये, बिल पेश हुए और फर्स्ट फाईव ईयर प्लान से आज तक प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट, फाइनेन्स की रिपोर्ट हमारे सामने है और यही कांग्रेस के हाई कमाण्ड से ऐसा मेन्डेट आता रहा, इलेक्शन्स के दिनों में स्लोगन्स दिये, लालच देकर लोगों से बातें कीं और लोगों से सारी बातें लेने के बाद रिजल्ट वहीं का वहीं रहा। तो मान्यवर जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सीलिंग बिल देहातों की जिन्दगी में रिलेशन्स कायम करने वाला है। 5 परसेंन्ट वह लोग हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिनके पास पैसा है और वह लोग 85 परसेंन्ट हैं जो मासेस हैं, मल्टीट्यूड हैं, जो अन-आर्गेनाइज्ड हैं, कान्शस नहीं हैं, न उनमें लीडरशिप पैदा हुई और न आज पैदा होने के आसार हैं। इन दोनों के रिलेशन्स क्या-क्या हों, कौन-सा कानून हो और कैसे सोशियो एग्रेरियन रिलेशन्स पैदा हों। यह जब ठीक था कि या तो यह इतन आर्गेनाइज्ड हो जाते कि सारे के सारे वेज ओनर्स, छोटे पीजेन्ट्स एकट्ठे हो जाते और माइनोरिटी से कन्फन्ट्रेशन करते, सरकार की परवाह नहीं करते और फिर एक रेव्योल्यूशन की स्टेज आ जाती। लेकिन वह वातावरण पैदा ही नहीं हुआ। वह वक्त गया। दूसरे कान्स्टीट्यूशनल तरीके से असेम्बली, पार्लियामेन्ट में कानून बने, उनका सही इम्पलीमेन्टेशन होता उसके पीछे मान्यवर मने हमेशा अर्ज किया है कि इस मौजूदा सरकार में कभी भी पोलिटिकल लीडरशिप नहीं भाई, न

(श्री केदारनाथ)

पालिटिकल विल थी इनके इम्प्लीमेन्ट के पीछे, जिस कानून के पीछे और जिस सरकार के नुमायन्दों के पीछे विश्वास नहीं हो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो, डिटरमिनेशन नहीं हो और किसानों से सीधा सम्बन्ध कायम नहीं रखना चाहते हों तो वह कभी भी इस लैक ऑफ पोलिटिकल विल के कारण कभी भी चेन्जेज नहीं ला सकते। यही रिजल्ट है आज हमारे सामने।

यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि रिवॉल्यूशनरी चेन्जेज लाने के लिए आपका दिमाग स्पष्ट होना चाहिए, पोलिटिकल थिंकिंग आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। किस वर्ग को आप फायदा देना चाहते हैं, किस वर्ग के साथ आपका अलाइनमेन्ट है, किस वर्ग को आप ऊंचा करना चाहते हैं, किस वर्ग को आप क्या सहायता देना चाहते हैं और अलाइनमेन्ट ऑफ फोर्सेस आप कैसे पैदा करना चाहते हो–यह सब बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। स्लोगन्स तो आपने भूमिहीनों को दिये और सारी सत्ता आप उनको दे दें जो कि माइनोरिटी में हैं, सारे इर्दगिर्द वह आपके पास, मंत्रि मण्डल में आपके आधे मेम्बर आपके पास और कांग्रेस हाई कमाण्ड आपके पास और फिर आप चाहते हैं कि पोलिटिकल विल पैदा हो जाती। आप में पोलिटिकल विल की कमी पैदा हुई नहीं और यह मेरा चार्ज है सबके खिलाफ। अब भी क्या हुआ है? सन् 70 में ऑल इण्डिया बेसिस पर एक सेन्ट्रल लेण्ड रिफार्म्स कमिशन की रिपोर्ट है जिसके चेयरमैन मिस्टर अहमद, एम० पी० थे, उस समय इलेक्शन्स के दिन थे, एक 10 पाइन्ट प्रोग्राम निकला लैण्ड टू दी टिलर्स, शेयर क्रॉपर्स को देंगे, वेज अर्नर्स के लिए यह करेंगे, झुग्गी-झोंपड़ी में जो रहते हैं उनको उचित कीमत पर मकान देंगे, रेडियो बोले, अखबार चले और भाषण चले और हवा आई और इलेक्शन्स में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। उसके बाद उस कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? कांग्रेस की कमेटी बनी। चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, उसकी गाइड लाइन्स आपके सामने हैं। आप क्या सोच रहे हैं लेकिन आपने इसके खिलाफ काम किया है।

मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मान्यवर अगर कोई दूसरी पार्टी होती आपकी जगह पर जिसने 25 साल तक यहां पर राज किया होता, जिसके दिल में भूमिहीनों के प्रति हमदर्दी होती तो उनको मोबिलाइज करती। यह प्रेसर फ्रोम बिलो आपने पैदा नहीं किया। न तो आप में पोलिटिकल विल है, न आपमें डिटरमिनेशन है और न आपने प्रेसर फ्रोम दी बिलो पैदा होने दिया। जब दोनों चीजें नहीं हैं तो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे आप लैंड रिफार्म्स करना चाहते हैं तो वह आप नहीं कर सकेंगे। शेयर क्रॉपर्स में पिछले पांच साल में अवेयरनेस पैदा हुई, उसने मेंडेट दिया। उसके बाद मिडटर्म इलेक्शन के अन्दर उसमें अवेयरनेस पैदा हुई और उसके बाद फिर एक साल बाद उसमें अवेयरनस पैदा हुई और उसने आपको मास मेंडेट दिया। वह इसलिए दिया कि आप उसके सोशल परपज को अचीव करेंगे। मेरे पास लोग आयेंगे और मुझे खेत का मालिक बनायेंगे। जिस खेत पर मैं पिछले दस-पन्द्रह साल से काश्त करता हूं, मैं, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री जिस खेत पर काम करते हैं, उसका मुझे मालिक बनायेंगे। जिस झुग्गी, झोंपडी में मैं रहता हूं उसकी जगह मुझे मकान देंगे। इस तरह की अवेयरनेस

(श्री केदारनाथ)

इन्द्राजी ने उसके दिल में पैदा की और उसके लिए उसने मास मेंडेट दिया लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया ? मैं नॉर्दन इण्डिया की बात कहता हूं। आपने इलेक्शन में नारा दिया लेकिन आपने ग्रास रूट लेविल नहीं किया, आपने सस्टेन्ड इफर्टस नहीं किए। मैं अपने आप पर चार्ज लगाता हूं। हमने डेमोंस्ट्रेशन किए हैं लेकिन हमने कभी भी उनमें सस्टेन्ड इफर्टस और ग्रास रूट लेवल की भावना पैदा नहीं की, उनको मोबिलाइज नहीं किया। अगर यह कन्फ्रन्टेशन हो जाता, इस ढंग से फेस टू फेस फाईट हो जाती तो आज रूरल इकोनॉमी का जो सोशियल आस्पेक्ट है वह पैदा हो जाता।

मान्यवर, यह नहीं हुआ और यह इम्बेलेंस कायम है, और कायम ही नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। इसमें कैपिटलिस्ट्स का फार्मेशन हो गया। यह ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर टेक्नोलॉजी जब आयी तो इसमें वे लोग आ गए जिनका खेतीबाड़ी के साथ जिन्दगी में कभी वास्ता नहीं रहा। खेतीबाड़ी से वास्ता नहीं है, जिनका धन्धा कुछ और है, जो व्यापार, बिजनेस से वास्ता रखते हैं, जो बड़े 2 अफसर रिटायर होकर इसमें आ गए तो यह एक ग्रुप पैदा हुआ जो रूरल इकोनॉमी पर छा गया। कैपिटलिस्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं इसके मार्फत जो गैर काश्तकार लोग हैं उन्होंने सोशल रिलेशन पैदा कर दिए, नई ट्रेडीशन्स पैदा कर दी। आज वहां पर डिस्पेरिटि और बढ़ गई। उसकी तरफ कभी आपने ध्यान दिया? अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप कैसे डिस्पेरिटी दूर करते हैं। कैसे कैपिटल फार्मिंग के बड इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। कानून के जरिये कैसे इसका वितरण करेंगे इसका कोई प्रोग्राम आपके पास नहीं है। फिर यह कैसे आपने कह दी कि साहब हम लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन बदल रहे हैं? हम काश्त की सीलिंग करने वाले हैं? आपने कमेटी बनाने की बात कही जिसमें एम०एल०ए० भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे ही आपका सही इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा।

मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कह रहा था कि आज तक हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है। अप टू डेट फिगर्स नहीं हैं, फैक्ट्स एण्ड फिगर्स नहीं हैं। आप ऐसा बिल ला रहे हैं जो लैंड की सीलिंग करने वाला है लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि इसका असर किन पर होगा, कितनों पर होगा! कितनी सरप्लस लैंड मिलेगी। कितने लैंडलेस हैं, कितने शेयर क्रोपर्स हैं जिनको आप जमीन दे सकेंगे। इसका कारण यह है कि आपके पास इसको इम्प्लीमेंट करने की मशीनरी नहीं है। मशीनरी केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मशीनरी का काम केवल लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने का था। पटवारी का काम यह था कि वह आबियाना वसूल कर ले और उनका रिकार्ड कायम रखे। उनका रिश्ता हमारे भूमिहीनों से नहीं था, उनका रिश्ता वेज-अर्नर्स से नहीं रहा। इस ब्यूरोक्रेसी में कलेक्टर से लेकर पटवारी लेवल तक इसका रिश्ता रहा है, आज तक बीस-पच्चीस साल में लैंडेड इंटरेस्ट्स से, लैंड-लॉर्डस से उस मशीनरी से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं जिसके

(श्री केदारनाथ)

पास रिकार्ड नहीं है, जिसके पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्स नहीं हैं तो आप ऐसा करके एक वैक्यूम में छलांग मार रहे हैं।

चौथी बात, मान्यवर, यह है कि अगर किसी लैंडलेस की जमीन जावे, जैसा कि आपने कहा है कि 9 लाख आदमियों को बसाया है, तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा। आपने उनको वह साधन नहीं दिए कि वह कम्पीटिशन में स्टैंड कर जाय। मीन्स ऑफ कल्टीवेशन उसके पास नहीं है कि वह अपना धन्धा कर सके, जमीन पर काश्त कर सके, इसके सोर्सेज आपने पैदा नहीं किए। जब तक कोई सपोर्टिंग एजेंसीज नहीं हों तब तक लैंडलेस जमीन लेकर उसमें सुधार कर ले या अपनी काश्त कर ले, यह इम्पोसिबल है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज गंग कैनाल में, राजस्थान कैनाल एरिया में जो आपने लैंडलेस को जमीन दी, उसमें से नाइन्टी-फाईव परसेंट ऐसे लोग हैं, ऐसे लैंडलेस हैं जिनके पास जमीन नहीं है। जमीन दूसरों के पास है। मोर्टगेज कर दी, सब-लेट कर दी, किसी और तरीके से बटाई पर दे दी लेकिन भूमिहीन जमीन पर काबिज नहीं है। उसकी मंशा थी कि मैं काश्त करूं लेकिन कौन किश्त दे, कौन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करे, कौन जाकर उसको भूमि विकास बैंक का मेम्बर बनावे, कौन उसके लिए दो बैल खरीदे, बीज खरीदे। आपने क्रेडिट फैसिलिटि दी नहीं, थोड़ी बहुत अब दी है लेकिन उसका इफैक्ट क्या है? इसलिए जब तक सपोर्टिंग एजेंसीज भूमिहीनों के साथ नहीं हों, भूमिहीन कभी भी काश्त नहीं कर पाएगा। यह स्थिति रही और पिछले दस-पन्द्रह साल में जो आपने उसको जमीन दी वह उसके हाथ में नहीं रही।

तो, मान्यवर, एक बात और मैं कहूं। हमने 55 में फैमिली की इन्कम को 2,400) रु० आंका, उसके बाद 58 में उसको 3600) रु० किया। 60 में बिल पेश होता है। 63 में कायदे कानून बनते हैं और फिर जब प्रेशर पड़ा तो 70 में यहां अमेंडमेंट बिल पेश किया कि 31 सितम्बर, 1969 तक जितने ट्रांसफर हुए हैं वे सब रेग्युलराइज किए जाते हैं। जो एग्जम्प्शन था वह वापस लेते हैं। 1 जून, 70 की मियाद देते हैं। उसके बाद लैंड रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है। हमारे सामने मान्यवर आज से एक साल पहले इसी आगस्ट हाउस में बिल पेश हुआ था। बहस के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इण्टरवीन किया। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जवाब दे रहे थे, उसी समय चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने दिल्ली से टेलीफोन किया और हाई कमाण्ड से मेंडेट लेकर यहां आकर घोषणा की कि एक परिवार का एक धन्धा। जिसका काश्त से वास्ता नहीं उसको जमीन पाने का हक नहीं। दूसरा यह कि जब से लैंड रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट आई उसी टाइम से इसको लागू करेंगे। मेरे ख्याल में यही बात थी। मैं भी सब्जेक्ट टू दी करेक्शन हो सकता हूं, लेकिन शायद यही बात उन्होंने यहां कही थी और यह भी कहा था कि हम जल्दी ही इस सीलिंग बिल को सेंट्रल की गाइड लाइन के मुताबिक यहां पर पेश करेंगे। वह एक साल तो पूरा हो गया। इस साल के अन्दर कितने ट्रांसफर्स हुए, साल के बीच में कितने सेल्स प्रोसेस हुए यह सारी चीजें

(श्री केदारनाथ)

आपके सामने हैं। आप समझते हो कि इस सीलिंग बिल के तहत कोई नए रूरल इकोनोमिक रिलेशन्स पैदा कर देंगे तो यह गलत चीज है। इसमें इम्प्लीकेशन्स बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी इस पक्ष में हैं कि इस देश में हमारी इन्कम की लिमिट क्या हो, आमदनी की लिमिट कितनी हो और खर्चे की लिमिट क्या हो, उसके तहत तहर की सम्पत्ति की सीलिंग लागू करें और उसके तहत ही जमीन पर सीलिंग लागू करें ताकि दिमाग में यह स्थिति साफ हो कि आप लोगों को खर्चे का कितना अधिकार देना चाहते हैं। 2400 से 3600 रुपया किया। आज रुपये की वह कीमत नहीं है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि इकोनोमिक होल्डिंग एक परिवार की क्या हो। एक परिवार पांच जीवों को पालता है, दो बैल रख कर चलता है, वह इतना कर सके कि इनको पाल सके, वह अपनी सोशियल, पोलिटिकल लीडरशिप को क्रियेट कर सके, अपनी इन्हरेंट लाईफ में, अपनी आगे आने वाली लाईफ में फाईट कर सके, जिन्दा रह सके। इकोनोमिक होल्डिंग की डेफिनेशन आपके पास नहीं है। इसलिए अगर आपके पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्स नहीं है, आपके पास आंकड़े ही हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि हम अभी दस वर्ष तक और इन्तजार करें इन सब आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए ?

श्री केदारनाथ : बिल तो आज ही पास होगा....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पहले ही बहुत से ट्रांसफर्स हो गए, जैसे भी हुए, लीगल, इल्लीगल, हमने उनको मौका दे दिया और फिर इतने बड़े सिद्धान्त की बात कह कर क्या फिर दस साल तक इन्तजार करें आंकड़े इकट्ठा करने में और उसके बाद एक इंच जमीन बाकी नहीं बचे।

श्री केदारनाथ : इसका एक तरीका मैं बताता हूं। सरप्लस लैंड के लिए जो आप कमेटी बनावें उसमें कलेक्टर और दूसरे लोग नहीं बल्कि उसमें एम०एल०ए०, एम०पी० पोलिटिकल पार्टीज के लोग जिनका दिमाग समाजवाद में विश्वास करता हो उनकी कमेटी बनावें।

दूसरी बात, जहां आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो सरप्लस लैण्ड का वहां आप तहसीलदार की मार्फत, प्रधान की मार्फत या एम० एल० ए० की मार्फत मत करवाइये। आप शेयर क्रापर्स की मीटिंग बुलवाइये। उनको कमेटी में शामिल करें क्योंकि वह जानते हैं कि किस के पास खेत ज्यादा हैं। वह जानते हैं कि किसने ट्रान्सफर्स किये हैं, वह जानते हैं कि पंजाब में बैठे हुए यहां पर किसने ट्रान्सफर्स किये हैं, वह जानते हैं कि किस भाई ने किस भाई को ट्रान्सफर कर दी है लैण्ड। उनको कमेटी में शामिल करें ताकि इस लॉ में कोई लेकूना भी रह गया हो, लॉ में कोई कमी भी रह गई हो तो वह प्रेक्टिस के जरिये सारे गैप को पूरा कर सकता है। आंकड़े छिपे हुए नहीं। आंकड़े आप के विधायक से छिपे हुए नहीं हैं अपने इलाके के। आप जानते हैं कि कौनसी फेमिली को यह इफेक्ट करने वाला है, किन लोगों

(श्री केदारनाथ)

ने सरकारी जमीन को क्रेप किया है, सरकारी जमीन पर इन्क्रोचमेंट किया है। यह सब जानते हैं लेकिन पोलिटिकल विल की कमी है। इस बात की कमी है कि कौन से फोर्स को कोरिलेट किया जाय, कौन से फोर्स इकट्ठे होकर हमला करें। यह कमी हमारे सारे देश में है और राजस्थान में तो यह बहुत बड़ी कमी है।

मैं अर्ज करता हूं कि सीलिंग में अगर राजस्थान कैनाल का सवाल है, भाखरा का सवाल है तो राजस्थान कैनाल में छूट देन की रूमर है। जिनके पुराने खाते आपने रेग्यूलेराइज कर दिये हैं, जिनके आपने परमानेन्ट एलॉटमेंट पर दिया है उन पर यह सीलिंग कैसे लागू होगा। वहां पर सीलिंग लागू नहीं होगा। अभी आप उनको परमानेन्ट एलॉटमेंट कर रहे हो, उनके खातों को रेग्यूलेराइज कर रहे हो तो वह फिर दुबारा सीलिंग के फार्म्स पर डिक्लेरेशन भरेंगे। इसलिए इसको साथ में ही करते जाओ। वहां सीलिंग में यह भी देखें कि वहां पर पर्सेन्टेज ऑफ इर्रिगेशन क्या है। वहां पर 110 पर्सेन्ट है, भाखरा में 70 पर्सेन्ट है और कहीं पर 35 पर्सेन्ट भी है। आप सीलिंग करें तो हरियाणा और पंजाब की तरह इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर लेवल को साथ लेकर एक्स्टेन्ट ऑफ लैण्ड तय करें। मैं मानता हूं, मान्यवर, कि 18 एकड़ का आपने रखा है तो 200 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर तक मैं इसको सही मानता हूं। एक फसल 18 एकड़ जमीन पर हो जाती है रबी की और खरीफ की 18 एकड़ पर फसल काश्त हो जाती है तो मैं इसको बहुत अच्छी लिमिट मानता हूं। अगर 15 भी हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। 15 से 18 के बीच में हो, लेकिन, मान्यवर, आरचर्ड्स हों, सब्जी पैदा करता हो, गार्डन की लैण्ड है तो उसमें आमदनी ज्यादा होती है। सब्जी से ज्यादा आमदनी, गार्डन से ज्यादा आमदनी और पानी भी चार गुना, पानी भी उनको फोर टाइम्स मिलता है यह आमदनी जहां ज्यादा है तो एक्स्टेन्ट ऑफ लैण्ड कम कर सकते हैं। असल में सीलिंग को आमदनी के साथ जोड़ें, इर्रिगेशन पर्सेन्टेज के साथ जोड़ें और इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर लेवल के साथ जोड़ें तो मालूम पड़ सकता है कि आपके दिमाग का एप्रोच सही है, आपकी फिलासफी सही है। जमीन की कीमत कहीं पर 5 हजार रुपया बीघा है, कहीं पर 500 रुपया बीघा है, कहीं पर 1,000 रुपया बीघा है। आपस में आप मेल मत कराइये। इसलिये मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि आप केटेगरीज में देरी मत करिये, आप इसमें कम टाइम लें, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपकी मार्फत अगर वह कर दें तब तक तो ठीक है। अगर केटेगरीज को पहले बनाने के लिए सब-कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट एक साल के बाद, दो साल के बाद आयेगी और वह सारी चीज होगी। इसलिए, मान्यवर, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन कर रहा था कि सीलिंग जैसी चीज के लिए जब तक सोशियल बैकग्राउण्ड, पोलिटिकल लीडरशिप, उस जगह की कमिटेड सर्विसेज और मासेज की इच्छा का मोबिलाइजेशन, ये सारे फेक्टर्स कोरिलेट नहीं होते हैं तब तक यह इम्बेलेन्स कम नहीं हो सकते हैं और 5 पर्सेन्ट माइनोरिटी की ताकत कम

(श्री केदारनाथ)

नहीं हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट इलेक्शन के बाद वह एक्सिस टूटा है। वह बिखरा हुआ एक्सिस है लेकिन अब भी उसका असर है। चाहे रूरल इकोनामी को ले लें, चाहे शहरी इकोनोमी को ले लें, चाहे अर्बन लाइफ को ले लें, चाहे रूरल लाइफ को ले लें अभी भी उनका डिटरमिनिंग-रोल है। आल इंडिया बेसिस पर एक्सिस टूटने के बाद, जो पोलिटिकल पावर थी उसके टूटने के बाद भी आज वह सत्ता पर हावी हैं, उस को आप कैसे तोड़ पायेंगे। वह आप तभी तोड़ पायेंगे जब कि जिनको आप फायदा देना चाहते हैं उनको आप मोबिलाइज करें, उनमें आप अवेकनिंग पैदा कर दें। आप चाहते तो आज तक उनको संगठित कर सकते थे। आज ट्रक वालों का जुलूस पैदा होता है। कोई टैक्स लगाया और वह सारा राजस्थान बन्द कर सकते हैं। इतने से ट्रक वाले लोग हैं और सारी हमारी मशीनरी राजस्थान सरकार की वह देखती रहती है कि वह ट्रक के लोग सारे राजस्थान को बन्द किये हुए हैं आज। शेयर क्रापर्स का जुलूस आता, वेज अर्नर्स का जुलूस आता और वह राजस्थान बन्द करने का नारा लगाते और आप आगे होते, भाई शंकरलालजी आगे होते तो अनुकूल होता कि आप एक नई सोशियल फोर्स पैदा कर रहे हैं। जुलूस भी वही लाते हैं और राजस्थान बन्द भी उनके द्वारा होता है, और रिलेक्सेशन भी उनको और फेसिलिटी भी उनको होती है और स्टेट पर भी वही हावी और फिर कहते हैं कि हम सीलिंग पालिसी के एसेट्स को एचीव कर लेंगे तो मुझे इसमें शक है। फिर मैं यह कहूंगा कि इसमें कम्पेन्सेशन की बात कही गई, बोनाफाइड ट्रान्सफर्स की बात कही गई। मैं यह मानता हूं कि अगर मैंने जमीन किसी को बेच दी इस डेट के बाद तो वह कानून की मन्शा के मुताबिक मेरी प्रोपर्टी हो गई, अगर बोनाफाइडली बेची गई है तो। एक लैण्डलेस 10-15 साल से उसी गांव में रहता है, उसी खेत पर काम कर रहा है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है तो इससे बढ़कर बोनाफाइड क्या होगा? यह डिस्टिन्गुइश करना पड़ेगा। कम्पेन्सेशन के बारे में पहले सिस्टम था लैण्ड रेवेन्यू का फर्स्ट 25 एकड़ पर 30 टाइम्स था यह स्लैब कर दिया था ताकि उसके ऊपर जिसको आप एलॉट कर रहे हैं बर्डन कम पड़े। आज आपने इतना बर्डन डाल दिया है कि वह उस जमीन पर काश्त नहीं करेगा। एक हाथ से एलॉटमेंट लिया और दूसरे हाथ से वह मोर्टगेज कर देगा। कागजों में तो वह लैण्डलेस के बजाय लैण्डएलॉटी बन गया और प्रेक्टिकल लाइफ में वह लैण्डलेस ही रहा। मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल केटेगरीज के बारे में, एक्सटेन्ट ऑफ लैण्ड के बारे में, क्रॉप्स के बारे में इन्टेन्सिटी ऑफ वाटर लेवल को साथ लें।

इसके बाद सपोज करिये मेरे पास से 2 बीघा सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर होती है तो वह किस को देंगे आप? ले लीजिये मेरे से। वह आप या तो पंचायत को दें या अपने पास रख लें। आप जैसे ही इतनी जमीन इकट्ठी हो जाय तो उसका कन्सॉलिडेशन करके भूमिहीनों को एलॉट कर दिया जाय। केवल दो बीघा एलॉट नहीं होगी। रास्ता नहीं होगा आने-जाने

(श्री केदारनाथ)

का तो झगड़ा होगा। कोर्ट में जाना शुरू हो जायगा। एक गांव में जितनी जमीन मिलती है उसका कन्सोलिडेशन करके उसका एलॉटमेंन्ट करके भूमिहीनों को बसाना है। अगर दो बीघे में बसा दिया किसी भूमिहीन को तो बहुत बड़ी राइवलरी पैदा कर देंगे। दो दिन में लड़ेंगे और वह तहसीलदार की कोर्ट में जायेंगे, एस० डी० एम० की कोर्ट में जायेंगे। भूमिहीन जब जायगा और वहां पर इन्साफ नहीं मिलता है तो वापिस आ जायगा। तो उसमें जो आपने लड़ने का माद्दा पैदा किया है वह बिल्कुल खत्म हो जायगा।

यह दो-तीन बातें मैंने निवेदन की हैं मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग बिल जो आया है उस का किसानों पर इम्पेक्ट क्या होगा उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यह बिल 21 साल तक डिसकस होता रहा है इस विधान सभा में। 52 में यह बिल चला, 53 में एक कमेटी बनी और 6 साल के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी, 58 में बिल लाये, 59 में पारित किया और 60 म लागू किया गया और 70 में फिर ले आये और इसके बाद फिर संशोधन हुआ। तो यह बिल बहुत लम्बे पीरियड तक इस विधान सभा में डिसकस होता रहा है। ऐसी कोई बात पूरी नहीं छोड़ते जिससे किसानों का हित हो या सरकार से कोई लाभ होने वाला नहीं हो। सरकार को लाभ यों नहीं हो सकता है कि कल ही नगरीय सम्पत्ति के बारे में चर्चा हो रही थी ऑर्डिनेन्स 13 फरवरी को इसलिए लाये कि जो अफेक्ट होने वाले हैं वह प्रोपर्टी को खुर्दबुर्द न कर दें। इतना बड़ा भय 2 दिन में जिस सरकार को लगता है कि यहां के आदमी इतने तेज हैं कि इतने से समय में वे अपनी प्रोपर्टी का खुर्दबुर्द कर दें। एक बिल यह 21 साल से डिसकस होता रहे और आप यह उम्मीद करें कि कुछ जमीन ले लेंगे और उन लोगों को बांट सकेंगे जो कि भूमिहीन हैं यह नामुमकिन है। जो जमीन आप जागीरदारों से लेना चाहते थे और राजाओं से जमीन लेना चाहते थे वह मन्शा आपकी इस बिल से पूरी नहीं होने वाली है। फिर बचा कौन? किसान। किसान के लिए यह जो बिल आप लाये हैं उसको मैं काले कानून की संज्ञा देता हूं, क्योंकि आपने जो लैण्ड रिफार्म्स की बात कही है उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया है इकोनॉमिक होल्डिंग पर। हम यह चाहते हैं कि इकोनॉमिक होल्डिंग अवश्य रहे तो मैं यह मानता हूं कि इस बिल से आपके किसानों की मन्शा की पूर्ति नहीं होगी। आज 90 पर्सेन्ट किसानों के पास जो जमीनें हैं वे अन इकोनॉमिक होल्डिंग से भी नीचे हैं। जैसे यह कहा जाता है कि हमारी 61 पर्सेन्ट पापुलेशन बिलो पावर्टी लाइन के है वैसे ही 90 पर्सेन्ट से अबाऊ किसानो के पास अन-इकोनॉमिक होल्डिंग है। अगर आप सको इकोनॉमिक होल्डिंग बनाने के लिए जो जमीन सरकार के पास पड़ी है, उसको बांट दें। यदि आप ऐसा कर सकें तो वे जिन्दा रह सकेंगे। आपको अन-इकोनामिक होल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि किसान जो कि अपना पेट जमीन से पालता था वह जमीन नहीं रख सकेगा। मैं सरकार से भी यह

(श्री झाबरमल)

कहूंगा कि इस सीलिंग से परिवार का गुजारा चल सके तो बता दें। मेरे को 6 साल का अनुभव है। ये जितने तरीके हैं वह सब करके देखे हैं। काश्तकार का प्रोफेशन तो 24 अवर्स का है। आपने सीलिंग 18 27, 54 एकड़ आदि का किया है, डेजर्ट आदि का किया है इसमें एक परिवार गुजारा नहीं कर सकता है। इसमें नेशनल प्रोडक्शन की भी बात है। पहले तो 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की बात थी फिर 18 एकड़ पर आये। आप की इन घोषणाओं के कारण लोगों ने अपने कुओं को पाटना शुरू कर दिया। इससे सरकार के कान खड़े हो गये हैं। फिर 15 दिन के बाद कानून बनायेंगे तो किसान यह कैसे भरोसा कर सकता है कि अब आप दूसरा कानून नहीं बनायेंगे। इसलिए यह बात किसानों के सामने हमेशा ही रहेगी। अगर सरप्लस जमीन काश्तकार को बांटने को कहते हैं तो बात अलग थी यहां जो परिभाषा लैण्डलेस की दी गई है, उसके कारण जिन दूसरे लोगों के पास जमीन है वे अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं। आपने जो परिभाषा दी है वह है जो अन्-एम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। उनको आप कितना एम्प्लाय करोगे? उनको एम्पलायमेंट देने के लिए आपके पास जमीन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर सड़कों का राष्ट्रीयकरण होता है और उससे लोग बेरोजगार होते हैं तो आप कहते हैं कि 15 बीघा जमीन एलाट कर दो। गोल्ड कण्ट्रोल से सुनार प्रभावित होते हैं, तो आप उनके लिए भी कहते हैं कि जमीन एलॉट कर दो। अब फूडग्रेन का स्टेट ट्रेडिंग का प्रश्न आ रहा है इससे 5 लाख लोग प्रभावित होंगे, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूज के ट्रेडिंग में लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार लैण्ड पर आप और बर्डन बढ़ाना चाहते हैं। इससे समस्या हल नहीं होगी। मैंने आपसे निवेदन किया है कि आज समाज में जब परिवर्तन आ रहा है, लोग अपना लिविंग स्टैण्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं इसलिए उसको दूसरा धन्धा करना पड़ेगा। तो वन मैन वन जॉब वाली बात यहां लागू नहीं होती है। और अनइकोनॉमिक होल्डिंग से गुजारा नहीं होता है। दूसरे कन्ट्रीज में, जैसे अफ्रीका और अरब कण्ट्रीज हैं, वहां भी सीलिंग से पावर्टी बढ़ी है। आप अमीरी को नहीं बांट रहे हैं। आप भूमि देकर लोगों को अप लिफ्ट नहीं कर रहे हैं जैसा कि प्रो० केदार ने कहा था एक-एक बीघा जमीन एलाट की है। जब आप अनइकोनॉमिक भूमि एलाट करते हैं तो यह सीलिंग बिल समस्या का हल करेगा, ऐसा लगता नहीं है। (अल्प विराम) दूसरी बात श्रीमान यह है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की हमारी मंशा होती तो श्रीमान मैं ऐसा मानता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूज बढ़ाने के लिए आप कहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उनको ज्यादा फैसिलिटी मुहैया करें। लोन को ज्यादा पीरियड के अन्दर वसूल करते, सब्सीडी देते, उनको मैग्जिमम फेसिलिटी आप देते। अगर किसान फेसिलिटी लेने के लिए जाता है तो कहा जाता है कि प्रोफोर्मा पर प्रार्थना-पत्र लाइये। यह एक तरह की पालिसी है जिसमें किसानों को लाभ देने की कोई बात नहीं है और यह नेशनल प्रोडक्शन को कम करने वाली है। हमारे लिविंग स्टैण्डर्ड को कम करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, यह बिल जो यहां लाया गया है, यह स्टेट का मामला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों

(श्री भाबरमल)

जो यहां पर चर्चा हुई है, यह शुरू कहां से हुई है, यह इण्डस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट लाबी से शुरू हुई है, यह कहा गया कि धन कहां है? तो यह कहा गया कि धन तो गांवों में है। उनका जो धान है, वह तो सब इनवेस्ट हो रहा है। धन तो रूरल एरिया में है। तो यह हवा फल गई है कि इसको कैसे निकालें। इसको निकालने का एक ही तरीका है लैण्ड सीलिंग। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक मुहल्ले में एक व्यक्ति रहता था। जब सारे बच्चे उसको मामार कहने लगे तो उसने सोचा कि बच्चों को कैसे चेंज करें। बच्चों की साइकोलॉजी इस प्रकार की होती है कि जब कुछ कहा जाये तो उसका उल्टा करते है। तो उसने कुछ टॉफी लेकर बच्चों को दी और कहा देखो मेरे को फूफाजी मत कहना। अगर मेरे को फूफा कहा तो ठीक नहीं होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे ही तो ठहरे, उसको फूफा कहने लगे। वह फूफा हो गया। यही टण्डेंसी यहां काम कर रही है। 25 की 50 गुनी और 50 की हजार गुनी हो जाये। वह आज छः सौ, सवा छः सौ करोड़ की पूंजी हो जायगी। काश्तकार के पास में जो जमीन थी, जिस पर सीलिंग लागू नहीं था, उसके बच्चे वयस्क होते हैं वह साथ रहना पसन्द नहीं करते हैं, वे अपना हक मांगते हैं। काश्तकार उनके जीवन बसर के लिए कुछ पोर्शन उसका दे देता है। लिहाजा यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, धीरे, धीरे होल्डिंग की कन्डीशन टूटी है। इसका एकमात्र कारण है, यह जमीन बेचारी रोजमरा सीलिंग के अन्दर जाती है, राज्य के कानून से नहीं, सामाजिक कानून से, व्यक्ति के अपने कानून से। इसलिए मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जो कानून लाया गया है, इससे न तो सरकार को लाभ होने वाला है, न काश्तकारों को लाभ होने वाला है, उल्टा यह गरीबी को बढ़ाने वाला है, तो मान्यवर मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कानून को मूर्त रूप देने के लिए, असल रूप देने लिए वह रूप देने के लिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, वह रूप देने के लिए, जिससे आगे भयभीत नहीं हों, वह रूप देने के लिए कि जिससे उनका लिविंग स्टैन्डर्ड बढ़े जीवनस्तर ऊपर की ओर खिसके, न कि नीचे की ओर-इस बिल को दुबारा स्टेडी करके इस ढंग से लाया जाय जिससे काश्तकार ज्यादा मजबूत हो। जैसा महारावल साहब ने यहां कहा, किसान खेती करता है, वह अन्नदाता है, उस पर यह बिल सीलिंग का लागू करेंगे, जबकि यह बताया कि इससे कोई परपज सर्व होने वाला नहीं है। इक्कीस साल का समय निकल गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सके, अब जब असेम्बली सोलह से चलने वाली थी, आप तीन तारीख को आर्डिनेन्स लाये, यह कह कर लाये कि लोग चतुर हैं वह अपनी प्रोपर्टी को खुर्दबुर्द कर सकते है। आप इक्कीस साल में भी इस काम को नहीं कर सके तो जो लोग आप इंगलैंड में प्रोपर्टी बनाकर बैठे हैं, जिनकी प्रोपर्टी कनाडा में है, स्विटजरलेंड में हैं और जो लोग सारी दुनिया में घूमते है, उनको न तो आप अब तक पकड़ सके ह और न आगे पकड़ सकते हैं और उनकी प्रोपर्टी ले सकते हैं वह लोग पकड़ में आ नहीं सकते और आय तो एक पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं आ सकते।

(श्री भावरमल)

अब मैं कहता हूं कि इस बिल के बनाने से काश्तकारों की मुश्किल बढ़ेगी, उनको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। आज काश्तकार ने जो अपनी जमीन के अन्दर डवलपमेंट किया है, वह ऐसी परिस्थिति में आ जाय कि उसको जमीन बेचनी पड़ जाय तो उसके सामने आपने मुश्किल खड़ी कर दी है, लेने वाला अपनी तस्दीक पेश करे कि उसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है, देने वाला भी यह तस्दीक पेश करे कि उसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है। इसमें समय तो लगेगा ही लेकिन आज कल जो ढर्रा चलता है, जैसा काम कचहरियों में होता हैं, पटवारियों से लेकर सरपंच तक जो हाल है, सरपंच नामान्तरण करता है, सारे के सारे मामले में इस तरह भ्रष्टाचार भरा पड़ा है तो काश्तकार को जमीन बेचना चाहते हुए भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है, इससे जमीन के डवलपमेंट से भी हाथ धोना पड़ेगा। कभी कभी मौके बे मौके के अगर जरूरियात के लिए जमीन को बेचना पड़ा तो उस के लिए, वह भी मुश्किल हो जायगा। मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि काश्तकारों के ऊपर यह कानून लगा दिया जाय कि वह जमीन न बेचे। फिर अगर वह अपनी जरूरत के लिये वह मर भी जाता है तो मैं उसकी परवा नहीं करूंगा, क्योंकि जो जीवन का आधार है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगा और उससे वह कमा खायेंगे। सीलिंग का बिल जो यहां पेश किया गया है उससे सोशल बेलेन्स के बढ़ने वाली बात नहीं है, इससे और इम्बेलेन्स होगा। उपाध्यक्ष महोदय, शहरी सम्पत्ति पर बिल लाया गया और उस बिल की तुलना इस बिल से कर दी गई, लैंड सीलिंग से, जब कि शहरों में जिनके पास ज्यादा बड़े मकान हैं, वह आलीसान मकान है, कोठी हैं, जिनमें होटल खोला जा सकता है, यह ऐसे हैं जिनमें आराम किया जा सकता है। इसके अलावा वह किसी काम के नहीं है। जो आमोद-प्रमोद के क्लब खोलेंगये हैं, उनकी आप तुलना इस बिल से करें, जिस बिल के अन्दर है, काश्तकार जिस भूमि से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके लिए आपने यह रखा है कि 3,600, 3,000, 4,000 से ज्यादा वह कमाई नहीं कर सकता, जब कि एक दुकान में जो बैठा है वह छोटी सी दुकान से सालाना की आमदनी दस हजार कर सकता है, बीस हजार कर सकता है, एक ऑफिसर है आई० ए० एस० उसकी तनख्वाह तीन हजार रुपये महीने की हो सकती है, तो इस प्रकार जो काश्तकार अपनी जमीन से अन्न पैदा करके इस देश को जिन्दा रखने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर यह और भी ज्यादा कुठाराघात है। इसके साथ ही, मान्यवर, मैं बताऊं काश्तकार की पोजीशन अगर सुदृढ़ होती वह बलशाली होता जैसी कि अफवाह बनाई जा रही है, उसके पास धन है, धन अगर उसके पास होता तो अकाल के मामले में हम तो यहां कोरी बात करते हैं, वह अकाल में फंसा हुआ है और हमारा काश्तकार एक अकाल के झटके को ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक फसल यदि नहीं हो तो सारे राजस्थान में हाहाकार मच जाता है, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह है कि हमारे ग्रामों की अर्थ व्यवस्था बहुत कमजोर है, उसकी माली हालत बहुत खराब है। इसलिए मान्यवर, इस बिल में ऐसा जोड़ा जाना

(श्री झाबरमल)

चाहिए कि जो अनइकोनॉमिकल होल्डिंग नहीं हैं उनको किस प्रकार से इकोनॉमिकल बनाया जाय, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, वरना काश्तकारों के लिए यह काला कानून है और आगे चल कर सबके लिए यह काला सिद्ध हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सम्बन्ध में जो बिल आया है इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

पिछले पच्चीस वर्षों में भूमि के सुधार की ओर हमारी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वही भूमि है, जो भूमि सदियों से थी, वही भूमि है जिस पर एक फसली अनाज होता है। या जो डेजर्ट था, वह पहले से बढ़ता गया है, पहले से दुगुना बढ़ा है। उसके ऊपर सीलिंग लगा कर यह कहना चाहते हैं कि कुछ अनएम्प्लायड लोगों को एम्प्लायमेंट मिले, समानता आये। मैं नहीं समझता, वह कहां तक उचित है। आज हम गांवों में जायें और गांवों में जाकर देखें, जो शहरों में झुग्गी झोंपड़ी वालों की स्थिति है, वह गांव में हर काश्तकार की है, गांवों में कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की धूप, कड़ाके की आंधी और कड़ाके के अंधेरे को गांव का आदमी सहन करता है। काश्तकारों के लिए न काम करने का वक्त है, न आराम करने का वक्त, वह रात और दिन अपने खेत पर लगा रहता है। पांच वर्ष के बच्चे से लगा कर काश्तकार का 90 वर्ष का दादा तक खेत पर लगा रहता है। कोई बच्चा खिलाता है, कोई जानवर घेरता है, कोई खाद डालता है, कोई निराई करता है और कोई कुछ करता है, सब खेत पर लगे रहते हैं। मैं यह कहूंगा, आप सब गांव वालों के लिए यह कानून लाये कि काश्तकार को तीन रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे दिये जायेंगे तो मैं सब काश्तकारों की तरफ से आप को पट्टा भिजवा दूंगा, इकरारनामा भिजवा दूंगा कि सारे लोग अपनी जमीन को आपको सरेन्डर कर देंगे। लेकिन उनको पेट भर खाना न मिले, उन गरीबों की अभी तक कोई यूनियन भी नहीं है, न कभी उन्होंने आपके पास आकर अपनी फरियाद की है। लेबर की आज यूनियन होती है, वह अपनी फरियाद कर सकते हैं। लेकिन काश्तकार दूर गांवों में पड़े हैं, वह सदा से गरीब हैं और गरीबी की जंजीरों से जकड़े हैं, वह बनियों से लोहा लेते हैं। शहर के मजदूर हैं, शहर के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुविधायें प्राप्त हैं। बिजली एक दिन घर में फेल हो जाय तो उसके लिए हाहाकार मच जाता है और बिजली का तत्काल प्रबन्ध हो जाता है। काश्तकार पन्द्रह मील दूर से पानी लाता है तो उसको कोई कहने वाला नहीं। वह तीन-चार महीने में स्नान करता है, उसके बच्चे नहाते नहीं हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है और खाने को अनाज नहीं मिलता है। सब्जी क्या होती है–इसका पता नहीं है। या तो होगी सांगरी, जिसकी सब्जी बनाते हैं या फसल में गुआर, मूंग, मोठ हो जाती है तो उसकी दाल बना लेता है। वह इन सुविधाओं से वंचित है और स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित है। गांवों के अन्दर स्वास्थ्य के लाभ के लिए होस्पिटल की

(श्री शीशराम ओला)

व्यवस्था नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने जमीन का सुधार भी नहीं किया है, न जमीन का लेवलिंग किया है, न पानी की व्यवस्था की है। न जमीन के लिए ऋण किसी प्रकार का दिया है। ऋण देने की बात आती है तो सरकारी महकमे अथवा दूसरे महकमें जो हैं उनकी उसमें सीमा है, 27 एकड़ हो, 25 एकड़ से कम जमीन काश्तकार के पास हो तो वह ऋण नहीं ले सकता। जब वह ऋण नहीं ले सकता है तो भूमि का सुधार भी नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार को, हमको कोई अधिकार नहीं है कि काश्तकार की जमीन पर सीलिंग लगायें। फिर एक व्यवस्था की बात यह नहीं है, एक काश्तकार के बेटे बीस वर्ष की अवधि में मोटे हो जाते ह, बड़े हो जाते हैं, कमाने योग्य हो जाते हैं तो उसके पास जो टूटा-फूटा खेत है उसको बांट कर छोड़ देता है। मेरे पास पचास बीघा है, मेरे दो लड़के हैं, उनको पच्चीस-पच्चीस बीघा देकर अलग-अलग बांट देता हूं। यही काश्तकार करता है तो जिस जमीन पर ऑटोमेटीकली हर 20 वर्ष में सीलिंग आता हो तो आगे की क्या गारंटी देना चाहते हैं, आने वाले 20 वर्ष में काश्तकार के पास क्या ऐसी व्यवस्था है कि अपने बच्चों को कुछ दे कि मैं तुमको 5 बीघा जमीन देता हूं, तुम अलग हो जाओ। उसको भिखारी बनाने जा रहे हैं। इस सदन में कई माननीय सदस्य बोले हैं, कुछ हंस भी रहे हैं उनके मकान देखें और काश्तकार का भी मकान देखें। आप भूमिहीन को जमीन दीजिए, हमें ऐतराज नहीं, उनसे लीजिए जो स्वयं काश्त नहीं करते हैं या जिनके पास इंडस्ट्रियल बेस बना हुआ है उनके पास अनाप शनाप आमदनी होती है। आप वार्षिक आय 5,000 मानिए, आप साल में 5,000 की आय काश्तकार को देकर उसके बाद चाहें जितनी जमीन लें। लेकिन आप कम से कम एक निम्नतम और अधिकतम आय की सीमा तो निर्धारित करें। आपने किया नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं, किसान के बिखरे-बिखरे हिस्से जमीन के हैं। उसको बीमारी हो जाए तो डॉक्टर उसके पास पहुंचता नहीं, किसी देवता का सहारा लेता है। शहरों में बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी होने पर भी इन लोगों को सारा लाभ मिलता है, उसके लिए वाटर वर्क्स की सुविधा, यातायात, रेल, सड़क व बस की सुविधा उसको मिले, अस्पताल की व्यवस्था उसके लिए और काश्तकार जो 25 साल पहले था वह आज भी उसी स्थिति में है और हमारे यहां जागीरदारों ने किस प्रकार से जमीन रखी? झुंझुनू, सीकर व चूरू जिले में बच्चों को बेचकर उन्होंने जमीनें रखीं। किसान यदि लगान नहीं देता और जमीन छीन लेते थे तो वह हरियाणा में बच्चों को बेचता था और लगान चुकाता था। इस तरह उन्होंने जमीन को रखा। मैं पुरजोर शब्दों में आपके जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट मंगाई, क्या राजस्व विभाग के एक्सपर्ट्स और अधिकारी इस प्रकार की रिपोर्ट लाए? मैं नहीं जानता लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि झुंझुनू जिले में 4 तहसीलें हैं–खेतड़ी, झुंझुनू, चिड़ावा और उदयपुरवाटी। खेतड़ी में आपने 54 एकड़ जमीन सीलिंग में रखी

(श्री शीशराम ओला)

है। पंचायत समिति एरिया के पारवास आदि गांवों में जमीन में कम उपज होती है, सेमी-फरटाइल और सेमी-डेजर्ट है। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार की रिपोर्ट राजस्व विभाग ने दी है और किस प्रकार झूठी बात सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। उदयपुरवाटी तहसील में पहाड़ हैं, बाकी सब जगह टीले हैं। इसलिए सदन को गुमराह करने के लिए जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ एक्शन हो और इस विधेयक का प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए जब तक कि सही तथ्य सामने नहीं आते हैं। सकी पुनः जांच हो, काश्तकार को कम से कम 5,000 रु० साल की आमदनी मिले ताकि वह जीवन निर्वाह कर सके। आज उनको 2,000 रुपये साल में भी नहीं मिले, मजदूरी भी पूरी नहीं मिले अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, मकान बनाकर देना चाहें, शादी भी करवाना चाहें, कपड़े भी बनवाना चाहें, सिवा कर्जे के काश्तकार के पास कुछ नहीं है और यह सीलिंग लाकर छोटीसी जीविका का साधन जो उसका है, उसको भी हम समाप्त करें, काश्तकार को मजदूर बनाना चाहते हैं। मजदूर को तो मजदूरी मिल जाती है लेकिन काश्तकार को गांव में मजदूरी नहीं मिलती है, तो उनको भिखारी बनाने की सोच रहे हैं। उसकी भीख मांगने की आदत नहीं है इसलिए जिस प्रकार से सीलिंग लाई जा रही है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए, जिसमें इस पर पुनः विचार किया जाए और काश्तकार के पास इतनी जमीन रखने की व्यवस्था हो कि उसका ठीक गुजरा हो। आप चाहें 15 प्रतिशत आदमियों को रखें राजस्थान में या हिन्दुस्तान में, कोई बात नहीं लेकिन जितने लोगों को काश्त पर निर्भर रखा है, उनका ठीक प्रकार से निर्वाह हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में हो। यदि यह व्यवस्था नहीं करते हैं तो उनके साथ न्याय नहीं करते हैं।

कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बारिश कम होती है कभी सर्दी पड़ जाती है, कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि से होने वाली आय कभी पक्की नहीं चलती। जब पक्की आय नहीं है तो उन काश्तकारों के साथ हम यह बिल लाकर सिवा अन्याय के और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलाल महावर।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 पर चर्चा चल रही है इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी राज्य सरकार भौतिक साधनों का केन्द्रीयकरण होने से रोकने के लिए और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और भौतिक साधनों का वितरण करने के लिए यह सीलिंग ला रही है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सीलिंग से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है बल्कि मैं कहता हूं कि सामंतवादियों और भूमिपतियों को इस बिल के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके साथ जो वायदा किया

(श्री मुंशीलाल महावर)

गया था वह पूरा नहीं होता है । चुनाव के समय कांग्रेस मेनीफेस्टो में जिस तरह का प्रोपेगेन्डा किया गया, प्रोमिज किया गया कि 10 और 18 एकड़ के बीच में सीलिंग लाना चाहते हैं लेकिन उनको मद्देनजर न रखते हुए, सिवा सामंत-वादियों और भूमिपतियों और विधायकों को प्रोटेक्शन देने लिए कुछ नहीं । यह शर्म की बात है, बड़ा दुःख होता है, जबकि हमारी सरकार समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और बढ़ना चाहिए और हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने जो नारा दिया समाजवाद का, उसके नाम पर लाखों करोड़ों शिडयूल्ड कास्ट के लोग कांग्रेस को मत देते रहे हैं और हमारा विश्वास था कि इस रास्ते से हमारा भला होगा लेकिन यह भला न होकर उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस समाज-वाद के नाम पर जो पूंजीवाद और सामंतवाद के समर्थक हैं ।

(सभापति, श्री फूलचन्द जैन पदासीन)

(2.58 म० प०)

इसलिए म मंत्री महोदय को किन शब्दों में धन्यवाद दूं । बड़े दुःख और शर्म की बात है । जो शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिनके पास रहने को झोपड़ी नहीं है, जो कि हमेशा बड़े-बड़े काश्तकारों के खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं और मेहनत करके कमा कर देते हैं उन लोगों के लिए बिलकुल प्रोत्साहन वाली बात नहीं है बल्कि इस सीलिंग बिल के जरिए उनके अधिकारों को उड़ा दिया गया है ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल म कहा गया है कि एक परिवार में माईनर चिल्ड्रन, हसबेन्ड और वाइफ को रखा है और इसमें एडल्ट्स को अलग रखा है । इससे यह साबित होता है जो आपने बिल में 18 एकड़ रखी, 27 एकड़ रखी और 54 एकड़ रखी इसके अलावा अर्द्ध उपजाऊ भी आपने 54 एकड़ रखी, इसके अलावा आपने डेजर्ट जोन म 150 से लेकर 200 एकड़ जमीन रखी है । इससे सभापति महोदय, यह साबित होता है कि जिन परिवारों में ज्यादा मेजर लड़के होंगे वे लोग अपने यहां हजारों एकड़ जमीन अपने पास रख सकेंगे । इस तरह से मेरा निवेदन है कि सीलिंग के अन्दर जो भावना हमने रखी थी वह पूरी नहीं होगी और मैं कहूंगा कि लोगों के साथ काश्तकारों के साथ, गरीब आदि-वासी लोगों के साथ टोटल जस्टिस नहीं होगी । इस तरह से जो भावना आपके अन्दर समाजवाद को लाने की है वह पूरी नहीं होगी । सभापति महोदय, जो हमने कमिटमेन्ट जनता से किये हैं चुनावों के वक्त में वह पूरे नहीं होंगे । इसके अलावा मान्यवर आपने इस बिल में 54 एकड़ भूमि फलोद्यान के लिये रखी है मैं समझता हूं कि हमारे जयपुर जिले के अन्दर तो ऐसा शायद ही किसान होगा जिसके पास 30-35 बीघा जमीन से ज्यादा जमीन होगी । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बिल आज ला रहे हैं वह किसानों के हित के लिये नहीं ला रहे हैं, आप गरीब लोगों के लिये नहीं ला रहे हैं, आप तो बड़े-बड़े सामन्तवादी लोगों के लिये व बड़े-बड़े

(श्री मुंशीलाल महावर)

जागीरदारों के लिये ला रहे हैं, उन्हें आप अधिक अमीर बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, 51 एकड़ जमीन पंजाब में लोगों के पास है। मैं अभी टूर में गया था वहां पर लोग फलोग्रान से एक साल में तीन-तीन फसल पैदा कर लेते हैं। पर हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है चाहे जितनी फरटाइल जमीन हो। इसके अलावा हमारे यहां पर तो गेहूं की फसल होती है वहां पर चाहे फरटाइल हो चाहे सेमी फरटाइल तीन-तीन फसलें लेते हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इससे ज्यादा एकड़ जमीन नहीं रखें। आप सीलिंग की सीमा को कम कीजिये ताकि ज्यादा गरीब लोगों को जमीन मिल सके। इससे तो अच्छा पहले वाला सीलिंग बिल था सभापति महोदय, पर आज जो बिल हमारे सामने है वह काश्तकार के और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये अच्छा नहीं है। आज सभापति महोदय, सेमी-डेजर्ट ऐरिया में और डेजट एरिया में आपने 150 से लेकर 200 एकड़ जमीन रखी है वह ऐसी जमीन है कि मान्यवर वह गरीब लोगों के लिये फायदेमन्द नहीं है। उसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा कि वह जमीन गरीब काश्तकार के लिए एक तरीके से भार है। वह इसके लिये साधन नहीं जुटा सकेगा। और इसके लिये जो साधन जुटा सकेंगे। वह मेरे हिसाब से वे लोग होंगे कि बड़े जागीरदार हैं, या बड़े इजारेदार हैं। यह उन्हीं लोगों को फायदा होगा लेकिन गरीब काश्तकारों को फायदा नहीं होगा। क्योंकि गरीब काश्तकार जो है वह उस पर इतना उत्पादन नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि सीलिंग की सीमा कम रखे और ज्यादा से ज्यादा गरीब काश्तकारों को जिनके पास जमीन नहीं है, या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय करे। चुनावों के दिनों राजस्थान सरकार ने अल्ला और खुदा की कसम खाई थी कि इस शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय करेंगे पर अल्ला और खुदा की कसमें खाने वालों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने इस बिल में जो कम्पेन्सेशन की बात कही है वह 1,600 रुपया प्रति एकड़ की बात कही है। म आप से निवेदन करूंगा कि गरीब शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब काश्तकारों के पास 1,600 रु० निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गरीब काश्तकारों के हिमायती नहीं हैं। आप कमजोर वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने की इच्छा नहीं रखते हैं। आप सही मायने में उनके साथ न्याय नहीं करना चाहते। आप समाजवाद की बातें करते हैं। आपने रेस्ट्रिक्शन आन लेण्डलेस इन इकोनोमिक लेसर की बात कही है, आपको चाहिये कि आप सीलिंग की सीमा को कम कीजिये, इस पर प्रतिबन्ध लगाइये। मैं समझता हूं कि जो बिल आपने इस सदन में पास होने के लिये रखा है वह न तो गरीब काश्तकारों के लिये फायदे में है मैं समझता हूं कि बिल की जो मनशा है उसे वह पूरा नहीं करता अच्छा

(श्री मुन्शीलाल महावर)

तो यह होता कि राज्य सरकार····

एक माननीय सदस्य : इस्तिफा दे दें।

श्री मुन्शीलाल : राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे और गरीब काश्तकारों को लाभ पहुंचावे। अन्यथा आज गरीब किसान की हालत यह है कि वह खेती करे तो जमीन नहीं, और गरीब काश्तकार लावण का काम करता है, कटाई का काम करता है या किसी बड़े जागीरदार के यहां पर मजदूरी करता है और उसमें उसे करीब डेढ़, दो रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का बिल पास कराइये जिससे टोटल जस्टिस हो। आप ऐसा उपाय कीजिये कि बिल पर पुनर्विचार करके कुछ इस बिल में एमेन्डमेन्ट करके इसे वापिस ठीक करके पास करावें ताकि जो लैण्डलेस हैं उन्हें जमीन मिल सके। आप ऐसा लैण्ड सीलिंग लाइये जिससे कि सोशियल जस्टिस हो सके। आज सभापति महोदय हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और काश्तकार जाति के लोग हैं वह कांग्रेस सरकार का पिछले 25 साल से समर्थन कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं लेकिन समाजवादी सरकार इनके लिये कुछ भी नहीं कर रही है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार समाजवाद के झूठे नारे देती है और बातें तो गरीब किसानों के फायदे की करती है पर असलियत में फायदा वह अमीर लोगों का और बड़े बड़े काश्तकारों का कर रही है। यह सब फ्रॉड हो रहा है। एक तरफ आप डेजर्ट एरिया कह कर लोगों को 150 से लेकर दो सौ एकड़ जमीन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जयपुर जिले में 30-35 बीघा जमीन भी काश्तकारों के पास नहीं है। इससे तो अच्छा पहले वाला सीलिंग बिल था सभापति महोदय, लेकिन वह भी लागू नहीं हो सका अच्छी तरह से और बीच में आप यह बिल ले आये। सभापति महोदय, आज जयपुर के महाराजा की हजारों ही नहीं लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है उसे आज तक कोई नहीं ले सका है। मैं तो यह कहूंगा कि जयपुर के महाराजा की जमीन जो कि सीलिंग से बहुत अधिक है वह उनसे लेकर गरीब काश्तकारों में बांटी जानी चाहिये। लेकिन आज सरकार की गलत नीतियों के कारण व राजस्थान सरकार की नौकरशाही के कारण जो रिश्वतखोर हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त हैं उनके कारण आज गरीब काश्तकारों को जो कि लैण्डलेस है जमीन नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि आज समाजवाद का जो नारा है वह सिर्फ अमीर लोगों को और अमीर करने के लिये है और गरीब काश्तकारों के फायदे के लिये नहीं है। सभापति महोदय, अगर राज्य सरकार इसमें गरीब काश्तकारों का फायदा करनी चाहती है, काश्कारों के साथ न्याय करना चाहती है, तो मेरा निवेदन है कि इस बिल पर पुनर्विचार किया जाय और इसमें कुछ ऐसे संशोधन किये जाने चाहियें मूल बिल में कि जिससे काश्तकारों को लाभ हो। नहीं तो मैं यहां तक कहूंगा कि राज्य सरकार काश्तकारों कि हिमायती नहीं है बल्कि उनके साथ दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो यह कहूंगा कि आप जयपुर जिले में 27 एकड़ ही एक किसान को

(श्री मुन्शीलाल महादर)

जमीन दिलवा दें। आज भरतपुर महाराजा के पास हजारों बीघा जमीन पड़ी है आप उनसे वह जमीन सीलिंग के अन्तर्गत लेकर लैण्डलेस काश्तकारों में बांटने की व्यवस्था करें। वरना आज हजारों काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास 10-15 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है और अगर उनके चार या पांच लड़के हो जाते हैं तो शायद एक-एक काश्तकार के पास करीब डेढ़ से लेकर चार या साढ़े चार बीघा जमीन हाथ आयेगी और हो सकता है वह बिना जमीन के भी रह जाय। इसलिये मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि फरटाइल और सेमी फरटाइल के लिये जो 54 एकड़ जमीन रखी हैं उसे कम की जाय और ऐसी व्यवस्था इस बिल में पुर्नविचार करके करावें कि जिससे सही मायने में लेण्डलेस को लाभ हो। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह बिल जो आज सदन में आया है वह सीलिंग बिल की मूल भावनाओं के अनुकूल नहीं है और एक तरह से यह सामन्तवादी वर्ग और बड़े-बड़े जो नेता हैं उनके लिये लाया गया है। मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल पर पुर्नविचार करके इसमें काश्तकारों के हित में अमेन्डमेन्ट करके बाद में इस बिल को सदन में लाकर पास कराइये तो मैं समझता हूं कि आप काश्तकारों के साथ न्याय करना चाहते हैं और वह बात ही उनके लिये न्याय संगत होगी अन्यथा नहीं। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार इस पर कुछ कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, जोत की सीमा के सम्बन्ध में जिस प्रकार से विभिन्न विचार हमारे सामने आये हैं उनमें से एक बात निश्चित रूप से उभर कर आयी है कि राज्य सरकार जोत की सीमा के कानून को बनाने में या लागू करने में उस ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रही है जिसके लिये कि उन्होंने नारा दिया। माननीय सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि पिछले कई सालों से हमारे प्रदेश में और देश के अन्य भागों में लगातार यह नारा दिया गया है जो जोते उसकी जमीन। लैंड टू दी टिलर। और इस नारे के साथ में हमने देखा क्या ? सांगरिया के अन्दर, मादरा के अन्दर, चूरू के अन्दर और अन्य स्थानों के ऊपर उन किसानों का खून बहाया गया जो गंगानगर जिले के अन्दर इस मांग को लेकर गये थे कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाय। हमने क्या देखा कि राजस्थान की सरकार कानून को बार-बार बदलती रही है। उसमें अमेन्डमेन्ट किये गये हैं। नाना प्रकार से नियम, उप-नियम बनाये गये और बड़े-बड़े शब्दजाल, आडम्बर रचे गये। पर क्या वास्तव में भूमिहीन किसानों को जमीन मिली ? नहीं। इस विधेयक के प्रिएम्बल में लिखा हुआ है संविधान की धारा 39 के अनुसार यह आवश्यक है कि जमीन कुछ हाथों में न रहे। उसका केन्द्रीयकरण न हो और भूमिहीन किसान को जमीन मिले।

माननीय सभापति महोदय, संविधान की उस भावना का और जिस भावना के साथ में विधेयक लाना कहा जाता है उसका मैं और मेरा दल स्वागत करते हैं। वास्तव में हम इस बात के हमेशा से हामी रहे हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और यदि मैं आप से कहूं कि सबसे पहले हमने 1 जून, 1955 को जोधपुर मे जब अखिल भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ था तो जोत की भूमि की सीमा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पासकर के कहा था और विशेषकर यह कहा था कि 30 एकड़ जागीरदार और जमींदारों के कारण भूमि का उचित वितरण न होकर उत्पादन म बाधा पहुंचने के कारण भूमिहीन को हक मिलना कठिन हो गया है। कुछ हाथों में भूमि का वितरण अविलम्ब कराया जाय। अधिकतर सिचाई से युक्त पांच से 30 एकड़ के बराबर है। 1 जुन, 1955 को स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा की अध्यक्षता में कहा था उसको बार-बार रिपीट किया गया है। 28 दिसम्बर को बैंगलोर के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया और इसी बात को दोहराया और उसके बाद दिल्ली के अधिवेशन में 15 मार्च, 1959 को दोहराया और भागलपुर में फिर इस बात पर जोर दिया कि भूमिहीन किसान को भूमि वितरित हो। और गांवों में जो काश्त करना चाहते हैं, जो भूमिहीन हैं जिसके ज्यादा है उन लोगों से लेकर उनको वितरित की जाय। इसलिये जोत की सीमा को निर्धारित किया। 30 एकड़ की सिंचित भूमि का सिद्धान्त रखा। उसके साथ साथ यह भी कहा कि ग्रामीण जनता, गांव का किसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, चाहे वैशाख जैष्ठ की गर्मी पड़ती हो, चाहे सावन भादों की बरसात हो, चाहे पौष माह की कड़कड़ाती सर्दी हो, वह अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, खून पसीना एक करके खेती करके धान देता है। उसकी इतनी आमदानी होनी चाहिये कि वह अपने परिवार का पालन कर सके। आज समानता का सिद्धान्त नहीं है। एक स्थान पर एक व्यक्ति को तीन हजार रुपया तनख्वाह मिले, दो हजार रुपया तनख्वाह मिले, 3।। हजार, 4।। हजार मिले, चाहे सेक्रेटरी हो, न्यायाधीश हो या एक्सपर्ट हो, दूसरी ओर किसान धान पैदा करता है, मेहनत के साथ, उसको हम इस प्रकार की स्थिति में रख दें कि परिवार का अपने पेट का पालन न कर सके। इसलिये सभापति महोदय बार बार जोर दिया गया है कि सीलिंग भूमि का हो, शहरी सम्पत्ति का भी हो लेकिन सीलिंग आमदानी का होना चाहिये। इनकम का होना चाहिये जिससे सामाजिक न्याय मिल सके। समानता, इक्वैलिटी की बात करते हैं उस समय यह भूल जाते हैं। पीसमील लेजिस्लेशन करने से उस मकसद को प्राप्त नहीं कर सकते कि गरीब और अमीर की खाई को समाप्त किया जाय। देश में सब पैदा हुए इन्सान हैं चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अफसर हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, न्यायाधीश हो, उन सब के साथ में आमदनी का सीलिंग नहीं करेंगे तब तक उस मकसद को उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। इस कारण से सभापति महोदय, मैं और मेरा दल इस विधेयक का तो स्वागत करगे। इस विधेयक को कई वर्षों से टाल रहे थे। पिछली विधान सभा के अधिवेशन में बिल इन्ट्रोडयूस करने के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ। उसको मुख्य मंत्री वापिस ले गये। उसके बाद आज प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक में जो कुछ खामियां हैं, कमियां हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सभापति महोदय, अभी अभी कहा गया और एक बात राष्ट्रीयकरण की कही गयी। खेत खलिहान का राष्ट्रीयकरण किया जाय या न किया जाय, यह विवादास्पद विषय है। इसके गुण अवगुण में न जाने का समय है और न विवेचन करने का समय है। राष्ट्रीयकरण करने का नारा देने से पहले कहना चाहूंगा जैसे व्यापार के अन्दर अन्य चीजों में राष्ट्रीयकरण किया, जब तक उनको सफलता से इम्पलीमेन्ट करके न देख लें हम इस ओर कुछ कह नहीं सकते। दूसरे देशों से भी सबक लें। रूस जैसे देश में 50 वर्ष पहले से राष्ट्रीयकरण का होआ बना रहा लेकिन आज अनाज के माने में भी वे सेल्फ सफिसियेंट नहीं बन सके। धान के लिये अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। जिस प्रकार की रिपोर्ट आयी है और लोगों ने जाकर देखा है। हमें नहीं भूल जाना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण हर चीज की देन हो। नारा लुभावना होता है, प्रगतिवादी बनने और दिखाने के लिये जनता में राष्ट्रीयकरण का नारा देकर सारी बातें कर सकते हैं लेकिन आंकड़ों को देखें, इम्प्लीमेन्टेशन को देखें, अनुभव को देखें तो मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश में 90 प्रतिशत लोग कृषि की भूमि पर रहते हैं वहां पर भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात करना न युक्ति संगत है और न ही न्याय संगत है।

यह भी कहा गया है कि मंत्री महोदय ने स्वार्थ के कारण कई बातें रखी है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है। स्वार्थ के कारण प्रकार की सीमा रखी है और प्रावधान रखा है जिसके कारण विधेयक का मंतव्य पूरा न हो इसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय, जिन्होंने बिल को रखा है उनकी नहीं आती यह तो समूचे मंत्रिमंडल पर आती है।

यहां यह कहा गया कि मंत्री महोदय ने अपने पुत्र और पुत्री के लिये भूमि और मुरब्बे स्थान 2 पर ट्रान्सफर कर दिये। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत की प्रधान मंत्री अपने पुत्र के लिये कार का लाइसेन्स दे दे और करोड़ों रुपया उसके लिये दिला दे उस स्थिति में राजस्थान के एक मंत्री ने किया तो क्या किया...

एक माननीय सदस्य : गलत आरोप लगाया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल : क्या आपको बीच में बोलने का लाइसेन्स दे दिया गया है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन यही है कि इस बारे में भी जिम्मेदारी है वह सारे मंत्रिमंडल की है न कि केवल एक मंत्री की। और मैं चाहूंगा जिस प्रकार अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया यदि वह सही है, इतने बड़े घोटाले, अपराध किये गये हैं कि मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई वहां पर संकेत देकर यहां पर आकर माल्टा के उद्यान बना दिये गये। भूमि काश्त होती थी।

It is a scandal of the worst order, and the whole Cabinet should resign.

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह पर्याप्त नहीं है केवल रिजाइन करें। आप छोटे-छोटे किसानों को कहते हैं आपने उद्यान बना लिये। मैं कहता हूं मुख्य मंत्रियों की आपस की बातचीत के अन्दर जो सिक्रेट होती है उस सिक्रेट को यदि कर्मचारी बतला दें तो ऑफिसियल सिक्रेसी के कानून के अन्दर उसको सींखचों में डाल देंगे और मंत्री महोदय स्वयं उसका दुरुपयोग करें, इसके लिये उनको कुछ नहीं। यह आप सब सदन के माननीय सदस्यों को निर्णय करना है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, यह एक गंभीर मसला है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, उसको स्पष्ट करें। इसके साथ ही साथ यह भी कहूंगा जो छोटे-छोटे काश्तकारों के लिये नियम बनाये हैं वे स्ट्रिन्जेन्ट हैं।

राजस्थान के अन्दर जो अशिक्षा है, इल्लिट्रेसी है वह हिन्दुस्तान में लास्ट बट वन है यानि अन्तिम से केवल एक ऊपर है। ऐसी स्थिति में आप ढाणी में रहने वाले छोटे काश्तकार से यह उम्मीद करें कि वह सब आपके कानूनों से परिचित रहे यह सम्भव नहीं है। आपके कानून बाजार में मिलते नहीं, गवर्नमेंट प्रेस में मिलते नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपका एक कानून लाने एक व्यक्ति को भेजा था जो गवर्नमेंट प्रेस से 10) रु० में लाया। तो माननीय सभापति महोदय 10) रु० देकर वह नियम प्राप्त कर सका। अब गरीब काश्तकार सुदूर क्षेत्र का रहने वाला क्या जाने कहां पर प्रेस है और आपका कानून कहां पर मिलता है, क्या रूल्स हैं, कब बने हैं और कब से लागू है, इन सबको वह क्या जाने और फिर वह वकीलों के दफ्तरों में चक्कर काटेगा या वह एस० डी० ओ० ऑफिस में जाकर रात-दिन चक्कर लगायेगा और अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया तो सजा का भागी होगा। मैं समझता हूं यह बिल्कुल अनुचित है और हमारे छोटे-छोटे काश्तकारों के साथ सरासर अन्याय है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा क्या सरकार इसका कोई प्रावधान नहीं बना सकती है? सरकार के पास सब प्रकार के रेकार्ड हैं, सब प्रकार की जमाबन्दी है, गिरदावरी है। क्या सरकार का यह काम नहीं है कि वह इस प्रकार का निर्धारण करे। सरकार स्वयं फार्म भरकर उसके पास भेजे और यह कहे कि हमारे नियम के अनुसार आपकी इतनी जमीन आती है और इसके बारे में जो कुछ विरोध में कहना है वह कहें लेकिन आप अपने सरकारी कार्यालयों पर पाबन्दी नहीं रखेंगे, उनको यह काम करने के लिये नहीं कहेंगे एक काश्तकार को जेल का भागीदार बनाते है जिसे यह नहीं मालूम कि कब आपके रूल्स बने, कब आपके नियम बने और कब कितनी बार आपके नियम उप-नियम बदल गये। गरीब और छोटे काश्तकारों के पास आपको इस प्रकार की सूचना भिजवानी चाहिये, इस प्रकार का प्रावधान आपको रखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो यह कहा गया है--रि-ओपन करने का मामला, यह मानकर चलते हैं जब कोई प्रोसीजर का निर्धारण किया है और जब निर्धारण करने का प्रावधान रखा है उसका ईमानदारी से पालन होगा। उसके बाद सभापति महोदय मिस-रिप्रेजेनटेशन है या और कोई मिस्टेक है तब रि-ओपन करने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का है। इन्कम टैक्स के नियम 147 जिसमें रिओपन करने का प्रावधान है लेकिन बिना किसी कारण के एस० डी० ओ० या कोई अपाइन्टिग ऑथारिटि कि अमुक व्यक्ति का निर्धारण किया गया है उसकी जोत की सीमा का रि-ओपन कर दीजिये। उसमें उसको सुनने का प्रावधान नहीं है, उसको लेने का प्रावधान नहीं, इन्क्वायरी का प्रावधान नहीं है और एक कलम के साथ उसकी जो सीमा निर्धारित हुई है जिसमें इम्प्रूवमेंट किया है, सब प्रकार का कार्य किया है उसको रि-ओपन कर देंगे तो मैं समझता हूं यह उसके साथ अन्याय होगा।

आज जब हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं तो किसान के साथ यह करना अनुचित होगा। सरकार विचार करे रिओपन करने का—फ्राड हो, मिस-रिप्रजेनटेशन हो, कोई भयंकर गड़बड़ी हो तो रि-ओपन भी करें लेकिन बिना किसी कारणों के रि-ओपन करना कोई औचित्य नहीं रखता है और तीन साल की जो अवधि रखी गई है उसको कम की जाय ताकि किसान के दिमाग में परिपक्वता आये। इसी प्रकार माननीय समापति महोदय इस विधेयक में फ्रेगमेन्टेशन के बारे में, अन-इकोनोमिक होल्डिग्ज के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

हमें यह बताना चाहिये सीलिंग से एक बीघा, दो बीघा, चार बीघा जमीन आ जाती है और वह किसी को अलॉट कर देंगे हमेशा के लिये झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी। न उस जमीन को वह स्वयं काश्तकार जोत सकेगा, न लेने वाला जोत सकेगा, न देने वाला जोत सकेगा इसलिये समापति महोदय, अन-इकोनॉमिक होल्डिग के बारे में कोई प्रावधान करना होगा और इसके बारे में कोई प्रिकाशन लेना होगा।

माननीय समापति महोदय, कुआ शब्द का जहां प्रयोग किया गया है—हाथ से सिंचित कुआ, मैं समझता हूं यदि सरकार का यह मन्तव्य है तो जो सिंचाई के कुयें हों—किसी तरीके के हों, किसी क्षेत्र के हों, तो उसमें फिर सिंचाई इलेक्ट्रिसिटी से होती है, बिजली से होती है, मशीन से होती है या हाथ से होती है उसमें अन्तर करने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। अतः उस प्रावधान को हटाया जाना चाहिये।

समापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं चाहे इसमें छोटी-मोटी बातों को संशोधन के रूप में स्वीकार कर ली जाय और विधेयक को पारित कर लिया जाय और विधेयक को पारित करने के पश्चात् और आज एक प्रस्ताव यह भी आया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसमें इन सब बातों को देख लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। उसमें इस बिल को सिम्प्लिफाई करके लाया जाय। समापति महोदय, कहीं पर वन क्राप और कहीं पर टू क्राप का भेद रखा गया है। जैसा मैंने बताया हमारे फाईनेन्स कमीशन के सामने जो मेमोरेन्डम रखा गया है उसमें राज्य सरकार ने माना है:—

"In this respect it is to be kept in view that nearly 90 per cent of the cultivated area of

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

the State is single cropped and dependent on the South-West monsoon spread over three months from July to August and both the quantum as well as the spacing of the rainfall has a telling effect on the fate of the Kharif Crop"

इसके बाद इस प्रकार से फाइनेन्स कमीशन के मेमोरेन्डम के अन्दर राजस्थान का कृषि के बारे में जो वर्णन किया है – पग पूंगलगढ़ कोटड़े बाहू बायड़मेर, फिरती गिरती बीकपुर ठावो जैसलमेर—यानि इस प्रकार से वह काश्तकार शिकार है। उन काश्तकारों के कानून के अन्दर कि यह वन क्राप है, और यह टू क्राप है और इसका भेद रखकर ऑफिसर्स के अन्दर जो निर्धारण करेंगे, एक बहुत बड़ा एरिया दे देना जिसमें भ्रष्टाचार हो, या मनमानी हो, या पक्षपात हो, या अपनी मर्जी के अनुसार कहीं पर वन क्राप और कहीं पर टू क्राप करें और चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह माना कि राजस्थान में टू क्राप का एरिया नहीं है। यह सारा वन क्राप एरिया है। यह सत्य है तो फिर मैं समझता हूं वन क्राप और टू क्राप शब्द हमें हटा देना चाहिये और सीधे कहना चाहिये कि राजस्थान वन क्राप एरिया है।

हमारे गरीब काश्तकार जो वास्तव में अनपढ़ हैं वे कभी सरकार के, कभी रेवेन्यू बोर्ड के और कभी एस० डी० ओ० के चक्कर लगाते रहें यह उनके साथ अन्याय होगा। अन्त में अधिक समय न लेता हुआ माननीय सभापति महोदय में यही प्रार्थना करूंगा हम गम्भीरता के साथ जिन मुद्दों को मैंने रखा है, उन पर उचित विचार करके निर्णय लें।

श्री सभापति : मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय सभापति जी, जो यह विधेयक राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण सदन के समक्ष है इसको और न्यायिक दृष्टि से देखा जाये और मान्यताओं से और एक गहन विचार के साथ सोचा जाये तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह किसानों के हित में कहां तक है और कहां तक नहीं है, किसानों के हित में कहां तक उपयोगी है—इस मामले में सभी माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए और आज स्थिति यह है कि यदि यही विधेयक किसी और पक्ष के मामले में होता या किसी दूसरे एक ऐसे समूह के मामले में होता तो आज शायद विधान सभा के सामने बहुत कुछ सत्याग्रह, लाठी चार्ज, अश्रु गैस वगैरह करना पड़ता। लेकिन आज किसान की स्थिति यह है कि किसान को यह भी मालूम नहीं है कि मेरे बारे में विधान सभा में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय, आज हर चीज में कहते हैं कि समानता लाई जा रही है लेकिन समानता के बजाय दूसरी ऐसी असमानतायें पैदा की जा रही हैं—शहर और देहात की, किसान और जो दूसरा धंधा करने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा असमानतायें लाई जा रही हैं जिससे किसान हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ सके, और आगे उन्नति नहीं कर सके। माननीय रामानन्द जी ने कहा कि एक धंधा होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि हर किसी के पास एक ही धंधा होना चाहिये

(श्री मीठालाल)

लेकिन एक तरफ तो आप 18 एकड़ की सीमा बांध रहे हैं और किसानों के पास वही धंधा छोड़ना चाहते हैं लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उसके पुत्र वयस्क होंगे तब उसके बाद जमीन कहां से आयेगी और वह क्या धंधा करेंगे? उसी 18 एकड़ में से चार-पांच हिस्से होंगे तो चार-चार या पांच-पांच एकड़ उनके हिस्से में जमीन आयेगी और वह यह धंधा नहीं कर सकेंगे। परिणाम यह होगा कि वह भूमिहीन हो जायेंगे और बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए वह दूसरा धंधा तो नहीं कर सकते। आज दूसरी तरफ शहर में रहने वाले उद्योग पति हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं वह हर तरफ लालायित हो रहे हैं, और फार्म खरीद रहे हैं, शहरों के नजदीक फार्म खरीद रहे हैं, सड़कों के पास फार्म खरीद रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य है लेकिन आप किसान को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं और किसान को शहरों में कोई बिजनेस करने का मौका नहीं दे रहे हैं। किसान के पास केवल वही धंधा है। उसके बावजूद सरकार इस दृष्टि से देखती है कि किसान किसी तरह का दूसरा धंधा नहीं कर सके और किसी तरह की उन्नति नहीं कर सके। जो कर्मचारी हैं, मुझे कर्मचारियों से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन जो कर्मचारी आज से दस साल पहले थे और जिसको 50 रुपये मिल रहे थे उसकी आज स्थिति यह है कि उसको 250 रुपये या 300 रुपये मिलते हैं लेकिन किसान जो पहले कर्ज में दबा हुआ था आज भी उसकी वही की वही स्थिति है। आप उसके ऊपर टैक्स भी लगा लें लेकिन वह खाद मांगे तो नहीं है, ऋण मांगे तो ऋण नहीं है और लोन मांगे तो लोन नहीं है, बिजली मांगे तो बिजली नहीं है, सुविधायें उनके लिए कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उन से छीना सब कुछ जा रहा है।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)।
(3.33 म॰ प॰)

और इस बजट में भी ऐसा लगता है कि उनको और भी ज्यादा अंधकार में डाल देंगे और फिर सरकार उनका पक्ष भी लेगी तो उनको नहीं बचा सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कुटुम्ब की परिभाषा के लिए अभी तक कुछ निश्चित नहीं कहा गया है। संयुक्त परिवार में जितने भी लड़के हैं उन को संयुक्त परिवार मानकर आप उनको जमीन देंगे लेकिन आठ, दस साल बाद उनके विवाह होंगे और वह वयस्क होंगे तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा और इसमें उनको एक परिवार मान लिया लेकिन आगे जाकर शादी के बाद उनके लिए कहां से जमीन आयेगी? इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा। इसलिए मेरा निवेदन है कि संयुक्त परिवार में जो शादियां हों उनके लिए अलग से जमीन का प्रावधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में सम्पत्ति की सीलिंग 3 लाख की रखी है और इस 3 लाख में कम्पनी के कार्यालय के भवनों को छोड़ दिया, दूसरे बिजनेस कर रहे हैं वह भी छोड़ दिये और केवल 3 लाख रुपया उनके निवास वगैरह के लिए रख दिया है, लेकिन किसानों के लिए 18 एकड़ जमीन रखी है इस 18 एकड़ जमीन की कीमत कहां तक मानें?

(श्री मीठालाल)
यदि एक एकड़ की एक हजार भी कीमत मान लें तो भी उसकी कीमत 18 हजार ही होगी जबकि शहरों में इस सीमा को 3 लाख रखा है। इसलिए यह समानता कहां रही ?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात भूमि के मूल्यांकन की है। आपने राजस्थान में इस भेद को रखा है यह जमीन एक फसली है और यह दो फसली है। इस ढंग से उसका मूल्यांकन करते तो वह तो एक तरीका होता लेकिन आपने जिलेवार ले लिया। जैसे सवाई माधोपुर में चार-पांच तहसीलें हैं उसको आपने उपजाऊ इलाके में ले लिया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां बामनवास इलाका ऐसा है कि जहां की आधी जमीन तो एक फसली है और आधी जमीन में यह भी निश्चित नहीं है कि दो साल में एक फसल भी हो जायेगी लेकिन आपने उसको उपजाऊ जमीन में और नम्बर एक में रख दिया। इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं कि जहां दो–दो और तीन-तीन साल में एक फसल भी नहीं होती। आपने सारे डिस्ट्रिक्ट का एक ही मापदण्ड अपनाया है यह न्यायिक दृष्टि से नहीं है। इसके अलावा किसी के पास ऐसी जमीन भी है कि जिसमें एक बीघा में 2–3 मन ही अनाज पैदा होता है और किसी के पास ऐसी जमीन भी है कि जिसमे एक बीघा में 50 मन भी होता है। तो आपने किस ढंग से मूल्यांकन किया ? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया है। तो तहसीलवाइज और जिलेवार छांट रहे हैं इस तरह से मूल्यांकन किया है यह उपयुक्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमे निश्चित रूप से जैसे पहले टीनेन्सी एक्ट में स्टेन्डर्ड एकड़ छांटकर मूल्यांकन किया था वैसे ही करें नहीं तो इसमें लोगों के साथ घोर अन्याय होगा। इसलिए आपने जो 18 स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है अगर आप इसमें परिवर्तन करते हैं तो ऐतराज नहीं है वर्ना 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा बांधी है जिसको आपको बढ़ाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन 26 सितम्बर, 1970 से पहले ले ली थी और उसके बाद किसी ने ली है, रजिस्ट्री कराई है या दान दी है तो उसके लिए आपने कैंसिल करने का प्रावधान रखा है लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो 26 सितम्बर, 1970 के बाद में किसान ने ली है और वह भूमिहीन है तो उस ली हुई भूमि को देते समय उनको प्राथमिकता दी जाये जो कि भूमिहीन थे और जिन्होंने जमीन खरीद ली।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मुआवजे की बात है मुआवजे की कीमत रखी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन जिन जमीनों में पहले से कुएं हैं उस जमीन को ले लेंगे तो कुएं के मुआवजे का प्रावधान नहीं रखा। इसके अलावा जैसे जमीन पर कोई भवन बना हुआ है जानवर आदि के बांधने के लिए तो उसके मुआवजे के लिए भी आपने इस बिल में कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए कुएं का और भवन आदि का भी ध्यान रखकर उसके लिए मुआवजे का प्रावधान रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता वर्ना यह कानून ऐसा लचीला हो जायेगा

(श्री मीठालाल)

कि अधिकारियों को बदनाम होने के लिए खुला मौका मिल जायेगा। कुओं के साथ ही साथ वृक्षों का भी मामला है। वृक्षों का मुआवजा पहले दिया जाता था। इस तरह से वृक्षों का मुआवजा भी कुओं के साथ ही साथ रखें।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, एस० डी० एम० वगैरह जो फैसला करेंगे जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेंगे उसकी अपील का प्रावधान रखा है कलेक्टर के पास। लेकिन कलेक्टर प्रशासनिक दृष्टि से इतने उलझे रहते हैं कि वह सही फैसला नहीं कर पायेंगे और आज भी कई केसेज आते हैं कि स्टे लेने में दस दस दिन लग जाते हैं। इसलिए थ्री टायर सिस्टम हटाकर जो राजस्व अपीलेट अधिकारी हैं उनके पास यह अधिकार रखें। इसलिए जो फैसला एस० डी० एम० करेंगे उसकी अपील सीधे राजस्व अपीलेट अधिकारी के पास रखी जाये और बिल में जो हर जगह कलेक्टर रखा है इसकी जगह राजस्व अपीलेट अधिकारी रखा जाये जिससे कि किसानों को न्याय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि भूमि के मामले में, भू-सीलिंग के मामले में बहुत भेदभाव है। उस मामले में पहले 18 स्टेंडर्ड एकड़ रखा था, दो साल पहले मूल्यांकन किया था उसको इस ढंग से किया था जिस जमीन पर बांधों से सिंचाई हो, सरकारी साधनों से सिंचाई हो और किसानों के अपने साधनों से सिंचाई हो, कुए पर मोटर लगा कर बिजली से सिंचाई हो, जिसके बराबर फसल होती है और जिसके दो फसल नहीं होती है, उसके आधार पर मूल्यांकन रखा था, उसी आधार पर आप अब भी मूल्यांकन करें और सीलिंग के कानून में प्रावधान रखें।

इसके अतिरिक्त यह कि आगे के लिए आप वही रखेंगे कि जिस आदमी का एक ही धन्धा हो, खेती करने के काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता, उसके लिए 18 एकड़ का प्रावधान इस बिल में रखते हैं तो इस मामले में माननीय मंत्री श्री पुनर्विचार कर लें।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं इसका विरोध करता हुआ भी यदि इसको न्यायिक दृष्टि से इन बातों को सम्मिलित करने के लिए तैयार हों तो मैं इसका समर्थन भी कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष लैंड सीलिंग के ऊपर विचार चल रहा है। सीलिंग बिल बड़ा स्वागत योग्य है क्योंकि बहुत अर्से दराज से इस पर चर्चा चल रही थी और बड़ी मुद्दत से इस की इन्तजार थी कि सीलिंग बिल आए। अब सीलिंग का बिल हमारे सामने है। इसमें कुछ हमारे माननीय सदस्यों को आपत्ति है और कुछ लोग बहुत ज्यादा इस मामले में उत्साही हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमको काफी बातें हमारी सामाजिक स्थिति को मद्देनजर रख कर करनी पड़ेगी। एक ओर तो समाज का वह भाग खड़ा है कि जो इतना खाता है कि खाने से उसको अपच है और दूसरी ओर वह भाग खड़ा है जो आज आधा

(श्री बनवारीलाल)

भूखा रहता है। वह एक भाग ज्यादा खाने से बीमार है तो दूसरा कम खाने से बीमार रहता है। इसका मतलब है कि समाज में एक स्वस्थ वातावरण नहीं है। तो उस सब को मद्देनजर रख कर सरकार ने सीलिंग का बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिनके ऊपर मैं अपने विचार रखूंगा और सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और थोड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करें और अगर कोई अमेंडमेंट कर सकते हों तो वह भी करना चाहिए।

मैं उदाहरण के तौर पर यह बात अर्ज करना चाहूंगा कि आज सीलिंग बिल के अन्दर यह बात रखी है कि फैमिली की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एक हस्बेंड है, वाईफ है और उसके थ्री माईनर चिल्ड्रन हैं। मेजर चिल्ड्रन स्वतंत्र हैं। मेजर चिल्ड्रन की स्थिति यह है कि उसकी अलग यूनिट बन जायेगी। अपको उस पोजीशन को थोड़ा समझना चाहिए। इसमें कोई झगड़ा करने की बात नहीं है बल्कि इस पर शांतिपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। एक आदमी है, दो मींयां-बीबी हैं और उनके दो मेजर लड़के हैं तो उनकी सीमाएं हैं 162 एकड़ जमीन की, और कुछ वह स्थिति भी हो सकती है कि माईनर चिल्डन भी हैं और मेजर भी हैं तो मेजर के लिए तो कोई सीमा नहीं है, हर मेजर के साथ अधिकतम सीमा है, वह अलग चला जाएगा। सीलिंग का यह मतलब रखा है। सीलिंग का मतलब वास्तव में यह है कि किस जगह पर रोक लगायें, कण्ट्रोल लगायें कि इससे ज्यादा नहीं रख सकेंगे। मैं यह मानता हूं कि इस साइंस और टेक्नोलोजी के युग के अन्दर अब बहुत छोटी 2 जोतों पर ट्रेक्टर नहीं रख सकते हैं बहुत विज्ञान के साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, अच्छा खाद और बीज का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भी सरकार अपने पास क्या आधार रखती है। इसके अन्दर सबसे ज्यादा मुझे ओब्जेक्शन इस बात से है कि मेजर लड़के के ऊपर आपने एक अलग यूनिट रखा है। मेजर लड़के की यूनिट आप अलग मान रहे हैं इससे मुझे ऐतराज है। यह बात हमारे सीलिंग बिल के विचार में फिट नहीं होती, हमारी समाजवादी विचारधारा में फिट नहीं होती।

दूसरी बात, मेरा इस सम्बन्ध में अर्ज करना यह है कि जो अपने कम्पन्सेशन वाली बात रखी है और जो रेट्स रखी हैं वह बहुत अधिक हैं। हो सकता है कि कुछ हमारे माननीय सदस्यों की यह मान्यता हो कि उसने खेती पर बहुत पैसा लगाया, कुओं पर पैसा लगाया उसके बदले में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ यह बात भी आपको देखनी पड़ेगी कि यह जमीन आपको उन लोगों को देनी है कि जो बिल्कुल साधनहीन हैं, जो बिल्कुल शक्तिहीन हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। आप नंगे भूखे लोगों से यह कहें कि वे 1,600 रुपया और 1,800 रुपया एक एकड़ का आपको दें तो वह नहीं दे सकेंगे।

मैं अपने इलाके की बात अर्ज किया चाहता हूं, दूसरों की बात नहीं करता, हमारे एरिया के अन्दर हमने पहले 2,500) रु० और फिर 2,800) रु० रखा था। सरकार

(श्री बनवारीलाल)

खुद अपने रिकार्ड को देखे तो मालूम होगा कि एक दो हरिजन ही ऐसे होंगे कि उन जमीनों को ले पाये होंगे। आदिवासी लोगों के अन्दर भी शायद ही कोई लोग होंगे जो इनको ले पाये होंगे। तो आप यह अन्दाज लगायेंगे कि इतनी बड़ी कीमत देकर वे लोग जमीन लेने की स्थिति में होंगे ? इसलिए यह आप जो कम्पन्सेशन दे रहे हैं वह बहुत ज्यादा दे रहे हैं और चूंकि इस बिल में प्रावधान इस प्रकार का रखा हुआ है कि अगर जिन लोगों को जमीन एलॉट की जावेगी उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, तो यह अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी। यह हमारे समाजवाद के नारे के अनुकूल बात नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर प्रावधान यह होना चाहिए था कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, जो बहुत ज्यादा वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं चाहे वे किसी कम्युनिटि से हों उन सब को बिना किसी भेदभाव के बिना पैसा लिए, बिना मुआवजे की कीमत लिए, उनको जमीन अलाट की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके इसके अन्दर काफी कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा गया है जो म यह समझता हूं कि हरिजनों के अन्दर भी एक दो परिवार ही ऐसे होंगे, वैल टू डू जो हो गए हैं और जो थोड़ा बहुत चल निकले हैं, वे लोग ही लाभ उठा सकेंगे, दूसरे आम हरिजन, आम मजदर, आम किसान लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे।

अब मेरा अर्ज करना यह है कि अलाटमेंट के लिए जो बिल के अन्दर प्रावधान रखा है इसका मुलाहिजा किया जाय कि यह किन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। होना तो यह चाहिए कि सेंटर की गाइड लाइन्स के मुताबिक लेण्डलेस के अन्दर भी पहले शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और वीकर सेक्शन के लोगों को पहले जमीनें दी जानी चाहिएं। भूमिहीन, लण्डलेस के बारे म बहुत ज्यादा यहां पर कहा जा चुका है सदन के अन्दर। लेण्डलेस के अन्दर आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के आफिसर्स भी हैं, बड़े 2 सेठ लोग भी है, बहुत अच्छे 2 बिजनेस मैन भी हैं जो लेण्डलेस बने हुए हैं। जिन्होंने लेण्ड को ऐसी असेट बना रखी है कि ब्लेक को वाईट में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन कानून में ऐसा लेकूना है कि चूंकि टीनेन्ट की यहां परिभाषा नहीं की जा सकती तो वह टीनेन्सी एकट में दी जानी चाहिए लेकिन दी जानी चाहिए ताकि सीलिंग बिल इन लोगों पर लागू हो। ऐसे लोगों पर लागू हो जिनकी आय का साधन जमीन ही नहीं दूसरे और भी साधन है। उन लोगों से जमीनें ली जानी चाहिए और यह जमीनें उन लोगों के पास रहनी चाहिए जो केवल खेती करते हैं, जिनका जीवन इस पर निर्भर करता है और जिनकी जीविका का साधन जमीन है। बहुत सीधे-साधे शब्दों में कहूं कि जिसके हाथ में हल हो और जिसके पैर के नीचे जमीन हो उनके पास जमीन रहनी चाहिए। लेकिन बड़े 2 अफसर और सेठ साहूकार जो यहां बंगलों में रहते हैं, जो कारखानेदार लोग हैं, बड़े 2 बिजनेसमेन हैं उनसे जमीनें ली जानी चाहिए। उन्होंने जमीनों को दूसरे साधनों के लिए ले रखा है, ब्लेक से वाईट में कन्वर्ट करने का साधन बना रखा है उनसे जमीनें ली जानी चाहिए

(श्री बनवारी लाल)

और उन पर सीलिंग लगाई जानी चाहिए।

अब काश्तकारों के बारे में निवेदन करूं कि हमारी तरफ से, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की वजह से हम यह बात कभी नहीं चाहते कि हम काश्तकार वर्ग को परेशान करना चाहते हैं या उनको तबाह करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। जैसा कि मने अपने बहुत से साथियों के मुंह पर देखा कि बहुत आक्रोश यहां लिए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस बात को समाप्त करें, आक्रोश को समाप्त करें। हम तो सिर्फ यह बात चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी की नीति है, हमारी समाजवादी व्यवस्था है उसके हिसाब से यह बात चाहते हैं कि उनको भी अगर थोड़ा पेट भर खाने को मिल सकेगा तो बात अच्छी रहेगी।

अब इसके अन्दर जो सबसे बड़ी खामी है श्रीमान् वह मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। एक अफसर आर्बीट्रेशन करेगा तो भले ही वह करेगा। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पोइन्ट नहीं रहता है। लेकिन वह आपकी जमीन को तब्दील कर सकता है। आपसे जैसा चाहे करा सकते हैं। उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती। आखिर में मैं उसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा सा गम्भीरता पूर्वक विचार करके संशोधन रख सकें तो अच्छा होगा।

अन्त में एक बात मैं यह कहूंगा कि सेल वाली बात है तो सेल को कहां तक वैलिड माना जाय। हमने जून, 1970 तक इसको वैलिड कर दिया। मैलाफाइड तो कोई इसको भी नहीं होने देगा। सब बोनाफाइड हो जायेंगे। जिस समय पहले वाला ही सीलिंग बिल आया था उस वक्त लोगों ने तब्दीलियां कर दीं और इस बीच में कर दीं तो अब न्यूनतम जमीन ही आपके हाथ लगेगी, लेकिन उसके लिए भी अगर सरकार की यह मन्शा है कि बाकी कुछ लोगों के पास से जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो वह प्रावधान इस बिल में होना चाहिये कि जिससे सख्ती से वह जमीन उनसे ली जा सके और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी जा सके।

मैं यह मानता हूं कि यह सीलिंग बिल स्वागत के योग्य है और सरकार इस पर विचार करेगी और विचार करके संशोधनों के साथ इसको प्रस्तुत करेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दरलाल (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया जा रहा है इसके लिए काफी लोगों ने सुझाव दिये हैं। सुझाव यह है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए जमीन देने की कई दिनों से बात चल रही थी कि जमीन मिलेगी तो अब समझ में आ गया है कि जमीन नहीं मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में भूमि के लिए अगर यह बिल लाना चाहते थे तो सबसे पहले यह देखना चाहिए था कि डी० आई० जी०, कलेक्टर और बड़े बड़े सेक्रेटरी और आफिसर्स के पास में कितने फार्म्स हैं और सबसे पहले उन फार्म्स को गवर्नमेंट को अपने कब्जे में

(श्री सुन्दरलाल)

करना चाहिए था। एक घर के 11 आदमी भूखे मर रहे हैं, एक कमरे में 11 आदमी रह रहे हैं उनको कुछ राहत मिलती। अब बिल आया है कि जो काश्त करता है उसको जमीन मिलेगी तो हमें पूरा सन्तोष है कि हम काश्त का काम कर रहे हैं दूसरों की जमीनों पर। मजदूरी से हम काश्त करते हैं लेकिन काश्त के काम को हल वहाना पाटने का काम हम कर सकते हैं। हम लोगों का काम है वह हम कर सकते हैं। अगर इस बिल को लाना था तो जो आदमी नौकरी करने वाले हैं, और जिनके पास में बड़े बड़े महल हैं और अच्छी नौकरी है, जिनको हजार और डेढ हजार रुपया महीना मिलता है उनके पास में 2-2 और 3-3 मुरब्बा जमीन है उनकी जमीन लेकर जिनको 1½ रुपया रोज की भी नौकरी नहीं मिलती है और उनके पास जमीन भी नहीं है उनको दिलाना चाहिए था। सबसे पहले शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के हरिजनों और आदिवासियों को जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर देना चाहिए मेरी समझ में यह बात आती है कि कोई जमीन अब मिलने मिलाने वाली नहीं है और यह सब हरिजनों और आदिवासियों को भुलाने का चक्कर था। अगर जमीन दिलानी ही थी तो खेतड़ी तहसील में 600 बीघा जमीन आज तक हरिजनों के नाम हुई थी लेकिन बता दें कि एक भी हरिजन को उसका कब्जा मिला हो और उसने काश्त उस पर की हो। इसलिए जमीन मिलने वाला मामला बैठेगा नहीं। बिल जरूर आ गया है। हमारे साथियों के पास में ढाई मुरब्बा जमीन है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भाई से नाराज नहीं है। 25 साल की आजादी के बाद हमको यह हक मिला है कि हम कह तो सकते हैं। जमीन मिले या नहीं लेकिन कहने का हक तो है। जितने जागीरदार हैं, जितने बडे बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी आई० ए० एस० के लोग हैं उनके पास जो जमीनें हैं उनको सरकार पहले अपने कब्जे में करती और फिर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दे देती। अब कहते हैं कि जमीन देंगे तो जमीन कहां है? थोड़ी बहुत जमीन बची है तो वह नागौर और जोधपुर के इलाकों में तो वहां पर भी किसान काफी हैं। 55 एकड़ को बर्बाद कर दी है तो दो बीघे में तो बाग है और 52 बीघा पर वे काश्त करते हैं। बाग क्या बना लिया है। इसलिए जमीन का जो यह बिल आया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इस बिल से नहरी जमीन तो मिलेगी नहीं। हरियाने में एक कहावत है कि एक छोटा सा जानवर होता है उसको तेल के लिए पेलते हैं तो तेल कहां से निकलेगा। आयेगी कहां से जमीन। जमीन का अगर सुझाव था तो हमें मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा सुझाव है कि अगर कानून को दुबारा बनाकर किसी तरीके से जो 25 साल से शिड्यूल्ड कास्ट और हरिजनों और आदिवासियों को इस प्रकार से कहते आये हैं उनको अगर जमीन देना चाहते हैं तो इस कानून को इस तरह से बनाते कि जिससे जमीन हरिजनों को मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार ने सीलिंग का बिल पेश किया है उस सीलिंग बिल का मैं स्वागत करता हूं और जो हमारी पार्टी ने चनाव घोषणा-पत्र में सीलिंग बिल के सम्बन्ध में कहा था तो उसके अनुसार आज यह बिल सदन में पेश हुआ है, लेकिन यह बिल आम काश्तकार के हित का नहीं है, आम काश्तकार को इस बात से लाभ होने वाला नहीं है। इस बिल से जागीरदारों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि 90 पर्सेन्ट काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास में 18 एकड़ से कम भूमि है और 10 पर्सेन्ट ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास 54 एकड़, 150 बीघा और 10, 12, और 20 मुरब्बा तक है। ऐसा कानून आम काश्तकार के हित का नहीं है, तो यह कानून हमें और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है राजस्थान नहर के क्षेत्र में सीलिंग लागू नहीं होगी। यह क्या तमाशा है ? किस ओर हमें वह ले जा रहे हैं, किस ओर हमारा कदम आगे बढ़ रहा है। हम यह जानना चाहेंगे कि राजस्थान नहर परियोजना पर सीलिंग लागू क्यों नहीं हो ?

श्री बीरबल : क्योंकि इस एरिया में बड़-बड़े जमींदार हैं उनको बचाने के लिए यह किया गया है।

श्री भंवरसिंह : उनको बचाने के लिए यह कानून लाया गया है तो यह काश्तकारों का हित नहीं कर रहे हैं।

दूसरी तरफ गार्डन का नाम लेकर 54 एकड़ की राहत हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनके पास बहुत जमीन है, उपजाऊ जमीन है, दो फसलों की जमीन है। यह कानून आम काश्तकारों के लिए, आम मजदूरों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए अच्छा नहीं है।

वैसे तो इससे भूमि आपको बहुत कम मिल पायेगी और जो थोड़ी बहुत भूमि मिल पायेगी वह ऐसे व्यक्तियों को आप आवंटित करेंगे जो कि साधन-सम्पन्न हैं, जो इधर-उधर की बातें करके, भ्रष्ट तरीकों से, अधिकारियों की चापलूसी करके ले लेंगे, लेकिन उन खेतिहर मजदूरों को वह भूमि आप दिला सकेंगे ऐसा इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये मेरा सदन से और सरकार से अनुरोध है कि कानून में कुछ तब्दीलियां करके गरीब काश्तकारों के हित में बनाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज (अनुपस्थित)।

श्री चतुर्भुज चौधरी ?

श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सीलिंग और शहरी सम्पत्ति का कानून है, इस पर तरह-तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। इस बिल पर विरोधी दल के नेता भी बोले हैं। वह हर बिल का विरोध करते आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी सपोर्ट कर रही है।

श्री चतुर्भुज चौधरी : सीलिंग में जो सम्पत्ति बांध रहे हैं, वह लाखों की है, हजारों की है, यह देखना चाहिए। शहर की सम्पत्ति में तो राजा और महाराजा भी हैं। मैं चाहता हूं सीलिंग जमीन की जितनी है, उसमें उसके बैल आदि भी कर लिये जायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौधरी साहब, घग्घर पेटे को माननीय मंत्री महोदय ने रेगिस्तान माना है, उसकी कीमत 10 हजार रुपया बीघा है। अगर इस हिसाब से 150 बीघा जमीन की कीमत लगेगी तो डेढ़ करोड़ रुपया होती है। इससे ज्यादा रुपया और मंत्री महोदय क्या दे सकेंगे।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री चतुर्भुज चौधरी : ऐसी जमीन हो जिसमें आपके किसान भी जिन्दा रहे, मजदूर भी गुजारा कर सकें लेकिन एक सीलिंग कानून में 5 एकड़ का बगीचा जाये वह आज 5 लाख से कम नहीं है। यह तो शहरी सम्पत्ति को बचाने के लिए जोड़ा गया है राजनैतिक स्टण्ट है। मैं खुद किसान हूं। मैं कहता हूं कि आप हमको 10 बीघा ऐसी जमीन देने के लिए तैयार हो जांय तो म 200 एकड़ देने के लिए तैयार हूं। हमको 5 एकड़ जमीन वहां दे दीजिये। इस प्रकार से समानता के आधार पर हमारी जो नीति है, उसी के अनुसार किसानों के साथ म भी व्यवहार किया जाये, यही मैं चाहता हूं। आज हरित क्रान्ति का ढोल हर क्षेत्र में पीटा जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आज सरकारी फार्मों में भी क्या लाभ है। राजस्थान में वह सभी जीरो हैं। उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर बड़े-बड़े ऑफिसर हैं, वह फार्म बनाकर रहते हैं। खाता कौन है। कमाता कौन है। खुद जमीन ली है तो खुद जमीन को जोते। आज जमीन के लिए जो किया जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि कुछ हाथ आने वाला नहीं है। सारी जमीन ठिकाने लग गई है। जगह-जगह की सारी जमीन बेच दी गई है। 30 स्टैण्डर्ड एकड़ को मान्यता दे दी है तो बाद में रहता क्या है? अब जो कुछ है, वह पूरा कर सकते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आप समाजवादी नीतियों के अनुसार चलना चाहते हैं। अगर मूल्यांकन होता है तो हर चीज की सीमा पर मूल्यांकन होना चाहिए। शहरी सम्पत्ति में आज लाखों और करोड़ों रुपया लगा होगा। आज उसका क्या होगा। इसलिए यह सीलिंग के नाम पर केवल बरबादी है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आज ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि गरीब को फायदा मिले। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसमें देखे कि इस कानून में क्या है। किस जमीन से क्या धान पैदा होता है, यह सरकार देखे। जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, सर्विस नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई और दूसरा साधन नहीं है, वह किस पर निर्भर होगा? अब यही देखना चाहिए कि इसके द्वारा जनता का भला होगा या नहीं, इससे फायदा होगा या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर इससे हमको फायदा होगा तो वही हमको मानना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमाराम । (अनुपस्थित) ।

श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के नाम को लेकर देश की आजादी के बाद हिन्दुस्तान में अलग अलग विधान सभाओं के अन्दर, बहुत सारी चर्चाएं हुईं, हंगाम हुये, विचार विमर्श हुये। लेकिन कोई भी सरकार आजादी के पच्चीस साल बाद भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी कि आया इस किसान, जिसका केवल मात्र धन्धा खेती है, जो खेती के अलावा कोई धन्धा नहीं करता है, की जीविका उपार्जन के लिए, उसकी उदरपूर्ति के लिए कितनी जमीन की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इस बात पर हमारी सरकार, हमारे नेता महोदय, कोई भी एक राय आज तक नहीं हो सके। लेकिन मौजूदा हालात में, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश की प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी, जिसके निर्देशन में हम काम करते हैं उनके निर्देशन पर हमारी राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया, उसका मैं स्वागत करता हूं, इसलिए कि हम इन्दिरा गांधी के समाजवाद में विश्वास रखते हैं। हम मार्क्स और लेनिन के समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जहां किसानों को मजदूर के रूप में दर दर भटकना पड़ता है। हम ऐसा समाजवाद चाहते हैं जहां खून और पसीने की कमाई के बाद किसान को इतना कुछ मिले कि वह किसान अपना, अपने बाल बच्चों का भरणपोषण कर सके और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा सके, जिससे उसके मरने के बाद उसका परिवार अहसानमन्द रहे। राजस्थान सरकार, जिसने मौजदा हालात में इस बिल को पेश किया है, का स्वागत करता हूं, केवल इसलिए कि जिस जमीन के साथ आज तक राजा-महाराजा, पुराने जागीरदारों एवं सामन्तवादी लोगों और करोड़पति और अरबपति उद्योगपतियों और कुछ मनचले आदमियों ने मखौल की, जो हाथ से कमाई नहीं करते थे जिनका जीवन खेती पर निर्भर नहीं था, उन लोगो ने इस जमीन का नाम लेकर टण्टा खड़ा किया, उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों से इस कानून के अन्तर्गत जमीन ली जायगी–इस विश्वास के साथ मैं राजस्थान सरकार का, जिसने बिल पेश किया है, स्वागत करता हूं। यह जमीन गरीब किसानों को, उन लोगों को जो भूमि पर निर्भर हैं, हमारी सरकार के निर्देशन पर उन पिछड़ी जाति के लोगों को दी जायगी, जिनका केवल मात्र धन्धा खेती है। यह स्वागत योग्य बिल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग के नाम को लेकर हमारे मनचले दोस्तों, जिनको मालूम नहीं, जमीन पर खेती करते वक्त एक एकड़ में बाजरी कितनी बोते हैं, बाजरी बोने के वक्त अगर बारिस हो जाती है, बोने के चार पांच दिन पश्चात्, तो उसका क्या परिणाम होता है, और जब फसल दो फीट खड़ी हो, उस समय बरसात हो नहीं तो सब मजदूरी लगने के बाद उस जमीन पर जितना खर्च किया, वह बरबाद हो जाता है, सम्वत् 2025 में अकाल पड़ा, 2026 में अकाल पड़ा, 2027 में बहुत जबर्दस्त खराब जमाना रहा, बाजरी के भाव 38 रुपये क्विन्टल हो गये, 2028 और 2029 में फिर अकाल पड़े–उस किसान के साथ इस प्रकार की बात करना, उसकी कमाई की चीज पर सीलिंग लागू करना–राज्य

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

सरकार की इस नीति की मैं आलोचना करता हूं। जो किसान जमीन से खून और पसीने की कमाई करके अनाज पैदा करता है, वह किसान आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में भूखा रहता है। आज उसके सामने समस्या है, जो किसान अन्न पैदा करे, जो अन्नदाता है हिन्दुस्तान का, जो अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है–इस राज्य का उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसने बहुत जबर्दस्त मत इस सरकार को दिये हैं, किसान ने इस राज्य का साथ दिया है। उसी किसान पर सबसे पहले प्रहार किया गया है किसी सरकार के द्वारा तो उस किसान के ऊपर किया गया है, जो केवल मात्र धन्धा खेती का करता है, जो अकाल की चपेट में आता है, अकाल की चपेट में आने के बाद हमारी सरकार उन किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती। अकाल पड़े तो पड़े, उनकी पैदावार होती है या नहीं–उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए सीमा बांध दी गई है। यह हमारे लिए और किसान समाज के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। किसान खेती पर निर्भर है, उसका बच्चा बच्चा खेती पर निर्भर है, और जिसकी जमीन का चप्पा चप्पा बनियों, राज्य सरकार के, पंचायत समिति के और बैंक के पास गिरवी है, वह किसान जिसने जन्म लिया है ऋण में, जो पलता ऋण में है, मरता ऋण में है, अरबों, खरबों रुपया किसानों पर कर्जा है, जो बोल नहीं सकता है, उसके जबान है लेकिन वह बोल नहीं सकता है, गूंगा है, उसके आंख है लेकिन वह देख नहीं सकता है, उसके कान हैं लेकिन सुन नहीं सकता है, वह प्रदर्शन नहीं कर सकता है। आज हर एक व्यक्ति, जिनके पास छोटी सी भी दुकान है, वह बीस रुपया कमाता है, और ऐसे कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास दो चार पेट्रोल पम्प हैं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक है सिर्फ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उनको किसान की जमीन बहुत अखरती है। मैं आगाह कर देना चाहता हूं हमारे साथियों को, जिनके पास······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो चार पेट्रोल पम्प हैं तो एक रख कर आपको दिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई : जमीन अपने पास रख कर इस प्रकार की बात कहें, हाण्डा साहब, यह शर्म की बात है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : कहना आसान है, देना बहुत मुश्किल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप ले लीजिये। मैं रजिस्ट्री कर देता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह देना ही नहीं चाहते हैं, एक है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मैं माननीय साथियों से कहना चाहता हूं, यह बहुत अहम् मसला है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। बेशक किसानों की जमीन पर सीलिंग लगनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन दुनियां भर की पूंजी को छोड़ कर, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो उद्योगपति हैं, और जो इन्कम टैक्स नहीं भरते हैं, उनको छोड़ कर, आम आदमी जानता है कि इनके पास साधन हैं, लेकिन फिर भी

(श्री रामसिंह विश्नोई)
किसानों के उस तबके पर सीलिंग लगाई है, जमीन की जोत पर सीलिंग लगाई है, यह किसानों के साथ अन्याय किया है, और इस अन्याय से उनकी कौन रखवाली करेगा। जो किसान गर्मी–सर्दी की परवाह नहीं करके, दिन रात महनत करके अन्न पैदा करता है, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, सीलिंग लागू करने के बाद उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जब किसान को जमीन पर सीलिंग लागू कर रहे हैं तो किसानों को उसकी एवज में क्या देंगे? क्या किसानों की फसल का कम्पलसरी इन्श्योरेन्स करेंगे। अगर अकाल पड़ता है, जब पांच छः साल से अकाल पड़ रहा है तो किसानों की क्या दुर्दशा हुई होगी, उनका कैसे गुजारा हुआ होगा, जिनको मक्की तक नसीब नहीं होती, जो मक्की मिलती है, वह चार पांच महीने में मात्र दो किलो मक्की मिलती है, वह भी ऐसी मक्की, जिसे किसान क्या, जानवर नहीं खा सकते। उस किसान की हालत पर मखौल करते हैं, उस किसान पर हंसते हैं, उस किसान की जमीन छीनने की बात करते हैं इसकी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस बिल से काफी गरीब और खेती पर निर्भर लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ राजस्थान के बहुत बड़े भाग, जिनको जोन्स के अन्दर रखा है, वह भी किसानों के साथ बहुत जबरदस्त अन्याय है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिला, नागौर जिला और पाली जिला, हिन्दुस्तान के उन जिलों में से है, उन 54 जिलों में से हैं जो ड्राट जोन के नाम से माने जाते हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार ने इन दस जिलों के अन्दर डी०पी० ए० पी० स्कीम लागू की है जिनके अन्दर लाखों रुपये पानी की व्यवस्था और वहां के लोगों के लिए बेरोजगारी की व्यवस्था के लिए रखे हैं। उस क्षेत्र की काफी तहसीलों को माननीय मंत्री महोदय ने सेमी फर्टाईल क्षेत्र में रख कर उनके साथ बहुत जबर्दस्त अन्याय किया है। एक तहसील, जो उसके बिल्कुल पास में है, जिसकी जमीन की किस्म और वहां होने वाली बरसात–सब कुछ मिला कर किसी भी तरह उसमें फर्क नहीं है लेकिन फिर भी केवल मात्र बिना कुछ तवज्जह और मापदण्ड के न मालूम, किन आधारों पर, जोधपुर जिले की बिलाड़ा, नागौर की मेड़ता और नांवा और पाली डिस्ट्रिक्ट की पाली तहसील और जैतारण तहसील को रख दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ उपजाऊ इलाका और सेमी-डेजर्ट की कैटेगरी आपने तय की उससे पहले अगर आप उस क्षेत्र का मुआयना करते, जहां पर पिछले 10 वर्ष में केवल तीन बार फसल हुई है, तो यह किसान के साथ घोर अन्याय होगा अगर उसको आपने सेमी-फर्टाइल की केटेगरी में रखा। तो हमारे जोधपुर जिले की तहसील बिलाड़ा, नागौर जिले की मेड़ता व नांवा, पाली जिले की तहसील पाली व जैतारण, सेमी–डेजर्ट के अन्दर काउंट किए जायें।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे राज्य के काश्तकारों को कुए की केटेगरी को लेकर हुआ है। कुए चाहे बैलों से चलते हों चाहे मशीन से, इसमें भद नहीं

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

किया जा सकता। कौनसे क्षेत्र में ज्योलोजिकल सर्वे के अनुसार पर्याप्त पानी है, क्या इस बात का सर्वे किया हुआ है ? जब किसी क्षेत्र में ज्योलोजिकल की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, केवल मात्र मशीन लगाने से कुए की कटेगरी अलग हो जाती है तो यह किसान के लिए बड़े दुःख की बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको दुरुस्त किया जाए और जमीन जिस पर कुआ है चाहे पशु से या मशीन से या बिजली या डीजिल से सिंचित होती है, उसमें कोई फर्क नहीं रखना चाहिए।

सीलिंग के नाम को लेकर चर्चा होती है और होगी लेकिन आप राजस्थान में जिस किसान के कुए पर बिजली की मोटर लगाते हैं, मैं आपको सही कहता हूं कि एक दिन के अन्दर 50 बार उसकी मोटर, बिजली बंद होने से, बंद होती है। आज बाजार में खाद उपलब्ध नहीं, बिजली उपलब्ध नहीं और जो कुछ पैदा होती है तो किसान से इतने सस्ते भाव पर उसकी पैदावार खरीद ली जाती है और उसके बाद उसकी पैदावार जब उसके पास कुछ नहीं रहती खाने योग्य, उस समय बाजार भाव इतने जबर्दस्त हो जाते हैं कि किसान खरीद नहीं सकता। ऐसी हालत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार की उपज का ज्यादा से ज्यादा भाव उसको मिले, इस बात का प्रावधान सीलिंग कानून बनाते हुए रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि सीलिंग राज्य में लागू की जाए, आज तक का कर्जा जो उस जमीन पर है, जो करोड़ों रुपयों का कर्जा है, वह माफ किया जाए और किसान जो अकाल से पीड़ित है, जिस क्षेत्र में लगातार 3-3 और 4-4 साल से अकाल पड़ा है, कम्पलसरी फसल का बीमा होना चाहिए ताकि वह किसान अपना जीवन निर्वाह उचित ढंग से कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 प्रस्तुत किया गया है राजस्व मंत्री द्वारा वाकई स्वागत योग्य है। थोड़ा सा यह जरूर है कि इसमें अधिकतम न रखकर न्यूनतम रख देते तो कोई बात नहीं थी क्योंकि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए पहले हमने 30 एकड़ रखा, अब कम करने जा रहे हैं तो न्यूनतम होता जाए तो कोई ऐतराज की बात नहीं खैर इधर से और माननीय रामानंदजी ने जो बार-बार सुझाव दिया कांग्रेस की रीति-नीति के बारे में, पता नहीं उनका भी कांग्रेस में आने का विचार है या नहीं। लेकिन जो यह विधेयक लाया गया है यह कांग्रेस की रीति-नीति के विरुद्ध नहीं है। मुख्य मंत्रियों व वर्किंग कमेटी की गाइड लाइन्स के अनुरूप है। प्रतिकूल वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि जो विधेयक लाया गया है उसकी बातचीत मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस में हुई थी, उन्होंने मिलकर बुद्धिमानी से यह ध्येय बनाया था। इसलिए हम कह दें कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं और 20 राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इकट्ठा होकर

(श्री शंकर लाल आट)

जो कानून बनाने वाली बात हमारे सामने कही और फिर कानून लाया गया, वह अन्यायपूर्ण है, यह बात नहीं है । अलबत्ता यह जरूर हो सकता है कि जो इसमें क्लॉज बाई क्लॉज अगर पढ़कर कुछ संशोधन पेश करने वाली बात होती तो मैं मानता कि अमुक–अमुक गलतियां हैं । लेकिन यूं कहना कि विधेयक ऐसा है कि हम सदन में वापस नहीं आयेंगे इसका मतलब हमको हमारी ही चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसी दूसरे की चिंता है, हमको तो इस बात की चिंता है कि शायद हम सदन में नहीं आयेंगे, यह तो जनता फैसला करेगी, 4 साल बाद में वह जिसको भेजना चाहेगी वह आएगा । बाकी तो जितनी उनकी जमीन बचेगी उससे कमाकर खायेंगे ।

जो विधेयक हम पास करने जा रहे हैं, उसको मैंने पढ़ा है उसमें जो जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उसमें समझ में नहीं आता एक तरफ राज्य करोड़ों रुपये खर्च कर बांध बनाती है, उससे किसानों को जो पानी मिलता है वह जमीन और एक तरफ हजारों रुपए किसान कर्जा लेकर अपनी जमीन को रहन रखकर कुआ खोदता है उन दोनों को बराबर मानना न्यायोचित नहीं है । इसमें लिखा है :

धारा 4 : स्पष्टीकरण : मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चलित कुए द्वारा सिंचित भूमि इस उप-धारा के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट भूमि के प्रवर्गों के अधीन आने वाली नहीं समझी जायगी और उसके खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में आने वाली समझी जायगी ।

तो यह मेरी समझ में नहीं आता कोई व्यक्ति कुआ खोदकर अगर पम्पिग सेट्स लगादे अथवा बिजली की मोटर लगा दे तो यह अन्याय है, बाकी तो हम कह सकते हैं कि जो जोन्स बनाए हैं, किसी में ज्यादा जमीन रख दी है, उसको कम कर दें, वह बात समझ में आती है लेकिन इस बात का किसी ने जिक्र नहीं किया । तो मेरा निवेदन है कि इसमें जो मानव श्रम द्वारा चालित या पशु श्रम द्वारा चालित शब्द हैं ये इसमें से निकाल दिये जांय तो बहुत अच्छा है दूसरी बात जो भूमिहीन के बारे में कहा है इसमें यह क्लीयर नहीं है कि कौनसा–कौनसा व्यक्ति कितनी भूमि होने तक या भूमि नहीं है जिसके पास वही भूमि हीन कहलायेगा । इसके अलावा आपने इसमें जो डिक्लेरेशन के बारे में यह प्रावधान रखा है कि अगर कोई काश्तकार समय पर डिक्लेरेशन नही देता है तो उसमें आपने जुर्माना भी रखा है और इसमें आपने जेल का भी प्रावधान रखा है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस जेल वाले प्रावधान को हटा दें तो अच्छा रहेगा । क्योंकि हमारे यहां का जो किसान है वह इतना अनपढ़ है कि वह इस कानून की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा और अगर वह समय पर डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगा तो आप तो उस गरीब अनपढ़ किसान को तुरन्त हथकड़ी डाल देंगे । यह आपका काश्तकार के साथ कहां तक न्याय है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: पहले जेल बाद में डिक्लेरेशन होता रहेगा ।

श्री शंकरलाल : दूसरी बात जो मेरे नोटिस में आयी है वह यह है कि क्या

(श्री शंकरलाल)

आपने जोन की सीमा का तय किया है उसमें पटवारी से तसदीक है या योंही सच्ची झूठी तसदीक से कर लिया है। अगर ऐसे ही कर दिया गया है तो फिर इस बिल को लाने से क्या फायदा है ? उपजाऊ जोन में प्रतापगढ़, लसाड़िया, सलूम्बर सराड़ा, खेरवाड़ा, फलासिया, और कोटड़ा तहसीलों को छोड़कर भीलवाडा, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर के जिले पूरे को ले लिया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह गलत है वहां पर एक-एक-बीघा में दो–दो मन मक्का से ज्यादा पैदा नहीं होती। सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। आखिर आप देखिये तो सही....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो इससे भी ज्यादा मान रहे हैं।

श्री शंकरलाल : मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह उपजाऊ जोन के नहीं है मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें जो छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी जिनको आप उपजाऊ जोन में लिया है वह गलत है क्योंकि वह तो पूरा का पूरा पहाड़ी जोन ही है जहां पैदावार बहुत कम होती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप कोई कानून जनता के फायदे का बनाते हैं तो उससे जनता को लाभ तो मिलना चाहिये अगर लाभ नहीं होता है फिर ऐसा कानून लाने से क्या फायदा ? उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ जिले की दोनों तहसीलें ही पहाड़ी एरिया हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बिल पास किया जाय ताकि काश्तकारों को नुकसान नहीं हो।

उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में काश्तकारों के बारे में चर्चा चल रही है और विधेयक भी उसके हित के लिये लाया गया है। ऐसी राज्य सरकार की धारणा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो काश्तकार नहीं हूं इसलिये इतना ज्यादा नहीं समझ सकता कि कितनी जमीन होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान की जनता में करीब 70-80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि काश्तकार हैं और उन 80 परसेन्ट में से करीब 95 प्रतिशत ऐसे हैं उपाध्यक्ष महोदय कि जो बिलकुल ही अनपढ़ हैं। इन 95 परसेन्ट काश्तकार में आपको वे काश्तकार मिलेंगे जिनके पास कि मारजीनल लैण्ड है और हम उन्हें मारजीनल फार्मर की केटेगरी में ले सकते हैं जिनके पास कि करीब 5 बीघा जमीन ही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने जो आंकडे दिये हैं वैसे शासकीय आंकड़े तो नहीं हैं पर फिर भी जो कुछ मुझे प्राप्त हो सके हैं उन्हें बता रहा हूं। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस बिल से करीब जो 95 प्रतिशत काश्तकार हैं वह नुकसान में रहेंगे। बाकी जो पांच परसेन्ट काश्तकार हैं। वे जो कि बड़े बड़े फार्मों के मालिक हैं, बड़े जमीदार हैं, जो जमीन से सब कुछ लेकर जमीन को कुछ नहीं देते हैं। ये बड़े बड़े जागीरदार हैं वे खुद उपाध्यक्ष महोदय सब कुछ समझते हैं, इस सदन में बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमें यह सोचना है कि हमारी भावना इस बिल के पीछे क्या है। क्या यह धारणा है कि जो खेती करे अपने हाथों से वह काश्तकार या आप इकोनामिक होल्डिंग करना चाहते हैं या आप इसे सिर्फ कागज में ही रखना चाहते हैं या आप यह

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)
चाहते हैं कि किसी के पास 100 बीघा जमीन है उसको आप दो बीघा वाले को दे रहे हैं अथवा सिर्फ कागजों में ही हेरा फेरी कर रहे हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यही तो सारी बात है, यही मुश्किल है। इससे काश्तकार परेशान है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह ठीक है मैं तो काश्तकार नहीं हूं। मैंने तो आज तक खेती नहीं की है। मैं तो इस सदन में बैठकर जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार ही कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज आजादी के पूरे 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम काश्तकारों का सही रूप से भला नहीं कर सके हैं। आज जो जमीन में गढा हुआ धन है उसको भी यह मनफिरे या यों कहिये कि दिल फिरे, या मस्तिष्क फिरे क्या कहूं मेरे समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं इसमें मैं उन लोगों को लेता हूं कि जो कि बड़े काश्तकार हैं मैं समझता हूं कि वे लोग अभी तक कुछ तय नहीं कर पाये हैं। पर मेरा तो दृष्टिकोण यह है कि हक जमीन पर हक उसका होना चाहिये जो खुद अपने हाथों से जमीन जोतता है। इसी प्रकार आज माईनिंग डिपार्टमेन्ट में किया जा रहा है आज वहां माईनिंग रोयल्टी वसूल करने की बात बताता हूं वहां पर काफी गडबडियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भूगर्भ में जितना है उतना ही तो निकलेगा चाहे वह पानी हो, चाहे कोई खनिज पदार्थ। मैं थोडा अप्रासांगिक हो गया हूं। जो गलत है। खैर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मैं पानी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर हो चाहे राजस्थान के अन्दर पानी की सीमा है उसी प्रकार आखिर जमीन की भी सीमा है यह करीब एक करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन है जो कि सिंचित है। आज 3 करोड़ और 75 लाख एकड जमीन पर खेती हो रही है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें यह आज निर्णय लेना है कि आखिर हम खेती के लिये कितनी जमीन रखना चाहते हैं और कितनी रख सकते हैं। मैं यह कहकर उन लोगों की हिमायत नहीं करना चाहता जो कि 5 परसेन्ट बड़े जागीरदार हैं बल्कि मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो कि 95 परसेंट काश्तकार हैं। मुझे डर है कि कहीं वे खतम नहीं हो जायं। इसमें आज जो 5 परसेंट हैं वही सुखी हैं। बाकी तो बेचारे काश्तकार खतम हो गये हैं। मैं यह मानता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो लोग खेती से कमाई करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं यहां पर माननीय सदस्य भी हैं इसमें से.....

श्रीमती नगेन्द्र बाला : इसमें 95 परसेंट वाले कम हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर सोचने की बात है जमीन से कमाई कुछ परसेंट लोग करते हैं। वो ही लोग आराम में है। वैसे शास्त्रों में तो उपाध्यक्ष महोदय, धरती को माता बताया गया है आखिर इसमें जितनी केपेसिटी है उतना ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पांच परसट ऐसे काश्तकार हैं जो कि अपने फार्म्स पर शाम को नारंगी का रस भंग मिला कर पीते हैं या शाम को अपने फार्म पर संगीत नाटक वगैरह के प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज आपने 54, एकड़ की या 55 एकड़ की जो बात करते हैं वह इन 95 पसेंट काश्तकारों में से नहीं होंगे। आज हम ध्यान से देखें तो हम

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजस्थान में करीब ढाई लाख शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जो कि लेण्ड लेस हैं उनके लिये कोई धन्धा नहीं है। माइनिंग में उनके पास काम नहीं है, वहां पर वो बेकार हैं, खेती करने को उन गरीबों के पास जमीन नहीं, उद्योग धन्धे आज फेल हो गये हैं, उन्हें काम देने में तो अल्टीमेटली खेती ही रहती है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयुल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं जिनकी 2।। लाख फेमेलीज हैं, यह मैं मंत्री महोदय के ही आंकड़े दे रहा हूं, मेरे नहीं, फिर 200 एकड़ रख कर उस गरीब को कहेंगे कि तू पेट के पट्टी बांध कर राजस्थान में फिर। 5 परसेंट को जिंदा रखने के लिये आप यह कह रहे हैं तो फिर सारी उनमें ही बांट दीजिये और यदि आप को 95 परसेंट को जिंदा रखना है तो आपको बदलना पड़ेगा। मेरे यहां चलिये, भील चमार कोली बलाई बोले, अशोक के साम्राज्य में कोई ताला नहीं लगाता था घर के, आज भी ये लोग ताले नहीं लगाते घर के क्योंकि जिनके पास शाम का खाने के लिये अन्न नहीं, पहिनने को कपड़ा नहीं, जिनके पास मिट्टी का टूटा हुआ पानी पोने के लिये बर्तन पड़ा रहता है, जिनके किवाड़ नहीं वे क्या ताला लगावेंगे। इसलिये उनकी तरफ देख कर निर्णय करना है तो आप किस तरफ जा रहे हैं इस ओर जरा विचार करना होगा। मैं बड़े सिद्धान्त की बात नहीं जानता और न हमारे समाजवाद का क्या रूप है उस बारे में सोचता हूं। जमीन का प्रश्न आता है तो एक ही प्रश्न आता है वह उस व्यक्ति का आता है जो भूखा और नंगा है। मैं अभी जाकर आया हूं उधर। आज भी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। या तो मेरे खेत पर या दूसरे के खेत पर, जागीरदार के खेत पर श्रमिक बन कर काम कर रहे हैं। आप उद्योग नहीं दे सकते माइनिंग नहीं दे सकते। नौकर रखेंगे 1948 को बाबा आदम का कानून है उसके लिये भी। मिनिमम वेजेज देने के लिये क्या एम्पलोयर को पूछना। खेत का मालिक रुपया दे सकेगा या दो रुपया दे सकेगा। आज एक क्लास पैदा कर रखी है नौकरशाही की। उसमें भी अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, जिनको गरीब आदमियों की तरफ निगाह हो सकती है। एक अधिकारी को कहा कि तीन वर्ष से सेटलमेंट का केस चल रहा है कहने लगा कि आपने कह दिया इसलिये जल्दी होगया वरना दस साल लगते तब भी नहीं होता। राज्य के अधिकारी मेरे कहने से कर सकते हैं तो भले भटके कोई जावे तो क्या करेंगे। इसलिये बहुत कुछ बदलना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट कह कर ही खत्म कर रहा हूं।

पहले वाला कानून आया। उसमें बांधने का प्रयत्न किया लेकिन वह भी गायब हो गया। भूले भटके सन्यास लेने से पहले खेतीहर बन जाऊ और सीलिंग कानून के अन्तर्गत 200 व 300 बीघा जमीन ले लूं बस।

श्री निरंजन नाथ आचार्य - कौनसी तारीख है ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : पांच वर्ष बाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गौरी शंकर।

श्री दीपंकर :–आपके सामने मैंने भी नाम भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : 18-19 माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है फिर और भी माननीय सदस्य बोलना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहेंगे तो उनको आगे की कार्यवाही में एडजस्ट करेंगे। अभी बोलना चाहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सब को बोलने का मौका दिया जायगा।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, सीलिंग बिल आया उसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु इसके संबंध में मुझे जो उसमें ऐतराज हैं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

भूमि के विषय में कांग्रेस पार्टी ने बैठ कर जो कुछ तय किया है कि सीमा से अधिक भूमि बांटी जावेगी इस विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि हाउस में सब ही पार्टी के लोग इस बिल के संबंध में प्रकाश डाल चुके हैं। न मैं कोई किसान हूं और न मेरे पास कोई भूमि है और न ही मैं लेना चाहता हूं। मगर मैं किसानों की हालत व समस्याओं को जानता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी भूमि की सीलिंग पास कर रहे हैं उसमें भूमि हीन गरीबों का ध्यान रखा जाय। मैं समझता हूं कि इसमें गरीब का ध्यान नहीं रखा गया है। पार्टी के लोग बुरा मानेंगे परन्तु गरीब के दुख की बात को जरूर रखूंगा।

है क्या कि इस बिल में जो भूमि की अधिकतम सीमा आपने तय की है वह इतनी अधिक की है कि गरीब भूमिहीनों को जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि सरकार समाजवाद लाने के वास्ते बराबर कह रही है पर इससे समाजवाद नहीं आ सकता बड़ा अच्छा समाजवाद आ सकता है यदि सरकार कायदे से भूमि कृषि मजदूरों में बांट दे। इस तरह से समाजवाद आने में कोई कसर नहीं रहेगी। यह मान कर चलिये कि भूमि वास्तविक किसानों व भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिये है--बड़े आदमियों के वास्ते नहीं है और जोत की अधिक सीमा बांधने का जो कुछ भी पाप हो रहा है वह बड़े आदमियों के वास्ते हो रहा है। जो मुसीबत गरीबों की है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और भी जाति के लोग तकलीफ पा रहे हैं। उसमें पांच परसेंट ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन नहीं होकर मालदार हैं बाकी 95 परसेंट लोग इतने दुखी हैं कि कुछ अर्ज नहीं कर सकता। दस वर्ष से मैं जिला कांग्रेस का प्रेसीडेंट रहा हूं झालावाड़ जिला में काफी घूमा हूं और अब भी घूमता हूं मेरे पास 50 दरख्वास्तें तो ऐसी हैं जिनके पास रत्ती भर भी भूमि नहीं है और वड़े दुखी और त्रस्त हैं। वे लोग रोना रोते हैं कि हम अपने बच्चों को कहां ले जांय और क्या करें। उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं यह तो बताइये। 15--15 बीघा जमीन गरीबों को दी जाती है लेकिन उसका कब्जा नहीं दिया जा रहा है जो जागीरदार हैं, पूंजीपति हैं या बड़े भूमिपति हैं उनसे भूमि दिलाते हैं तो कब्जा नहीं देते हैं। इन लोगों ने भूमि पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं, मारते हैं पीटते हैं। दस दरख्वास्तें ऐसी हैं कि उनको मारा गया है बुरी तरह से। यह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं कि मुझे उनकी हालत को देख कर रोना आता है।

मुझे लम्बा चौड़ा कुछ नहीं कहना है परन्तु समाजवाद लाना है तो एक ही जरिया है। अभी जो मरदम शुमारी हुई उसमें खाने बने हुए थे कि किसके पास कितनी जमीन है, कितनी किसकी हैसियत है, कौन क्या काम करता है। 71 में मरदम शुमारी हुई है उसके अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। मंत्री महोदय को देखना चाहिये था। कितने

(श्री गौरीशंकर)

गरीबों के पास जमीन नहीं है। कितने गरीब तबाह हो रहे हैं। उनको उस का ध्यान रख कर ही अधिकतम सीमा का प्रस्ताव लाना चाहिये था परन्तु मैं क्या कहूं सब ही इसमें इन्वॉल्व्ड हैं एक कहावत है कि न कहूं मैं तेरी और तूं न कह मेरी। सब इसमें इन्वोल्व्ड हैं। वे कैसे गरीबों का दुख दूर कर सकते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि जो जमीन बड़े आदमियों के पास है उसके लिये मेरा सुझाव है, कि जितने भी भूमि हीन हैं, जिनके पास रत्ती भर जमीन नहीं है उनको 25।25 बीघा जमीन दे दें। इससे बड़े बड़े फार्म हैं वहां मजदूर तो काम करने आवेंगे नहीं और वे लोग बिना मजदूरों के खेती कर सकेंगे नहीं, और वे ऑटोमेटिक खत्म हो जावेंगे। उनके पास मजदूर नहीं आवेंगे तो व करेंगे क्या जमीन का। 15 बीघा गरीब को दी जाय और बड़े आदमियों के पास जोत की अधिक सीमा बांध कर सकडों बीधा जमीन बड़े भूमिपतियों के पास रखी जावे यह न्याय संगत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष आप घंटी की तरफ हाथ डाल रहे हैं। मैं एक मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं।

अब दूसरा मेरा कहना यह है कि काफी इस पर रोशनी डाल चुके हैं कि जो जमीन के झगड़े आवेंगे उसको निपटाने के लिये कलेक्टर और एस० डी० एम० को आप पावर दे रहे हैं। मंत्री महोदय यह बहुत गलत है। हम रात दिन जानते हैं जितने भी हैं मेरे ख्याल से कलक्टर रेन्क के ही ईमानदार होंगे। एस०डी०एम०, तहसीलदार अधिकांश में रिश्वतखोर हैं। वे क्या न्याय दे सकेंगे? बड़े बड़े आदमी सब अपनी मर्जी मुताबिक करवा लेंगे इसलिए मेरा सुझाव है, अगर आप मान लेवें तो अनुचित तो नहीं होगा क्योंकि आप कलक्टर या एस०डी०एम० के भरोसे छोड़ देंगे तो यह सब अनर्थ हो जायगा। इसलिए भूमि के झगड़ों के फैसले के लिए एक कमेटी बना दें जिसमें कलक्टर हो, उस जिले के एम०एल०ए० हो, और भी कोई एक सदस्य हो। तो कमेटी के रूप में हो तो ज्याद अच्छा रहेगा। कलक्टर को अकेले को अधिकार दे देंगे तो केवल वकीलों का मजा होगा और काश्तकार तबाह हो जायगा। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना है।

जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय जो बिल सीमा निर्धारण का आया है वह स्वागत योग्य है। इस बिल को लाने पर राजस्थान की जनता जो कि गरीबी हटाने के नारे को सुन चुकी थी, सरकार को धन्यवाद देगी और मैं भी उनके स्वरों के साथ धन्यवाद पेश करना चाहता हूं।

इस बिल को लेकर दो तरह की भावनाये सामने हैं और होनी भी चाहिये। एक तो यह कि शायद जिनके पास जमीनें हैं वे छिन जायेंगी और कुछ वे हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं और आशा लगाये बैठे हैं कि जमीनें हमें मिलेंगी। जिनके पास है उनके पास से न जाय यह प्रश्न आज का नहीं है। चाहे वह पूंजीपति हो, चाहे जागीरदार, जमीदार हो सबको बराबर के अधिकार होने चाहिये यह परम्परा से चला गया है। परन्तु वक्त वक्त पर समय की गति ने ऐसा पलटा खाया है कि वह अधिकार और संरक्षण सब चले गये। जबकि इस देश में एक बड़ी शक्तिशाली संस्था लम्बे समय तक शासन करती रही है और

(श्री दीपंकर)

अच्छी अच्छी बातें करते रहे हैं कि हम ऐसा कानून बनायेंगे जिसमें गरीब नहीं होग। हर हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों को गारन्टी दी दवा दारू की, रहने की, रोजी रोटी का बन्दोबस्त करेंगे परन्तु निहायत अफसोस के साथ निवेदन करना पड रहा है कि इतने लम्बे अर्से तक वह वायदों को पूरा नहीं कर सके। यह हुकुमत करने वाली पार्टी पर दबाव रहा है और वह दबाव आज भी बरकरार है और जितनी आशा और उम्मीद के साथ इस बिल को लाने की चर्चा है वैसा नहीं मिल रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार पहले भी जाहिर किये हैं और कहा है बहुत लम्बे अर्से के बाद लाये हैं। मैं समझता हूं अब भी ऐसी फिक्र है कि इस बिल को कहीं ले न लें। ऐसा वातावरण लोबी में भी है और हाउस में भी है।

यह बिल आकर चला गया, कानून नहीं बन सका तो इसके पीछे एक दबाव काम कर रहा है और उस दबाव को बदलने के लिए हमारी बहुत बड़ी जमात बैठी है और बैठनें का कारण यह कि जो कमजोर हैं, उनके लिये काम करें या साधन सम्पन्न हैं, उनके लिए काम करें। उसके बाद जो भी प्रचार हुआ उसमें यह कहा गया कि हम जमीन को बांटेंगे, हम धन को बांटेंगे और जो देश में फिजा है कि इन्सान बड़ा है या धन बड़ा है उसमें हम इन्सान की कद्र करेंगे। यह अमूमन चर्चा का विषय रहा है और आज भी यही जोड़ा जा रहा है कि आदमी की आमदनी का माप दण्ड मानकर यह निर्धारित नहीं किया जाता कि चाहे वह काश्तकार हो या नौकरी करने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो उसका आमदनी का मापदण्ड बदलना चाहिये। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो समाजवाद का नारा रुकेगा। चाहे सीलिंग का बिल लायें और चाहे शहरी सम्पति का बिल लायें। इसमें दूसरी तरफ के दबाव होंगे और जो दबाव होगा उसके लिये क्या कहा जा सकता है। एक मंत्री महोदय को कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन जो कुछ वह लाये हैं वह सराहनीय है। आज तक जिस विषय की चर्चा करते थे उसकी ओर कदम तो बढाया है। जिस तरफ देखा नहीं था उस तरफ देखा तो है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय सदय का समय 8-00 बजे तक के लिये बढा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृति)

सदन का समय 8.00 बजे तक के लिये बढाया जाता है।

श्री दीपंकर : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था जो भी बिल है, वह एक कदम है—इस दिशा में और बहुत ही अच्छा कदम है। हमें समाज में वातावरण जरुर बनाना चाहिये कि इस तरह से यह बिल लाया गया है और इसकी मंशा क्या है। एक माननीय सदस्य जो विरोधी बेंचों से आते हैं उन्होंने यह फरमाया कि समाजवाद की बात, राष्ट्रीयकरण की बात यहां नहीं करनी चाहिये। राष्ट्रीयकरण से रूस में भी कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं उन्होंने रूस का इतिहास समझने में भूल की है। रशिया ने सबको रोजी रोटी दी इसलिये रशिया का कहां मिलान करें और आज जो सीलिंग ला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, अब हमारे पैर यहां नहीं रुकेंगे। हम जहां जाना चाहते हैं, उसकी यह पहली सीढी है, यह पहला कदम है। अभी हम वहीं करेंगे, हमारे दूसरे

(श्री दीपंकर)

भाई करेंगे। देश में राष्ट्रीयकरण होगा और देश में समाजवाद आयेगा इसलिये हमें कभी भी भुलावे में आकर नहीं चलना चाहिये।

समाजवाद की ओर बढ़ाया गया यह कदम न कुछ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो बिल बना है उसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं और बहुत सी ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से सर्वे हो चुका है और उनकी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसमें लघु सिंचाई योजना प्रारम्भ की जा रही है और इधर डेजर्टका पूरा एरिया है और सिंचित नहीं है। इसमें कुछ जगह अन्डर ग्राऊन्ड वाटर बोर्ड का सर्वे हो चुका है और उसको सिंचित नहीं माना है। नागौर का उदाहरण है। मैं समझता हूं शायद जल्दी जल्दी में ऐसा हुआ है। इसको दुरुस्त कर सकेंगे, मंत्री महोदय मुझे ऐसी आशा है। हमारा लक्ष्य आखिर निर्धारित करें। हमारा देश आजाद हुआ उसके अन्दर अब तमाम लोग काम करने लगे हैं। हमारी जो अर्थ व्यवस्था है, उसको बनाना है। हमारे 55 करोड़ हाथ पैर चलें चाहे मजदूर हो, चाहे खेती पर काम करने वाला हो-काम करने से न शरमायें तो निश्चित है हमारी इकोनोमी बनेगी, हमारी थिन्किंग बनेगी, हमारे देश का ढांचा बदलेगा। अगर काम करना हम अपमान समझें और गुलाम बनाकर लोगों से काम लेते रहें और केवल यह कहते रहें यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा यह कुछ आदमियों द्वारा बनाया गया उत्पादन नहीं है और राष्ट्र की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है।

इसलिये इसको अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाने के लिये कोशिश की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस बिल को पारित करने के पहले मुख्य मंत्री महोदय भी हाउस में पधारेंगे तो हाउस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि माननीय सदस्यों की राय को वह बहुत कुछ आत्मसात कर पायेंगे और माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को भी कुछ निर्देश दे सकेंगे। हम यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यह बिल जिस भावना को लेकर बनाया गया है उसको जितना पूरा कर सकते हैं उतना करना चाहिये और जितनी सीमा तक जा सकते हैं वह जायें ताकि राजस्थान के लोग इसको सुनकर खुश हों। अगर इसकी सूचना मात्र से खुशी होगी तो यह भी बड़ी बात है लेकिन हमें हर तरह से कोशिश यह करनी चाहिए कि जो सर्वहारा तबका है, जो हरिजन भाइयों का प्रतिनिधित्व है उनके दिमाग में यह बात आनी ही नहीं चाहिए। इसमें शक नहीं कि इस बिल में ऐसी बात हो, ऐसी बात नहीं है। हमें मन्दिरों के नाम पर और दूसरे नाम पर कहां समता मिल पाई है। तो केवल कानून से ही खुशी नहीं है। कानून पास हो गया तो कौन सा काम हो गया। आखिर में समाज में वातावरण बनाकर और सरकार का सहयोग लेकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिये जिससे उनको काम मिले, धंधा मिलें, जमीन मिले और उनका आर्थिक ढांचा सुधरे। इस दिशा में एक कार्यक्रम बनायें और इस कानून को पास करने के साथ ही साथ मूर्त रूप देने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ऐसी मुझे पूरी आशा है।

इसके अलावा जो मुआवजे वाली बात वह बहुत ही हास्यास्पद बात है। एक तरफ हम जिनसे जमीन ले रहे हैं उनको मुआवजा देना चाहते हैं। या तो सरकार को गारन्टी

(श्री दीपंकर)

करनी चाहिए कि मुआवजा गवर्नमेंट देगी और जिनके पास जमीन नहीं है उनको मुफ्त में देगी तो बात समझ में आने वाली है वरना आज भी काले धन को छिपाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति फार्म बनाते हैं और उनकी जैसी रेट है अगर ऐसी रेट मुआवजे की रखी जाती है तो बड़ा मुश्किल है कि गरीब उसका उतना मुआवजा दे सके और इस तरह वह जमीन नहीं ले पायेगा। इसलिये जो मोटी मोटी बातें हैं उनके ऊपर दुबारा गौर करेंगे ऐसी मुझे पूरी आशा है। आशा है कि सरकार इस तरफ देखेगी कि इस कानून के पास होते ही समाज में कुछ परिवर्तन आये और इन बातों को नजर अन्दाज नहीं करेगी, मुझे पूरी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में पेश किया गया है इस पर करीब 20 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कृषि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण करने के लिये हमारा जो इलेक्शन मेनीफेस्टो था उसमें भी इसका जिक्र है और उसी आधार पर इलेक्शन भी लड़े गये थे। चुनावों के फोरन बाद ही सब जगह से एक आवाज आई कि कृषि जोतों पर जो निर्णय लेना है उसमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमने लोगों को वायदे किये हैं, भूमिहीन को बसाये जाने के वादे किये हैं और उसी बिना पर एक 9 मेम्बर्स कमेटी जिसका कि कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है वह मुकर्रर हुई। उसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद हिन्दुस्तान के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी कान्फ्रेन्स हुई। तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह कोई जल्दी में बिना विचारे कदम उठाया गया है। इसके लिये तो सारे हिन्दुस्तान में काफी चर्चा हुई, सारे अखबारों में रोजाना पढ़ते थे और सारी बातों पर चर्चा होने के बाद सारे मामले का निचोड़ चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में आया। उस चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में आखिरी दिन मैं भी मौजूद था। तो उसमें यह कहना हमारे कुछ साथियों का कि जो उनमें गाइडलाइन्स दी गयी हैं उनसे जो अब आपके सामने बिल आया है उसमें फर्क है। यह गलत बात है। माननीय अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की बातों के बारे में तो मैं बाद में कहूंगाः

श्री रामानन्द अग्रवाल: कौनसी तारीख की मीटिंग थी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य शांति से सुन लीजिये। क्वेश्चन आप बाद में पूछ लीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी: आपने मुझ पर गम्भीर से गम्भीर आरोप लगाये और मैं नहीं बोला तो अब आपको भी कम से कम एक जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से यह तो होना चाहिए कि आप मेरी बात को सुनें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: I don't want to disturb him but I wanted to know the date of the meeting.

श्री रामचन्द्र चौधरी: You should have patience to hear me.

श्री उपाध्यक्ष: जो इनफोर्मेशन आप चाहें वह बाद में ले सकते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह 23 जुलाई को मीटिंग हुई और उस चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में इन मुद्दों को लिया गया तो उनमें से जो मुद्दे हमारे सामने आये हैं उन मुद्दों से अगर हमारी सरकार एक इंच भी बाहर गयी है तो मैं तो कम से कम यह कहूंगा कि मैं इस्तीफा दूंगा कि कोई मुझे यह कह दे और साबित कर दे कि मैं इन मुद्दों से बाहर गया हूं। जितनी बातें हमने वहां पर की उन बातों के ऊपर आज भी हम कायम हैं और उन सब बातों से सब जगह नीचे हो गये हैं। आपने कहा कि जो पहले का सीलिंग बिल था वह अच्छा था और इसको हमने वाटर डाउन किया है। कैसे वाटर डाउन किया है? कौन से फैक्टस हैं जिनके बिना पर आप ऐसा कहते हैं? मैं यह कहता हूं कि पहले डेजर्ट में 336 एकड़ थी उसको हमने घटाकर 200 एकड़ की और उसमें भी हम तरमीम करना चाहते हैं और एक पाइन्ट के ऊपर ब्लैंकेट डिसीजन लिया गया कि जो पहले सीलिंग थी उससे अधिक कहीं भी राजस्थान में नहीं होगी। जब यह ब्लैंकेट डिसीजन हो गया तो यह कहना कि उसको वाटर डाउन किया है यह सरासर गलत है और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर रखना चाहते हैं सदन के सामने।

इसके अलावा आपने गंगानगर के बारे में कहा। गंगानगर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगानगर में एक तो आपने कहा अस्थाई इर्रिगेशन का, आप ऐसा नतीजा निकाल रहे हैं जो कहीं नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगानगर में 4 एकड़ से 15 एकड़ तक सारे नहरी इलाके में जमीन अधिकतम सीमा कम होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं कि कम नहीं होगी। मैं कहता हूं कि जो रिचेस्ट आफ दी लेंड है, जो कीमती जमीन है वह भी गंगानगर जिले में 4 एकड़ से 15 एकड़ तक कम होगी। उस के लिए कहना कि वाटर डाउन कर रहे हैं यह कतई गलत है। मैं मानता हूं कि 300 का 200 एकड़ करना बड़ी बात नहीं है लेकिन उसी की एक एक एकड़ की 5-6 हजार की कीमत है वहां 15 एकड़ कम होती है तो सबस्टेन्शिल आदमी को फायदा होता है या नुकसान होता है? तो हमने ऐसा किया है कि जितनी नहरी जमीनें हैं उसमें इतनी जगह हर जगह कम होगा।

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से भाइयों ने और हमारी पार्टी में भी बात हुई थी उसमें भी कहा था भ्रांति जैसी आपने फैलाई है वह लोगों के मनों में है कि गंगानगर में सीलिंग ज्यादा कर दी, दूसरी बात कर दी मैं गंगानगर के बारे में बताना चाहता हूं कि...

श्री रामनन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी, इस गजट में गंगानगर जिले में बारानी जमीन को हायेस्ट दिया हुआ है करीब 129 एकड़ जो खराब से खराब है। पेज 256, रेवेन्यू कोड वाल्यूम 4, इसमें गंगानगर जिला है जिसमें सबसे लास्ट में 129 एकड़ दिया है।

श्री खेतसिंह: आप को खराब से करना है या बढ़िया से करना है। आप तो बढ़िया की बात करो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : फिर थोड़ा शांति से सुनिये। मैंने कह दिया कि जो डिसिजन कर लिया है उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। जब कानून में मौजूद है तो फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं। यह तो कोई अनपढ बात करे उस तरह से बात करते हैं। आप तो पढ़े लिखे हुए हैं। इस तरह से बात करके क्या आप सदस्यों को धोखा देना चाहते हैं।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जो बात सही है, कानून में लिखी है उसको गलत केसे बताना चाहते हैं। इसके अलावा आप यह मानते हैं कि जिस कमीशन के आप खुद मेम्बर थे उसमें यह लिखा है:–

'Jaisalmer, Bikaner and Barmer districts last Siwana tehsil of the last will form the core of this Zone.'....

यह डेजर्ट जोन है।

"Shergarh, Phalodi tehsils of Jodhpur district are to be entitled (or condemned according 'to mode of expression) to form part of the desert Zone. The whole of Churu district except Rajgarh tehsils and tehsils of Anoopgarh and Suratgarh of Ganganagar district are also natural parts of desert Zone."

यह मेरी चीज नहीं है। यह उस कमीशन की रिपोर्ट है जिसके आप खुद मेम्बर रहे हैं। इसके बाद भी आप इस तरह से बेसलेस चीज कहें। मैं आपको बताऊं पिछले तीन साल के आंकड़े जो रेनफाल के रहे हैं। गंगानगर में सन् 68 में 8.51 सेंटीमीटर वर्षा हुई जो कि सवा तीन और साढे तीन इंच के बराबर है। दूसरे साल10.26 सेंटी मीटर जो कि करीब 4 इंच है वर्षा हुई, 69में। 70 में 23.34 सेंटीमीटर यानि कि साढे आठ इंच वर्षा हुई। इससे मालुम होगा कि गंगानगर में भी वर्षा नहीं है, रेनफाल नहीं है। यह बात कहना कि वहां अश्योर्ड इर्रिगेशन है यह सारी चीज गलत है। वहां भी डेजर्ट है और इर्रिगेटेड एरिया तो सारा का सारा है ही नहीं वल्कि सारा का बडा ाग नोन–इर्रिगेटेड है। केवल गंगानगर के नाम से ही यह कह देना कि वह तो एश्योर्ड इर्रिगेशन है और सारी ही उपजाऊ लेंड है यह गलत बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैंने तो ऐसा नहीं कहा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपकी मंशा यही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनका कोई डिसेंटिंग नोट था क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: हर जगह है। हर रिपोर्ट पर डिसेंटिंग नोट है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एरिया पर भी डिसेंटिंग नोट है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : स्टेट को जोन में डिवाईड किया है उसमें तो डिसेंटिंग नोट नहीं है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: राजस्थान में डेजर्ट नहीं है मैंने इससे-इन्कार नहीं किया है और न मैंने अपनी स्पीच में कहा है। राजस्थान में डेजर्ट है मैंने अपनी स्पीच में इस पर एतराज नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: तो इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एतराज तो यह था कि राजस्थान में दू-फसली जमीन है। आपकी जमीन दू-फसली है या नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: मैं बताता हूं आपको अभी। तो मैंने आपको गंगानगर के रेनफाल का रिकार्ड बता दिया। इसके

Page No 116

(116)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
अलावा सारे गंगानगर में केवल जो धग्घर बेड है उसको छोड़ कर मीठा पानी नहीं है। अव्वल तो पानी मिलता ही नहीं है और मिलता भी है तो खारा पानी है जो किसी काम का नहीं है। यह गंगानगर से आने वाले सदस्य जो आपके पीछे बैठे हैं आप उनसे पूछिये, उनके पास 21 मुरब्बा जमीन थी, कहां गई?

श्री गुमानमल लोढा: किन से मतलब है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

(व्यवधान-अश्रव्य)

जिनके पास 21 मुरब्बा जमीन हो वह कितना बड़ा लैंडलार्ड होगा और जिसकी करोड़ों की आमदनी हो वह आज यह कहे.....

(व्यवधान-अश्रव्य)

21 मुरब्बा में से कितनी जमीन भूमिहीनों को दी है। सबसे बड़ा कम्युनिस्ट यहां है।

श्री गुमानमल लोढा: कितना मुरब्बा बताया आपने?

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह भी इस बिल की खिलाफत नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा: हाण्डा साहब के पास कितनी जमीन है?

श्री रामचन्द्र चौधरी: वह तो मैंने बड़े कम्युनिस्ट की बात बताई है आपकी अब बताऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह तो सीलिंग के लिये लड़ रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उसकी दलील दी है।

श्री गुमानमल लोढा: चले कहां गये हाण्डा साहब।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसके बाद यह भ्रम फैलाया गया है हरिजनों के नाम से और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सब नेता बनना चाहते हैं और कहते हैं कि इन गरीबों को क्या मिलेगा, राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार ने कोई इंसाफ इनके साथ नहीं किया तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने 58,15,95,000 एकड़ जमीन 6 जून 1972 तक जो राजकीय भूमि है वह हमने भूमिहीनों को अलाट की है और वह की है जो कि करीब 7 एकड़ पर व्यक्ति पर हैड आती है, वह किया है हमने 8 लाख 58 हजार, 232 आदमियों को। इसमें 4,12,056 हरिजन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। मुझे यह बतायें कि इतना किसने किया है। 50 परसेंट तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन अलाट की है। उनके लिए 25 परसेंट और 28 परसेंट तक है लेकिन हमने तिगुनी जमीन दी है। दूसरों को रोक कर इनको जमीनें दी हैं और सारे भूमिहीनों में भी जितनी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जितनी जमीनें राजस्थान सरकार ने दी हैं मेरे खयाल से हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने नहीं दी है। इसके अलावा आप कहते हैं हमने क्या किया। सन् 55 में जब टीनेंसी एक्ट पास हुआ उस वक्त एक ही तारीख को, एक ही दिन में जिस किसी का कब्जा था उनको खातेदारी हक दिए हैं।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
उनको खातेदार बनाया है, जमीनों का मालिक बनाया है। उसमें मैं बताता हूं आपको ....

श्री केदारनाथ : आप रामानन्दजी को एड्रेस मत करो, हाऊस को एड्रेस करो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरा ज्यादा उनसे ही वास्ता है। 8,51,943 आदमियों को 43,05,799 बीघा जमीन दी है। एक ही दिन में 43 लाख एकड़ के करीब जमीन आठ लाख व्यक्तियों को अलाट की है। इस प्रकार करीब साढे सोलह लाख व्यक्तियों को एक करोड़ एकड़ से ऊपर भूमि भूमिहीनों को दी गई है। यह कौनसी हिन्दुस्तान की स्टेट ने ऐसा किया है। इसलिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आप बता रहे हैं। यह तो जो लोग काबिज थे उनके राइट्स को रेगुलराईज करके खातेदार डिक्लेयर कया है, जमोन थोड़ी ही दी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अच्छा। इसके बाद भी मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक तो एतराज किया अश्यार्ड ईरिगेशन के बाबत। अश्योर्ड ईरिगेशन का जो कानून है वह अभी तक दो एक्ट इसके बने हैं जिनको प्रेसीडेंट की असेंन्ट मिली है और वह पंजाब और हरियाणा के हैं और इनमें इन्टेंसिटि आफ ईरिगेशन है। जैसा माननीय सदस्य गंगानगर से आने वालों ने कहा Intensity of irrigation has been taken into consideration. उस बेसिस पर किया गया है। हमने भी राजस्थान में यह बात की तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने ओथोराइज्ड आफिसर रखे हैं तो वह बहुत गड़बड़ करेगा, भ्रष्टचार करेगा। इसलिए जहां तक अश्योर्ड ईरिगेशन का और गवर्नमेंट सोर्सेज का सम्बन्ध है, इस पर गजट नोटिफिकेशन है। यह ऐसा आफिसियल डाकूमेंट है जिसको आप ज्यूडिशियल नोटिस ले सकते हैं। यह इन्टेंसिटि आफ ईरिगेशन क्या है उसका सब जगह पर रिकार्ड है और इसमें किसी ओथोराइज्ड आफिसर को भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस तरह से इन्टेंसिटि आफ ईरिगेशन के दो एक्ट्स पर प्रेसीडेंट की इजाजत मिली है और केवल दो बिलों को क्लियर किया है। इसी तरह से हमने, आप यह मत समझिये कि कोई अन्धाधुंध तरीके से हमने आर्डीनेंस पास कर दिया है। हमने सात मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट आफ इण्डिया की से इसको क्लियर कराया है और जो हमको उन्होंने सुझाव दिए, उनको माना है।

इसलिए यह समझना कि आप यहां बैठे हैं वह बहुत ज्यादा समाजवादी हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं और 20 चीफ मिनिस्टर्स इंडिया के जहां पर बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर जिसकी चैयरमैन थी वह समाजवादी नहीं थे, इतना आगे बढे हुए नहीं थे, उनके विचार इतने प्रगतिशील नहीं थे ऐसा मानना गलत बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज जो बात हमने की है वह उनकी गाइडेन्स में की है और एक इंच भी हम उससे इधर-उधर नहीं हुए हैं।

एक बात यह आई कि यह ट्रान्सफर्स करने का जो बोनाफाइड का क्लाज रख दिया है उससे आपका मतलब यह है कि जो हम लोगों को जमीनें देना चाहते हैं उसका परपज डिफीट करके वापिस लेना चाहते हैं। यह बात नहीं है। भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स हैं इसमें रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
दिया है 24 जनवरी 1971 उसमें यह है--

Specific provision should be made in the ceiling l w making it clear that the onus of the benefit nature of any transfer of the land made after the date will be on the transferer.

यह उन्होंने बिल्कुल अपनी गाइड लाइन्स में दिया है और उसमें उन्होंने जो 24जनवरी 1971 किया था लेकिन हमने 26 सितम्बर 1970 से किया था पहले बिल में।

श्री रामानन्द अग्रवाल: चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना वायदा निभाया है। आपके ताबे की बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: यह भी गनीमत है कि आपने इतना तो माना है। इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन्स में ज्यादा नहीं है मगर हमने यह भी कर दिया है कि ट्रान्सफर किये हैं रिश्तेदार के हक में चाहे कोई दूर का हो या नजदीक का हो तो उसको हम नहीं मानते हैं। हम इतनी दूर गये हैं। भारत सरकार की गाइड लाइन्स से आगे गये हैं। उसको भी छोड़कर जनता के हित में आगे बढ़े हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल: बोनाफाइड ट्रान्सफर को डिफाइन किया है क्या उन्होंने जैसा कि आपने कर दिया है गुड कन्सीडिरेशन। ऐसा उसमें नहीं है गाइड लाइन्स में। अगर है तो पढ़कर सुना दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसमें कहा है---

Specific provision should be made in the ceiling law making it clear that the onus of the benefit nature or any transfer of the land made after the date will be on the transferer.

बोनाफाइड तो सिम्पल है हमने इससे भी आगे कर दिया है कि किसी रिश्तेदार के हक में हो और चाहे वह कीमत देकर भी किया हो तब भी हम कहते हैं कि हम उसको ठीक नहीं मानेंगे, जायज नहीं मानेंगे। हम बहुत आगे गये हैं।

श्री निरन्जनाथ आचार्य: यह अवहेलना की है आपने भारत सरकार की।

श्री रामचन्द्र चौधरी: हां इस मायने में।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने बोनाफाइड में यह कर दिया गुड कन्सीडिरेशन, रिलेटेड हों यह सब बोनाफाइड कर दिया है ओनस उस पर रखा था जब कि आपने इसमें ओनस अपने पर लेकर उसको ठीक कर दिया। भारत सरकार के उसमें यह है बोनाफाइड वह अपने आप प्रूव करेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उसमें लिखा है मुझे ऐसा लगता है कि आपने कानून को देखा नहीं है और बहस कर रहे हैं। कानून को देखते तो हमने इसमें यह लिखा है बोनाफाइड प्रूव करने के बारे में सबूत ट्रांसफर पर रहेगा साबित करने का।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कुछ ट्रांजेक्शन्स को आपने क्लियर कट बोनाफाइड कर दिया है कि उसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं गुड कन्सीडिरेशन में रिलेशन नहीं हो...

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी कहते चले जायं और मैं चुप रहूं तो मेरे चुप रहने का मतलब यह है कि मैं ऐग्री करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। जो माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं उसको आप सुनें। माननीय मंत्रीजी को आप भाषण समाप्त करने दें और उसके बाद में स्पष्टीकरण चाहें गे तो बाद में प्रश्न करके पूछ लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी :- माननीय उपाध्यक्ष, वी एग्रीड टू disagree आउट आफ एण्ड एफक्शन केरल में ...

श्री गुमानमल लोढा : ट्रांसफर एलाउड हैं यह शायद आपको पता नहीं है रामानन्दजी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This has been removed.

श्री गुमानमल लोढा : When the Communist Ministry was in power, transfer was allowed.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज तो चौधरी साहब ये आपके साथ साथ चल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : काम्यनिस्ट मिनिस्ट्री की कहानी बताते हैं तो आपको ऐसा लगता ।

श्री केदारनाथ : काम्युनिस्टों में एस्थेटिक सेन्स है यह तो आप मानते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले जो एक्ट बना था तो स्टडी एक एक गांव की साइल क्लासिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, पैटर्न आफ क्राप, क्लासिफिकेशन, रेनफाल इन सारों की स्टेडी करके फिर किया गया था, और अब की बार एक एक का अलग अलग वर्गीकरण किया नहीं क्योंकि इतनाटाइम नहीं था और अगर करते इसमें दो साल और लगते और हम नहीं चाहते थे कि दूसरे दो साल और खत्म हों। हम चाहते हैं कि इसको तुरन्त इम्पलीमेंट करें जिससे हम आगे बढ़े और कम से कम किसान के दिमाग में एक सर्टेन्टी आये कि वी आर ऑन देअर साइड इसलिये यह बिल आपके सामने पेश किया है।

इसमें कम्पेन्सेशन के बारे में मैं खुद सोच रहा हूं और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यह जैसा कि कम्पेन्सेशन के बारे में कई सदस्यों ने कहा कि बहुत ज्यादा है तो इसके लिये एक दूसरा सुझाव आपके सामने पेश करूंगा लेकिन इसमें यह बता देना चाहता हूं कि आपके जहां पर प्रोजेक्टस हैं तो आपने भी देखा होगा कि चम्बल प्रोजेक्ट है, भाखरा प्रोजेक्ट है, गंग प्रोजेक्ट है और आर० सी० पी० है तो आर० सी० पी० और जो ऐसे प्रोजेक्टस हैं पहले से चल रहे हैं इसलिये कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आर० सी० पी० में लेंडलेस को जमीन देते हैं और उससे 20 हजार या 15 हजार रुपया एक एकड़ का लेते हैं तो यह रिजर्व प्राइस है लेकिन आक्शन किया तो एजीटेशन चला और वहां पर कीमतें 20 से 60 हजार मुरब्बा की आई। यह रिजर्व प्राइस लैण्डलेस के लिये है 20 हजार। वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी तो उसमें उसने डेवलपमेंट का सुझाव पेश किया है तो उससे कीमत 1200 से 1800 एकड और ज्यादा आयेगी। इसका मतलब यह है कि 3000 और 35000 बीघा लैण्डलेस से गवर्नमेंट लेगी। मैंने यू० एन० डी० पी० में देखा है जो कि कोटा में काम कर रहे हैं। वहां पर सीपेज और वाटर लोगिंग के प्रोब्लम्स पेश हुए हैं तो उसको डेवलप करने के लिये और जमीन को सुधारने के लिये वहां पर यू० एन० डी० पी० की

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

स्कीम्स उस जगह पर चल रही है तो वहां पर एक एकड़ पर उनका खर्चा करीब 1,490 है यानी 1,500 रुपया का खर्चा है। पानी ले रहे हैं। उनको डेवलप करने के लिये 1,500 खर्च हुए हैं। आज जमीन मान लें कि एक साथी के पास 29 एकड़ जमीन है तो हम उसके पास में 27 एकड़ जमीन छोड़ेंगे और उसके पास से दो एकड जमीन लेंगे वह डेवलप जमीन लेंगे नहरी जमीन लेंगे। गवर्नमेंट 3000-3500 में देती है और डेवलपमेंट के चार्ज 1500 हैं तो 1600 रखे गये हैं तो क्या बेजा चीज है। सारे प्रोजेक्ट एरियाज में 1,500, 1,600 रुपये एकड़ में कहां जमीन मिलती है। वन फोर्थ प्राइस हम लोगों ने रखी है वह इसलिये रखी है कि काश्तकार पर इतना वजन न पड़े और कुछ समय में जमीन से वह पैदा करके उसको जमा करा दे, और हम इसको किश्तों में रखना चाहते हैं। तो काश्तकार की सहूलियत के लिये हम यह कर रहे हैं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक साइन्टिफिक बेसिस और है कम्पेन्सेशन का और उसमें ऐसा है जिस जमीन की जो हैसियत है, मान लें कि रेगिस्तान की जमीन है तो रेगिस्तान की जमीन में 20 या 30 सेर बीघा से ज्यादा की उपज नहीं है तो उसकी प्रोड्यूस मान लें कि 20 सेर है तो 20 सेर का वन फिफ्थ 4 सेर हो गया तो 4 सेर पहले तीन हेक्टर के लिये है उसका 12 गुना यानी 48 सेर की जितनी कीमत बनती है वह बीघे की कीमत हो जाती है। तो जिस जमीन की ग्रास प्रोड्यूस 300 है तो उसकी 60 रुपया बीघा कीमत हो गई तो 60 रुपये के हिसाब से उसका 12 गुना 720 रुपये हो गये। तो इस तरह यह साइन्टिफिक बेसिस है कि जिस जमीन की जितनी हैसियत हो, जितनी पैदावार वह देती है तो उसके हिसाब से उसके मालिक को मिल जायगा और किसान को देंगे तो बहुत सस्ते रेट पर जमीन प्राप्त हो जायगी और किश्तों में हो जायगी और हम यह प्रावधान कर रहे हैं और पंजाब में यह प्रावधान है। हरियाणा में मार्केट वेल्यू है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जिस चीज को मानते हैं केरल में तो वहां पर मार्केट वेल्यू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले बिल में जिसको आप इससे रिपील कर रहे हैं यह आप मानते हैं कि उससे कम्पेन्सेशन आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं। उसमें 30 गुना लगान का था। यह बात सही है कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: यह क्वेश्चन आफ फेक्ट्स आप देख लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले बिल में जिसको आप इससे रिपील कर रहे हैं उससे बड़ा है कि नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: कहीं कहीं तो 22 रुपया बीघा है 35 रुपया एकड़ है लगान। यानी जितनी स्टेट्स थीं, और तो कोई सोर्स आफ इनकम नहीं था, तो सोर्स आफ इनकम बढ़ाने के लिये इन्होंने अलग अलग जगह जगह लगान रखे हैं। कहीं 16 है, कहीं 18 है। कहीं 30 रुपया हो जाता है। 900 रु० है तो इतना तो कहीं भी नहीं है। गंगानगर में कहीं लगान 4 आना है, कहीं 6 आना है। अब दो रुपया हो गया है। आप मानते हैं कि वहां पर जमीन का क्या भाव हो गया है। जो डेवलपमेंट दिया गया है, उसका कम्पनसेशन बेजां नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गंगानगर का कम्पनसेशन आपने बढ़ा दिया है। पिछला 1,600 था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कहीं पर 12 रु० कहीं पर 48 रु० लगान, कहीं पर 46 रु० है। तो यह ऐसा आधार था। इसलिये यह कहना कि कम्पेनसेशन का आधार ठीक नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूं।

एक माननीय सदस्य : गलत के बजाय निराधार कह दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : निराधार सही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो यह कहा कि पहले से बढ़ गया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब मैं माननीय सदस्य ने जो जवाब दिया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक तो मैं यह समझता था कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदार आदमी है। लेकिन उनके बारे में मेरी यह धारणा गलत निकली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्वीकार है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : देखिये, मेरे ऊपर जब आपने प्रहार किये तो मैंने धैर्य-पूर्वक सुना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा मतलब..

श्री उपाध्यक्ष : यह आथेरेटी तो मंत्री जी के पास है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार का क्लैरीफिकेशन नहीं करना चाहिए। आप तथ्यों का उत्तर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : किसी पर आरोप लगाना है तो उसके तथ्यों पर विचार करना चाहिए। मैं आप को बताता हू, आप का पहला सीलिंग बिल 1959 में आया। 1959 के बाद मैंने किसी लड़के के नाम लगाया हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर पहले से है तो यह सरासर गलत है, जो आप को हाउस में नहीं कहना चाहिए था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : The House may make its own opinion and all these matters are of enquiry.

श्री रामचन्द्र चौधरी : रिप्लाई के बाद कह दें। Have the patience to hear me first.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने अपना ट्रांसफर 2-3-70 को करवाया है। लड़के ने...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र चौधरी : लड़का अगर अपने लड़के के नाम करवाता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्वाइन्ट फैमिली है, आप करते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक मेरा लड़का 40 साल का है। एक 28 साल का है। आप यह तो मानते हैं कि उनके भी आगे बच्चे हैं। आप 20-20 की फेमिली बना दें तो जिम्मेदार हूं। 59 से पहले सीलिंग नहीं था। उसके बाद अगर मैंने किया है तो आप कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I will prove it. Let it be enquired into by a Judicial commission.

इसके लिये जांच मुकर्रर करवाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र चौधरी: आपने यह कहा है, यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपने कहा है कि इसलिये सीलिंग कानून खराब है। आज तक मैंने कोई जमीन बेची नहीं है। अगर मेरे पास फालतू जमीन होती तो मैं बेचता खरीदता नहीं। आपने कहा है कि मैंने वाइफ के नाम जमीन कर दी है तो इतना तो आप समझते हैं कि पति पत्नी की जायदाद costury, में अलग नहीं मानते।

एक माननीय सदस्य: गलत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: यह बिलकुल ठीक है कि मेरी आपके बारे में जो पहले धारणा थी वह बिल्कुल मिट गई है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: इससे अच्छा सर्टिफिकेट मुझे और क्या दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य: तीन बार मत कहिये तलाक हो जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी: पहले कानून में भी वाइफ हस्बैण्ड की अलग प्रापर्टी नहीं थी। इसलिये आप समझ सकते हैं कि सीलिंग से बचने के लिये नहीं किया है। न कोई ऐसी बात थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने करवाया है, 6 हजार के आपने स्टाम्प्स खरीदे हैं, इन इण्टीसिपेशन डेट्स में। आपका एक बड़ा फार्म हनुमानगढ़ में है। एक जगह आपका you are a joint family. All partitions by your sons are illegal.

आपके दो लड़के साथ रहते हैं। I know all this is illegal.

श्री रामचन्द्र चौधरी: मेरी संयुक्त ज्वाइन्ट फैमिली है। आप कानून जानते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप भी कानून जानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य: No, No. He is right.

श्री रामानन्द अग्रवाल: I know you are an ally. That is noted.

श्री रामचन्द्र चौधरी: मुझे बोलने तो दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने नाबालिग लड़कों के नाम जमीन ट्रांसफर की है। You being a Minister have done it.

श्री छोतसिंह: आपकी गाइड लाइन तो डांगे की है। यह गाइड लाइन इन्दिरा गान्धी की है। डांगे की नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह नहीं है आप रेवेन्यू मिनिस्टर है। अपने बच्चों के नाम जमीन अलाट कर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इससे आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: 2-3-70 को..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी स्पष्टीकरण आपका मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय से होगा, उसका मंत्री महोदय का जवाब होने के बाद मिलेगा। उनको बोलने न दें तो यह हाउस का कार्य चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिये पुन: निवेदन करूंगा जो भी वह स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, वह करलें। उनके जवाब को समाप्त होने दीजिये जिससे कार्यवाही भी आगे चले।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ज्यादा उत्तेजित हैं इसलिये मैं ज्यादा बात इस पर न कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ कि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, व्यक्ति की गरिमा को समझते हैं, व्यक्ति को महान मानते हैं और वह एकतंत्र में विश्वास करते हैं, सोसाइटी को मिटाने में विश्वास करते हैं, व्यक्ति की गरिमा उनकी निगाह में कोई चीज नहीं, वह मक्खी मच्छर की तरह उनके सामने हैं। उनका उसूलन मतभेद है, पांच एकड़ करेंगे, एक एकड़ करेंगे तो भी वे कहेंगे कि नेशनेलाइजेशन करो……

श्री रामानन्द अग्रवाल : नेशनेलाइजेशन की पालिसी आपकी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो गाइड लाइन है, हम उसके अण्डर रहना चाहते हैं और उसी के नीचे यह बिल बनाया है जो आपके पास है। हम जानते हैं कि प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, वह टाइम निकालने के लिये और टालने के लिए किया है। इसलिये इसको नामंजर किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्लेरिफिकेशन के लिये कहा था। मैंने आरोप लगाया था कि आपने...

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत आरोप के संबंध में·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : He has not replied to my point.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He has not refuted my charge.

श्री खेतसिंह : लोकायुक्त अपाइन्ट हो रहा है, उसके सामने पेश कर देना।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं भूल गया। एक मिनिट में मैं अर्ज कर दूं।

श्री खेतसिंह : लोकायुक्त अपाइन्ट हो रहा है। उसके पास रिपोर्ट हो जायगी तो जांच हो जायगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच हो जायगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इन्फार्मेशन के लिये कहता हूं, मैंने जमीन पर एक बूटा नहीं लगाया है। अगर लगाया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप इस्तीफा दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लड़के के, बीबी के उसमें लगा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरी बीबी के भी नहीं, एक भी बूटा नहीं है। अगर है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे दें यह गलत बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बैठा दिया जाय जो निष्पक्ष रूप से जांच करें। माननीय मंत्री जी, जो हाउस में स्टेटमेंट दे रहे है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिस प्रकार उन्होंने दुरुपयोग किया है आफिशियल पोजिशन का, सीक्रेट डाकूमेंट और स्टेट पालिसी ,का उसकी इन्क्वायरी के लिए जुडिशिअल कमीशन बैठाया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो हार्ड फेक्ट्स हैं, रामचन्द्र जी की जमीन के अन्दर नया पेड़ लगाया गया है अथवा नहीं लगाया है, यह तो छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं है। आपने पब्लिकली एलीगेशन लगाया है और आपने पब्लिकली उसको रिफ्यूट किया है। मैं समझता हूं, इतना काफी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज भेज दें, हाण्डा साहब के साथ आज भेज दें, जांच के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : आपका एक्सप्लेनेशन आ गया, देट इज एनफ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक जानकारी चाहता हूं, हाण्डा साहब के पास कितने मुरब्बे थे और कब ट्रान्सफर किये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो वे ही बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 पर विचार एवं पारण।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री केदारनाथ : आज ही करना है पास।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज खण्डशः विचार करना चाहते हैं या कल ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, आज।

श्री खेतसिंह : चलने दीजिये, आठ बजे तक समय बढ़ाया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : चलने दीजिये। मैं भी जाऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां, हम तैयार हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल प्राइवेट मेम्बर्स डे है, आगे ले लें, चार पांच रोज बाद।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने लीडर ऑफ हाउस से पर्मीशन मांगी थी कल के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस प्रकार का टाइट प्रोग्राम है उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते इसलिए बिल आज पास करना चाहिए।

श्री केदारनाथ : हम तैयार हैं, नॉन आफिसियल बिजनेस है, वह कल दो बजे बाद ले लें, उसके पहले इसे ले लें।

श्री खेतसिंह : आपके पास बैठे हैं, वह तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि कल नॉन आफिसियल डे है, आप कहते हैं दो बजे बाद ले लेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नान आफिसियल डे है, पहले पौंग डेम पर सारा का सारा दिन ले लिया गया,था इस कारण से सारे रिजोल्यूशन लेप्स हो गये। हम चाहते हैं कि नान आफिसियल रिजोल्यूशन हैं उनको पूरा टाइम दिया जाय। इसे कल ले लें, परसों ले लें।

श्री हरिदेव जोशी : यह सम्भव नहीं है कि परसों लिया जाय। मैंने निवेदन किया, इसके इम्पलीकेशन लीडर आफ दी हाउस के सामने रख दिये, उन्होंने एक बार नहीं, तीन बार उत्तर दिया आज करना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल रखना चाहें तो नॉन आफिसियल रिजोल्यूशन के बाद रख लें।

श्री हरिदेव जोशी : उसमें फर्क नहीं है। आज लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें (ज्ञ) है 'फलोद्यान' से द्राक्षोद्यान या अंगूर-वाटिका वाली या केले और अमरूद के उद्यानों वाली भूमि के सिवाय" इसमें मेरा संशोधन है कि द्राक्षोद्यान या अंगूर वाटिका वाली या केलें और अमरूद के उद्यानों वाली भूमि के सिवाय-शब्द निकाल जाने चाहियें, क्योंकि विशेष तबके के लोग हैं जिनके यहां अंगूर की खेती है और वह लोग इससे वंचित रहना चाहते हैं। इससे वह वंचित नहीं रह सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सारे शब्दों को निकाल दिया जाय। उदाहरण के लिये मैं नाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं इतना संकेत पर्याप्त है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किनके अमरूद के उद्यान हैं या अंगूर के खेत हैं। उनको कानन से बचाने के लिये यह रखा है, यह कानून पास हो जायगा तो गरीब तो नहीं, यह कानून से वंचित हो जायेंगे। इसलिय मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

(i) भाग (च) में द्वितीय बार प्रयुक्त शब्द "अवयस्क" विलोपित किया जाये;

(ii) भाग (ज्ञ) में चतुर्थ एवं पांचवीं पंक्ति म प्रयुक्त शब्द "या परे तौर से उग जाने पर प्रवारित करेंगे" को विलोपित किया जाये;

(iii) भाग (ड) में प्रयुक्त शब्द "से कोई" के पश्चात् तथा शब्द "वयस्क पुत्र" के मध्य शब्द "विवाहित" अन्त: स्थापित किया जाय;

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(iv) भाग (ण) के पश्चात् निम्नांकित दो नवीन भाग (त) तथा (थ) अन्त: स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(त) सुनिश्चित सिंचाई वाली एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य भूमि में गंग नहर, भाखरा नहर, चंबल नहर, राजस्थान नहर एवं निजि नलकूपों से सिंचित भूमि (रेगिस्तान जोन कर छोड़कर जो अनुसूचि में दर्ज हैं) को सम्मिलित समझी जायेगी।

(थ) सुनिश्चित सिंचाई वाली और वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने योग्य भूमि में मध्यम एवं लघु सिंचाई (प्रोजेक्ट) में सिंचित भूमि बिजली एवं मशीन से चालित कुओं से सिंचित (रेगिस्तान जोन में कुओं द्वारा सिंचित को छोड़कर) एवं नान पेरेनियल केनाल्स, गंग नहर भाखरा नहर, चम्बल नहर और राजस्थान नहर द्वारा सिंचित भूमि सम्मिलित समझी जावेगी"।

मैंने एक संशोधन रखा है, उसके अंदर है फेलोद्यान है, "ऐसी भूमि के पर्याप्त भाग को किसी कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाने से प्रवारित करते हैं, या पूरे तौर से उग जाने पर प्रवारित करेंगे", मैंने "या पूरे तौर से उग जाने पर प्रवारित करेंगे" को विलोपित करने के लिये संशोधन प्रस्ताव दिया है। मेरा अर्थ यह है, यह फलोद्यान हैं, अभी जो ओर्चर्ड हैं, उस ओर्चर्ड को इस समय उगाने की कोशिश करेंगे तो एन्करेजमेंट मिलेगा। जिन लोगों ने फलोद्यान तैयार किये हैं, जिन्होंने कोशिश की है, इसलिये जो कमेन्समेंट आफ एक्ट के समय फलोद्यान तैयार हैं, जिसमें फल आये हुए हैं, उन्हें संचालित किया जाय। लेकिन इनके आने से इनकी सीमा बढ़ जायगी और दूसरे लोगों को एन्करेजमेंट मिलेगा और इसकी जांच करना भी डिफिकल्ट हो जायगा। इसलिये इस पोर्शन को डिलिट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननी उपाध्यक्ष जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री महोदय कि नाइन मैन कमेटी की गाइड लाइन थी, उसके अनुसार शायद उनसे यह आवा वर्ड ओमिट हो गया है और ओर्चर्ड में नहीं माना है। वाइन यार्ड ओर्चर्ड, एरक नट (सुपारी) कोको नट इनको तो नहीं माना परन्तु आवा को इसमें नहीं लिया था, आवा ऐसी चीज है, जो सबसे ज्यादा सस्ती होती है, जो बाजार में सस्ती कीमत पर मिलती है, इसलिये मैं समझती हूं कि माल्टा, नींबू, मौसम्मी, अनार के साथ इस गरीबों के फल को जोड दें तो मैं समझती हू उपयुक्त होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि भाग (ञ) में प्रयुक्त शब्द "और अमरूद" को विलोपित किया जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कुछ उद्यान बच जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। इसमें आपका और है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष जी, खण्ड 2 में मेरा पहला संशोधन है "भाग (च) में शब्द 'अवयस्क' जहां भी हैं उन्हें विलोपित कर दिया जाय," भाग (च) है, 'कुटुम्ब' से पति, पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चों से मिल कर परन्तु अवयस्क विवाहित पुत्री को छोड़ कर बना कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है,' मेरा संशोधन है, उसका मकसद तो जैसा मैंने अपनी जनरल स्पीच में कहा था कि इस फेमिली के अंदर हम बालिग लडका, जो लडका बिना व्याहा है, अविवाहित है, उसको सेपरेट यूनिट न मानें, विवाहित है उसकी सेपरेट यूनिट अपने आप हो जायगी लेकिन अविवाहित और बालिग है वह सेपरेट यूनिट नहीं होना चाहिये। इसलिये इसमें से "नावालिग, अवयस्क" शब्द निकाला जाय। दूसरी जगह अवयस्क शब्द यूज किया गया है, उसका सिलसिला समझ में नहीं आता। मैं जानना चाहूंगा, मंत्री जी से, उन्होंने कहा, नावालिग व्याही हुई लड़की, उसको निकालने वाली बात है, बालिग, व्याही हुई लड़की-इसका मतलब वह सदस्य रह गई। यह असंगति मालूम पड़ती है इसके अंदर और इसलिये मैं समझता हूं कि जो भी हों, इसके अंदर बालिग हों, नावालिग हों, उसको कुटुम्ब का सदस्य होना चाहिये। मेरे इस संशोधन के पक्ष में मेरा यह तर्क भी है कि हम पिछले कानून से इसको प्रोग्रेसिव कानून बनाना चाहते हैं, इसके उद्देश्यों में भी यह बात लिखित है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आ चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसमें पहले कानून में जो फेमिली की डेफिनेशन है उसमें बालिग नावालिग के अंदर फर्क नहीं किया गया है, इसलिये मैं चाहूंगा मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दो में बहुत है मेरे। दूसरा मेरा संशोधन है कि भाग (झ) में शब्द 'पर्याप्त' के स्थान पर शब्द 'सम्पूर्ण प्रतिस्थापित किया जाए एवं अंत में प्रयुक्त शब्द "या पूरे तौर से उग जाने पर प्रवारित करेंगे" विलोपित कर दिये जायें। यह जो डेफिनेशन (झ) में दिया गया है बागात का इसके अंदर न केवल एग्जिस्टिंग गार्डन्स जैसे कि ऊपर के डाइरेक्शन हैं उसमें तो एग्जिस्टिंग गार्डन्स हैं, जिस कानून को लगाना चाहते हैं इसके अंदर एग्जिस्टिंग गार्डन्स बिल्कुल जिस दिन कानून लागू होगा याने 1-1-73 तक जिसने बाग लगा लिये जैसे हनुमानगढ़ वाले कहीं पर भी वह सारे के सारे चाहे 1-1-73 को जिसने लगा लिये, वह भी 54 एकड़ वाला हो जाएगा, यह उद्देश्य नहीं था। मैं समझता हूं जान बूझकर कुछ एरियाज को कवर करने की दृष्टि से इसके अंदर यह डेफिनेशन इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिया गया है ताकि जो लोग अगस्त के बाद बाग लगायें उनके बाग भी इसके अंदर कवर हो जायं। इसलिये बागात की परिभाषा में एग्जिस्टिंग गार्डन्स जो उस दिन थे, 26-9-70 एक कुशल डेट है उसके बाद के ट्रांसफर्स हमने डिफीट करने की दृष्टि से माना है, उसके बाद जमीन में तबदीली करने के कानून को डिफीट करने की बात है। 18 के बजाय 54

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में जाए तो उसका उद्देश्य डिफीट होता है। इसलिये आपकी जो गाइड लाइन्स हैं उसमें भी केवल एग्जिस्टिंग गार्डन्स का है। एग्जिस्टिंग मीन्स एग्जिस्टिंग आन 26-9-70, डेट इज दी कुशल डेट जो कि आपने स्वीकार की है ट्रांसफर्स के बारे में।

तीसरा मेरा संशोधन है भाग (ड) में प्रयुक्त शब्द 'कोई' एवं 'वयस्क' के बीच। में शब्द 'विवाहित' निविष्ट किया जाय। जो सेपरेट फैमिली जिसको आप समझते हैं इस मौजूदा बिल में बालिग हो उसे मान लिया है। मैंने विवाहित बालिग के लिये कहा है, मैं समझता हूं वह एज ए रीयल फैमिली और अलग रहने की गुंजाइश पैदा होती है, इसलिये यह संशोधन पेश किया है।

चौथा संशोधन काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि इसमें जो सिंचित भूमि है कैसी है, कैसी नहीं है इसको तय करने का अधिकार ऑथोराइज्ड ऑफिसर को दिया है। मैंने इस संशोधन के जरिये इसमें कहा है कि: "(त) वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य सरकारी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि से तात्पर्य है गंगनहर, भाखड़ा नहर, राजस्थान नहर एवं चंबल प्रोजेक्ट की बारहमासी नहरों से सिंचित होने वाली भूमि." (थ) वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने योग्य निजी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि से तात्पर्य है नलकूप अथवा बिजली अथवा तेल इंजिन के प्रयोग से संचालित कुओं से सिंचाई होने वाली भूमि जो राजस्थान में रेगिस्तानी जोन को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में स्थित हो,

(द) वर्ष में एक फसल उगाने योग्य सरकारी साधनों से सिंचित भूमि से तात्पर्य है राजस्थान के किसी भाग में भी मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचित भूमि तथा गंग, भाखड़ा, राजस्थान एवं चम्बल सिंचाई योजनाओं की छः मासी नहरों से सिंचित भूमि।

(ध) वर्ष में एक फसल उगाने योग्य निजी साधनों से सिंचित भूमि से तात्पर्य है बिजली अथवा तेल इंजनों के अतिरिक्त अन्य साधनों से संचालित कुओं से सिंचित भूमि चाहे वह राजस्थान में कहीं भी स्थित हो तथा रेगिस्तानी जोन में बिजली अथवा तेल इंजनों से संचालित कुओं से सिंचित भूमि।"

यह जो मैंने बेसिस रखा है वह हमारे बिल की कमजोरी है कि इरिगेटेड लैंड का मामला है जब तक पता नहीं कि दो फसली जमीन है या एक फसली जमीन है तो 60 दिन में कोई रिटर्न नहीं दे सकती, कोई ईरिगेटेड लैंड वाली कह सकते हैं। इसके अंदर जो आपने खुद तय किया है और इसका साइंटीफिक बेसिस है जो कि पेरीनियल्स नदी घाटी योजनायें हैं उन सबको दो फसली, जो 6 मासी नहरें होती हैं उनको मैंने एक फसली रखा है लेकिन जो बिजली से या पम्पों से या नलकूप से होती है, मैं समझता हूं आपके डाइरेक्शन्स भी हैं, आपके वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में साफ लिखा है कि इसमें डिस्टिंक्शन करना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने कहा निजी साधनों से हम कुएं खोद देते हैं, उनमें और सरकारी नहर में कोई फर्क नहीं रखा गया और कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में फर्क रखा गया है कि 1:25, निजी साधनों वालों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को सवाया रखो। खास तौर से सिंचाई वाला जो संशोधन यह जो अथोराइज्ड आफीसर के साथ में दिया है वह खतम हो जाएगा और आप रिटर्न भी मांग सकेंगे और निश्चित हो जाएगा कि हमारी जमीन कितनी सीलिंग में आती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे एक जानकारी करनी है कि धारावाह चलना चाहेंगे जैसे खण्ड 2 में..

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रक्रिया दी हुई है।

श्री गफ्फारअली : जो संशोधन रामानन्दजी की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं, वह मेरी तरफ से भी हैं और उनके पक्ष में कहना यह है कि जो स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट करने के लिये इर्रिगेटेड, अनईरिगेटेड एशुयर्ड और इस किस्म की जितनी भी वेगनेस है एक्ट में उसको दूर करने के लिये मैं तमाम अमेंडमेंट्स का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गिरधारीलालजी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परिभाषा••

श्री उपाध्यक्ष : वह अंत में आता है। अभी खंड 2 चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने तो खंड एक पर बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा मौका देंगे आपको खंड दो के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खंड 2 में स्पष्टीकरण है। इसमें लिखा है मानव या पशु द्वारा.••••

श्री उपाध्यक्ष : यह खंड 4 है। माननीय मंत्री महोदय.••••

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन प्रस्ताव है इसमें भाग नया जोड़ा जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई नया एमेन्डमेन्ट लाये हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर से इसी पर वादविवाद हो रहा है। इसी प्रकार पहले भी इस सदन में चर्चाए हुई हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक जो सही माने में भूमिहीन हैं उन्हें जमीन नहीं मिली है। आज राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक लाया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि आपने जो इसमें भूमिहीनों की डेफीनेशन रखी है उसमें मैं समझता हूं कि असली भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी और फिर बाद में इसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार फैलेगा इसलिये आगे चल कर ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि कौन भूमिहीन है और कौन नहीं इस के लिये मैंने एक संशोधन रखा है।

एक माननीय सदस्य: क्लाज 21 के अन्दर रखा है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो जो स्पष्टीकरण में दिया हुआ है उसमें जो परिभाषा भूमिहीनों के बारे में है उस के अन्दर के लिये कह रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह इसमें एड करना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप के यहां काश्तकारों के लिये जितने भी कानून बने हैं उन में भूमिहीनों की परिभाषा अलग अलग है सभी में। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो इस प्रकार है—

"Landless person shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land whether in his own name or in the name of any member of his Joint family or holds a fragment."

जो कि सन् 57 में पास हुआ। इसके बाद में राजस्थान भूदान एक्ट 1954 में आपने लैण्ड लेस की परिभाषा अलग रखी है, तीसरी राजस्थान नहर एरिया में आपने भूमिहीन की परिभाषा अलग रखी है। लैण्ड अलाटमैन्ट एक्ट में आपने भूमिहीन की परिभाषा अलग रखी है। भाखरा कैनाल एरिया में आपने दूसरी परिभाषा भूमिहीनों के बारे में दी। इसी प्रकार आपने राजस्थान चम्बल नहरी क्षेत्र के लिये जो एक्ट 1957 में बना है उसमें आपने लैण्डलेस की डेफीनेशन अलग दी है। इसी प्रकार आपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भूमिहीनों की परिभाषा अलग ही कर दी है। इसके अलावा टिनेन्सी एक्ट में जो सन् 1969 में प्रवर समिति ने रिपोर्ट दी उसके अनुसार लैण्डलेस की परिभाषा अलग दी तो, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी डेफिनेशन देने से आज स्थिति यह है कि हमें यह पता नहीं चलता कि असली भूमिहीन कौन है। कभी आप यह कह देते हैं कि लैण्ड टू दी टिलर्स। इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बिल में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं अगर आप उसे मान लेंगे तो मैं समझता हूं कि आज जो लैण्डलेस की सही परिभाषा नहीं है वह ठीक हो जायेगी। इस में भाग (थ) के पश्चात् नवीन भाग (द) निम्न प्रकार जोडा जाय अर्थात्:—

"(द) भूमिहीन से तात्पर्य ऐसे काश्तकार से होगा जो स्वयं या अपने परिवार की श्रम द्वारा खेती करता हो और जिसके पास अनार्थिक जोत हो।" इसमें आपने भूमिहीनों के बारे में परिभाषा दी है उसके साथ में इसे और पढें। अगर आप इसे मानलें तो आज जो जयपुर के आस पास हजारों एकड भूमि पडी है जहां पर बडे नेताओं के फार्म बने हुए हैं, बडे सरकारी अधिकारियों ने जो फार्म बना रखे हैं वह सब अपने आप ही छिन जायेंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो निवेदन करूंगा कि इन सब लैण्ड को आप एक्वायर करिये और भूमिहीनों में बांट दीजिये इससे लोगों को जमीन मिलेगी और सच्चा समाजवाद आयेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आज कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के आस पास इधर अजमेर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रोड पर और इधर टोंक रोड पर बड़े-बड़े फार्म बना रखे हैं इनको मेरा अगर आप यह संशोधन मान लेते हैं तो सरेन्डर करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर भाषण नहीं करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो भूमिहीनों की डेफिनेशन के बारे में कह रहा हूं मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप लैण्ड लैस लोग कितने हैं इनके लिये रजिस्टर बनाकर नाम रजिस्टर कराब और फिर मैंने जिस प्रकार जो संशोधन दिया है उसके अनुसार लोगों को ही जमीन देने की व्यवस्था करावें तब ती आप सच्चे मायने में भूमिहीनों को ही जमीन देना चाहते हैं और काश्तकारो का भला चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्यथा सभी बेकार हो जायेगा और भूमिहीन बेचारे · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं मेजर सन के बारे में उसके बारे में · · · ·

एक माननीय सदस्य: इसमें गाइड लाइन क्या कहती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसमें हमने भारत सरकार से स्पष्टीकरण चाहा है उसमें शिन्दे साहब ने हमारे मुख्य मन्त्री जी को पत्र भेजा उसमें क्लीयर कट दिया है इसलि में उसमें कुछ तरमीम नहीं कर सकता। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि फेमेली में जो वयस्क शब्द है उसको हटा दिया जाय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें आल इन्डिया लेवल पर चूंकि कानून बनाया जा रहा है इसलिये इसमें हमें गाइड लाइन के उनके आधार पर चलना पड़ता है। इसलिये मैं उनके संशोधन को मानने में असमर्थ हूं। इसके अलावा दो तीन एमेन्डमेन्ट और आये हैं इनमें एक श्रीमती सुमित्रा जी ने दिया है कि इसमें अमरूद वर्ड को बढाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: उसको हटा दिया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी: श्रीमती सुमित्रा दवी ने कहा है कि अमरूद गरीब लोगों का खाना है इसलिये इसे हटा दिया जाना चाहिये। मैं इसमें इस बात के लिये मजबूर हूं कि क्योंकि इसमें पहले गाइड लाइन नहीं आयी थी और बादमें ऐसी हिदायत आई है कि चूंकि केले के बाद में जो फल आता है वह अमरूद ही आता है और उसके बगीचे लगाये जाते हैं अतः यह नहीं हटाया जा सकता। चूंकि इस बात पर गाइड लाइन भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। अतः मैं इसे मानने म असमर्थ हूं।

तीसरे इसमें एक तरमीम और चाही गई है उसके लिये सिर्फ इतना ही कहना है कि फलों के बागान को इस प्रकार अगर आप सीलिंग में ले आते हैं तो फिर फलों के बागान को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

लेकिन उसके लिये तो यह है कि जब तक पेड़ फल नहीं देता है तब तक तो कुछ नहीं होता है । इसलिये इस अमेन्ड को मानने में भी असमर्थ हूं ।

लैंडलेस की डेफिनेशन जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कही ।

कई माननीय सदस्य : हवा महल से आने वाले ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हवा की बात हुई ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हवा को हवा ही मानेंगे तब भी काम नहीं चलेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलग अलग कोलोनाइजेशन एक्टस में अलग अलग डेफिनेशन हैं । दूसरी जमीन के लिये भी अलग है । colonisation rules में जो लैण्डलेस की तारीफ है उसके मुताबिक कार्यवाही होगी इसलिये इस तरमीम को भी मानने में असमर्थ हूं ।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि खण्ड 2 को भी पारित किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे अमेन्डमेन्ट के बारे में जवाब दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टिनेन्सी एक्ट में लैण्डलेस की परिभाषा नहीं है । सदन को यह कहा जाय कि टिनेन्सी एक्ट में लैण्ड लेस की परिभाषा है यह भ्रम पैदा करना है । भूमिहीन उसको मानें जो परिश्रम कर रहा है और जिसके पास और कोई धन्धा न हो । इस छोटे से प्रश्न को जोड़ लेने में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : शोर्ट इरिगेशन के बारे में सुझाव दिये । मैंने पहले ही निवेदन किया था कि अभी तक हरियाणा और पंजाब के दो एक्ट बने हैं जिनको प्रेसिडेन्ट की असेन्ट दी गई है उनमें इन्टेन्सिटी ऑफ इरिगेशन नहीं माना है । उन्होंने जो बात कही है उनको मानने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन । क्या संशोधन आप वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री वृद्धिचन्द्र जैन को उनका संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहती हू ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वापिस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। औरचार्ड्स के बाद फोर टाइम्स पानी मिलता है। एक बाग लग जाय। काफी इन्वेस्टमेंट होता है। जिन लोगों के पास पैसा है वे ही यह लगा सकते हैं 64 के बजाय 18 एकड़ कर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले कुछ बातों को ले कर बागात एग्जेम्प्टेड थे परन्तु बाद में सीलिंग में ले लिया गया। भारत सरकार के यहां चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह सवाल आया तो एक विचार-धारा थी कि पांच एकड़ बागात को exempt कर दिया जाय या 54 एकड़ की ड्राई लैण्ड मानी जाय। चीफ मिनिस्टर्स की राय यह थी कि हिन्दुस्तान में हैं ही कम बागात। सीलिंग लगा दी तो कोई बागात नहीं रखेगा। एक तो बाग लगाने के बाद छः वर्षों तक तो उसके फल की इन्तजार करो। भाखरा और राजस्थान कैनाल में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। गंग कैनाल में भी आयन्दा बाग लगाने का प्रोविजन नहीं है इसलिये पानी मिलने का सवाल नहीं है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स के नीचे यह किया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि टिनेन्सी एक्ट में लैण्ड लैस की परिभाषा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कानून के ज्ञाता हैं किस प्रकार गलतफहमी में डाला जाता है। लैण्ड लेस की टिनन्सी एक्ट में परिभाषा है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री मोहम्मद गफ्फार अली ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको स्वीकार किये जायें?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक एक अमन्ड-मेंट को अलग अलग पुट करिये। किसी पर एक मत हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड 2 भाग 6 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 भाग (बी) में माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जा?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने खण्ड 2 में खण्ड त, थ, द, ध, जोड़ने के लिये संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

जो पक्ष में हों वे हां कहें, (हां)
जो विपक्ष में हों वे ना कहें। (ना)

ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां पक्ष जीता।

श्री खेतसिंह : ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां पक्ष जीता। आई क्लेम डिविजन।

श्री खेतसिंह : नोज हेव इट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एज हेव इट। आई क्लेम डिविजन।

(विराम)

On a point of Order r, Rule 286 page 18 reads :

"On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say "Ayes" and those against the motion to say 'No'

(2) The Speaker shall then say I think the Ayes (or the noes as the case may be) have it." If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged he shall say twice: "The Ayes (or the Noes as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly.

3(a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that Lobby be cleared.

(b) After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the "Ayes" or the "Noes" have it.

(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded by the members going into the Lobbies:"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमने चैलेन्ज किया है तो इसमें पहली बार तो आपको लोबीज को क्लीयर करवा कर इस क्वेश्चन को दुबारा पुट करना पड़ेगा। फिर हाउस में क्या स्थिति होती है उसके बाद डिस्क्रेशन आपको दिया गया है। डिविजन लोबीज में न भेज कर यहां खड़े करके ही करवाया जा सकता है। सैकिन्ड टाइम लोबिज के क्लीयर होने के बाद डिवीजन बैल बज चुके और सब लोग आजायें तब क्या स्थिति होती है उस लास्ट पोजीशन में आपको अधिकार है। इसलिये मेरा निवेदन है कि लोबीज शुड बी क्लीयर फर्स्ट एन्ड देन प्लीज पुट दी क्वश्चन।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं जानता हूं-कि इस पर बहुमत न मिले यह बहुत ही कान्सिक्वन्शल इश्यू है, कौन लोग क्या रुख लेते हैं यह एक महत्वपूर्ण सवाल है / माननीय सदस्य बाहर हैं वे आकर अन्दर अपने विचार बदल लें क्योंकि अन्तरात्मा ने काफी जोर का काम किया है। इसलिये मैं उस बात को मान कर चलता हूं।

श्री खेतसिंह : भाषण नहीं दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका तो उस समय भी नहीं किया था।

श्री उपाध्यक्ष : अब भी आप उसको प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो के भाग त, थ, द, ध, में माननीय श्री रामानन्द जी ने जो संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ? जो पक्ष में वे हां कहें:

(हां की अवाज)

जो विपक्ष में हों वे ना कहें:

(नो की आवाज)

(नोज हेव इट, ऐंज हेव इट की बार बार आवाज)

श्री खेत सिंह: अभी बुरी तरह हारोगे।

श्री चन्दनमल बंद : 10 चाहते हैं नम्बर बुरा नहीं है 10 का।

(विराम)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(6.21 म० प०)

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य रामानन्द जी अग्रवाल ने संशोधन रखा है, इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जायेंगे।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री हरिदेव जोशी. 7 भी नहीं हैं। पांच हैं।

(शेम शेम की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Swantra Party and Jansangh are with you while the Communists and Socialists are together on this point.

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य संशोधन के पक्ष में नहीं हैं वे कृपा करके खड़े हो जांय।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंच परमेश्वर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांडव पांच थे और कौरव सैकड़ों थे। उधर भी कई आदमी हैं लेकिन बन्धे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन गिर गया।

श्री चन्दन मल बंद : मैंने 7 कहे थे लेकिन पांच रह गये।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल जी अपना संशोधन वापिस लेते हैं ? खण्ड दो में जितने संशोधन हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने एक एक लिया है।

श्री परसराम मदेरणा: All the amendments should be put together.

श्री अध्यक्ष : भूल हो गई वरना कायदा यह है कि सब संशोधन एक साथ लिए जायं। अब तो केवल वोट का सवाल है। अब तो इतना ही प्रश्न है वापिस ले लें या पुट-अप कर दें।

श्री खेतसिंह : एक क्लाज के जितने अमेन्डमेंट्स हैं एक साथ लिये जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं वापिस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय गिरधारी लाल जी भार्गव ने खण्ड दो में संशोधन रखे हैं जो उसको स्वीकार करने के पक्ष में हैं…

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कौनसा संशोधन है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अब कोई स्टेज नहीं है। सारी बात हो गई है। जो माननीय सदस्य गिरधारी लाल जी ने दो संशोधन खण्ड दो में रखे हैं, जो इसके पक्ष में हों...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर सर। मेरा निवेदन है यह प्रोसीजर दो अमेन्डमेंट पर एक साथ नहीं लिया जाना चाहिये। मजमून अलग अलग हैं। एक से माननीय सदस्य सहमत हो सकते हैं और दूसरे से असहमत भी हो सकते हैं। इसलिये अलग अलग लिया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह : वह भी आपको मालूम तो हो गया है।

श्री चन्दनमल बैद: आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) उनसे सहमत हैं, जनसंघ वालों से ?

श्री अध्यक्ष : एक खण्ड में एक माननीय सदस्य के जो संशोधन हैं उनको एक साथ लिया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका कहना है....

श्री अध्यक्ष : तो मैं उनको अलग अलग रख देता हूं।

माननीय सदस्य गिरधारी लाल जी ने खण्ड दो के भाग (झ) में द्राक्षोद्यान या अंगूर वाटिका वाली या केले और अमरूद के उद्यानों वाली भूमि के सिवाय शब्द विलोपित किये जायें, 73 पर अ० वि० विमर्श किया जाये-इस पर आपका संशोधन है। प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

दूसरे संशोधन खन्ड दो में जो भूमिहीनों के संबंध में है उसको स्वीकार करने के पक्ष में हों वे हां कहें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेफिनेशन सरक्यूलेट की हुई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब तो सब स्टेज निकल गई है।

संशोधन के पक्ष में हों वे हां कहें—

(हां की आवाज)

जो संशोधन के विपक्ष में हों वे ना कहें-

(ना की आवाज)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं इस पर वोटिंग कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : Lobbies be cleared and those in favour may stand.

(मत विभाजन घंटी)

माननीय सदस्य गिरधारी लाल जी ने खण्ड दो में जो संशोधन रखे हैं उसके स्वीकार करने के पक्ष में हों वे खड़े हो जांय।

कई माननीय सदस्य : चार हैं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य संशोधन स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं वे खड़े हो जायें। ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध कर रहा हूं अनाधिक जोत को भी भूमिहीन कहा है....

श्री चन्दन मल बैद : गंगानगर के माननीय सदस्य साथ में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 4 में संशोधन मूव करता हूं :

खण्ड 4 के उपखण्ड (1) के (ग) से (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए :--

(ग) 23 जुलाई, 1972 को विद्यमान फलोद्यानों के जमीन भूमि, 54 एकड़,

(घ) खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूचि में वर्णित उपजाऊ जोन में आने वाली भूमि, 48 एकड़,

(ङ) खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित अर्द्ध उपजाऊ जोन में आने वाली भूमि, 54 एकड़,

(च) खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित पहाड़ी जोन में आने वाली भूमि, 75 एकड़,

(छ) खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित अर्द्ध-रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि, 125 एकड़, और

(ज) खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूचि में वर्णित रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि, 175 एकड़।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय मंत्री महोदय ने रखा है यह सरकुलेट होना चाहिए It is a very important amendment इतनी जल्दी में आपने पढ़ा We must have a serious consideration on that.

श्री अध्यक्ष : इस खण्ड 4 को डेफर कर देते हैं बाद में ले लेंगे।

खण्ड 5

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 में मेरा संशोधन है कि:

(1) भाग (च) में प्रयुक्त शब्द

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

26 सितम्बर, 1970 को या इसके पश्चात् या उसके पश्चात् किसी भी समय विलोपित किया जाये।

(2) भाग (ज) निम्न भाग से प्रतिस्थापित किया जाये :

'(ज) जहां किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न वर्गीकरण की भूमियां धारित हों वहां सुनिश्चित सिंचाई और एक वर्ष में दो फसलें उगाने वाली भूमि की एक एकड वर्ष एक फसल उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचाई वाली 1.5 एकड़ भूमि, उपजाऊ क्षेत्र की 2 एकड़ अर्द्ध उपाजाऊ अथवा पहाड़ी क्षेत्र की बारानी भूमि की 2.5 एकड़, अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्र की बारानी भूमि के 3 एकड़ और रेगिस्तानी क्षेत्र की बारानी भूमि के 3.5 एकड के बराबर मानी जायेगी।'

अध्यक्ष महोदय यह जो भाग (च) में मेरा संशोधन है उसमें लिखा है। अंग्रेजी में यह 5(एफ) है जो इस प्रकार है: "Where in the case of a person being the member of joint Hindu family, any land held separately by such person, has, on or after the 26th day of September, 1970 or at any time thereafter, been converted by such person into property belonging to the joint Hindu family through the act of impressing such land with the character of property belonging to the joint Hindu family or throwing it into the common stock of the joint Hindu family, then the land so converted shall be deemed to be held by such person and not by the joint Hindu family.

अध्यक्ष महोदय, इसके जरिये 26-9-70 के बाद अगर इस तरह की कार्यवाही की गयी है। उसको वर्जित किया गया है। मतलब इस तरह की कार्यवाही कुछ ऐसी है कि जो सीलिंग को डिफीट करने के लिये है। किसी व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी है, अपनी जमीन खुद उन्होंने एक्वायर की है और वह यह कह दे कि नहीं मैं तो ज्वाइन्ट हिन्दु स्टाक फेमिली में भेजता हूं तो वह ज्वाइन्ट हिन्दु स्टाक की नहीं मानकर सेल्फ एक्वायर्ड मानी जायेगी अगर 26-9-70 के बाद ऐसा किया है तो। या उसके बाद किया है तो, क्योंकि फर्क यह पड़ता है कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड ही रहेगी तो उसी आदमी की यूनिट में वह उतनी जमीन मानी जायेगी और उसमें सीलिंग लागू होगी। अगर ज्वाइन्ट फेमिली में आ गयी तो उसके तमाम ज्वाइन्ट फेमिली के जितने मेम्बर्स हैं, उनके जितने हिस्से में आती है उस जमीन का किसी को 1/4, किसी को 1/2 उन सब का अलग अलग उतना हिस्सा माना जायेगा और उसमें फिर बालिग लड़के हैं, शादीशुदा हैं उनकी अलग सेपरेट फेमिली मान ली जायेगी। एक आदमी अकेला है उसके पास 100 एकड़ जमीन है और सीलिंग लागू होता है तो 18 एकड़ तो उसके पास रह गयी और 82 एकड़ बच गयी। अगर 100 एकड़ भूमि ज्वाइन्ट फेमिली की मान ली गयी और 5 भाई हैं तो पांचों अलग अलग सेपरेट यूनिट मान ली जायेंगी और छठा वह है तो 6 आदमी 18-18 एकड़ अलग अलग ले सकते हैं तो वह 100 एकड़ सारी की सारी गायब हो जायेगी। तो माननीय मंत्री जी ने 26-9-70 के बाद तो इस बदमाशी को रोक दिया लेकिन 26-9-70 से पह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो की गयी है उसको सुरक्षित रखा है। उसमें वही 2-3-70 वाली बात अटक रही है। 2-3-70 को इसी तरीके की जमीन कुछ लोगों की जो उनकी अपनी व्यक्तिगत है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाइरेक्टली ताल्लुक है वर्ना मंत्री जी दिखा दें कि गाइडलाइन में भी इस तरह की कोई बात है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी है सामान्य लॉ के अनुसार होना चाहिये। जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी है वह सेल्फ एक्वायर्ड है जो एन्सेसटरल प्रापर्टी है वह ज्वाइन्ट स्टाक में आती है। अब इसमें इनडाइरेक्ट तरीके से 26-9-70 के पहले की सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी को और ज्वाइन्ट हिन्दु फेमिली प्रापर्टी डिक्लेयर करने का रास्ता खोल दिया है। देखने में ऐसा लगता है कि बचा रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि 26-9-70 के पहले की इस तरह की तमाम जमीन को ज्वाइन्ट हिन्दु फेमिली की जमीन, वह आ सकती है और अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि डाइरेक्टली यह मिनिस्टर महोदय की फेमिली से ताल्लुक रखता है। मिनिस्टर महोदय की फेमिली सुरेन्द्र कुमार और नरेन्द्र कुमार को 2-3-70 को जो ट्रांसफर्स किया है, इन्होंने उनको तीन तीन मुरब्बा जमीन दी और उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी है, अब वह अपनी लाइफ टाइम में पार्टीशन नहीं कर सकते...

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं उसको दोहराने से क्या मतलब है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं उसका कानूनी पहलू बता रहा हूं...

अपने लाइफ टाईम के अंदर उन लड़कों के नाम सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी का ट्रांसफ करना हिन्दु ला के भी अगेंस्ट माना जाता है। जो जोइन्ट हिन्दु फेमिली के अंदर प्रोपर्टी ट्रांसफर कर दी है उस पर कानून की मोहर लगाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो कानून गलत है और बाद में जब कोई जांच की जावेगी, कोई इंक्वायरी, कमीशन जांच करेगा तो यह कह दिया जाएगा कि यह तो सब कानून के अनुसार हो चुका है। यह कानून बन जाएगा तो उनको कानूनन प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो कि अभी तक कानूनन प्रोटेक्शन नहीं है। वैसे भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप जमीन लेना चाहते हैं, भूमिहीनों के लिए और सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी के लिए सामान्य कानून है कि कौनसी प्रोपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी और कौनसी एन्सेस्टरल मानी जायेगी और उसके कौन 2 हकदार होंगे तो 26-9-70 के पहले जो प्रोपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है उसको आप जोइन्ट फेमिली में क्यों डालना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको इसके अंदर क्यों लाना चाहते हैं।

दूसरा मेरा संशोधन धारा 4 के अंदर है इसके बारे में वह रेशो जो आर्टिकल, सेक्शन 4 से सम्बन्धित है। सेक्शन 4 में जो संशोधन आया है उसके मुताबिक डिफरेंट सीलिंग में रेशो आता है और उसके मुताबिक ही रेशो सजेस्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो मूव कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आप दूसरे वाला रेशो ही उस 4 के साथ रखते हैं तो पहले वाले को वोट करा लें।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मो० गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी ताईद करते हुए यह अर्ज करूंगा कि जो दलील इसमें दी है इस कानून में वह हिन्दू लॉ के खिलाफ है। हिन्दू लॉ में प्रोपर्टी की डेफिनेशन दी है कि या तो सेल्फ एक्वायर्ड है और या एनसेस्टरल है या कोई एनसेस्टरल को सेल्फ एक्वायर्ड करता है या सेल्फ एक्वायर्ड को एनसेस्टरल बनाने की कोशिश करता है तो वह अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता है। इसलिये मैं रामानन्द साहब के इस संशोधन का समर्थन करते हुए यह आपसे अर्ज करूंगा कि हिन्दू लॉ की स्प्रिट के खिलाफ आप यह क्यों इण्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं और उनको क्यों प्रोटक्शन देना चाहते हैं जो कि खुदगर्जी की बीना पर आपका समर्थन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन खण्ड 5 में पेश हुआ। इसको आप विड्रा करना चाहेंगे या......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी का उत्तर तो आने दीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा लगता है कि पीलिया के रोगी को पीला ही पीला दिखाई देता है। इनको तो मैं ही मैं दिखाई देता हूं। मेरे लड़कों ने अपने लड़कों के नाम जो कि नाबालिग हैं उनके नाम पर जमीन लगा दी तो इसमें कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। इनकी जो तारीख रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी है वह दी थी 21 जनवरी, 71 लेकिन हमने इसको 26 सितम्बर, 1970 रखा है, इससे पहले किसने क्या किया, कैसे किया इसका कोई असर नहीं है। इसके अलावा हमने माईनर चिल्ड्रन को एक्सक्लूड किया नहीं है। इसलिये मैं समझ नहीं सकता कि ये वकील होकर ऐसी बातें करते हैं।

श्री मो० गफ्फार अली : हिन्दू लॉ के विरुद्ध है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिये मेरा यह मानना है कि इसका कोई मतलब नहीं रहता इसलिये मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

दूसरा जो उन्होंने संशोधन मूव किया है हमने जैसे 18 एकड़ रखा है उसको डेढ़ा के एक क्रोप एरिया के लिये, उसके बाद बारानी एरिया के लिये 54 एकड़ तो इस प्रकार इसको बिल्कुल साईन्टिफिक बेसिस पर किया है। इसी तरह से डेजर्ट एरिया के है 11 एकड़ और 8 एकड़ सेमी डेजर्ट के लिये है। जो बिल्कुल साईन्टिफिक बेसिस पर इसको किया गया है। इसमें किसी तरमीम की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री रामानन्द अग्रवाल की ओर मुखापेक्ष) : खण्ड 5 में जो माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने संशोधन पेश किया है इसको विड्रा करना पसन्द करेंगे?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं साहब! प्रेस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : और गफ्फार अली साहब?

श्री गफ्फार अली : नहीं साहब प्रेस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो खण्ड 5 के भाग (च) में जो संशोधन रखा है, उस

(श्री अध्यक्ष)
संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि रामानन्द जी अग्रवाल ने जो भाग खण्ड 5 के भाग (ज) में संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन दोनों गिर गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6

श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मानननीय...

श्री रामानन्द अग्रवाल अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइन्ट आफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं यह जो आपने "ज" पास करवा लिया है, वह जो संशोधन रखा है उसके अनुकूल नहीं है। अगर चार में यह संशोधन रख रहे हैं तो 6 में भी कोरेसपॉंडिंग रखना पड़ेगा क्योंकि रेशो में इससे फर्क पड़ेगा। इसलिय मेरा निवेदन है कि इसको पास नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी: पास हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(सायं 6.46 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी खण्ड 6 में मेरा संशोधन स प्रकार है:-

उप-खण्ड (i) में प्रयुक्त अभिव्यक्त "26 सितम्बर 1970" के स्थान पर अभिव्यक्ति "24 जनवरी 1971," प्रतिस्थापित की जावे।

यह तारीख दी गई है इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग का कानून 59 में बना उस समय श्रीमान दामोदरलालजी व्यास ने कहा था कि सीलिंग इज वन्स फॉर आल। 1971 में राज्य के मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाडिया ने 31 दिसम्बर 69 की घोषणा की और उसके बाद 1 जून 70 वर्तमान सरकार ने तारीख रखी, 26 सितम्बर, 1970। मेरा निवेदन यह है कि बारबार इस प्रकार से तारीखों में परिवर्तन करने से काश्तकारों के दिमाग में अनिश्चितता बनी रहेगी। न वह अपने खेतों का विकास कर पाए न कुओं पर बिजली लगा सके, न डीजल का इंजिन लगा सके, न जमीन को समतल बना सके और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इस अनिश्चितता के कारण जहां सरकार ने रबी का फसल का टार्जेट 40 लाख टन का रखा था उसको घटा कर 32 लाख टन रखा और उम्मीद यह की जाती है कि 26 लाख टन का उत्पादन होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो माननीय मंत्री जी रामचन्द्र चौधरी ने तारीख इसमें रखी है तो जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसमें तारीख 24 जनवरी, 1971 निश्चय की गई थी जहां पर कि सारे हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्री इकट्ठे हुए थे तो वह डेट 24 जनवरी, 1971 को ही माना जाव और जो यहां पर डेट 26 सितम्बर, 1970 रखी गई है उसके स्थान पर 24 जनवरी, 1971 प्रस्थापित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी

श्री रामानन्द अग्रवाल: खण्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेरा संशोधन है कि "उप-धारा (1) में से शब्द '1 जनवरी, 1973 से पूर्व किये गए किसी सद्भावि अन्तरण के सिवाय' ये शब्द विलोपित किये जावें।

दूसरा है उप-धारा (1) का स्पष्टीकरण विलोपित किया जाय। तीसरा है उप-धारा (2) को विलोपित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेक्शन 6 है यह इस तरह से है :

"Non-recognition of certain transfers—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force every transfer of land whether by way of sale, gift, exchange assignment, surreder, bequest, creation of trust or otherwise made on or after 26th September, 1970, except a bonafide transfer made before 1st January, 1973, shall be deemed to have been made in order to defeat the provisions of this Act and shall not be recognised or taken into consideration in determining the ceiling area applicable to a person.

Explanation—For the purpose of this section "bonafide transfer" means transfer made in favour of a person not related in any manner to the transferer and for adequate consideration.

(2) The burden of proving the transfer to be bonafide shall be on the transferer."

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जनसंघ के सदस्य ने जो एमेंडमेंट रखा है उसका तो मैं विरोध करता हूं। इसमें डेट 26 सितम्बर, 1970 रखी है उसको मैं ठीक समझता हूं, क्योंकि भूमिहीनों के पक्ष में है। इससे जो ट्रांसफर्स 26-9-70 और 24-1-71 के बीच में हुए हैं उनको, जनसंघ के माननीय सदस्य रिकगनाइज करवाना चाहते हैं और हम उसको रिकगनाइज नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि हमारा तो इससे पहले का था, लेकिन एक नेशनल कान्फ्रेंस 26-9-1970 को हुआ तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरा जो यह इसके अंदर रख दिया गया है बोनाफाइड करने का कि 1 जनवरी 1973 यानी जिस दिन यह आर्डिनेन्स लाया गया उस दिन तक के सब को रिगनाइज करने की बात है और इसमें बोनाफाइड ट्रांसफर की डिफाइन भी कर दिया कि सही कन्सीडरेशन के लिये हो और रिश्तेदार के लिये नहीं हो तो यह एक्सप्लेनेशन लगा कर बोनाफाइड ट्रांसफर की डेफिनिशन दे दी तो अब कोई भी ट्रांसफरी है तो अब उसको यह दलील देने की जरूरत नहीं रही अगर यह दोनों बातें साबित कर दे कि वह ट्रांसफरी उनका रिश्तेदार नहीं है और एडक्वेट कन्सीडरेशन दिया है तो यह इसके मुताबिक बोनाफाइड ट्रान्जेक्शन माना जायगा, जब कि मैं यह समझता हूं गाइडलाइन्स जो कि माननीय मंत्री जी ने पढ़ी थी उसमें यह बात नहीं है। बोनाफाइड है या नहीं यह बिल्कुल, उपाध्यक्ष महोदय, बोनाफाइड सिर्फ कन्सीडरेशन और रिश्तेदार नहीं हैं इतना ही काफी नहीं है मैं यह निवेदन करूंगा कि मान लें कि एक व्यक्ति ने कल ट्रांसफर की है और आपने कीमत भी पूरी ले ली और रिश्तेदार को भी नहीं दी तो वहां वह बोनाफाइड हो गया, लेकिन वह जानता है कि 18 एकड़ तक सीलिंग लाया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जायगा । तो सीलिंग को डिफीट करने की दृष्टि से उसमें ऐसा किया है तो जो परपज 26-9-70 का है वह परपज यह था कि सीलिंग लागू करने से बचने के लिये जो लोग ट्रांसफर करते हैं उनको एक पर्टीक्यूलर डेट के बाद तो हम बन्द कर ही दें। जैसे 1-1-73 की बात कर रहे हैं तो अब भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं 1-1-73 को और पूरे पैसे भी ले रहे हैं और रिश्तेदार भी नहीं हैं, जैसे कि बूंदी के महाराजा कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डेफिनिशन के अनुसार वह बोनाफाइड तो है लेकिन इस वजह से उसको नान रिकगनाइज करेंगे कि वह 1-1-73 के बाद के हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह डेफिनेशन देकर एक्स्प्लेनेशन से बोनाफाइड को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और ऐसे लोग जो डिफीट करना चाहते हैं उनके लिये आपने एक लूपहोल छोड़ दिया है जो कि उसकी बिल्कुल मन्शा नहीं है जैसा कि 26-9-70 की मन्शा थी और जिसकी हमने प्रशंसा की थी। उसको आपने इनडाइरेक्ट तरीके से 26-9-70 को 1-1-73 बना दिया है। जो जनसंघ के माननीय सदस्य 24-1-72 की तारीख रख रहे हैं, इससे भी आगे तारीख 1-1-73 कर रहे हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हमने इस एमेंडमेंट को रखा है, और मैं समझता हूं कि गाइडलाइन्स की दृष्टि से माननीय मंत्रीजी इस सारे संशोधन को स्वीकार कर ले तो बहुत ही ठीक होगा, वर्ना कम से कम इस एक्स्प्लेनेशन को ही हटा दें। ट्रांसफरी अपने आप साबित करता फिरेगा और कोर्ट या जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट वह तय करेगा कि कौनसा बोनाफाइड है। आप एकदम यह संकेत देते हैं कि यह दो बातें साबित कर दो तो बोनाफाइड हो गया। यह आपकी गाइडलाइन्स में नहीं है। अव्वल तो आप मेरे पूरे एमेंडमेंट को मन्जूर कर लें। अगर नहीं तो कम से कम इस एक्स्प्लेनेशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए वर्ना जो ओनस उनके ऊपर रखा था यह ओनस वापिस आपने अपने पर रख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया। खण्ड 6 ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसको पढ़कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रस्ताव रखा है कि :–

उप-खण्ड (1) के अन्त में और स्पष्टीकरण के पूर्व यह परन्तु अन्तःस्थापित किया जाय –

"परन्तु यदि कृषि भूमि किसी भूमिहीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आयकर नहीं देने वाले व्यक्ति को दी गई तो उस पर यह लागू नहीं होगा और ऐसा अन्तरण सद्भाविक अन्तरण माना जावेगा।"

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने यह एमेंडमेंट दिया है माननीय उपाध्यक्ष, कि उसमें आपने यह बताया है कि गुड बोनाफाइड में ट्रांसफर किया गया है तो उसी के साथ में अगर ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो कि भूमिहीन है, आयकर नहीं देता हो, बेरोजगार हो और वह शेड्यूल्ड कास्ट अथवा ट्राइब को बिलांग करता हो तो उस व्यक्ति को किया हुआ ट्रांसफर बोनाफाइड ट्रांसफर माना जाय। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

Page No 144

(१५५)

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द्र जैन (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : माननीय उपाध्यक्ष, मैं, रामानन्दजी साहब ने एमेंडमेंट रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। (अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो एमेंडमेंट आये हैं। एक तो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 24 जनवरी 1971 से जैसा कि चीफ मिनिस्टर्स की गाइडलाइन में तारीख दी है। उससे इसको लागू किया जाय। इसमें पहले जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह एलान कर दिया था कि 26 सितम्बर, 1970 के बाद के कोई भी ट्रान्सफर्स नहीं माने जायेंगे और उस दिन से सीलिंग बिल को लागू मानकर चलेंगे। उस आधार पर 71 कर सकते थे लेकिन उसको नहीं करके 26 सितम्बर, 1970 इसलिये ही किया है। तो इस एमेंडमेंट को मैं मानने में असमर्थ हूं।

दूसरा,....

श्री मीठालाल: दूसरा लाल महल से आने वाले माननीय सदस्य। इधर ये हवामहल से आये हैं तो वे लाल महल से...

श्री रामचन्द्र चौधरी: दूसरा, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि 26 सितम्बर 1970 से 1 जनवरी 1973 तक जो भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उसके लिये उन्होंने कहा है कि "1 जनवरी 1973 को हटा दिया जाय। हम कहते हैं कि 26 सितम्बर, 1970 के बाद के जो भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि वह सीलिंग ला को डिफीट करने के लिये किये गये हैं। इसलिये एक जनवरी से हमारा आर्डिनेन्स आ गया है तो आर्डिनेन्स आने के बाद किसी के ट्रान्सफर्स करने का मतलब नहीं रहा, लेकिन इस अर्से में जो भी जायज ट्रान्सफर्स किये हैं तो चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में गाइड लाइन है उसमें यह दिया था कि अगर बोनाफाइड ट्रांसफर्स किया गया हो तो उसको प्रोटेक्ट किया जाय वर्ना उसको रद्द किया जाय। इसको पूर्ण करने का भार ट्रान्सफरी पर रहेगा। इसमें यह थोड़ा कम समझ में आता है कि माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं वे ट्रान्सफरर पर वजन डालना चाहते हैं कि वह साबित करे कि उसने बोनाफाइडी ट्रान्सफर किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आप पहली क्लाज में से यह सारा हटा दें तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर उसको रखेंगे तो फिर एक्सप्लेनेशन को हटा दें। अगर आप दोनों को हटा दें तो अच्छा है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन को हटा दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्सप्लेनेशन के हटाने के लिये जो कहा है इसको मैं मन्जूर करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सम थिंग इज बेटर देन नथिंग।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले वाला नहीं। एक्स्प्लेनेशन की जो तरमीम है उसको मैं मन्जूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण को विलोपित कर दिया जाय तो क्या माननीय सदस्य शेष संशोधन को वापिस लेना उचित समझेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक एमेंडमेंट मन्जूर कर लिया है और दूसरा जो है उसको मैं प्रेस नहीं करता हूं जिसमें ट्रान्सफरर के ऊपर बर्डन रहे, ओनर्स रहे उसको विलोपित मैं नहीं कराना चाहता हूं। उसमें मेरा संशोधन पहला बाकी रहता है।

श्री केदारनाथ : अच्छा होता कि एक्स्प्लेनेशन in favour of landless persons or who belongs to scheduled caste or who belongs to.... से ज्यादा एक्वायर करते हैं तो उसके लिये आफिसर के हाथ में बहुत कुछ रख दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस एक्स्प्लेनेशन को हटाने से, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अनर्थ होगा। इसमें सभी बोनाफाइड ट्रान्सफर्स चाहे किसी के पक्ष में हों वह रिश्तेदारों के पक्ष में भी हो सकता है तो आपके एक्स्प्लेनेशन का यह मतलब था कि थोड़ा कन्सीडरेशन होना चाहिये और रिश्तेदार को नहीं होना चाहिये तो इसको हटाने का मतलब यह होगा कि बोनाफाइड का एक्स्प्लेनेशन कुछ है नहीं और आफिसर बोनाफाइड है कि नहीं इसका निर्णय करेगा तो उसके डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया है कि कौन सा बोनाफाइड है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अग्रवाल की भी यह मन्शा नहीं है। यह एक्स्प्लेनेशन हटाने से वह चाहते हैं उसके विपरीत होगा। उन लोगों को फायदा नहीं होगा। किस प्रकार के ट्रान्सफर्स को वेलिड करवाना चाहते हैं। सोच लें इस बात को। बेनीफिट के बारे में कुछ रहता नहीं है कौन है यह आफिसर जो डिसाइड करेगा

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गिरधारीलाल भार्गव अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं, वापिस नहीं लेना चाहता हूं। मुख्य मंत्री का फैसला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 के उप-खण्ड 1 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य गिरधारीलाल भार्गव ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

माननीय सदस्य मूलचन्द सामरिया अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं मतदान कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य मूलचन्द सामरिया ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको खड़े कराके मतदान कराया जाय ताकि पता तो चले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या है संशोधन प्रस्ताव इनका, पढ़कर तो सुनाया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में है।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि....

श्री मूलचन्द सामरिया : अभी अभी जो सदस्य पधारे हैं, उनको मैं अपने अमेण्ड-मेंट के बारे में बता दूं?

श्री खेतसिंह : वह मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 उप-खण्ड (1) में माननीय सदस्य मूलचन्द सामरिया ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको पता ही नहीं है, किस पर ना कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल....

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) में—"except a bona-fide transfer made before the 1st January, 1973, shall be deemed to...."

डिलिट करने के बारे में।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड 6 उप-धारा (1) में से शब्द "1 जनवरी, 1973 से पूर्व किये गये किसी सद्भाविक अन्तरण वि०, 73 पर नि० एवं धारण के सिवाय" विलोपित किये जायं। यह है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 उप-खण्ड (1) में माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल द्वारा रखा गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 उप-खण्ड (3) में माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल द्वारा रखा गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक्स्प्लेनेशन को विलुप्त करने का....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये। खण्ड 6 में उप-खण्ड (2) में विलोपित करने का रह गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने खण्ड 6 उप-खण्ड (2) में स्पष्टीकरण विलोपित करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मेरा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इनको विलोपित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड 6 के

(श्री उपाध्यक्ष)

उप-खण्ड (2) में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

एक माननीय सदस्य: यह है दरिया दिली।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री खेतसिंह: खंड 7।

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 7 श्री भानुकुमार शास्त्री। (अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: श्री मनोहरलाल बोल रहे हैं।

श्री मनोहरलाल (कांमा): उपाध्यक्ष महोदय, जब तक खण्ड 4 पर विचार न हो जाये तब तक इस पर विचार सम्भव नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: आज सरकुलेट हो गया है। वह दे दिया जाये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 4 पर, श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 4 के एक्स्प्लेनेशन में यह अमेंडमेंट मूव करता हूं।

'खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द "मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चालित" विलोपित किये जायें।'

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप अपनी ओर से मनवाना चाहते हैं? यह तो मेरा संशोधन प्रस्ताव है।

श्री खेतसिंह: एक ही बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: जब मैंने रखा है, 3 दिन पहले रखा है। तो सरकारी पक्ष की ओर से....

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी तो पहले...

श्री खेतसिंह: अगर सभी मंजूर कर देते हैं तो यह भी हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, पहले अमेंडमेंट मूव होंगे फिर मंत्रीजी का उत्तर होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

गवर्नमेंट की ओर से जो अमेंडमेंट आपने किये हैं, उनको मूव कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी: मैंने मूव सभी कर दिये हैं। सरकुलेट भी हो गये होंगे।

श्री खेतसिंह: इन्होंने मूव कर दिये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: दुबारा मूव कर देता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में मेरा संशोधन है, "खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के (ग) से (च) के स्थान

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय:

(ग) 23 जुलाई 1972 को विद्यमान फलोद्यानों के अधीन भूमि, 54 एकड़,

(घ) खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित उपजाऊ जोन में आने वाली भूमि, 48 एकड़,

(ड.) खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित अर्द्ध उपजाऊ जोन में आने वाली भूमि, 54 एकड़,

(च) खण्ड (क) से (ड.) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित पहाड़ी जोन में आने वाली भूमि, 75 एकड़,

(छ) खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि, 125 एकड़, और

(ज) खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में नहीं आने वाली और अनुसूची में वर्णित रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि 175 एकड़" :

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल। आपका इस खण्ड 4 में नहीं है। मुंशीलाल।

श्री मनोहरलाल: चार में है।

श्री मीठालाल: मुंशीलाल जी जोर नहीं दे रहे हैं।

श्री मुंशीलाल महावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है:

"उप खण्ड (1) के भाग (ग) और (घ) में अभिव्यक्ति '54 एकड़' के स्थान पर अभिव्यक्ति '27 एकड़' प्रतिस्थापित की जावे"।

"उप-खण्ड (1) के भाग (ड.) में अभिव्यक्ति '150 एकड़' के स्थान पर अभिव्यक्ति '100 एकड़' प्रतिस्थापित की जावे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा है कि जो सीलिंग का ध्येय है और लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिये इन उप-खण्डों में अगर सीलिंग कम की जाती है तो यह अधिनियम अपने आपमें सही होगा और जो बची हुई जमीन हो वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिले या भूमिहीन लोगों को मिले तो इससे आर्थिक, जोत होगी। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है वह पूरी तरह उसकी सम्भाल नहीं कर सकते और आर्थिक जोत की तरह फसल उपजा नहीं सकते। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है, इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने लास्ट में एड करने के लिए निवेदन किया है, यह सारी बातें जो ऊपर दर्शायी गई हैं इसके अलावा यह जोड़ा जाय: "परन्तु खण्ड (क) से (च) के प्रावधान उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होंगे जिनका जीवकोपार्जन केवल कृषि है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति जिसकी आय अन्य किसी भी साधन से रु. 15,000 वार्षिक या अधिक होगी, वह भूमि धारण के अधिकार से वंचित रहेगा एवं इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से उस व्यक्ति की वह भूमि

Page No 149

(149)

श्री (मूलचन्द सामरिया)

सिवाय चक भूमि के रूप में सरकार को अर्पित मानी जायेगी। उपरिवर्णित आय अविभक्त हिन्दु परिवार के किसी भी एक व्यक्ति की होने पर समस्त परिवार हेतु इस प्रयोग के लिये मानी जावेगी।" यह तमाम प्रोविजन उन काश्तकारों पर लागू होंगे जो वास्तव में काश्तकार हैं लेकिन जिन लोगों का काश्त से ताल्लुक नहीं है, उनका वास्ता नहीं और अलावा काश्त के पन्द्रह हजार रुपये की इन्कम होती है, वह चाहे फिक्स डिपाजिट में रखे हुए रुपये से होती हो, शेअर से होती हो या नौकरी की इन्कम हो, जिनकी पन्द्रह हजार की सालाना इन्कम होती है उनके ऊपर लागू नहीं हो, और उनके पास में जो जमीन है, वह 1-4-73 से लेकर सरकार अपने कब्जे में लेले और भूमिहीनों को वितरित करे। यह अमेंडमेंट है। वास्तव में कांग्रेस के भाई समाजवाद की दुहाई देते हैं, यह उन लोगों के टेस्ट का समय है। मैं निवेदन करूंगा, वेहिचक इसको स्वीकार करना चाहिए। यह दलील नहीं है कि किसी व्यक्ति की पन्द्रह हजार रुपये की इन्कम दूसरे साधनों से होती है, फिर भी साधारण किसानों के बराबर मानें, जिसका मुख्य धन्धा काश्त है और उसको पूरी छूट दी जाय। यह किसानों के साथ में अन्याय है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय से, इस संशोधन को स्वीकार करें और जो प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, उसको सिद्ध करने की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले मनोहर-लाल जी का है।

श्री खेतसिंह : हो चुका है आपका।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संशोधन प्रस्ताव इसमें इस प्रकार हैं।

उप-खण्ड (1)

(i) भाग (घ) में प्रयुक्त शब्द "अर्ध-उपजाऊ जोन या पहाड़ी क्षेत्र" विलोपित किये जाय;

(ii) भाग (च) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन भाग (छ) जोड़ा जावेगा:—

"(छ) खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में न आने वाली भूमि और अनुसूची में यथा वर्णित अर्ध उपजाऊ जोन और पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में, 100 एकड़"।

(iii) स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द "मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चालित" विलोपित किये जायं।

उप-खण्ड (3)

हम उप-खण्ड में प्रयुक्त शब्द "या निजी" विलोपित किये जायं।

मेरा इसमें निवेदन यह है कि स्पष्टीकरण में है "मानव-श्रम या पशु-श्रम द्वारा चालित" इन शब्दों को हटा दिया जाय और "कुए द्वारा सिंचित भूमि" इस उपधारा को यहां से रख लिया जाय। इसको स्वीकार करेंगे, वह इसलिए करेंगे कि यह कल वाली सूची में है और आज में ही है······

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपका मान लिया गया है, आपकी आत्मा मौजूद है खेतसिंह जी में।

(150)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) में है, इस प्रश्न का अवधारण कि आया किसी भूमि की सिंचाई, वर्ष में दो फसलें या एक फसल उगाने में समर्थ सरकारी या निजी स्त्रोत द्वारा होना सुनिश्चित है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसे विहित की जाय।

इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं, यह पेज 61 है, जो फाइनेन्स कमीशन के सामने सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, इसमें उस वक्त स्पष्ट लिखा है,

"In this respect it is to be kept in view that nearly 90 percent of the cultivated area of tho State is single croped and dependent on the South-West monsoon spread over threo months from July to August and both the quantum as well as the spacing of the rainfall has a telling effect on the fate of the Kharif crop."

90 पर्सेन्ट सिंगल क्राप है, उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि सिंगल क्राप है या डबल क्राप है, वह तय करेगा। तो इसकी सजा पहले के प्रावधान में दे दी है। मेरा निवेदन है, आप जब मानते हैं कि सिंगल क्राप एरिया है 90 पर्सेन्ट और दस पर्सेन्ट के बारे में चीफ मिनिस्टर कान्फरेन्स में बरकतुल्ला साहब ने घोषणा कर दी कि सिंगल क्राप है, जब यह मानते हैं कि राजस्थान में सिंगल क्राप एरिया है, डबल क्राप एरिया है नहीं तो फिर डबल क्राप है या सिंगल क्राप है यह भी तय करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अधिकार देना चाहते हैं तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मर्जी आये उससे उतना पैसा लेगा, और जो सिंगल क्राप है उसको डबल क्राप करेगा और जो डबल क्राप है उसको सिंगल क्राप करेगा। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि इस उप-खण्ड में प्रयुक्त शब्द "या निजी" विलोपित किये जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मनोहरलाल जी का है।

श्री उपाध्यक्ष : यही प्रस्ताव है जो आपका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपने रख दिया, अब आवश्यक नहीं है।

श्री मनोहरलाल : यह मानव श्रम या पशु श्रम के ऊपर बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें है "इस प्रश्न का अवधारण कि आया किसी भूमि की सिंचाई वर्ष में दो फसलें या एक फसल उगाने में समर्थ सरकारी या निजी, स्त्रोत द्वारा होना सुनिश्चित है।" इससे बड़ी भारी गड़बड़ होने वाली है। माननीय सदस्य, जो प्रगतिशील बनना चाहते हैं और जो समाजवादी बनना चाहते हैं, और जो इस बात को कहते हैं कि हमारी नकेल उधर है, और प्रगतिशील वाली बात कहते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि निजी स्त्रोत में ज्यादातर वह इलाके आते हैं जो पहाडी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां कुओं में पानी नहीं होता और निजी स्त्रोत कुओं पर आधारित हैं और वहां ट्यूब वैल भी हो सकते हैं। इसलिये कानून के पास होने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष जी, निजी स्त्रोत चाहे कुए हों, चाहे ट्यूब वैल हो, वह ट्यूब वैल्स को तो उखाड फेंकेंगे और कुओं

(श्री मनोहरलाल)

को खोदना बन्द कर देंगे। रेगिस्तानी और पहाडी इलाकों में छोटे मोटे कुए खोद कर लोग काम चलाते हैं और पानी निकालते हैं, जो कुओं में से पानी निकालते हैं उन पर कानून बना कर सीलिंग लगायी जाय, जो कुए बनायेंगे ट्यूब वैल बनायें उन पर सीलिंग लगा कर जमीन छीनी जायेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि लोग कुए बन्द कर देंगे, ट्यूब वैल को हटा देंगे और इस कानून को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ रेगिस्तानी इलाके में पानी की दिक्कत आने वाली है, हमेशा वहां पर सूखा पड़ता है; आंकड़ों का सवाल है, तो राजस्थान सरकार ने जो प्लान एप्रोच पैपर भेजा है इसमें बताया गया है, इसके पेज 67-68 में बताया है,

Of the total area irrigated, 36.6% is irrigated by canals, 9.6% by tanks, 15% by wells and the balance by other sources.

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी राजस्थान में इरिगेशन होती है, जितनी जमीन पर सिंचाई होती है, उसका करीब करीब आधा कुए से होता है, यानी जो मानव चालित कुए हैं या ट्यूब वैल्स हैं उनसे सारा का सारा सिंचित है, इसका नतीजा यह होगा कि लोग कुए खोदना बन्द कर देंगे, लोन लेना बन्द कर देंगे, और कुए बनाना आदि सारी चीजें बन्द हो जायेगी। इसलिए इस उप-खण्ड में प्रयुक्त शब्द 'या निजी' विलोपित किये जायें और सरकारी स्त्रोत रहने दिया जाय। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

मि०, 73 पर वि० एवं पारण

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष जी, क्लाज 4 में मेरा निम्न संशोधन है :

"उप-खण्ड (1) के भाग (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति '54 एकड़' के स्थान पर अभिव्यक्ति '75 एकड' प्रतिस्थापित की जाये।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जो उन्होंने राजस्थान को अलग अलग जोन्स में बांटा है और सब जोन्स की अलग अलग सीमाबन्दी तय की है, उपजाऊ जमीन को 48 एकड़ करना और अर्द्ध उपजाऊ जमीन को 54 एकड रखना सरासर अन्याय है, क्योंकि हमारा जो इस सम्बन्ध में कानून है, समाजवाद का लक्ष्य है, आय की सीमा पर हदबन्दी है, आय की सीमाबन्दी होनी चाहिए न कि जमीन की। हमारा पहले का जो भूमि की हदबन्दी का कानून था, उसमें केवल सारे राजस्थान की 4 तहसीलों को इतना ड्रास्टीकली करटेल किया गया है हदबन्दी को, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आपने स्वयं ही स्वीकार कर लिया, यह कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ तो यह किया कि उपजाऊ व उर्द्ध उपजाऊ जमीन की हदबन्दी में बहुत कम अन्तर रखा गया दूसरा जो शिड्यूल बनाया गया है, उसमें पता नहीं किसके कहने से और किसकी सिफारिश पर क्लासीफिकेशन हुआ है, वह बहुत गलत है। धौलपुर सब-डिवीजन और झुन्झुनू जिले की दो तहसीलें-उदयपुरवाटी और खेतडी—को बराबर फूटिंग पर खडा कर देना न्यायसंगत नहीं है। कहां 54 एकड़ आर्चर्ड में दे दिया और 54 एकड़ उस धरती में जहां 150 और 200 फीट पानी नीचे है, जहां पीने के पानी की समस्या है और जहां 5 साल में जाकर एक बार कहीं ठीक बारिश

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

होती है। 1968 से लगातार झन्झुनू जिले में केवल एक साल फसल ठीक हुई है, बाकी चारों सालों में हमेशा अकाल रहा है और इतना भयंकर अकाल कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मन में कुछ दुख होता है यह देखकर और जानकर कि एक तरफ तो हिली जोन को जो एक्वीजीशन रेट दे रहे हैं उसमें और अर्द्ध उपजाऊ में कोई अन्तर नहीं रखा। शायद मन्त्री महोदय ने जब अपना संशोधन पेश किया तो उस सम्बन्ध में सोचा होगा। यह नहीं हो सकता कि हदबन्दी के लिए 54 एकड़ हो, एक्वीजीशन की रेट बराबर हो। इस बात को तो उन्होंने महसूस किया कि उदयपुर के साथ अन्याय हुआ है लेकिन झुन्झुनू जैसा जिला जिसको कि भारत सरकार ने भी क्रोनीकली ड्रोट एरिया मानकर अपना डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम चला रखा है, वह जिला पता नहीं क्यों मन्त्रीजी की नजरों में नहीं आया ? धोलपुर के मैंगो ग्रूव्ज और झुन्झुनू की वह जमीन जो केवल 5 साल में एक एक बार फसल देती है, दोनों को 54 एकड़ देकर इक्वल फूटिंग पर ट्रीट करें यह अन्याय हमारे साथ है और इसलिए जब आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि एक तरफ उपजाऊ जमीन जिसको फरटाइल लैण्ड आपने माना है, फरटाइल जोन मानते हुए जब आप सीमाबन्दी करने जा रहे हैं, उनकी प्रोड्यूस की आय को आपने स्वयं ने माना है कि अर्द्ध उपजाऊ में आधी प्रोड्यूस होगी फिर केवल इतना कम अन्तर रखना कि उपजाऊ को 48 एकड़ करना और रेगिस्तान के ऐसे इलाकों में जहां 5 साल में एक बार केवल अच्छी फसल होती हो, उन्हें अर्द्ध उपजाऊ में रख देना, मैं समझती हूं राजस्व मन्त्री जी उचित नहीं होगा। अपनी बात की पुष्टि में मैं निवेदन करूंगी कि पिछला जो हमारा सीलिंग कानून पास हुआ था, सारे राजस्थान में केवल 4 तहसीलें हैं- झुन्झुनू जिले में उदयपुर वाटी व खेतड़ी, सीकर जिले में श्रीमाधोपुर व नीमका थाना- उनको पिछली बार 100 एकड़ में रखा गया था लेकिन इस बार उनको ड्रास्टीकली करटेल करके केवल 54 एकड में छोड़ दिया गया है, बाकी सब इलाकों में जहां 50 था वहां 54 हो गया है, जहां 60 था वहां 54 हो गया है लेकिन और तहसीलों के लिए यदि सदन चाहे तो उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर सकती हूं कि भरतपुर जिले में कांमा, डीग और नगर में 40 एकड़ रखा गया था, उसको बढ़ाकर 54 कर दिया, बयाना रूपवास सब जगह 50 था वह 54 हो गया……

श्री परसराम मदेरणा: 48 हो गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री): ब्लैंकेट डिसीशन है कि पहले से ज्यादा नहीं होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर हिली जोन को 75 एकड़ में रखने की क्या तुक है। जब भीलवाड़ा को पिछली बार सारे के सारे जिले को 50 में रखा, चित्तौड़गढ़ 50, बांसवाड़ा 50, उदयपुर 40, कुछ तहसीलों में 50, डूंगरपुर 50 तो फिर 75 करने का क्या तरीका है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो क्लासीफिकेशन आपने किया है इसके अन्दर जिनको भारत सरकार ने क्रानीकली ड्रौट एरिया मानकर जहां डी.पी.ए.पी. चलाए जा रहे हैं उन तहसीलों को आप सेमी फरटाइल में नहीं डाल सकते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद, सारे इन्वेस्टीगेशन्स करने के बाद भारत सरकार ने क्रानीकली ड्रौट एरिया उनको घोषित किया है लेकिन ऐसे इलाकों को सेमी फरटाइल में डालकर आप वहां के काश्तकार के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह हमारी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आगे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। कहीं इस सम्बन्ध में समाजवाद के नाम पर मैं सबसे पहले इस बात के लिए नाम लिखवाना चाहती हूं कि जिनकी इतनी जमीन है कि वे जमीन पर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में, अनापशनाप जिनके पास पैसा है, जिनके पास अधिक जमीन है, उनकी जमीन को लिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही अपने हाथ से मेहनत करने वाले आदमी, जिनको आपने प्रकृति के भरोसे छोड़ रखा है, जिनके पास कोई सिंचाई का साधन नहीं है, जिनके लिए आप 54 एकड़ की बात करते हैं न बिजली है, न कुआ है, भारत सरकार ने उन्हें क्रानीकली ड्रौट एरिया मान लिया है लेकिन मन्त्री महोदय ने कैसे सेमी फरटाइल मान लिया, कैसे झुन्झुनू को अजमेर और जयपुर के साथ बराबर कर दिया ? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पर मन्त्रीजी पुन: विचार करें। यह आगे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। कहीं ऐसा न हो कि आप समाजवाद के नाम पर, अर्द्धनंगों व अर्द्ध भूखों की जमात खड़ी करदें। किसी देश की अर्थ व्यवस्था अच्छी वह होती है जहां भूमि पर कम से कम भार हो। खास तौर से ऐसे इलाकों में जहां का किसान हैन्ड टू माउथ रहता हो, ऐसे इलाकों में आप 54 एकड़ की बात करें जहां 6 साल में एक साल जमाना हुआ है, गरीब लोग जो इस पशु को छोड़ नहीं सकते, प्रकृति के साथ जूझते हैं, उनका पशुधन चला गया मारवाड़ से वे आज हिसार और हरियाणा में बैठे हुए हैं, झुन्झुनू जिले के 50 हजार आदमी हरियाणा चले गए हैं, ऐसे इलाके को प्रकृति के भरोसे पर छोड़कर आप इस कानून के जरिये उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अत: ऐसे सारे इलाकों के पुन: क्लासीफिकेशन पर आप पुन: विचार करें तथा उनकी सीमाबन्दी 75 एकड़ तय करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड चार में जो संशोधन दिये ह वह निम्न प्रकार हैं:-
वर्तमान खण्ड चार को निम्नांकित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाय:-

"4. अधिकतम सीमा क्षेत्र:-(1) प्रत्येक कुटुम्ब के लिये जिसमें पांच सदस्य हों जिसे इसमें इसके पश्चात कुटुम्ब की प्राथमिक ईकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा:-

(क) वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य सरकारी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि 15 एकड़,

(ख) वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य निजी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि 18 एकड़,

(ग) वर्ष में एक फसल उगाने योग्य सरकारी साधनों से सिंचित भूमि 22.5 एकड़,

(घ) वर्ष में एक फसल उगाने योग्य निजी साधनों से सिंचित भूमि 27 एकड़,

(ङ) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) (ग) (घ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों में आने वाली भूमि यदि सम्पूर्ण रूप से फलोद्यान के अन्तर्गत 26-9-70 से थी तो गंगानगर जिले के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में उतनी ही भूमि जितनी खण्ड (क) (ख) (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट की गई है तथा गंगानगर जिले में-10 एकड़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(च) खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में न आने वाली भूमि और अनुसूची में वर्णित उपजाऊ जोन में आने वाली भूमि के संबंध में 30 एकड़,

(छ) खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में न आने वाली भूमि और अनुसूची में यथा वर्णित अर्द्ध उपाजाऊ जोन या पहाड़ी क्षेत्र में आने वाली भूमि के संबंध में 37.5 एकड़,

(ज) खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में न आने वाली भूमि और अनुसूची में यथा वर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि के संबंध में 45 एकड़,

(झ) खण्ड (क) से खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में न आने वाली भूमि और अनुसूची में यथा वर्णित रेगिस्तानी जोन में आने वाली भूमि के संबंध में 54 एकड़,

(2) यदि कुटुम्ब में पांच सदस्यों से कम सदस्य हों तो उनके संबंध में अधिकतम सीमा क्षेत्र प्रत्येक कम सदस्य के लिये 1/5 इस प्रकार घटा दिया जायेगा जिससे कि ऐसे कुटुम्ब पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र प्राथमिक इकाई पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र के दो तिहाई से कम न हो,

(3) यदि कुटुम्ब में पांच सदस्यों से अधिक सदस्य हों तो उनके संबंध में अधिकतम सीमा क्षेत्र प्रत्येक अधिक सदस्य के लिये 1/5 इस प्रकार बढ़ा दिया जायेगा जिससे कि ऐसे कुटुम्ब पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षत्र प्राथमिक ईकाई पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र से दुगने से अधिक न हो,

(4) यदि वह व्यक्ति जिसके लिये अधिकतम सीमा निधारित की जा रही है एक कानूनी (जुरीडिकल) व्यक्ति हो तो उसके लिये अधिकतम सीमा वही होगी जो प्राथमिक इकाई के लिये निर्धारित की गई है,

(5) (क) पृथक इकाई की अधिकतम सीमा क्षेत्र उपधारा (1) (2) तथा 3 के अनुसार निर्धारित की जायेगी,

परन्तुक यदि पृथक इकाई के पास कोई अलग भूमि होती तो वह भी उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय गिनी जावेगी।

(ख) यदि इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति या किसी कुटुम्ब पर लागू होने वाला अधिकतम सीमा क्षेत्र धारा 40 द्वारा निरसित विधि के उपबन्धों ऐसे व्यक्ति या कुटुम्ब पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाता है तो ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति या कुटुम्ब पर लागू होने वाला अधिकतम सीमा क्षेत्र वही होगा जो उक्त निरसित विधि के उप बन्धों के अधीन था।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इस बिल में करने के लिये प्रस्ताव किया है अगर यह संशोधन मान लिये जाते हैं तो जो इस बिल से फायदा मिलने वाला है वह पूरा मिल सकता है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं वह नये नहीं हैं बल्कि यह लेंड कमीशन, एग्रीकल्चरल कमीशन या किसी एक ग्रुप की रिपोर्ट है इसमें केन्द्रीय सुधार समिति ने जो सुझाव दिये थे उसी के अनुसार है इसके अलावा जो नाइन मेम्बर्स की कमेटी थी उसनें या चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट हो उसमें सभी में यूनानी मसली यह रखा है कि सीलिंग की सीमा 10 से लेकर 18 एकड़ की रखी जाय इसमें यह खास

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ध्येय था कि सीलिंग की सीमा 10 के नजदीक रहे तो मैंने इसलिये प्रोपोजल में दिया है पांच मेम्बर्स वाली फेमिली के लिये भी दिया है और अगर पांच से ज्यादा बढती है संख्या तो मैंने उतने ही कम करने की व्यवस्था रखी है जिससे कि ज्यादा भूमिहीनों को फायदा पहुंचे। वरना बड़ी फेमिली वालों के पास ज्यादा जमीन हो जायेगी। इसलिये जो हम भूमिहीनों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं वह नहीं होगी। तो मैंने तो जो गाइड लाईन दी हुई है कि 10 एकड़ जमीन का सीलिंग होना चाहिये उसको दृष्टिकोण में रखते हुए कि जहां डबल फसल होती है कम से कम उगाने योग्य सरकारी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई है साल में दो फसल होती है वहां पांच सदस्यों के परिवार वालों के लिये मैंने सिर्फ 15 एकड़ रखी है और वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने योग्य निजी साधनों से सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि के लिये मैंने 18 एकड़ का सुझाव दिया है यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी सुझाव दिया था उससे भी सवाया रखा है अगर उसने किसी में दस एकड़ रखा है तो मैंने 15 एकड़ किया है। तीसरी मैंने वह सुझाव दिया है कि वर्ष में एक फसल उगाने योग्य सरकारी साधनों से सिंचित भूमि के बारे में कहा है। इसमें पानी तो मिलता है पर वहां पर फसल एक ही होती है साल भर में तो इसमें जो सीमा रखी है वह उसकी इन्टेन्सिव के अनुसार रखी है। जैसे वहां पर जो पानी दिया जाता है वह साल भर में कितनी बार दिया जाता है उस हिसाब से। आपने जो 54 एकड़ रखी है वह बहुत ज्यादा है। वैसे आपकी सर्वे कमेटी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ज्यादा से ज्यादा 54 एकड़ की सीमा रखी है इससे ज्यादा नहीं बढ़ायी और यही बात एग्रीकल्चरल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है तो मेरा निवेदन है कि जो मैंने सुझाव रखे हैं उन्हें आपको मान लेना चाहिये। इसको मान लेने के बाद में अपने आप ही भूमिहीनों को जमीन प्राप्त हो सकेगी। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि अभी माननीय मंत्रीजी एक ऐसा प्रोपोजल रख रहे हैं जिससे कि जो 54 एकड़ ज्यादा से ज्यादा सीमा थी वह बढ़ा दी जायेगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में सरकार ने 54 एकड़ से ज्यादा सीमा रखने की बात कही है।

मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि हमने इसके अंदर जो नलकूप हैं, जो बिजली से चलते हैं या डीजल इन्जिन से चलते हैं, जो एरिया है उस एरिया को निजी क्षेत्र मानते हुए, वह सिंचित क्षेत्र है, उसको ईरिगेटेड क्षेत्र मानते हुए रखा है। माननीय मंत्रीजी व माननीय मुख्य सचेतक महोदय और जनसंघ की ओर से अमेंडमेंट है डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले हैं उनको भी 54 एकड़ में लेजाने की बात है, बारानी में लेजाने की बात है। उस एरिया की बात कीजिये कि एक के पास 54 एकड़ और बिजली के पम्प लगे हुए हैं, दो फसली नहीं है चार फसली है और उस संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री शोभारामजी बैठे हैं, उनका अनुभव है, उनके फार्म पर पम्प लगे हुए हैं दो फसलें होती हैं या क्या नहीं होती हैं और भी उनको अनुभव है, वे इस बात को जान सकते हैं। बारानी वाली है उनका भी 54 और चाहे पूरी है उनका भी 54। यह तो सरासर अजीब सी बात इसके अंदर होगी। इसका मतलब इन सारे क्षेत्रों में, बारानी के बेसिस पर चलेंगे सीलिंग करेंगे और इसकी बुनियाद पर पुराने एक्ट से मुकाबला करें, पुराने एक्ट में सीलिंग कम थी उससे

(**श्री रामानन्द अग्रवाल**)

उल्टी ज्यादा हो जावेगी। अलवर में पहले इरिगेटेड लैंड की 28 थी वह अब 54 हो जावेगी। इरिगेटेड लैंड तो रही नहीं। जिस तरह की डेफिनिशन आप कर रहे हैं ज्यादा वहां वेल की इरिगेशन है, कैनाल वैसे ही नहीं है उसमें सारी की सारी लैंड अनइरिगेटेड हो जावेगी और 28 के बजाय 54 उसमें हो गयी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पुरानी है उससे तो बढ़ सकती नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें जो प्राविजन रखा है, पुरानी वाली कम हो तो नयी ज्यादा नहीं हो सकेगी। यही मैं इस बिल की जान समझता हूं। इसमें कुछ भी कम है तो ज्यादातर केसेज में बढ़ेगी।

माननीय मंत्रीजी गंगानगर जिले के बारे में कह रहे थे उनको पढ़ कर सुनाऊ उसमें अधिक से अधिक रही जमीन है। उसमें है राजस्थान कैनाल ईरिगेटेड की 39। दूसरा एक पानी 43। घोरा और बंजर की 85 है। यह प्रथम ग्रुप है। लास्ट ही लास्ट है घोरा 85। तीसरा ग्रूप है 117 और चौथा ग्रूप है 129। 129 अधिक से अधिक है। आपके प्रपोजल में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दो तहसीलें रखी हैं अर्ध रेगिस्तान उनकी हो जायगी 125। बाकी जिले रखे हैं राजस्थान में उनमें रखा है 175। फिर वही बात लागू हो जायगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ गलत समझे हैं। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ रेगिस्तान है और बाकी सारा इलाका अर्ध रेगिस्तान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें 125। इसमें अधिक से अधिक 125 और 175 कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले से सीलिंग नहीं बढ़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरीके से विभिन्न जिलों की सूची को देखें। 32 हजार गांव हैं। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि 32 हजार गांव है उनमें गिन कर देखें तो मेजोरिटी लोगों का सीलिंग बढ़ा है। उस ब्लेन्कट, प्रोविजन की वजह से उतना ही रह जावेगा। यही प्रोविजन रखते हैं और मेरा अमेंडमेंट मंजूर नहीं करते हैं तो एक्चुअली तो बढ़ा रहे हैं और पुराना कानून भी उसमें रह रहा है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करें।

एक और भी कमी नजर आवेगी। पुरानी जो फेमिली थी उसकी डेफिनिशन में और अब की फेमिली की डेफिनिशन में फर्क पड़ गया है उसमें भी काम्पलीकेशन्स पैदा होंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके सामने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन तो हमारे मुख्य सचेतक जी की तरफ से आया है "मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चालित"। ये शब्द हटाये जाने के संबंध में। इसको मैं मंजूर करता हूं।

दूसरा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई संशोधन इस खण्ड 4 में रखे हैं। एक तो यह है कि सीलिंग लॉ में 5 आदमियों से ज्यादा सदस्य बनते हैं तो फिर लिमिट है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डबल मान है मैंने।

श्री रामचन्द्र चौधरी : चीफ मिनिस्टर्स गाइड लाइन्स हैं उसमें यह है।

"The total area of ceiling should not exceed twice the holding of a family of five members."

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच से कम हो तो?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक ही आदमी हो तो भी एक यूनिट माना है।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही पोसिबिलिटी वही है, एक हो या चार हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मध्यप्रदेश सरकार ने दस से शुरू किया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इससे ऐसा लगता है आपके पास बैठने वाले साथी को भी इससे महरूम करना चाहते हैं।

सीलिंग लिमिट्स में एरिया परमिसिबल के लिये निवेदन किया। 54 एकड़ वाले को घटा कर 47 कर दिया। हिल्ली जोन के लिये कहा। चीफ मिनिस्टर्स गाइड लाइन में डेजर्ट जोन, ड्राट प्रोन एरिया और हिल्ली जोन के लिये कहा है कि भारत सरकार से पूछ कर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने एरियाज में सीलिंग लागू करेंगी। उसको ले कर भारत सरकार के पास गये। हमारी बात को समझ कर 150 सेमी डेजर्ट मंजूर किया। हिल्ली जोन का पहले नहीं था। उसमें प्रावधान है। सब लोगों ने बताया। बहुत से साथियों ने बताया कि हिल्ली जोन में काश्त तो होती नहीं। घास के लिये छोड़ दें। सौ बीघा में भी चार पांच पशुओं के लिये भी घास नहीं होती है। इस स्थिति को देखकर गाइड लाइन्स में प्रावधान किया है। सेमीडेजर्ट 150 के बजाय 125 किया है। हम आधे पर ले आये हैं।

ऑर्चर्ड के लिये भी पहले निवेदन किया। यह भी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में तय किया था कि इसको फरटाइल जोन या ड्राई एरिया में माना जाय, उसी में माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 23 जुलाई 72 की डेट रखी है इसका क्या सिग्नीफिकेन्स है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं बताऊं जिस दिन...

(अश्रव्य)

अब आप यह कह सकते हैं जिस दिन चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई उस दिन यह आखिरी डिसिजन हुआ। उस तारीख से पहले जो था, उनको मानेंगे और उसके बाद लगाये तो नहीं मानेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेकार्ड ऑफ राइट यह 23 जुलाई को कैसे होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो बागात होते हैं वे एक दिन में तो नहीं लगते हैं। वे तो पर्टिक्यूलर पीरियड में ही लगते हैं। उस पीरियड में लगाये तो ही लग सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी आप लगाना चाहें तो नहीं लग सकते हैं। आपको खेती से वास्ता नहीं है इसलिये...

श्री रामानन्द अग्रवाल : खेती से तो वास्ता नहीं है लेकिन....

श्री रामचन्द्र चौधरी : समझते भी नहीं हैं। इसलिये मैं आपकी तरमीम मंजूर करने के पक्ष में नहीं हूं। सुमित्राजी ने एक बात कही है और यह संशोधन रखा है कि उनके यहां से सेमीफर-

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

टाइल माना है। जहां चारों तरफ को घेरे हुए डेजर्ट आये हैं उसको सेमी फरटाइल मानने से उनकी नाराजगी है। उसको हमने फरटाइल के नीचे कर दिया। लेकिन भारत सरकार की जो गाइड लाइन है चीफ मिनिस्टर्स की उसमें डिल्ली जोन एरिया और ड्रॉट प्रोन ऐरिया को एगजम्पटेड माना है। इसलिये हम उसको मन्जूर करने में असमर्थ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा वाला क्या किया ? मानव स्रोत वाला, निजी स्रोत्र वाला....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ वाला अमेन्डमेन्ट मन्जूर करते हैं या नहीं। ...

एक माननीय सदस्य : ऊपर वाला मन्जूर कर देंगे तो सब कुछ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : खेत सिंह जी वाला था वह तो मन्जूर कर दिया।

श्री गिरधारीलाल : खण्ड 4 के तीन में किसी भूमि की सिंचाई एक फसली है या दो फसली सरकारी या निजी तौर से होना निश्चित है, यह निजी को निकालने वाली बात है ...

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको मैं निवेदन करूं। इस पर बड़ा झगडा चला था और उसमें जो तय हुआ है वह यह माना है आपने अभी यह कहा है जो डीजल या इलेक्ट्रिक से आपरेटेड है और फ्राम सम पेरेनियल सोर्स है उसको हमने इस केटेगरी में माना है। उसमें डिफरेन्शियेट नहीं किया गया है। 10 या 18 एकड़ है प्रोडक्शन रेन फाल क्राप पेटर्न की 18 एकड़ का फैसला किया है। 18 एकड़ में निजी और गवर्नमेन्ट सोर्स का सवाल नहीं है, इस तरह 27 एकड़.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब निजी क्षेत्र में 18 के बजाय 54 हो गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुए को जब आपने निकाल दिया तो निजी सोर्स अपने आप निकल जायेगा। नदी चल रही है, नदी का पेरीनियल सोर्स है, अगर वह लिफ्ट इरिगेशन करेगा तो वह निजी में आ जायेगा और अगर एशुअर्ड 12 महीने पानी मिल रहा है तो वह एशुअर्ड में आ जायेगा।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक कि यह विधेयक पास न हो जाये, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक यह विधेयक पास न हो जाये तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

(समय बढाया गया)।

एक माननीय सदस्य : श्री मूलचन्द सामरिया का एक और अमेंडमेंट था जिसमें 15 हजार की सीलिंग थी कि जिसकी आमदनी 15 हजार से अधिक हो उसके बारे में।

श्री खेतसिंह : वह यह मन्जूर नहीं करते।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं मन्जूर नहीं करता।

श्री मुन्शी लाल : मैंने जो अमेंडमेंट दिया था उसका क्या हुआ।

श्री रामचन्द्र चौधरी . वह भी मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन माननीय राजस्व मन्त्री ने रखा है

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारी नॉन आफिशियल अमेंडमेंटस लेनी चाहिए। अगर पहले आप मन्त्री महोदय का अमेंडमेंट मन्जूर करा लेंगे तो हमारी अमेंडमेंट्स अपने आप नामन्जूर मानी जायेंगी। तो पहले हमारी नान-आफिशियल अमेंडमेंट लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी अमेंडमेंटस पहले ली जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन क्रम के अनुसार भी पहले हमारी अमेंडमेंट्स हैं। अगर हमारी अमेंडमेंन्ठ्स मान लीजिये स्वीकार नहीं होती हैं, तो फिर मैं आपकी अमेंडमेंट का समर्थन कर सकता हूं। इसलिये पहले हमारी अमेंडमेंट्स ली जायें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे चुका हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो अमेंडमेंट माननीय राजस्व मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये। जो इसके पक्ष में हों वह हां कहें।

(हां पक्ष की आवाजें)

जो इसके विपक्ष में हों वह ना कहें।

(ना पक्ष की आवाजें)

हां पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: आप डिविजन क्लेम करते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि मुख्य सचेतक महोदय ने जो खण्ड 4 में संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन सा?

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 4 में उप-खण्ड (1) के स्पष्टीकरण में से शब्द 'मानव श्रम या पशु श्रम द्वारा चालित' लोपित किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि जिसने पहले दिया है वह पहले आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: इस बारे में मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी तो निवेदन सुन लीजिये। पहले मैंने अमेंडमेंट दिया है और उसके बाद खेतसिंह जी ने दिया है। अगर ऐसी बात होती तो वह अपना अमेण्डमेंट पहले रख देते। पहले मेरा अमेंडमेंट है और वह पहले रखा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये। जो लिस्ट मेरे पास है उसके अनुसार सचेतक महोदय का पहले आया है और बिजनेस में रखा है उसमें भी सबसे पहले रखा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो हमको आज सूची दी गई है और जो पहले दी गई थी इन दोनों में अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। व्यवस्था में पहले ही रामानन्द जी के पाइन्ट आफ आर्डर पर दे चुका हूं कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आयेगा उसको प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री मीठालाल : लेकिन सरकारी तो नहीं हैं सचेतक महोदय का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह भी सदन के एक माननीय सदस्य हैं और मैं भी हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दोनों का मकसद एक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: कल जो ऐजण्डा प्रसारित किया गया और आज जो दिया गया दोनों में अन्तर है। दोनों एक से नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय सचेतक महोदय ने खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(हां पक्ष जीता)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ना पक्ष जीता 'आई क्लेम डिविजन'।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नहीं है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : चाहे मेरा न हो 'एनी मेम्बर केन क्लेम दी डिवीजन'

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री खेत सिंह जी ने खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(हां पक्ष जीता)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ना पक्ष जीता। आई क्लेम दी डिविजन।

श्री उपाध्यक्ष : जो ना पक्ष में हों वह खडे हो जायें।

(केवल 4 माननीय सदस्य खड़े हुए)

जो हां पक्ष में हों वह खड़े हो जायें।

(सरकारी पक्ष के सभी माननीय सदस्य खड़े हुए)

हां पक्ष जीता।

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री मुन्शीलाल जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं?

श्री मुन्शीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुन्शीलाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : कतई नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) में माननीय सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य आपने जो खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे आप वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस नहीं लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल जी आप अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा संशोधन था 'मानव श्रम या पशुश्रम द्वारा चालित'

श्री खेतसिंह : वह तो मेरा मन्जूर हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका ही ही क्यों हो अकेले का, मेरा भी होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानून की प्रक्रिया ऐसी ही है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी तो संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर यहां से निर्णय हो चुका है इसलिये पुन: उसको वोट पर रखने की आवश्यकता नहीं है नियमों के अनुसार ।

श्री मिठालाल : क्या भार्गव साहब के अमेण्डमेंट को उसमें शामिल कर लिया गया है?

श्री केदारनाथ : 'टकन एज एडाप्टेड' ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने खण्ड 4 में दो संशोधन प्रस्ताव पेश किये । एक तो यह है :

"स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द 'मानव श्रम या पशुश्रम द्वारा चालित' विलोपित किये जायें । तो यह संशोधन प्रस्ताव पहले ही खेतसिंह जी के संशोधन प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत हो चुका है इसलिये इस प्रस्ताव को पुन: वोट पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।"

दूसरा प्रस्ताव खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) में है : "इस उप-खण्ड में प्रयुक्त शब्द 'या निजी' विलोपित किये जायें" ।

तो इस दूसरे के बारे में जानकारी चाहता हूं कि क्या आप इसको वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वापिस नहीं लेता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अनिच्छा से मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि श्रीमती सुमित्रासिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

वापिस लीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह: ले लिया समझ लिजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेंगे खण्ड 4 का ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं प्रेस कर रहा रहा हूं। वापिस लेने का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो रामानन्द जी अग्रवाल ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 मय संशोधनों के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 मय संशोधनों के स्वीकृत किया गया।

खण्ड 7

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 7।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा संशोधन इसमें इस प्रकार है:—

इस खण्ड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति **"15 अगस्त, 1972"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"31 दिसम्बर, 1969"** प्रति स्थापित की जाय।

जैसा कि अभी खण्ड 4 के पारित होने के दर्मियान स्पष्टीकरण में से शब्द **'मानव श्रम'** या 'पशु श्रम द्वारा चालित' लोपित किये गये थे तो वह तो कुओं के लिए 'मानव श्रम' शब्द और 'पशु श्रम' शब्द लोपित कर एग्जेम्पशन दिया गया है। उसी तरह से खण्ड 7 में भी इम्प्रूवमेन्ट का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान अपने पैसे, अपने खर्चे से अपना कोई इम्प्रूवमेंट करता है तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। इस खण्ड 7 से क्या प्रभाव होगा कि जिन लोगों ने पिछले तीन चार साल में जो अपने कुए पर बिजली लगाई, कुए चलाए या निजी कुए बनाये या अपनी मेहनत करके किसी तरह से ब्याज पर रुपया उधार लेकर उन्होंने अपने खेतों में सिंचाई के साधन बढ़ाए हैं उन पर बड़ा भारी आघात होगा।

मैं फिर वही निवेदन कर रहा हूं कि 15 अगस्त, 1972 के बाद के इम्प्रूवमेंट तो माननीय मन्त्रीजी मान रहे हैं लेकिन 15 अगस्त से पहले के जितने भी इम्प्रूवमेंट हैं, टीनेंसी एक्ट के अन्दर भी वह माने गए हैं कि जो अपनी जमीन पर इम्प्रूवमेंट करेगा, जो अपनी भूमि का इम्प्रूवमेन्ट करेगा, उसको बीस साल तक छूट दी जाएगी उसके लगान में छूट होगी, दूसरी बातों की छूट होगी, लेकिन इसमें जब खण्ड 4 में स्पष्टीकरण में कुओं में छूट दी गई है तो मेरा निवेदन है कि इसमें भी 31 दिसम्बर, 69 से हो ताकि जिन्होंने पिछले तीन साल में मेहनत करके, बिजली लगा कर या कुए बना कर काम किया है तो उनको भी भी वही मौका दिया जाय। इसलिए इस 15 अगस्त, 1972 के बजाय 31 दिसम्बर, 1969 से रखा जाय तो उन लोगों को जिन्होंने मेहनत की है, पैसा लगाया है उनको भी लाभ हो सकता है वरना इससे उन लोगों ने जिन्होंने वाकई में ईमानदारी से, बोनाफाईडी, हरित क्रांति में योग दिया है उसको आघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो प्रस्ताव माननीय सदस्य मनोहरलालजी ने रखा है कि 15 अगस्त. 72 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 69 कर दिया जाय मैं उसका समर्थन करता मेरा भी यही प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह : खण्ड 7 में तो कोई प्रस्ताव नहीं है मेरा । खण्ड दस में है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो ट्यूब वैल सही माने में ट्यूब वैल हैं जो पेरेनियल सोर्स बनाया है और जो इलेक्ट्रिक से ओपरेटेड होता है तो उसको हम अश्योर्ड इरिगेशन में मानते हैं। तो इसमें जैसा मैंने पहले निवेदन किया था उसको उसी हिसाब से रखा गया है और यह जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उसकी गाईड लाइन्स के अनुसार ही है । इसलिए हमें माननीय सदस्य के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं ।

दूसरा 15 अगस्त 72 के बजाय 31 दिसम्बर, 69 करने की बात है तो मैं समझता हूं कि 15 अगस्त सन् 72 के बाद के जो ट्यूब वैल हैं, कुए लगे हैं उनको ही चीफ मिनिस्टर्स की गाईड लाइन में एग्जेम्प्ट किया गया है पहले के नहीं। तो मेरा निवेदन है कि मैं इससे बाहर नहीं जा सकता इसलिए इस तरमीम को भी मानने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री मनोहरलाल : नहीं, प्रस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल ने खण्ड 7 में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को पारित किया जाय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आवश्यकता क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : वयोवृद्ध माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप ही पूछ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो मालूम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सेक्रेट्री साहब से पूछ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 व 9 पर कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 व 9 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 व 9 स्वीकृत किए गए।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 10

श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:-

खण्ड 10 की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द '60' के स्थान पर शब्द "120" प्रतिस्थापित किये जायं।"

इसके लिये मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आप सब इसको मंजूर करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री केदारनाथ : यह भी गाईड लाईन है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री खेतसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 10 में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को मय संशोधनों के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 मय संशोधनों के स्वीकृत किया गया।

(विराम)

खण्ड 11 से 14

खण्ड 11 से 14 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 से लगायत 14 तक स्वीकृत किये जांये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 से लगायत 14 स्वीकृत किए गए।

(विराम)

खण्ड 15

श्री खेतसिंहजी ।

श्री खेतसिंह : मैं इसको प्रेस नहीं करता हूं, मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : 15 पर आपका भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 15 में हमारा संशोधन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

"खण्ड 15 को निम्न खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाय:-

"15 जिला भूमि ट्रिबुनल : (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में इस अधिनियम को अमली रूप देने से उत्पन्न विवादों का फैसला करने के लिये जिला भूमि ट्रिबुनल नियुक्त करेगी ।

(2) प्रत्येक जिला भूमि ट्रिबुनल का एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे। ट्रिबुनल के समस्त सदस्य राज्य सरकार भूमिहीन लोगों में से निर्धारित प्रणाली के अनुसार करेगी परन्तु प्रत्येक ट्रिबुनल में एक सदस्य अनुसूचित जाति और दूसरा सदस्य अनुसूचित जन जाति का होना आवश्यक होगा।

(3) इस अधिनियम में या इस समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के होते हुए भी जिला भूमि ट्रिबुनल को बंटवारे, अन्तरण और अधिकतम भूमि सीमा के संदेहजनक मामलों को इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के अंदर अंदर पुनः खोलने तथा निर्णय करने का अधिकार होगा यदि जिला भूमि ट्रिबुनल को स्वयं अथवा किसी के प्रार्थना पत्र देने पर यह विश्वास हो जाये कि उक्त बंटवारा, अन्तरण अथवा अधिकतम सीमा निर्धारण वर्तमान अधिनियम अथवा अन्य किसी कानून के खिलाफ होने के काफी आधार मौजूद हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हम इस अधिनियम में एक बुनियादी संशोधन मानते हैं। जो इस बिल में इस सारे कानून को एक्जीक्यूट करने की पावर दी गई है वह एक ओथोराइज्ड आफिसर को दी गई है जिसको न डिफाईन किया गया है। कैसे उसकी नियुक्ति होगी और वह सामान्य तौर से उसी प्रकार से एक सामान्य अधिकारी आर० ए० एस० या असिस्टेंट कलेक्टर, एस० डी० ओ० वगैरा होंगे। मैं समझता हूं कि सीलिंग कानून को अगर लागू करना है तो जिस तरह से माननीय सदस्यों ने कहा है यह एक क्रंशल पोइन्ट है कि किसके हाथ में आथोरिटी हो। इस सदन में इस प्रश्न को कई बार प्रेसित किया गया था और जो माननीय सदस्य भूमि सुधारों के पक्ष में हैं और जो यह कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव कमिटेड होनी चाहिए, कमिटेड का मतलब किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं लेकिन जो नेशनल कोंशस किन्हीं नीतियों के संबंध में है उसके बारे में कमिटेड होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम अपने संविधान के अन्तर्गत जो बड़े लैण्डलॉर्डस हैं उनसे भूमि निकालने का और जो भूमिहीन हैं उनको देने का यह कानून बनाते हैं तो इसको एक्जीक्यूशन भी ऐसे क्लास के हाथ में होना चाहिए, उस क्लास के रिप्रजेन्टेटिव के हाथ में होना चाहिए जो कि इसके बेनिफिशियरीज हैं इसके बजाय कि इसके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दें। तीन आदमियों की ट्रिब्यूनल तजवीज की है। यह जरूरी नहीं है कि वह परमानेन्ट सर्विसेज में हों। हम यह चाहेंगे कि इसकें बारे में राजस्थान सरकार, जो पार्टीज इन भूमि सुधारों में विश्वास रखती हैं उनसे सलाह-मशविरा करके चुनाव कराके या इसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित करके इस प्रकार की प्रणाली तैयार करे जिससे यह तीन का ट्रिब्यूनल इस प्रकार का हो जिसमें पूरे तरीके से प्रान्त के वह लोग जो भूमि सुधार में विश्वास करते हों उनका कान्फीडेन्स इसमें हो सके। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कमिटेड माने जा सकते हैं जो कि इसी क्लास के भूमिहीन हों उनको रखा जाय। इसमें दो क्वालिफिकेशन्स मैंने रखी हैं कि वह भूमिहीन भी होना चाहिए और वह इस क्लास के भी होने चाहिए। इस क्लास के लोग भी यदि भूमिहीन न हों तो इस ट्रिब्यूनल के मेम्बर नहीं हो सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे जो इनके पावर्स हैं तो उन पावर्स के बारे में भी इसके बजाय कि इसमें कलेक्टर या रेवेन्यू बोर्ड जिस किस्म के भी अभी तक आई हैं और जिस किस्म के अभी तक निर्णय हुए हैं और जैसा एक्जीक्यूशन अभी तक सीलिंग लॉ का हुआ है उसको देखते हुए मौजूदा कानून में ऐसा प्रावधान रखना चाहिये जिससे लोगों की यह शिकायत न हो कि इसका अमल नहीं हुआ है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अगर इसको अमल में लाना है और इस पर अमल कराना है तो इसके एक्जीक्यूशन के लिये यह ट्रिब्यूनल बने और इसको ओरीजिनल जुरिस्डिक्शन भी दिया जाय और अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी दिया जाय। मैंने ओरीजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन का सुझाव दिया है ओरीजिनल में जो बोगस और इन्जेनुइन पार्टीज हैं और जो इन्जेनुइन ट्रांसफर्स हो गये हैं, गलत तरीकों से सीमा का निर्धारण हुआ है तो इन तमाम केसेज को वह रीओपन कर सके और अपील भी सुन सके, और इसका फैसला फाइनल हो। इस तरह का सुझाव इसमें है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, आन एपांइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं निवेदन करूंगा कि जिस कार्य सूची के आधार पर आप चल रहे हैं तो यह नम्बर इस तरह से हैं कि "खण्ड 10 की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'साठ' के स्थान पर 'एक सौ बीस' प्रतिस्थापित किये जायं" और दूसरा है कि "खण्ड 15 की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'तीन वर्ष' के स्थान पर शब्द 'एक वर्ष' प्रतिस्थापित किये जायं।"

इसके बाद में भानुकुमार शास्त्री मनोहरलालजी और मेरा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष: वह खण्ड 16 के लिये है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैंने खण्ड 15 पर दिया है कि इसको विलोपित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 15 पर कौन सा प्रस्ताव है ? आप पेज नम्बर बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया और संचालन के नियमों में यह धारा 267 और 268 में दिया हुआ है कि वह अध्यक्ष के डिस्क्रीशन में होगा कि किस ऑर्डर में एमेंडमेंन्ट्स को रखें। इसमें भी आपने माननीय मंत्रीजी को पहले नम्बर दिया है तो हमने आब्जेक्शन नहीं किया है क्योंकि वह रूल्स के मुताबिक था इसलिये आब्जेक्शन नहीं किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय सदस्य का पहले ले लिया जाय अगर रूल्स की मुखालफत नहीं हो तो।

श्री खेतसिंह : हमें आपत्ति नहीं है कि आपका लें या इनका लें। वह तो दोनों ही नामन्जूर होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप तशरीफ रखें। आपने एक प्रश्न उठाया है।

खण्ड 15। जो प्रस्तावों की सूची मेरे पास है उसमें सर्व श्री खेतसिंहजी के बाद रामानन्दजी गफ्फार अलीजी और योगेन्द्रनाथ हाण्डा का नाम दिया हुआ है, उनके नाम प्रस्तुत हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने लिखकर दिया है कि 15 को विलोपित किया जाय और इसमें सूची में नाम आया है लेकिन प्रस्ताव उसमें रह गया है। 12 के नीचे सर्व श्री [भा]नुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल और गिरधारीलाल भार्गव नाम तो दिये हैं। यह 15 के बारे में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो 16 के बारे में हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ओरीजिनल मंगालें। 15 का मैंने विरोध किया है। यह संशोधन मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये

Page No 167

(167)

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल विलोपित करने का एमेंडमेंट एडमिसिबल नहीं है। But it is no amendment to delete the whole clause. An honorable member can oppose the clause when put to the house.

आपके नोटिस में यह भी ला देता हूं।

(265) Scope of amendments (1) An amendment shall be relevant to, and withen the scope of the motion to which it is proposed.

(2) An amendment shall not be moved which has merely the effect of a negative vote.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : डिलीशन का एडमिट नहीं किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष :15 की कौनसी कार्यसूची में है ? मैं देखना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कार्य सूची में इसमें नहीं दिया है। 12 के बाद में यह है कि 1-2-3 प्रस्ताव करेंगे तो क्या प्रस्ताव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो 16 के लिये है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो मेरे मूल दो संशोधन हैं उनको आप देख लें कि मैंने 15 को विलोपित करने के बारे में लिखा है।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : 15 में आप क्या चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 15 को डिलीट करने का मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव आपका मेरे पास में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन प्रस्ताव है। मैंने दो दो बार लिख कर दिया है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि वह सूची में नहीं है। मैं इस मामले में बड़ा सजग हूं। ज्योंही कोई विधेयक सदन में मंत्री महोदय ने रखा है कि, प्रायोरिटी पाने के लिये तुरन्त संशोधन रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन भी सुन लें। कार्यसूची जो मेरे पास है उसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इसमें खण्ड 15 के संबंध में आपका कोई प्रस्ताव मेरे पास तो आया नहीं और कार्यसूची में कोई इस तरह का नहीं है। अगर आपकी कार्यसूची में हो तो आप मुझे दिखला दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी कार्यसूची में भी नहीं है लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि नाम तो है 15 के लिये ......

श्री उपाध्यक्ष: वह 16 के बारे में है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: खण्ड 15 में जो दिया हुआ है, खेतसिंहजी का है कि खण्ड 15 पर वह प्रस्ताव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वह 16 के लिये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य को वास्तव में दिक्कत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो मैंने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं वह इस सदन में हैं बाहर तो नहीं हैं। दो दो बार संशोधन लिखकर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दिये हैं आप महरबानी करके मेरा पत्र मंगा लें। उसमें विलोपित करने का मैंने लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि विलोपित करने की प्रार्थना है तो ऐसा हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले भी स्वीकार किये हैं। मैं इसमें यह निवेदन करने जा रहा था कि 15 नम्बर के मामलों में पुनः खोलने की शक्ति एस० डी० ओ० में निहित की है। यह जो अधिकार उसको दे दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जन्मकुण्डली वापिस खोली जा सकती है, तो यह अधिकार का निर्धारण...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के नोटिस में रूल 265 लाता हूं।

"265. Scope of amendments (1) An amendment shall be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

(2) An amendment shall not be moved which has merely the effect of a negative vote."

तो माननीय सदस्य जो अमेंडमेंट मूव करने जा रहे हैं, वह रूल 265 के सब-क्लॉज 2 के खिलाफ है। इसलिये मूव नहीं किया सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह ठीक है, फैसला हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो इसके रखने का ही एतराज किया है, क्योंकि यह नगेटिव अमेंडमेंट है। यह डिलीट करने का है। इसके खिलाफ आप अपना वोट देकर अपना इण्टेंशन जाहिर कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फैसला तो आने दें। बार-बार आप क्या कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल ने रूल 65 के सब रूल 2 की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। इसमें एक डिसीजन ऑफ चेयर पार्लियामेंट का है-

"An amendment for omission of clause of a Bill is inadmissible."

इसलिये म प्रस्तुत करने की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारिलाल भार्गव : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान : वोट हो तभी करना।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज 15 का जवाब दे देने दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर रीओपन करने का अधिकार पटवारी को दे दिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। फिर तो एस० डी० ओ० के हाथ बागडोर होगी। वह चाहेगा, उसकी जन्मपत्री खोलेगा। या तो पैसा धरो, नहीं तो वह जन्मपत्री खोलेगा। यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं होती है। आपने सीलिंग तो बता दी पर इस प्रकार से एस० डी० ओ० को अधिकार देने का अर्थ क्या निकलेगा। यह तो घोर अप्रजातान्त्रिक होगा। इसलिये इसको विलोपित किया जाये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो नीति है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इण्डिया ने जो नीति निर्धारित की है, उसमें यह है कि इसमें पब्लिक को भी इन्वाल्व किया जाये। इसका मकसद था कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो लोग हैं, उनको राहत मिले। मगर यह एक ताकत ऐसे लोगों को तकसीम करने के लिये दे दी है जो कि आज तक भ्रष्टाचारी रहे हैं। वह लोग जो ट्रेजरी बेंचेज में बैठे हैं उनको यह सोचना है कि हर चीज की खिलाफत करना है तब तो ठीक है। कोई मुन्तकिल हो गया है, कोई गलत हो गये हैं, उनको दे दिया जाये। इसमें गाइड लाइन कहां से आड़े आती है। वह मंत्री महोदय फर्मा दें। मैं समझता हूं कि वह हार्मलेस है। उसको अपनाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो सदस्यों ने संशोधन पेश किया है। उसमें यह तो मानता हूं कि नीति निर्धारण करना था और कानून बनाना यह तो सदन का काम है। लेकिन कानून को एग्जीक्यूट करना तो अधिकारियों का काम है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप से एक्ज़ीक्यूट नहीं करा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो गवर्नमेंट मशीनरी करेगी। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। जो प्रावधान लाया गया है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने खण्ड 15 में जो संशोधन रखा है, वह स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें है "किसी व्यक्ति पर अन्तिम विवरण की तामील की तारीख, उसके द्वारा धारित और अन्तिम विवरण में दिखाई गई अविशेष भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई समझी जायगी और उक्त तारीख से वह सब अधिकारों से मुक्त राज्य सरकार में आत्यान्तिक रूप से निहित होगी।"

तो इसमें मेरा निवेदन यह है कि जब वह सभी अधिभारों से मुक्त है तो जो काश्तकार ने सीलिंग का फैसला होने के बाद खेत में से जितनी जमीन सरकार में निहित हुई या होनी है उस पर जो कोई कर्जा ट्रेक्टर आदि के लिए ले रखा है, तो जो जमीन सरकार ले रही है उसके ऊपर जो कर्जे का बर्डन पड़ा तो वह उसको देना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन था कि सरकार उस जमीन को लेती है तो उसके ऊपर जितना कर्जा है और दूसरे अधिभार हैं, उसकी कीमत का मुआवजा सरकार दे या फिर सरकार नहीं ले सकती है।

(श्रीमती मदन कौर, सभानेत्री, पदासीन)

(रात्रि 8.30)

इस बारे में मेरा संशोधन है "उपखण्ड 1 में सयुक्त शब्द 'सब अधिकारों से मुक्त' विलोपित किये जायें"।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम कैसे रिलेस करें अपने आपको।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अभी जो मनोहरलाल जी ने बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, खण्ड 16 के उप-खण्ड (1) में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाये–

" परन्तु यदि अधिशेष भूमि या उसका कोई भाग किसी काश्तकार या शिकमी काश्तकार द्वारा क्रमश: किसी भूमिधारक अथवा खातेदार के तहत इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त पहले तीन वर्ष तक लगातार काश्त किया गया हो तो ऐसी भूमि का केवल टाइटल राज्य सरकार में निहित होगा और उस जमीन का वास्तविक कब्जा उसी काश्तकार अथवा शिकमी काश्तकार के पास रहने दिया जावेगा, लेकिन यदि उक्त काश्तकार अथवा शिकमी काश्तकार के पास धारा 4 में वर्णित भूमि से अधिक भूमि है तो उससे इस अधिकतम सीमा से ऊपर की भूमि ले ली जावेगी।"

सभापति महोदया, इस संशोधन का आशय यह है कि आपने यह प्रावधान किया है कि जो सरप्लस लैंड डिक्लेअर हो जायगी, वह सरप्लस लैंड इमीजियेटली गवर्नमेंट के कब्जे में आ जायगी, वेस्ट गवर्नमेंट में हो जायगी और गवर्नमेंट उसका कब्जा ले लेगी। लेकिन यह सम्भावना भी है कि उस जमीन पर कोई सब टिनेन्ट्स हों, जो कि जेनुइनली कितने ही अर्से से काश्त करते आ रहे हों। इस सारे कानून की एनोमोली को देखिये, अगर उस सब टेनेन्ट की जगह लैंडलार्ड ने उस जमीन को बेच दिया, खुद पैसा ले लिया तब तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, उस जमीन को उससे निकालने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन उस पर टिलर ऑफ दी सोइल सब टिनेन्ट के रूप में है और सब टिनेन्ट नहीं, सभापति महोदय, जो खातेदार हैं, खास तौर पर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि यह जो भूतपूर्व राजा महाराजा हैं, आज भी वे लैंड होल्डर्स हैं इस जमीन के और जमीन पर जो काश्तकार हैं, वह काश्तकार खातेदार, टिनेन्टस हैं और उस प्राविजन के तहत रूलर होल्डर आफ दी लैंड हैं और रूलर्स उस जमीन का जो रिटर्न है, वह रूलर देगा, इसका मतलब यह है कि आप उस रूलर के रिटर्न पर उस खातेदार टिनेन्ट को निकालने की कोशिश करेंगे जो कि धारा 15 के तहत, टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत एक खातेदार पक्का बन चुका है, लेकिन चूंकि यह लैटर एक्ट आपका उस पर प्रिसिडेंस होगा इसलिये इसका मतलब होगा कि इसके तहत खातेदार टिनेन्ट, खास तौर पर राजाओं वाली जमीन में क्योंकि राजाओं वाली जमीन ऐसी है जिसमें अभी तक इन्टरमीडियरीज खत्म नहीं हुए हैं, इसमें होल्डर्स आफ लैंड राजा हैं राजा उसका रिटर्न देगा और वह जो खातेदार टिनेन्ट भूतपूर्व राजाओं की जमीन पर हैं, उनका केस मैं आपके रख रहा हूं, जिसमें धारा 16 जो है, उसके तहत इजेक्ट करने की बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे लोग हैं जो सब-लैट करते हैं जिसका रिकार्ड मौजूद है, इन बोनाफाईड पर्चेजर को प्राटेक्ट किया है, बोनाफाईड ट्रान्सफर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन बोनाफाइड टिलर आफ द सोइल को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते और बात किसानों की करें। मैं मान सकता हूं, केवल उस वक्त काबिज हो, जागीरदार लोग पैसा ले लेकर काबिज कर देंगे, इसलिये मैंने तीन साल का प्रावधान रखा है, इमीजियेटली 73 में कर रहे हैं और 70 से काबिज हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह साबित कैसे होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसको आप कर देंगे, होल्डर आफ लैंड, टिनेन्ट-इन-चीफ है वह रिटर्न देगा, उसके ऊपर जो बैठा है उसको बेदखल कर देंगे, और उस जमीन को, जो कब्जे में नहीं है उसको बताने की कोशिश करेंगे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भूमि सुधार इस कानून से करना है और वह बेनीफिसियरी जिसको आपको बनाना है, जहां ऐसे सब-टिनेन्ट हैं, उस सब टिनेन्ट को खातेदार राइट टेनेन्सी एक्ट में नहीं मिले वह बेदखल हो सकते हैं, उसको प्रोटक्टेड बनाने के लिए अव्वल तो टिनेन्सी एक्ट में ऐसे लोगों को राइट्स मिलने चाहिए लेकिन अभी डिफिकल्ट है क्योंकि टिनेन्सी एक्ट के तहत, जिन लोगों का कब्जा 15 अक्टूबर, 1955 को था, उन लोगों को खातेदार बना दिया लेकिन उसके बाद खातेदार बने हैं उनको खातेदार बनाने का प्रोविजन नहीं है। धारा 19 है टेनेन्सी एक्ट की, वह राइट देती नहीं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय से, अगर उन्हें विचार करने के लिए समय चाहिए तो डेफर कर दें और विचार कर लें, टिलर ऑफ द सोइल, जो एक्चुअल किसान है उसको बेदखल करके सड़क पर फेंक देंगे तो आपका जो परपज है कि भूमिहीनों को जमीन दें, और जो इसका प्रिएम्बल है उसके यह अगेन्स्ट है यह धारा । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग प्रोटक्ट होने चाहिए और ऐसे लोगों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और उनके राइट माने जाने चाहिए, टाइटल, एज टाइटल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, कोरपस, फिजिकल पजेशन उसके पास रहे, यह निवेदन है ।

श्रीमती सभानेत्री: श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रामानन्द जी ने जो यह सुझाव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय राजस्व मन्त्री!

श्री रामचन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, यह जो माननीय सदस्य श्री गिरधारीलालजी, मनोहरलालजी ने संशोधन रखा है उसके लिए तो मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर सरप्लस लैंड पर बहुत ज्यादा एन्कम्ब्रेन्स हो, बहुत ज्यादा पैसा लिया है तो उसको गवर्नमेंट लेगी नहीं, क्योंकि एन्कम्ब्रन्स गवर्नमेंट ले ले तो लाइबिलिटी ले लेगी, और कुछ नहीं लेगी तो किसी भूमिहीन को कैसे देगी । सरप्लस लैंड जायेगी जिस पर एन्कम्ब्रेन्स नहीं हो इसके अलावा तो लेगी । इसलिए मैं इन संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

इसके अलावा माननीय रामानन्द जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसमें कुछ सार है··

श्री गिरधारीलाल भार्गव: इनकी बात मान लो ।

श्री रामनारायण चौधरी: सार है तो विचार कर लें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसमें दिक्कत है, जो काश्त दो साल से उनके पास है.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री इयर्स ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो उसको जमीन पर रहने दिया जाय, लेकिन जो पहले भूमिहीन को भूमि देने का किया है, उसमें है कि उसी गांव का हो, पहले को भूमिहीन का नाम दर्ज हो । जब उसको देंगे बाद में तो वह दूसरा आवेगा, इससे तरतीब टूट जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: ट्रान्सफर के मामले में तरतीब टूट गई, ट्रान्सफर हुए तो कौन से गांव का है, कौनसे का नहीं है उसको रिकगनाइज कर लिया। टिलर आफ द साइल है, वह दूसरे गांव का हो तो उसमें क्या एतराज है। आप इस पर विचार कर लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : वाकई वजन है बात में।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसको स्वीकृत मत कीजिये, आप विचार कर लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई न कोई आधार बनाना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी: कोई आधार निकालें।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसलिए इस स्टेज पर इस संशोधन को मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि खण्ड 16 में माननीय मानुकुमार शास्त्री, मनोहर-लाल जी, गिरधारीलाल जी भार्गव ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री मनोहर लाल : मैं वापिस ले लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मनोहरलाल : म वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि खण्ड 16 में माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, रामानन्द अग्रवाल और मोहम्मद गफ्फार अली ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

वि०, 73 पर वि० एवं पारण

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें लैंड लार्ड को पैसा नहीं मिलेगा यह दिक्कत रहेगी, इसलिये मन्जूर नहीं हुआ है। पैसा मिल जाय तो कर देते।

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि खण्ड 16 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 16 पारित किया गया।

खण्ड 17 व 18 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए प्रश्न यह है कि खण्ड 17 व 18 जैसे बिल में प्रस्तुत किये गये हैं, पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 17 व 18 को पारित किये गये।

खण्ड 19। माननीय राजस्व मन्त्रीजी, आपका संशोधन है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: सभापति महोदया, खण्ड 19 के उप-खण्ड (4) में–

"(क) मद संख्या 1 में शब्दों 'अधिशेष भूमि के लिए' के पश्चात् विराम चिन्ह और शब्द 'उचित लगान का बारह गुना, प्रत्येक मद के सामने वर्णित अधिकतम राशि के अध्यधीन: –' जोड़ा जाय।

(ख) मद संख्या 2 में, शब्दों 'अधिशेष भूमि के लिए' के पश्चात विराम चिन्ह और शब्द 'उचित लगान का नौ गुना, प्रत्येक मद के सामने वर्णित अधिकतम राशि के अध्यधीन :–' जोड़ा जाय, और

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(ग) मद संख्या 3 में शब्दों 'अधिशेष भूमि के लिए' के पश्चात् विराम और शब्द उचित लगान का छः गुना, प्रत्येक मद के सामने वर्णित अधिकतम राशि के अध्यधीनः–, जोड़ी जाय।

(2) खण्ड 19 के उप-खण्ड (4) के साथ निम्नलिखित जोड़ा जायः–

"स्पष्टीकरणः–इस उप-धारा से अभिप्रेत होगा, प्राधिकृत विहित रीति से अवधारित भूमि की कुल उपज के पांचवें भाग का मूल्य।"

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने यह जो स्पष्टीकरण बाद में दिया है इसमें ग्रास प्रोडयूस का 1/5 रखा है जबकि लैंड रेवेन्यू में सेटिलमेंट का एसेस्ड रेट 1/6 ग्रास प्रोडयूस है। तो यह असंगति रह गई क्योंकि आपने शुरू में कहा है कि जो कानून के तरीके से जैसा लगान तय होता है कुल उपज का 1/5 कानून से 1/6 इज दी बेसिज आफ आवर लैंड रेवेन्यू एक्ट। आप इसको 1/6 कीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी: पहले हरियाणा पर बेस्ड है, अब पंजाब पर बेस्ड है लेकिन उसकी अधिकतम राशि ज्यादा है। इसलिये हमने यह रखा है।

श्रीमती सभानेत्री: श्री वृद्धिचन्द जैन।
(अनुपस्थित)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित)।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं, उसके बाद शायद मैं अपना संशोधन वापस ले लूं। जो जोन से कम होगा वह लिया जाएगा या ज्यादा होगा वह लिया जाएगा 12 गुना लगान उधर है, 5 हजार ज्यादा होगा, वह देय होगा या जो कम होगा वह ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: कम।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अधिकतम सीमा से कहीं ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दैट इज दी मैक्सीमम। मैं अमेंडमेंट प्रेस नहीं करता।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 19 में जो राजस्व मन्त्री ने संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 यथा संशोधित स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 19 संशोधित रूप में पारित किया गया।

खण्ड 20

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित)।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: खण्ड 20 में हमारा संशोधन है. "उपखण्ड (1) में तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न चतुर्थ कंडिका जोडी जाय।" मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि हमने जो भाषा दी उसको विधान सभा सचिवालय ने चेंज किया। हिंदी भाषा को स्टेंडर्डाइज करने का अधिकार आफिस को नहीं है। अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गलत है तो सम्बन्धित सदस्य को बुलाकर चेंज करनी चाहिए। जो भाषा बनाई गई है उस पर हम ओबजेक्ट करते हैं। मैं 'कण्डिका' शब्द नहीं समझता और मुझे ही इन्ट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। ऑफिस में कोई आर.एस.एस. का आदमी बैठा हुआ मालूम होता है।

श्रीमती सभानेत्री : जो भाषा मुख्य बिल में है उसी भाषा में संशोधन लिखा जाएगा उसके लिए अलग शब्द नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य बिल में "कण्डिका" शब्द कहीं नहीं है। 'कण्डिका' का मतलब मैं नहीं समझता। सदस्य को बुलाकर समझाना चाहिए, जो शब्द ऑफिस वालों को पसन्द आ गया वही लिख दिया या तो कोई स्टेन्डर्डइज्ड शब्द हो।

श्रीमती सभानेत्री : सामान्य रूप से जो शब्द काम में आते हैं वही लिखे जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 20 उपखण्ड (1) में तृतीय कण्डिका के पश्चात् निम्न नवीन चतुर्थ कण्डिका जोड़ी जाय, अर्थात् :—

"चौथे, ऐसे खरीददारों की कीमत चुकाने में जिनके अन्तरण को मान्यता नहीं दी गई है और जिसकी जमीन धारा 16 (4) के तहत राज्य सरकार में निहित हो गई हो।

(श्री उपाध्यक्ष, पदासीन)

(सायं 8.55)

दूसरा है उपखण्ड (1) की चौथी कण्डिका में प्रत्येक शब्द "चौथे" के स्थान पर शब्द "पांचवें" प्रतिस्थापित किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन, जो एनोमली रह गई उसके आधार पर है। धारा 16 में हमने कहा है कि अगर किसी आदमी ने नाजायज ट्रान्सफर किया होगा जिनको रिकगनाइज नहीं करके उसको स्टेट ने टेकओवर कर लिया। अब इस तरह की बात आ सकती है कि जो परचेजर था, उसको कीमत चुकाने का सवाल है। एक जगह कहा गया है कि उस कीमत को, जो उनको कम्पेन्सेशन दिया जाएगा, उसमें से चुकाया जाएगा। यह क्लाज उसी से सम्बन्धित है और उसका जो कम्पेन्सेशन है उस पर एन्कम्ब्रेन्सेज क्या क्या होंगे, उसमें उस चीज का प्रावधान नहीं किया गया।

एक में बताया गया है कि सर्व प्रथम उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के पक्ष में, बकाया समस्त देयों के चुकाने में, दूसरे, राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान समस्त अधिभारों को चुकाने में, सहकारी संस्थाओं, जिनमें भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित हैं, के पक्ष में विद्यमान अधिभारों को पूर्विकता दी जायगी, तीसरे ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र के प्रति ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिधारित भूमियों पर विद्यमान अधिभारों को चुकाने में, भूमि विकास बैंक को सम्मिलित करते हुए, सहकारी संस्था के पक्ष में विद्यमान अधिभारों को पूर्विकता दी जायगी, और चौथे, जो जमीन टेकोवर की गई और वह जमीन सेल हो चुकी थी, जिसको हमने इल्लीगल ट्रांसफर मानकर रिकोगनाइज नहीं करके, उसका कुछ हिस्सा ले लिया है तो उसका परचेज प्राइस सरकार उस ट्रांसफरी को उसके पूल में से, उसके कम्पेन्सेशन में से देगी। ऐसा इसमें दूसरी जगह प्रावधान है तो यहां पर जो प्रायोरिटीज हैं उसमें भी वह आना चाहिये जो कम्पेन्सेशन ऑफ पूल है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्स की जमीन आप टेकओवर करते हैं उसमें से आपने कहा जो उसका कम्पेन्सेशन है उसमें पहले एन्कमब्रेन्सेज सरकार के होंगे, वह चुकायेंगे। दूसरे, जो राज्य सरकार के या और कोई मॉरेगेजिज वगैरह होंगे वह चुकायेंगे लेकिन एक चीज और चुकानी है आपको। जो ट्रांसफरी था जो ट्रांसफर आपन बोनाफाइडी नहीं माना है उसकी जमीन तो ले लेंगे लेकिन जमीन की कीमत जो उसने दी है उसको भी लगभग पूरा चुकाने की जिम्मेदारी नहीं हो। लेकिन उस हद तक जो जिम्मेदारी है, जितना आपके पास कम्पेन्सेशन है तो वह आपने दूसरी जगह जिम्मेदारी ली हुई है।

मैं धारा 16 (4) को अंग्रेजी में पढता हूं:

"Notwithstanding anything contained in section 18 or in any other provisions of this Act where any transfer of land is not recognised or taken into consideration in determining the ceiling area applicable to the transferor under sub-section (1) of section 6, surrender of surplus land vesting in the State Government shall be made by the transferor out of land remaining with him after the transfer and the balance of surplus land remaining, if any, shall be recovered from the transferee by his ejectment. In case surplus land or any portion of it is recovered from the transferee, the price paid by him for such land or portion thereof shall be deducted from the amount of acquisition payable to the transferor and shall be paid to the transferee to an extent not exceeding such amount of acquisition.

इसमें आपने लाइबलिटी तो ले ली है, इसे सेक्शन 16 (4) के अन्तर्गत आपने जिम्मेदारी ले ली है। इसके अनुसार खरीददार दावा कर सकता है और दावा करके आपसे पैसा वसूल कर लेगा। इसलिये मैंने जो प्रोवीजन रखा है उसके अनुसार अगर आप मेरे संशोधन इसमें एड कर लेते हैं तो फिर बाद में सब ठीक हो जायेगा और वह खरीददार भी दावा करके नहीं ले सकता। चूंकि मुझे आपके इस क्लाज में एनेमोली लगी इसलिए मैंने यह एमेंडमेंट दिया है ताकि उसके बाद इस प्रकार की कोई लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती और अगर वह ट्रांसफर करता है तो वह गैर कानूनी होगी। अगर आप मेरे एमेंडमेंट को मान लेते हैं तो सीलिंग का जो असली मकसद है वह पूरा हो जायेगा अन्यथा उसमें लेक्यूनाज रह जायेंगे और फिर पहले की तरह इसमें आपको संशोधन लाना पड़ेगा। अगर आप इन्हें मन्जूर नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ही करते हैं तो हम हमेशा से बर्दाश्त करते आये हैं अब भी बर्दाश्त कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री): अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं उसमें इन्होंने तीन चीजें बताई हैं। मैं समझता हूं कि यह तीनों ही चीजें इस बिल में पहले से ही दी हुई हैं। इसमें ट्रांसफर किसी प्रकार हो चाहे मेजर होकर हो चाहे उसको ट्रांसफर हो गयी हो किसी प्रकार से हो नियमों में प्रावधान

Page No 176

(176)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
पहले से ही ठीक है इसलिये मैं समझता हूं इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मंत्री महोदय, आप 16 (4) को देखें। इसमें आपने लाईबिलिटी ली है। अगर आप यह रखते हैं तो दिक्कत आयेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन मूव किया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कौनसा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16 (4) मैंने पढ़ा है। इसकी लास्ट फोर लाइन्स में है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नेक्स्ट विद आउट स्टेण्डिंग्ज से। सेक्शन 16 (4)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लास्ट में है।
In case surplus land or any portion of it is recovered from the transferee, the price paid by him for such land or portion thereof shall be deducted from the amount of acquisition payable to the transferor...

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें हमने मेलाफाइडी ट्रांसफर हो तो नहीं माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो किया है।
"Nothithstanding anything contained in section 18 or in any other provisions of this Act, where any transfer of land is not recognised....."

श्री रामचन्द्र चौधरी : कौनसा?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेक्शन 16 (4) में पढ़ता हूं वापिस,

"Notwithstanding anything contained in section 18 or in any other provisions of this Act, where any transfer of land is not recognised or taken into consideration in determining the ceiling area applicable to the transferor under sub-section (1) of section 6, "

इसमें आप सेक्शन 6 भी देख लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह आगया है, इसमें है।

But the Government in no case would pay more than what was to be paid to the transferor.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सेक्शन 16 (4) के अनुसार उसका सेक्शन 20 पर भी हो..

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसकी पहले से ही क्रियान्विति की जा चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसे आप खतम ही कर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका प्रावधान पहले किया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरे ख्याल से यह कवर नहीं कर सकेगा और फिर बाद में डिफिकल्टी एराइज होगी। इसमें मैंने जो संशोधन दिया है उसके अनुसार प्रोवीजन्स एड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले से ही जब क्रियान्विति करदी गयी है तो फिर सरप्लस सेक्शन बढ़ाने से क्या फायदा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या श्री रामानन्द जी, आप अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं या प्रेस कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं संशोधन प्रेस करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द जी ने खण्ड 20 पर जो संशोधन दिया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 20 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 20 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 21. श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 21 में प्रयुक्त शब्द "भूमिहीन व्यक्तियों में" के स्थान पर शब्द "प्रथमिकता के आधार पर गांव के भूमिहीन श्रमिकों में, मुख्यतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को", प्रतिस्थपित किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुन्शीलाल महावार।

श्री मुन्शीलाल माहावार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खण्ड 21 पर संशोधन इस प्रकार है :– "इस खण्ड के अन्त में नवीन निम्नांकित परन्तुक जोड़ा, जाय अर्थात्:–"परन्तु शर्त यह है कि अधिशेष भूमि के आंवटन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।" उपाध्यक्ष महोदय केन्द्र से जो स्टेटस को गाइड लाइन इस बिल के बारे में है उसमें दिया हुआ है :– "Distribution of surplus land: While distributing surplus land, priority should be given to landless workers, particularly those belonging to scheduled castes and scheduled tribes." ये जो एमेंडमेंट मूव किया है उसके अनुसार संशोधन होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो खण्ड 21 में संशोधन प्रस्ताव दिया वह निम्न प्रकार है :–

खण्ड 21 में निम्नांकित परन्तु जोड़े जायं : "बशर्ते कि अधिशेष भूमि में से कम से कम 50 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के भूमिहीनों को अलाट की जायेगी ।

बशर्ते कि यदि उक्त भूमि किसी भूमिहीन, सब टिनेन्ट अथवा शेयर क्रोपर द्वारा राज्य सरकार में निहित होने से तत्काल पूर्व काश्त की जाती हो तो उक्त भूमिहीन, सब टिनेन्ट अथवा शेयर क्रोपर को अन्य भूमिहीनों के मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी ।

बशर्ते कि यह अधिशेष भूमि का अलाटमेंट ऐसी जन कमेटियां द्वारा किया जावेगा जिन्हें अलाटमेंट संबंधी समस्त कानूनी अधिकार प्रदत्त किये जायेंगे और जिनका निर्माण प्रान्त, जिला, तहसील तथा ग्राम पंचायत स्तर तक किया जायेगा, जिनमें बहुमत भूमिहीन लोगों का होगा जिन भूमिहीनों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 21 रखा गया है यह इतना वेग है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इसका मकसद डिफीट हो जाता है। अन्त में इस सारे सीलिंग कानून को बना कर लाने का जो इसका उद्देश्य है वह 21 में है, मकसद इस का बनाने का है वह यह है कि भूमिहीन लोगों को का जमीन दिलायी जाय और उसके बारे में क्या प्रावधान होंगे उनको सरकार बिना क्लीयर किये अपने आप में गुमशुम रख रही है और केवल रूल्स के आधार पर इसको खत्म कर देना चाहती है। क्या सरकार की नियत है कि जिस प्रकार अभी अलाटमेन्ट हो रहे हैं, भूमिहीनों को देना चाह रहे हैं उनको वह न पहुंच कर, बोगस लोग ले जाते हैं, यह भी बात सामने है, तो इस क्लाज 21 के तहत सारी बात डिटेल्स में आनी चाहिये थी। उसको कुछ बांधने के लिये 54 प्रस्तुत किया है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। कैसे 2 चेन्ज करेंगे। यह तो बताया नहीं कि उनको इतनी जगह मिलेगी। प्राथमिकता दी जावेगी यह तो उनको केवल राजी करने की बात होगी। वेग पोजिशन रह गयी है इसलिये इस अमेंडमेंट के द्वारा कान्क्रीट टाइप करने की कोशिश की है।

अलाटमेंट में जैसा अभी हो रहा है, भूमिहीनों के नाम से बेनामी लोग ले जाते हैं या ऐसे लोग करवा ले जाते हैं जो खुदकाश्त नहीं करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन है, इम्पलीमेंटेशन के क्वेश्चन पर इन्वोल्वमेंट ओफ पिपुल, इस प्रकार की कमेटी बनाने का निर्देश है। अभी तक हमारी कमेटी में एम० एल० ए०, प्रधान, तहसीलदार सरपंच हैं, इस तरीके के लोग हैं। आपने शिडयुल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स का एक आदमी नोमिनेट कर दिया उस बेचारे की एक ही आवाज है, वह असरदार नहीं बनती इसलिये मेजोरिटी ऐसे लोगों की होनी चाहियें जो भूमिहीन लोग हैं उनकी मेजोरिटी में भी शिडयल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब्स, के लोग 50 परसेन्ट हों। इस प्रकार की कमेटी बननी चाहिये, यह दृष्टिकोण इसमें रखें। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी मन्शा यह है कि 50 परसन्ट धरती सिक्योर हो जानी चाहिए अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लिए, और बाकी जमीन है तो वह भी उनको दी जाय। सीमा बढ़ाई जाय तो ऐतराज नहीं है। वितरण ऐसी एजेन्सी के द्वारा होना चाहिए जो सही निर्णय ले सके इसलिए बेनिफिशियरीज के लिये प्रावधान किया है। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रिजोल्यूशन है वह पढ़ कर सुना देता हूं :

"Committees may be formed at the Central, State and district level of people committed to the idea of land ceilings to provide the main impetus and direction to the process of reform by creating an awareness about what it stands for and why it is being undertaken. Special importance should be attached to the education of the poorer classes and their involvement order to create proper climate . :eform."

तो इसमें भी मकसद उन्होंने यह लिखा है कि पिपुल को इन्वोल्व किया जाय और बेनिफिशियरीज खास कर इन्वोल्व किये जायें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा कहा हुआ है यह तो

(श्री मो० गफ्फार अली)

आपको अपनाना चाहिए। गवर्नमेन्ट को भी उससे ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे भूमिहीनों को नुकसान हो।

श्री खेतसिंह: इस सम्बन्ध में ही मैं निवेदन करना चाहता था कि मेरा अमेन्डमेन्ट रामानन्दजी ने रखा है उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हम यह कहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जितनी भी सरप्लस लैंड हो वह मुख्यतया अनुसूचित जाति और जन-जातियों को दी जाय आप इसमें खामख्वाह मह लगा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसमें प्रयोरिटी की बात कह कर पांच परसेन्ट पर भी खत्म किये जा सकते हैं।

श्री खेतसिंह: ऐसा करते तो आपके साथ आकर बैठते, हमारे साथ इतने नहीं बैठते।

कई माननीय सदस्य: केवल कहने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह जी की तरफ से जो संशोधन पेश हुआ है यह हमारे चीफ मिनिस्टर्स की गाइड लाइन्स के मुताबिक हैं जिसमें यह दिया हुआ है:—

"While distributing surplus land, priority should be given to landless...."

श्री गिरधारीलाल भार्गव: चीफ मिनिस्टर्स गाइड लाइन्स बार बार कह रहे हैं तारीख कैसे बदल गई है। गाइड लाइन्स से दूर कैसे चले गये हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पोइन्ट ओफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। माननीय मन्त्रीजी ने गाइड लाइन्स का बार बार रेफरेन्स दिया है। गाइड लाइन्स को सदन की मेज पर रखाया जाय ताकि हम देख सकें कि वे क्या हैं। आप सदन की मेज पर रख दें, बार बार आप रेफरेन्स देते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: (सदन की मेज पर गाइड लाइन्स रखी जाने पर) इसकी कापीज दिलायी जायें हमको।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अभी जैसा खेतसिंहजी ने बताया कि जो प्रोविजन किया है 50 परसेन्ट से कहीं अधिक है और कहीं शत प्रतिशत है . .

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: हमारी मन्शा है कि शत प्रतिशत कर दीजिये ताकि आपको और हम को कोई ओब्जेक्शन न रहे।

श्री रामचन्द्र चौधरी: आपने (श्री रामानन्द अग्रवाल) संशोधन रखा है उसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय श्री खेतसिंहजी ने खण्ड 21 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री मुन्शीलालजी, आप क्या विड्रा करना चाहते हैं?

श्री मुन्शीलाल: मेरे प्रस्ताव का जो इन्टेन्शन था वह पूरा हो गया है इसलिये मैं इसको विड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मुन्शीलालजी ने रखा और जिसको वे विड्रा करना चाहते हैं उसके लिये उनको अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विड्रा करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मुंशीलाल : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव विड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसको प्रेस करना चाहता हूं। कम से कम 50 परसेन्ट एड कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड 21 पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 21 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

खण्ड 22

श्री मानुकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल (अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, यह मेरा एक ऐसा प्रस्ताव है :

उपखण्ड (1) के भाग (ड़) के पश्चात् निम्नांकित नवीन भाग (च) जोड़ा जावेगा, अर्थात:--

"(च) पशुपालन व भेड पालन केन्द्र (फार्म) द्वारा धारित भूमि।"।

मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस संशोधन को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये। इसमें कुछ लोगों को छूट दी गयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पढ़िये तो सही वह कौनसा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 22 नम्बर में अन्त ही अन्त में है :-

उप खण्ड (1) के भाग (ड़) के पश्चात् निम्नांकित भाग (च) जोड़ा जायेगा :-

"(च)-भूतपूर्व सैनिक युद्ध में शहीद एवं अपंग सैनिक एवं सम्मान प्राप्त सैनिकों की भूमि'

वह मैं इसलिये दोहराना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, भारत और चीन के युद्ध के समय, मैं समझता हूं भारत माता पर जब जब आक्रमण हुए उस समय हमारे वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया और उनके बलिदानों के कारण भारत का सम्मान, भारत की इज्जत, आज विश्व में बढ़ी है। बंगला देश हमने जीता है, पाकिस्तान को हमने जीता है। हमने चीन के छक्के छुड़ाये हैं और पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ा है। हमारा सम्मान बढ़ा और सम्मान बढ़ा वह किसी दल का नहीं, वह बढ़ा हमारे वीर सैनिकों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के कारण। भारत के सब लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई लड़ी हमारे वीर जवानों ने, भारत के वीरों ने लड़ाई लड़ी और जो उस लड़ाई में अपंग हो गये, जिनके अंग भंग हो गये और जो मातृभूमि के लिये लड़े, उनके लिये मैंने यहाँ प्रस्ताव रखा है और मेरे पास सूची भी है। भारत पाकिस्तान में 18 घायलों की सूची है जिनको जमीन दी है, वीरता प्राप्त 41 लोगों को जमीन दी है, वह भी सूची मेरे पास मौजूद है और 97 लोगों को वीर चक्र, महावीरचक्र और पदम चक्र से विभूषित किया गया है उनके लिये जो भूमि दी गई है।

अब निवेदन यह है उनके पास पहले भूमि थी और भारत सरकार ने और भूमि दे दी, और आज उनको छूट नहीं देंगे तो जो जमीन उनके पूर्वजों की है, वह छोड़नी पड़ेगी या फिर भारत सरकार ने जो वीरता में भूमि दी है वह छोड़नी पड़ेगी। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि विरोधी दल से प्रस्ताव आया है। आप चाहें तो खेतसिंहजी से यह प्रस्ताव करवा दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

भारत पाक युद्ध में अपंग सैनिकों की भूमि, जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है उनको इसमें छूट दी जानी चाहिये। मैं सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा सैनिकों को छूट दी जानी चाहिये और मैं समझता हूं राजस्व मंत्रीजी सहर्ष एक स्वर से स्वीकार करेंगे निर्विवाद और निर्विरोध।

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष, महोदय खण्ड 22 में मेरा संशोधन है कि उप-खण्ड भाग (1) को भाग (घ) और उप-खण्ड 2 को विलोपित किया जाय। यह (घ) है "दिनांक 26 सितम्बर, 1970 को या उससे विद्यमान पूर्व सार्वजनिक स्वरूप के धार्मिक या खैराती न्यास (जिसमें वक्फ अधिनियम, 1954 में यथा परिभाषित वक्फ सम्मलित है) या गोशाला द्वारा धारित भूमि --"

ये इसमें से निकाल दी जायं। दूसरे में राज्य सरकार के राज-पत्र सूची द्वारा इस अधिनियम को लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि सार्वजनिक रूप से आवश्यक हो। यह वाइड पॉवर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिये हैं। चाहे जिस जमीन को एग्जेम्प्ट कर दें इस तरह की पॉवर्स गवर्नमेंट अगर ले ले तो फिर इस लेजिसलेचर में जो बहस सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर होकर फिजूल जायगी। इस तरह की वाइड पावर्स नहीं दी जानी चाहिये। इस पर ऑल इंडिया लेवल पर भी विचार हुआ है।

दूसरे जो रीलीजियस ट्रस्ट हैं, पब्लिक ट्रस्ट के बारे में वे चले और समस्या हैं वे चले कैसे उनके लिये केश एनविसेज की जा सकती है ताकि उनका संचालन हो सके। लैण्ड का सम्बन्ध प्रोटेक्शन से है और लैण्ड का एक्सप्लॉयटेशन न हो और वे खुद कर भी नहीं सकते हैं और सीलिंग से अधिक जमीन होने का अर्थ भी नहीं है और नाइन मैन कमेटी जिसके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेम्बर है, इसके बारे में यह तजवीज की है। (विराम) नाइन मैन कमेटी की भी इसी प्रकार की तजवीज है। मैं निवेदन करूंगा इसके बारे में मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय यह जो सब-सेक्शन 2 है सेक्शन 22 का इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स गवर्नमेंट को दी गई है। असल में एक ही लेजिसलेचर में इतनी पावर्स कि जिसकी सीमा न हो और किसी भी चीज का एग्जेम्प्ट कर सके उसका कोई मायने नहीं है। मेरा मानना है इसको डिलिट किया जाय।

दूसरे जो चेरिटेबिल ट्रस्ट और ऐसे ट्रस्ट जिसका शोषण हो रहा है जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था बहुतसी ऐसी जमीनें हैं जो रीलीजियस ट्रस्ट के नाम से शोषण कर रहे हैं ऐसे इबादतगाह वगैरह उनको उनके पास छोड़ रखना मिसयूज है। इसके अलावा जो नाइन मैन कमेटी का फैसला है उसके रिलेवेन्ट पोर्शन को मैं पढ़कर सुना दूं --

The case of land held by Trusts, Institutions etc., requires detailed and careful consideration, and blanket exemption is uncalled for and is likely to be misused.

Many of the socalled trusts have been created deliberately to avoid ceiling law.

Therefore, no distinction need be made between lands held by individuals or families or trusts and institutions.

तो यह स्पष्ट हो जाता है। आपका निर्णय यह है कि और मिनिस्टर्स का निर्णय भी है गाइड लाइन भी यही है। अब गाइड लाइन से गाइड होना है तो यह दो अमेन्डमेंट मंजूर कर लें ताकि हमें मालूम हो जाय कि हम सोसलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय श्री गिरधारी लाल जी भार्गव ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा सदन की मेज पर गाइड लाइन रख दी, मैंने एक कापी रख दी है। उसमें लिखा है --

All other existing exemptions including those in respect of lands even as guarantee award should be withdrawn.

इसलिये जो हिदायत है इस गाइड लाइन के खिलाफ सैनिकों को भी कोई एग्जेम्प्शन सीलिंग में नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा है रामानन्द जी अग्रवाल और मोहम्मद गफ्फार अली जी ने उसके लिये भी लिखा है --

The State Govt. may in their discretion grant exemption to the existing religious, charitble and educational trusts of a public nature. No exemption should be allowed to a private trust of any kind.

तो प्राइवेट ट्रस्ट को एग्जेम्प्शन नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक नेचर के ट्रस्ट हैं उनको ही गाइड लाइन के नीचे एग्जेम्प्शन दे रहे हैं।

इसके अलावा एक बात आपने कही कि गवर्नमेंट को बड़े वाइड पावर्स दे दी हैं जो कि नहीं देनी चाहिए थीं। कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो उसके हाथ में ऐसी पावर्स रहेंगी और यह भी कभी मानकर नहीं चलना चाहिए कि गवर्नमेंट जो पावर्स हैं उनको जुडीशली इस्तेमाल नहीं करेगी। आर्बीट्रेरिली कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती है, जुडीशल तरीका ही अख्तियार करती है

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
इसलिए ऐसी पावर्स हर एक्ट में हर गवर्नमेंट को दी हुई होती है इसलिए मैं इन संशोधनों को मानने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय गिरधारी लाल जी भार्गव अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वापिस नहीं लूंगा । मैं इसको प्रेस करूंगा । बड़ा अहम प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने खण्ड 22 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये उन्हें स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इस पर विभाजन की मांग करता हूं ।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 22 में माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल जी भार्गव ने जो संशोधन प्रस्ताव....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने क्या रखा है यह भी सारा बता दीजिए । जो भारतीय सैनिकों को जमीन दी गयी है उनको छूट दी जानी चाहिए । केवल अंधविश्वास के सहारे उनसे हाथ खड़े नहीं करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य तशरीफ रखिये ।

माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं खण्ड 22 में उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल क्या आप अपना प्रस्ताव संशोधन को वापिस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रेस करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो खण्ड 22 में संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 23

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन हैं खण्ड 23 के यह उप-धारा (1) में 'कलेक्टर' शब्द के स्थान पर 'जिला भूमि ट्रिब्यूनल' शब्द लिखे जायें......

श्री उपाध्यक्ष : वैसे इस संबंध में आप बोल चुके हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें इससे संबंधित क्लॉज है ट्रिब्यूनल का यह डिफीट हो गया है इसलिए अब यह रिडन्डेन्ट हो गया है। जब इसकी मैन बॉडी ही चली गयी तो 'इट इज रिजेक्टेड ऑल टुगेदर'।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 23 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 स्वीकार किया गया।

खण्ड 24 –श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 24 में विवरणी देने में विफल रहने और मिथ्या विवरणी या जानकारी देने पर दण्ड––इसमें मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:––

"(क) उप-खण्ड (1) में शब्द 'तीन मास तक की अवधि के लिये कारावास या" और शब्द 'या दोनों से,' लोपित किये जायें।

(ख) उप-खण्ड (2) में शब्द 'विवरणी देने से इन्कार करने या जान बूझकर न देने के संबंध में छः मास तक के कारावास से और' लोपित किये जायें, और

(ग) उप-खण्ड (3) में, शब्द 'तीन मास तक के कारावास या' और शब्द 'या दोनों से' लोपित किये जायें।"

यह जो पीनल क्लॉज के लिये था और दण्ड का रखा था वह नहीं रखकर जुर्माने का प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन है वह प्रस्तुत कर दिया है माननीय सचेतक महोदय ने इसलिये उसको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं माना जाये केवल फाइन ही किया जाना पर्याप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 24 में मैं निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं:–

"(1) खण्ड (1) की चौथी पंक्ति से शब्द 'या' के स्थान पर 'और' लिखा जाये और पांचवीं पंक्ति से शब्द 'या दोनों से' विलोपित किये जायें।

(2) उप-खण्ड (3) में आखिरी पंक्ति में शब्द 'या' के स्थान पर शब्द 'और' लिखा जावे तथा शब्द 'या दोनों से' विलोपित किये जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मकसद माननीय सचेतक महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे बिलकुल विपरीत है। जो इस सीलिंग के संबंध में आप कानून बना रहे हैं उसको लागू करने में कोई गलत रिटर्न्स दे दें उसमें आपने यह प्रोवीजन रखा है कि उनको फाइन किया जाये। मेरे संशोधन का मकसद यह है कि फाइन होना चाहिये और इम्प्रिजनमेंट भी होना चाहिये। जब तक आप डेटरेन्ट नहीं बनायेंगे तब तक यह ठीक नहीं होगा। माननीय सचेतक महोदय ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ तो कनसिस्टेन्सी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होनी चाहिये । हम लोग चाहते थे कि इम्प्रिजनमेंट भी हो और फाइन भी हो, दोनों ही रहें। यहां आपने इम्प्रिजनमेंट या फाइन कर दिया है। कल ही आपने शहरी सम्पत्ति का बिल पास किया है उसमें सजा और फाइन दोनों का ही प्रावधान रखा है और इसमें आप इम्प्रिजनमेंट को बात को आखिर तक हटा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से साबित करना चाहते हैं कि यह कानून भूमिहीनों के लिये नहीं है लेकिन जितनी भी रियायत आप लेण्डलॉर्ड्स को दे सकते हैं उनको देने की कोशिश की है। हमारे गांवों में एक कहावत है 'अपना मारता है तो मारते हुए भी छाया में पटकता है, तो मैं समझता हूं कि चौधरी साहब यह उनकी किस्मत है कि उनको इस तरह का बिल बनाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वह छाया में जरूर पटकने की कोशिश कर रहे हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज उनको अपनी क्लास के लोगों के लिये अपने हाथों से करना पड़े। मैं कहता हूं कि हाथ बदलते रहते हैं, दुनिया बदलती रहती है इसलिये निवेदन करूंगा कि कनसिस्टेन्ट बनाने के लिये इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का ही प्रावधान रखा जाना चाहिए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्षजी, आपने कल जो कानून बनाया है जिसमें शहर की सीलिंग रखी है उसमें एक पीनल क्लॉज रखा है और आज जो कानून बना रहे हैं उसमें से पीनल क्लॉज निकालना चाहते हैं, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और किस लिये किया गया ? मैं समझता हूं कि इसका मकसद यह है कि जो लोग जमीन हथियाये बैठे हैं वह अपना प्रोटक्शन चाहते हैं और वह जमीन धोखा देकर बेच दे और उसको पकड़ लिया जाय तो भी उनको नुकसान होने वाला नहीं है ।

दूसरा यह कि जो ऑथोरिटी को सही डिक्लेरेशन दे या फालस डिक्लेरेशन दे तो उसके लिये पेनल कोड में ओफेंस है । आपका यह जो कानून है वह उसके विपरीत जाएगा । इसलिये यह भी सेंट्रल एक्ट के अगेंस्ट जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप सेंट्रल एक्ट की पॉलिसी को कुठाराघात करना चाहते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सिलसिले में जो आपने कानून बनाया है जो शहरी सीमा निर्धारण का कानून बनाया है उसके मुताबिक ही इस कानून को भी बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के बारे में जो संशोधन मुख्य सचेतक ने रखा है उसके विषय में दो राय सामने आई है। उसकी तरफ से यह राय आई है कि इसमें जो सजा रखी है वह नहीं रहनी चाहिये केवल जुर्माने की सजा रहनी चाहिये और दूसरी तरफ रामानन्द और गफ्फार जी साहब की तरफ से एक ऐतराज आया है और वे कहते हैं कि दोनो ही सजाएं साथ रहनी चाहिये ताकि डिटरेंट पनिशमेंट मिले। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े जमीदार या जागीरदार होते हैं वे कभी गलत डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। उनका डिक्लेरेशन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जो इग्नोरेंट काश्तकार हैं वे ही पकड़ में आ सकते हैं, इसलिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इग्नोरेंट काश्तकार का तो ताल्लुक ही नहीं है। उसके रिटर्न देने का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री राजेन्द्र भारतीया: इस मामले में गाइड लाइन क्या थी ?

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र चौधरी : यहां कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं सचेतक महोदय के संशोधन को मंजूर करता हूं और आपके संशोधन को मानने में असमर्थ हूं। सुमित्राजी का भी साथ है उसको भी मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय खेतसिंहजी ने जो खण्ड 24 में संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल : वी क्लेम डिवीजन प्लीज।

(विभाजन घण्टी)

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अगर स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ प्रोग्रेसिव बनना चाहती हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री खेतसिंहजी ने जो खण्ड 24 में संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकृत किया जाय।

जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

(पक्ष से 'हां' की ध्वनि)

जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की ओर से नोज की ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Noes have it, sir.

(दोनों पक्षों के सदस्यों के पृथक् 2 खड़े होने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता। खण्ड 24 में श्री खेतसिंहजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड 24 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 मय संशोधनों के स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 24 मय संशोधनों के स्वीकार किया गया।

खण्ड 25

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, इस खण्ड में प्रयुक्त शब्द "छः माह तक के कारावास से या" तथा शब्द "या दोनों से" विलोपित किये जायं।

जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि केवल फाइन काफी है, पर्याप्त है इसलिए इन शब्दों को विलोपित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा संशोधन यह है कि-"आखिरी पंक्ति में शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" प्रतिस्थापित किया जावे तथा शब्द "या दोनों से" विलोपित किये जावें।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मूल धारा है उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किस मकसद से इसको रखा गया है।

"विवरण देने में विफल रहने और मिथ्या विवरणी या जानकारी देने पर दण्ड:- (1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने लिए बाध्य है, उक्त विवरणी, धारा 10 में या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में, विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और आगे समय दिया गया हो तो उसके भीतर, देने से इन्कार करे या जानबूझकर न दे तो वह तीन मास तक की अवधि के लिए कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह धारा 24 है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : धारा 25 इस प्रकार है:—

"मिथ्या घोषणा करने के लिए दण्ड: यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष धारा 17 के अधीन ऐसी कोई घोषणा करता है जो उसकी जानकारी में मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने के लिए उसके पास कारण है तो वह छः मास तक के कारावास से या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज इल्लीगल ट्रांसफर न हो उसको रोकने के लिए बनाई गई है। अभी भी इस सदन में माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि कुछ राजा लोग, खास तौर पर मैं कहूं कि बूंदी के राजा ने बावजूद आपके इस एक्ट के जबकि आपने इसको 1-1-73 से दण्डनीय कर दिया, अपनी जमीनों का ट्रांसफर कर दिया.....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने बूंदी का नाम लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बूंदी का नाम लिया है तो इसी तरह से जयपुर के भी हैं। इसी तरह से जनसंघ वाले लोग भी हैं, वे सब कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोग। मेरा निवेदन करना है कि अभी इसमें यह था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रजिस्ट्री नहीं करेगा, लेकिन उसके सामने डिक्लेरेशन देना होगा और यह डिक्लेरेशन देगा कि मेरे पास सीलिंग से अधिक जमीन नहीं है, और खरीददार यह डिक्लेरेशन देगा कि इसको खरीदने से भी सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं होगी। अब इसमें आपने यह किया था कि अगर कोई झूठा विवरण दे दे तो उसको छः महीने की सजा होगी या उसको दो हजार रुपये का जुर्माना होगा। अब आप छः महीने की सजा निकाल कर केवल एक हजार रुपया जुर्माना रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हजार रुपया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जर्माना देकर कितने भी जागीरदार और राजा लोग, जिन राजाओं से एक बीघा जमीन भी आपने नहीं ली है, वे राजा लोग अपनी सारी जमीन बेच दें, यह विचारधारा इसमें है और अगर वह बेच देतो एक हजार रुपया जुर्माने से ज्यादा आप कुछ नहीं ले सकते। वह जो जमीन सीलिंग में आएगी, जो जमीन सीलिंग में आती थी उसको एक हजार रुपया ज्यादा देकर लाखों रुपया कमा लिया। जब लाखों रुपया आ रहा है तो उसमें एक हजार रुपया कम भी आये तो क्या फर्क पड़ने वाला है। उसको इस प्रकार लाखों रुपयों की जमीन बेचने का मौका मिलता है। तो मैं यह समझता हूं कि यह खुला इन्वीटेशन होगा, उपाध्यक्ष महोदय, और खास तौर पर राजाओं को जिनकी एक बीघा जमीन भी अभी तक अधिगृहित नहीं कर पाये हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इधर आप किसानों को बचाने की बात करते हैं लेकिन राजाओं को जमीन बेचने की ठेकेदारी दे रहे हैं। अभी तक आप राजाओं से जमीन ले नहीं पाये हैं और सारे राजा लोग बेच रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब स्थिति यह है कि जो सदन में उत्तर दिया गया है उसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह जो स्टेटमेंट दिया गया था इसमें बताया गया था कि भूतपूर्व नरेशों ने किस प्रकार जमीन बेची है। जोधपुर महाराजा ने 5325 बीघा बेची है। सिरोही ने 2036 बीघा, उदयपुर ने 945 बीघा, कोटा ने 1838 बीघा, टोंक ने 2270 बीघा, और बूंदी ने 2579 बीघा जमीन बेच दी है। और अब आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी तो सारी बेच देंगे। तो क्या इस हद तक जाना चाहते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते हैं? कम से कम फार्म की बात हो, रिटर्न वक्त पर न दिया उसके अन्दर रिलेक्सेशन कर दे तो बात समझ में आती है, लेकिन सेल को नहीं रोकें? यू०पी० ने रोक दिया। सब जगह पर रोक दिया गया। इसके बारे में तरीका आपका अजीब है, लेकिन यह सीधा नजर आता है कि इसके हटते ही सेल नहीं रुकेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को किसी ने डिक्लेरेशन दिया तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसको रोक नहीं सकेगा और एक हजार रुपया जुर्माना देकर सब निकल जायेंगे। तो यह कमी जरूर है। क्लॉज 25 को आप अवश्य स्वीकार करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तरमीम रखी गई है यह घातक है। यह जरायम पेशा लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए रखी गई है। कल मैंने कहा था कि जोधपुर के महाराजा ने डेढ़ करोड़ के पट्टे एग्रीकल्चरल लैण्ड के कर दिये और धोखा यह किया कि लोगों से कहा कि यह आबादी की जमीन है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की आपने जिम्मेदारी ले रखी है। खैर यह नक्शा है जो आप समाजवाद का पेश कर रहे हैं। आपने बहुत ही अफसोसनाक रवैया जाहिर किया है। आपने साबित कर दिया है कि आप खाली समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं और गांधीजी का नाम लेते है तो गांधीजी के नाम को लजाते हैं। ऐसी बात करते हैं तो काबिले अफसोस है। कम से कम जरायम पेशा लोगों को तो रोकें जो जमीनों को मुन्तकिल करते जा रहे हैं। ऐसे जो पेनल कोड के ऑफेन्सेज हैं उनको आप

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
इस एक्ट के परव्यू से हटाना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह संशोधन वापिस लिया जाय और क्लॉज एज इट इज कायम रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पहले भी काफी बहस हो चुकी है, और सुमित्राजी ने जो संशोधन रखा है क्लॉज 25 पर उसको मैं वाजिब समझता हूं और उसको स्वीकार करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हम प्रोटेस्ट करते हैं यह सीधी तमाम लैण्डलॉर्ड्स को बचाने की बात है और इस प्रोटेस्ट के रूप में हम वाक आउट करते हैं।

(साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने बहिर्गमन किया)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज 25 पर माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 पर माननीय सदस्य रामानन्दजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 25 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 26

श्री खेतसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 26 में यह दिया गया है—

"अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिभूमि अर्जन के लिए दण्ड:— यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या पश्चात् धारा 17 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में ......

(साम्यवादी सदस्यों का सदन में प्रवेश)

श्री रामानन्द अग्रवाल: **We have put up our protest and we will fight to the last.**

श्री खेतसिंह: ... स्वेच्छिक रूप से भूमि अर्जित करता है तो वह छः माह तक के कारावास से और एक हजार रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा"।

तो इस खण्ड 26 में "छः माह तक के कारावास से और" और शब्द "भी" लोपित किये जाय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 26 में माननीय सदस्य श्री खेतसिहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 27 मय संशोधन के, आई एम सॉरी, खण्ड 26 को मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 27

श्री खेतसिंह : खण्ड 27 में, माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार है:–

खण्ड 27 में शब्द "छः मास तक के कारावास से या" और शब्द "या दोनों से" लोपित किये जायं । "

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।
(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 27 में मेरा संशोधन है– "इस धारा की चौथी पंक्ति में 'या' शब्द हटाकर उसके स्थान पर 'और' शब्द प्रतिस्थापित किया जावे तथा आखिरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'या दोनों से' विलोकर दिये जायं।

यह जो "Punishment for contravention of any lawful order. If any person wilfully contravenes any lawful order passed under this Act, or obstructs any person from lawfully taking possession of any land under the provisions of this Act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both. "

यह जमीन भी न दें और जबरदस्ती करे और हमारे ऑफिसर को जमीन पर से फेंक दे फिर भी उसको इम्प्रिजनमेंट न हो सके तो यह तो आज जो सामान्य कानून है उससे भी ज्यादा रियायत देना चाहते हैं तो सीधा से न कह दें जैसा कि अभी मुन्शीलालजी ने कहा है कि आपकी जमीन देने की नियत है नही । आपका ऑर्डर होता है तो भी नहीं देते हैं। कानून आप भले ही बनाकर रख लें । मैं समझता हूं कि आप पूरे तरीके से लैण्डलार्ड्स के पक्ष में कानून बनाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वही ख्याल है कि आप इससे दूसरी तरफ से उनको फायदा दे रहे हैं। समाजवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रगतिशील कानून बनाने की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन आप उनको बहुत ही लॉन्ग लाइफ दे रहे हैं जो कि आज तक शोषण करते आ रहे हैं । यह अफसोसनाक रवैया है हुकूमत का । यह नक्शा वह नहीं

Page No 191

(191)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
है जिसका कि आप आज तक ढिंढोरा पीटते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। पहले कारण जो दोहराये जा चुके हैं उन्हीं कारणों की वजह से मैं मुख्य सचेतक ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करता हूं और बाकी के संशोधनों को अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय खेतसिंह जी ने खण्ड 27 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने खण्ड 27 पर जो, संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 27 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 28 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 28 स्वीकार किया गया।

खण्ड 29। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।
(अनुपस्थित)।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 29 में मेरा संशोधन इस प्रकार है:-"उप-खण्ड (1) की तीसरी लाइन में शब्द "अधिकारी द्वारा" के बाद तथा "कोई लिखित शिकायत" शब्दों से पहले निम्नांकित शब्द निविष्ट किये जायं—

"या किसी पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधान सभा सदस्य अथवा संसद सदस्य द्वारा"।"

यह जो इसमें खण्ड 29 में लिखा है:-

"Cognizance of offences—No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a complaint in writing made by the authorised Officer or any officer empowered by him by a special order."

उनका यह खयाल है कि यह सारा कानून तोड़े, सब कुछ करे तो भी कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकेगा। ऑथोराइज्ड ऑफिसर या वही ऑफिसर जिसको पावर हो रिपोर्ट करे तो कोर्ट उसका कॉग्नीजेन्स लेगी। इसमें सारे इनीशियेटिव में जनता को इन्वॉल्व करने के लिए और उनको सुरक्षित करने के बजाय हमने प्रोवीजन यह रखा है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो जिम्मेदारी ले सकते हैं वह रिपोर्ट करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें जो प्रावधान रखा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह दूसरे कानूनों में भी ऐसा ही होता है जो कि हमने किया है और मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे साथ 145 आदमी हैं, इसलिए ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 29 में माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 29 को स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : 30, 31, 32 में आपका संशोधन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री गफ्फार अली।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूल प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : 34, 35 और 36 को भी नहीं करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इस पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही प्रस्ताव नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 30, 31 और 32 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 30, 31 और 32 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 33 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 33 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 लागायत 41 के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 34 लागायत 41 स्वीकार किये गये। अनुसूची, श्री खेतसिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बात पूछ लूं। आपने पहले वाली सूची में परिवर्तन किया है। इसमें नावां और मेड़ता पारित होने जा रहा है। आपने रेत और रेगिस्तान को उपजाऊ कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो प्रस्ताव रखा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सूची में तो रखे हैं। सूची मिल नहीं रही है। आप गाइड लाइन बता दें।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कई माननीय सदस्य

(श्री खेतसिंह)
राय प्रकट करना चाहते है, वह अपनी राय प्रकट कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं पहले राय प्रकट कर दूं ?

एक माननीय सदस्य : पहले आप कैसे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो आप हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, कर ही लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमेण्डमेन्ट अभी मूव नहीं किया है। इसलिए हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हवा में उड़ने लगे हैं। बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेण्डमेन्ट रखा है। इसलिए जिन्होंने रखे हैं, उनसे पूछ लीजिये। वह नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बिना मुख्य सचेतक के कहने से पहले ही कैसे बोल रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सूची मेरे पास आ गई है।

श्री परसराम मदेरणा : सूची है। हाउस में माननीय सदस्य हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठीक है।

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। नियमों में, जब तक प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। श्री खेतसिंहजी ने अभी प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रखा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने जो व्यवस्था दी है, सरकारी पक्ष से····

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव अभी इन्होंने रखा ही नहीं है।

(व्यवधान)

आप शान्ति रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी सरकारी स्टेशनरी पर क्यों खराब की है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव मूव किया है :--

(i) भाग (ख) में प्रयुक्त शब्द "नागौर जिले की नावां मेड़ता तहसीलें जोधपुर जिले की तहसील बिलाड़ा" को विलोपित किये जायें ;

(ii) भाग (घ) में प्रयुक्त शब्द "नावां तथा मेड़ता तहसीलों को छोड़कर" विलोपित किये जायें ;

(iii) भाग (घ) में प्रयुक्त शब्द "जोधपुर तथा औसियां तहसीलें" के स्थान पर शब्द "जोधपुर बिलाड़ा तथा औसियां तहसीलें" प्रतिस्थापित किये जायें।

नागौर जिले में मेड़ता और नावां तहसील है। उनको सेमी-फर्टाइल जोन में रख दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सेमी फर्टाइल रखने से पहले यह देखना है कि वहां वर्षा का रेनफाल क्या है। पानी जो जमीन में है, वह कैसा है ? खारा है, या कैसा है ? जमीन पर काश्त होती है, वह कितने वर्षों से होती है। यह ख्याल नहीं रहने से यह त्रुटि हुई है। यह कतई

(श्री रामरघुनाथ)

उचित नहीं है । इसी तरह से बिलाड़ा जोधपुर जिले में आता है । उसको भी मूल से सेमी-फर्टाइल जोन में ले लिया गया है। वहां की जमीन देखी जाये तो ऊपर से काली काली दीखती है । लेकिन इतनी सख्त है कि थोड़ी-सी बरसात के बाद वहां हल जोता जाये तो उससे वहां खेती होने की सम्भावना नहीं होती है । चार-छः इंच के नीचे ही वहां पर ग्रेवल निकलते हैं। उसमें उपज की क्षमता नहीं है। ऐसी हालत म उसको सेमी-फर्टाइल जोन में जोड़ना गलत होगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में किसीने जांच कार्य करके देखा होगा कि पिछले 5-7 साल से बरसात ठीक हुई तो भी फसल नहीं हुई है। थोड़ा सा कुओं म पानी हो सकता है । लेकिन वह भी दो-चार बीघे में सिंचाई कर सकता है । वो पानी भी खारा है । वहां आधा मन, एक मन, सवा मन बाजरा हो सकता है इससे ज्यादा होने की गुंजाइश नहीं है । वहां जितने कुएं हैं, उनके बारे में निवेदन है कि उनमें अधिकतर खारा पानी है । जैसे इस वर्ष अभी अकाल पड़ गया है । तो दूसरा कोई साधन नहीं रह गया है । इसलिये लोगों के पास कोई धन्धा नहीं रहा है । इसलिए उन्होंने जो बेकार कुएं पड़े थे, उनको कुछ सुधार कर पानी की कुछ व्यवस्था करके सिंचाई के लिए कोशिश की है । लेकिन इस तरीके से कुए से जिस जमीन में सिंचाई होगी उस जमीन में तीन-चार साल तक वापिस पैदावार नहीं हो सकती, हालांकि किसान इस चीज को जानते हैं, इस परिस्थिति को जानते हैं कि खारे पानी से सिंचाई करने से जमीन बेकार हो जायगी, उसमें दुबारा खरीफ की फसल नहीं होगी, पर चूंकि इस साल दुर्भिक्ष है, अकाल है, उसको देखते हुए मजबूर हैं, इस खारे पानी से जो गेहूं, जौं, गुज्जी पैदा हो सकती है उसको पैदा करके अपने भरण-पोषण के लिये कुछ प्राप्त करें । इसके सिवाय बिलाड़ा तहसील में कुछ साइड को छोड़ कर सारा इलाका रेतीला है । वैसे भी चाहे वर्षा भी हो, पर जमीन में पानी तो है नहीं, फिर भी जो जमीन में····

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसको मूव करा दें और पास कर दें····

श्री रामरघुनाथ : मैं जस्टीफाई कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह अमेंडमेंट भार्गव साहब ने रखा था····

श्री रामरघुनाथ : पैदावार नहीं होती है, इस पर ऐतराज हो सकता है···

श्री मूलचन्द सामरिया : इस पर अमेंडमेंट आ जाय, उसको मूव करा कर पास करवा दिया जाय। इनको इसलिए बुलवा रहे हैं कि इनको इम्पोर्टेन्स मिलेगी। इससे सदन का समय भी खराब हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन का समय जाया नहीं होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस प्रकार से पहले भी गिरधारीलालजी का और महारावल साहब का हुआ है । संशोधन दूसरे के द्वारा रखवा दिया गया। वैसे इसमें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन यह कौनसा तरीका है ?

श्री गुमानमल लोढा : इस मापदण्ड को क्यों अपनायें, प्रस्ताव रख दिया है उसको पास कर दें।

श्री रामरघुनाथ : मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है, माननीय सदस्यों को ऐतराज हो कि जब सेमी-फर्टाइल जोन में लिया गया है तो इसे सेमी-डेजर्ट में लेने की क्या आवश्यकता है। मैंने जो संशोधन प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो मैं सदन के माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा समझाना चाहता हूं, मेरा निवेदन है, वास्तव में नावां, बिलाड़ा और मेड़ता तहसील हैं इन तहसीलों का वर्गीकरण करते समय इन्हें सेमी-फर्टाइल जोन में रख दिया, और किसी ने गौर से देखा भी नहीं कि इसमें व्यक्तिगत या पांच-सात व्यक्तियों की बात नहीं है, सामूहिक तौर पर सारी जमीन से सामूहिक रूप से सम्बन्ध रखती है। सेमी-फर्टाइल जोन से सेमी-डेजर्ट जोन में नहीं बदला गया तो जो सत्तर-अस्सी पर्सेन्ट लोग हैं वह मारे जायेंगे क्योंकि सेमी-फर्टाइल और सेमी-डेजर्ट में काफी अन्तर है। मैं निवेदन कर रहा था की नावां तहसील सारी की सारी रेतीली है। हो सकता है, किसी ने देखी हो, या नहीं भी या वहां से किसी माननीय सदस्य को गुजरने का मौका भी मिला हो, मेरे ख्याल में जैसलमेर साइड और बाड़मेर साइड में जाते हैं, तो वहां रेत के टीले देखे होंगे, वैसे ही नावां तहसील में हैं—हो सकता है, किसी ने कुएं देख हों, वास्तव में वहां कुएं तो चलते हैं लेकिन वह कुएं पांच-दस बीघा को पानी पिलाने वाले नहीं हैं, पांच-दस बीघा को पानी पिलाते देख कर अन उपजाऊ जमीन को नहीं देखते हुए इसे सेमी-फर्टाइल में रख दिया है। यह गैरवाजिब बात है।

मैं मेड़ता के लिए निवेदन कर रहा था, मेड़ता की जो जमीन है वह ऊपर से काली नजर आती है लेकिन एक इंच बरसात हो जाय तो भी सूखी ही रह जायगी और वह पानी नीचे तक नहीं पहुंचता है। दो-तीन फीट जमीन के नीच पर सारा का सारा ग्रेवल है। इस तरह मेड़ता की जमीन को ठीक नहीं समझा गया है, जो अजमेर और पुष्कर के पड़ोस में जमीन आती है, वह रेतीली आ गई है; वहां सिर्फ घास ही पैदा होती है लेकिन कहीं-कहीं घास भी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेड़ता, नावां और बिलाड़ा का वाजिब ध्यान नहीं रखा गया है, भूमि के वर्गीकरण के वक्त नहीं देखा गया कि यहां रेनफाल क्या है, और नहीं जमीन की किस्म देखी गयी, इस वजह से इसे सेमी फर्टाइल में रखा गया है। यह भूल की है और इस इलाके के साथ और इस इलाके के किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इस इलाके को सेमी-डेजर्ट जोन में रखा जाय ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके और इन इलाकों के साथ सही न्याय हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल !

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष

श्री रामसिंह !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील और नागौर जिले की नावां और मेड़ता तहसीलों को अर्ध उपजाऊ जॉन में रखकर वहां के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस क्षेत्र को किस जोन में रखा जाय, इसके पहले इसका क्या मापदण्ड हो--उसको अगर मद्देनजर रखते हुए उस मापदण्ड को कि आया जिन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों में रखा जा रहा है, उसका क्या आधार है। एक तरफ केन्द्रीय सरकार राजस्थान के दस जिलों को उन 57 जिलों में से समझती है जो अकालग्रस्त हैं, और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान सरकार उन जिलों की उन तहसीलों को अर्ध उपजाऊ तहसीलों में लेती है। किस मापदण्ड के आधार पर इसको रखा गया-यह मेरी समझ में नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो भू राजस्व के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में गलती की, जिस आधार पर इन तहसीलों को जोधपुर जिले, नागौर जिले से हटा कर उन राजस्थान के अर्ध उपजाऊ इलाकों के साथ जोड़ा है, जहां पर साल में तीस, चालीस, पचास इंच बरसात होती है, जहां पर आम के पेड़ और अफीम पैदा होती है। उन इलाकों के साथ हमारी तहसील को जोड़कर, जहां पर पांच साल में एक भी जमाना नहीं हुआ है और जिस क्षेत्र के अन्दर हमारी राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत करीब चालीस-पचास गांवों में पानी की व्यवस्था की है जहां कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष जिन क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने में लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, उन इलाकों को अर्ध उपजाऊ जोन में रख कर जो अन्याय काश्तकारों के साथ किया है, उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। किसानों की रोटी और रोजी का प्रश्न है, छोटी सी भूल को अगर राजस्थान सरकार सुधारती नहीं है तो मैं इसको उचित नहीं मानता। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि अधिकारियों की गलती से, भूल से या किन कारणों से इनको इसमें रखा है बिना किसी मापदण्ड के ? इसको आप दुरुस्त फरमायें और इस क्षेत्र को, हमारी तहसील बिलाड़ा, नावां और मेड़ता, जो नागौर जिले की है, अब रेगिस्तान इलाकों में जोड़ा जावे। इसके साथ ही लगने वाली, जोधपुर तहसील के पास, बिलाड़ा तहसील के पास जो पाली जिले की पाली तहसील है, उधर भी हालत उसकी खस्ता है, जहां पर आज और कल हमारे साथियों ने साही नदी की स्कीम के बारे में आपके सामने जिक्र किया था। वह चाहते थे कि इन जिलों के अन्दर या पाली तहसील के गांवों में, जहाँ पीने का पानी नहीं है, साही नदी का कब काम पूरा होगा और जवाई बांध के किनारे-किनारे जो गांव हैं, जहां खारा पानी है जिस पानी को इन्सान तो क्या अगर जानवर भी पी लेते हैं तो उनको रतौंदी हो जाती है, ऐसे गांवों में व्यवस्था करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम साही नदी की बनाई, उस पानी की व्यवस्था हो जाने के बाद करीब 70-80 गांव, पाली तहसील और जोधपुर तहसील के निवासियों को

(श्री रामसिंह विश्नोई)
फायदा मिलेगा-इसकी अपेक्षा की जाती है। जब इस क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, साल भर में दस इंच से ज्यादा बरसात नहीं होती है, जो एक फसली इलाका है और पिछले पांच सालों के अन्दर जब एक बार भी जमाना नहीं हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने किस आधार पर, किस मापदण्ड पर इन तहसीलों को अर्द्ध उपजाऊ तहसीलों में माना- मेरी समझ में नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की हालत विचित्र है, एक गांव ही नहीं, पचास गांव जोधपुर नागौर से जुड़े हुए हैं. एक तरफ उन गांवों के अन्दर 54 एकड़ जमीन और उसी किस्म की जमीन जिसमें 125 एकड़ जमीन रखा जाना वहां के किसानों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हमारी तहसील बिलाड़ा, जोधपुर जिले में आती है, और नावां ओर मेड़ता जो नागौर जिले में आती है और पाली, जो पाली तहसील में आती है- इनको अर्द्ध उपजाऊ जोन से निकाल कर अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में माना जावे, ऐसी मेरी मान्यता है और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे इस संशोधन को आप स्वीकार करेंगे ।

श्री रामलाल (मेड़ता) : हमने जो संशोधन दिया है, नागौर जिले में मेड़ता और नावां, जोधपुर में बिलाड़ा······

श्री रामानन्द अग्रवाल : बार-बार जो बुलवा रहे हैं······

श्री रामलाल : मैं मेड़ता से आया हूं, मेडता की बात कहता हूं। नागौर जिले को पूरा अर्द्ध रेगिस्तान में माना गया है, तहसील नावां और मेड़ता को अर्द्ध उपजाऊ माना गया है और बिलाड़ा को अर्द्ध उपजाऊ माना गया है। इसका आधार कौनसा माना गया है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। 1959 में जो एक्ट बनाया है उसमें मेड़ता में 145 एकड़ है, उसके नीचे एकदम 54 एकड़ । 100 एकड़ की किस तरह से तरमीम की गई, यह समझ में नहीं आता । गंगानगर और चंबल क्षेत्र में साधनों से पानी बनता है । उस तरह से अगर साधन हो गये हों, पूरी तहसील उपजाऊ हो गई हो तो बात हमारी समझ में आती ।

लूणी नदी तिलवाड़ा से शुरू होकर सिरोही तक पहुंच जाती है। उसकी हालत यह है कि जगह-जगह बांध बना दिये हैं उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत पानी बेरों से मिलता है वह खारा है। इसलिए वह जमीन भी हमारे लायक नहीं रही, सिवा घास के और कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए जसनगर में जागीर के समय 300 कुएं थे, हरा भरा इलाका था, जगह-जगह आपने बांध बना दिये, वहां पीने का पानी मुश्किल से मिलता है। पूरा नागौर जिला व जोधपुर जिला जिसको भारत सरकार ने भी डेजर्ट एरिया माना है और आपने जैसे धौलपुर की जमीन को मान लिया है, हमारे एरिया को भी मान लिया है। मेड़ता में पूरे के पूरे 176 गांवों में अकाल है । सिवाय 10-20 गांवों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा या पानी टैंकर्स से भेज रहे हैं या कई गांव ऐसे हैं जहां पानी के नल योजना के द्वारा स्कीम्स मंजूर हो चुकी हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पानी की तकलीफ नहीं, दूसरी

(श्री रामलाल)
तरफ आप उस इलाके को अर्द्ध उपजाऊ मानकर हमारे साथ घोर अन्याय किया है।

इसके अलावा जब से सेटिलमेंट हुआ है, इन 20 सालों का आप रेकार्ड मंगाकर देखिए, 20 साल में 6 जमाने हुए हैं और 11 साल पूरे तहसीलें अकाल में घोषित हुई हैं, रेकार्ड आप के पास है, जो आप देख सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पूरी जमीन मेरू की है, काश्त उसमें नहीं होती है। एक फसल गेंहूं के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। 145 से घटाकर आपने एकदम 54 एकड़ कर दिया, यह घोर अन्याय है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुनः विचार करें और जो हमारी न्यायोचित मांग है उस पर पुनः विचार करें। पूरे का पूरा नावां, मेड़ता और बिलाड़ा तहसीलों को अर्द्ध रेगिस्तान में शुमार किया जाए और हमारा संशोधन पास किया जाए।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की राजगढ़ तहसील सेमी डेजर्ट में चली गई है, दूसरी तहसीलों 11) प्रति बीघा लगान है। इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार क्या है। पहले जो 1959 में कानून बना था उस समय चूरू में इस प्रकार अलग अलग वर्गीकरण नहीं किया गया था परन्तु अब बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, राजगढ़ तहसील सभी डेजर्ट एरिया में लिया गया है, जो अब तक के समस्त सेटिलमेन्ट रेकार्ड और वहां की हालात के बिल्कुल उल्टा है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के अन्दर अनुसूचि में संशोधन रखे थे उनमें कुछ और तरमीम करके, इस प्रकार से रख रहा हूं :—

अनुसूचि का संशोधन

(1) अनुसूचि के (ख) में वर्णित अन्न उपजाऊ जोत में :—

(क) प्रविष्टि "जयपुर जिला" में शब्द "जयपुर जिला" के पश्चात् शब्द "तहसील फुलेरा को छोड़कर" जोड़िए।

(ख) प्रविष्टि "झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तथा खेतड़ी तहसीलें" लोपित कीजिए।

(ग) प्रविष्टि "नागौर जिले की नावां और मेड़ता तहसीलें" लोपित कीजिए।

(घ) प्रविष्टि "जोधपुर जिले की तहसील बिलाड़ा" लोपित कीजिए।

(2) अनुसूचि के (घ) में वर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में :—

(क) प्रविष्टि "झुन्झुनूं जिले की चिड़ावा तथा झुन्झुनूं तहसीलें" के स्थान पर प्रविष्टि "झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी, खेतड़ी, चिड़ावा और झुन्झुनूं तहसीलें" प्रतिस्थापित कीजिए,

(ख) प्रविष्टि "नावां तथा मेड़ता तहसीलों" को छोड़कर सम्पूर्ण नागौर जिलों "में से शब्द नावां तथा मेड़ता तहसीलों को छोड़कर" लोपित कीजिए।

(ग) प्रविष्टि "जोधपुर जिले की जोधपुर तथा औसियां तहसीलें" में शब्दों

(श्री खेतसिंह)
"जोधपुर" और "तथा" के बीच विराम चिन्ह और शब्द "बिलाडा" अन्तःस्थापित कीजिए :--

(घ) प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित कीजिए :-
"जयपुर जिले की फुलेरा तहसील"।

श्री रामचन्द्र चौधरी : चीफ व्हीप महोदय ने जो संशोधन प्रस्ताव इस खण्ड के बारे में दिये हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री खेतसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री रामसिंह व श्री रघुनाथ विश्नोई आपने जो संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, वापिस लेना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं मेरा संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुसूचि में जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसमें संशोधन किया जाय।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकृत किया गया)

थर्ड रीडिंग

खण्ड 1 क्या इसे स्वीकार किया जाय?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मेरा इसमें एक संशोधन है :--

उप-खण्ड (3) में प्रयुक्त शब्द "नियत करे" के पश्चात् शब्द "किन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व की तारीख से लागू नहीं किया जायेगा" जोड़े जायें।

इसमें जो यह राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। इसमें राजस्थान नहर क्षेत्र पर भी लागू क्यों नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इसको रिट्रास्पेक्टिव डेट से लागू किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह मेरा एक तो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें जो राजस्थान नहर क्षेत्र के लिये कहा गया है उसके लिये मैं श्री भार्गव साहब का संशोधन मानने से असमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है :--

उप-खण्ड (3) में शब्द "हुआ समझा जायेगा" के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "तथा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें" विलोपित किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित).

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें उप-धारा (3) जो राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान नहर राज्य में 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अलग से राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर क्षेत्र में वह 1 जनवरी, 1973 से लागू क्यों नहीं किया जायेगा। उसके लिये आपने यह नहीं बताया कि कब से लागू करेंगे। हो सकता है कि जब तक आप तिथि तय करें लोग वहां पर जमीनों को ट्रांसफर करदें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां पर लैण्ड का एलॉटमेंट हो चुका है। वहां पर किसी हद तक खातेदार हैं राज्य सरकार का निर्णय भी एलॉटमेंट के बारे में हो चुका है। मैं समझता हूं कि कोई वाजिब कारण नहीं है कि वहां सीलिंग लागू नहीं हो। राज्य सरकार ने यह तो माना ही है कि वहां पर भी सीलिंग लागू होगा तो फिर कौनसी तारीख को कितनी सीमा तक यह भी तो पता लगना चाहिये। आखिर आप उस क्षेत्र को सीलिंग से कब तक मुक्त रखेंगे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव किया है उप-धारा (3) निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाय।

उप-धारा (3) निम्नांकित रूप से प्रति-स्थापित की जायेगी:-"(3) यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।"

इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं, श्री रामानन्दजी ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा क्लॉज तो होना चाहिये कि वहां पर लैण्ड ट्रान्सफर तो नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग वहां पर ट्रान्सफर लैण्ड कर देंगे कुछ तो होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामानन्दजी ने जो संशोधन यह रखा है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भी इसको लागू किया जाय मानने में असमर्थ हूं क्योंकि अभी तक वहां पर पानी का पूरा स्टोरेज हुआ नहीं है, दूसरा वहां की स्थिति इससे भिन्न है। वहां पर हालांकि खातेदारी लोगों को दी है लेकिन अभी तक उसमें लैण्ड का डिस्ट्रिब्यूशन होना है। करीब सवा दो लाख बीघा जमीन तो पौंग डेम वाले लोगों के लिये रिजर्व है, उन्हें देना है। दूसरे 75 हजार बीघा जमीन उन लोगों को इस क्षेत्र में देनी है जिनकी जमीन पंजाब और हरियाणा में इस नहर के आने से पानी के नीचे आ गयी है। इसके अलावा कुछ जमीन राज्य सरकार सोलजर्स के लिये दी है और देने का विचार रखती है। इसके अलावा कुछ भूतपूर्व जागीरदारों को

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

ऐलॉट किये हैं तो इस प्रकार अभी तक वहां पर पूरा तय नहीं किया जा सका है। इसके अलावा भी यह भी तय नहीं किया हुआ है कि कितना पानी दिया जायेगा, कितनी बार दिया जायेगा। वैसे मुझे कोई एेतराज नहीं है परन्तु यह सभी बातें इसमें अभी होना है। इसलिये राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। वैसे वहां पर 15 एकड़ से ज्यादा जमीन तो लोगों को दे नहीं रहे हैं, एक प्रकार सीलिंग सा ही है.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये तो आप कर सकते हैं। लोगों को परमानेंट ऐलॉटमेंट ऑफ लैण्ड हो गया है।

श्री खेतसिंह : इनके कोई मुरब्बा नहीं ली हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यहां पर भी लागू तो कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यहां पर अभी यह भी तय नहीं है कि कितना पानी मिलेगा। इसके अलावा अभी तक काफी जमीन बगैर एलॉट किये हुए पड़ी है। वहां पर किस हिसाब से पानी दिया जायेगा, पानी क्षमता कितनी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय मैंने जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। ट्रान्सफर वाली बात के लिये। उस पर तो लागू कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या रामानन्दजी अब आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने का विचार रखते हैं या प्रेस कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या श्री रामानन्द जी ने जो प्रस्ताव (संशोधन) रखा है उसको सदन स्वीकार करता है ?

(संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय अभी फरमा रहे थे कि वे इस पर मतलब कि राज्य सरकार इस पर विचार करने को तैयार है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं अकेला इस पर फैसला नहीं कर सकता। कैबीनेट पूरी इस पर फैसला करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द सामरिया। क्या आप आपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेते हैं या प्रेस कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उनको प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द सामरिया ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में नाम अधिनियम को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वोकार स्वीकृत किया गया)

मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मेरे कुछ बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्दजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल ने अपने बहुमत से इस विधेयक को पारित कराया है। परन्तु खेद का विषय है कि आज जिस कॉन्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट आर्टिकल 31 में इस दृष्टिकोण से किया गया था और दूसरे आर्टिकल में इस दृष्टिकोण से किया गया था कि सोशियो-इकोनोमिक चैन्जेज को लाने वाले कानून बनाये जायें और उनको ऐसे कॉन्स्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन दी जाय आर्टिकल 39 के तहत अदालत में जाकर सोशियो-इकोनॉमिक इश्यूज को फेल करने की कोशिश अदालत के द्वारा न हो। मुझे खेद है फोरी बात, चुनाव के एक साल के बाद और कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार का परिवर्तन करने के एक वर्ष के बाद ही लैंड सीलिंग के विषय में आज यह बिल पास करने जा रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से कॉन्स्टीट्युशन से तब्दीली की गयी ताकि वीकर सेक्शन्स के पक्ष में इस प्रकार के कानून बन सके और अदालत के लम्बे अर्से से बच सके, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कानून सत्ताधारी दल जिस शक्ल में पुश करना चाह रहा है वह उन तमाम मान्यताओं, सोशियो इकोनॉमिक नीतियों की आत्मा के विरुद्ध है जिस दृष्टिकोण से इन सोशियो-इकोनॉमिक चैन्जेज को हम लाना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज यह बिल जो सत्ताधारी दल की ओर से जो यहां पुश किया जा रहा है और अपने बहुमत की बुनियाद पर तमाम बातें और खयालों को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से भारी बहुमत का आज उपयोग किया उस बात से एक बात साबित हो गयी राजस्थान के भूमिहीन मजदर, किसान, खेतिहर मजदूर छोटे 2 किसान और मध्यम किसान जो हाथ से काम करने वाले हैं वे लोग और तमाम प्रगतिशील लोग जो यह उम्मीद कर रहे थे कि राजस्थान में सन् 1969 के बाद कांग्रेस में जो स्पलिट हुआ यह नयी कांग्रेस इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बनी, प्रान्तों में भी नये कानून लाये जावेंगे जिससे सोशियो-इकोनॉमिक चैन्जेज लायेंगे। और वास्तव में गरीबी हटाओ के नारे को साकार रूप दिया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस राज्य में पुराने मंत्रिमंडल को केन्द्रीय हस्तक्षेप से बदला गया, नया नेतृत्व लाया गया, पुराना नेतृत्व गया और नया नेतृत्व आया। जिस तरीके से पुराने मंत्रिमंडल के सामन्तों से, इजारेदारों से, भूपतियों से जिस तरीके से सांठ गांठ की गयी, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन दिया, प्रान्त के सारे विकास को रोका गया, नयी लीडरशिप से यह आशा की जाती थी कि यह नेतृत्व उस रास्ते को छोड़ कर नये रास्ते पर चलेंगे और इस प्रकार के कदम राजस्थान में उठायेंगे जिससे अवसरवादी गुटबन्दी शासक वर्ग द्वारा न करके वास्तव में जो भूमिहीन किसान हैं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं और मध्यम लोग हैं जनता के हित में कानून बना कर आगे ले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस शक्ल में यह कानून पास किया जा रहा है, लाया जा रहा है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन तमाम-करोड़ों लोगों को निराशा होगी। करोड़ों लोगों ने इस नयी लीडरशिप से आशा की थी। सन् '69 से पहले शासक लोग सत्ता गुटबन्दी करके चले गये, आम लोगों के हित के साथ कुठाराघात किया गया। धोखाधड़ी से काम लिया गया, विश्वासघात किया, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह कहते हुए खेद होता है कि आज का शासक दल जिस रूप में आया है, जिस शक्ल में आया है कि आश्चर्य होता है। आज का शासक वर्ग दो वर्ग में विभाजित है। एक वह वर्ग है जो यह चाहता है कि निम्न वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले, वह इस कानून की शक्ल को तब्दील कराने के पक्ष में था, उन्होंने अपनी बात भाषणों के जरिये कही थी परन्तु अपने दल के विलय के जरिये उनकी जबान बन्द कर दी गयी। दूसरी ओर इसी शासक दल में लैंडलोर्ड लोबी हैं, कुलक लोबी है जो किसान का कह कर अपनी शक्ल को छिपाने की कोशिश करती है। जो जमीन को हल चलाने वाले की कह कर, जमीन को जोतने वाले की कह कर उनका नाम लेकर उनके नाम का दुरुपयोग करके अपने एक्स्प्लोयटेशन के नेचर के हर दृष्टिकोण को सामने रख कर आज राजस्थान में नयी किस्म के जागीरदार और नयी किस्म के टिनेन्ट्स आज बड़े-बड़े भूपति बन गये हैं। उनके बीच गठबन्धन हुआ है। कांग्रेस दल के एक सेक्शन में वे यही चाहते हैं कि इस विधेयक में बड़े-बड़े भूमिधारियों की जमीन सीलिंग में न लायी जा सके और किस प्रकार से उनको इससे बचाया जा सके। किसी तरह से दंड न दिया जा सके, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जा सके, यह दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी साफ हो गया है स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ जो अपने आपको विरोधी पार्टीज कहती हैं उनका क्या रोल रहा है। मेरा यह कहना है उपाध्यक्ष महोदय कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के साथ सहयोग किया था, आपस में मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बुनियाद पर लड़ा कि कांग्रेस की घोषणायें थीं, केन्द्रीय सलाहकार समिति, संगठन समिति जिसने सीलिंग के बारे में जनता से जो वायदे किये, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज उन वायदों के साथ घात किया जा रहा है, आज उन वायदों के साथ विश्वासघात किया गया और उनको एक तरफ फेंक दिया गया। केवल देखने मात्र के लिए, एक शॉ विन्डो की तरह से इस कानून को बनाने की कोशिश की गई और मैं समझता हूं कि उसमें खुले तौर से जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी एक-एक धारा में जिस तरीके से इस दल के लोग और माननीय राजस्व मंत्रीजी और कुलक लोबी, जिस तरीके से दंड को हटाने के पक्ष में थे, और ज्यादा जमीन निकले इस पक्ष में थे, ज्यादा मुआवजा मिले इस पक्ष में थे, इस तरीके से रखा गया था। उस तरीके का संशोधन जैसा माननीय जनसंघ के नेता ने कहा था कि 55 से सीलिंग के पक्ष में जनसंघ रहा है और उन्होंने कितने ही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिजोल्युशन्स का उल्लेख किया। यह बात समझ में आ गई कि किस तरीके से वास्तव में सीलिंग के लिये किस प्रकार पक्ष में है जनसंघ। आज हिम्मत नहीं है, कुछ मेजर्स दें। समाजवाद के लिये खड़ा होने की हिम्मत नहीं। करोड़ों जनता के साथ आ नहीं सकते इसलिये प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने, जनसंघ स्वतन्त्र पार्टी ने चाहे नेश्नेलाइजेशन ऑफ बैंक हों, राजाओं के प्रिवीपर्स हों, उन सब के लिये पैंतरा बदला। बात वही कहेंगे जो कि गरीब के लिये दूसरी पार्टी बात करती है। लेकिन काम दूसरा होगा। इस में इम्पोर्टेन्ट

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्वेश्चन है वह नीतियों का है, नीतियों का प्रश्न इन्वॉल्व है और जो कहने का हमें हक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंघ ने पैंतरा बदला कि इन प्रोग्रेसिव मेजर्स का खुले नंगे रूप में विरोध मत करो, किन्तु ऊपर से उनको सपोर्ट करो और पीठ में छुरा भोंको। पीछे से अटेक करो। यही आज इस बिल के सम्बन्ध में उनका रवैया देखने को मिला।

जितने अमेण्डमेन्ट आये हैं और संशोधन रखे हैं वे तमाम के तमाम संशोधन भूमिधरों, लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में थे और भूमिहीनों के खिलाफ थे चाहे वे संशोधन स्वतन्त्र पार्टी के हों या जनसंघ की ओर से रखे गये हों। इसलिये उनसे उनका क्लास करेक्टर पूरी तरह से साबित था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके का रुख इस सरकार ने अपनाया है उसका राजस्थान के डेमोक्रेटिक मूमेंट में गम्भीर रिएक्शन होने वाला है। यह सरकार जो अपना चित्र प्रस्तुत करती आ रही थी कि इस सरकार के लीडर श्री बरकत साहब हैं जिस तरीके से नेतृत्व कायम करने की बात करते हुए आ रहे थे उसका खोखलापन, उनकी सिंसियेरिटी उनके कन्विक्शन्स भी जनता के सामने आ रहे हैं। इतनी बड़ी मेजोरिटी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को इस सदन में बैठने की हिम्मत न मिले। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को इस सदन में आकर सदन के माननीय सदस्यों को सुनने का वक्त न मिले। इस सदन के लीडर ने जो नाइन मेन कमेटी में घोषणा की थी जिस पर उन्होंने दस्तखत किये हैं, यह भी मौका नहीं था कि वे उसको यहां आकर एक्सप्लेन करते। या तो उनमें यहां आकर कहने की हिम्मत नहीं थी यह या तो उनका स्टेप गलत है या जो सरकार चल रही है उसका स्टेप गलत है। क्या उन पर दबाव आ गया जिसकी वजह से वे बैठने की यहां हिम्मत नहीं कर रहे हैं।

मैं बरकत साहब से कहना चाहता हूं। हमें पर्सनल उनसे कोई गिला नहीं है। बरकत साहब ने जब शासन की बागडोर सम्भाली तो कम्यूनिस्ट पार्टी ने उनका साथ दिया और इसलिये साथ दिया कि हम यह समझते थे कि इनका नेतृत्व इन्दिरा गान्धी के नेतृत्व में, इन्दिरा गान्धी के डाइरेक्शन में कम से कम जो यह कहते आये हैं, चुपचाप कहते आये हैं, अलग से कहते आये हैं, प्रोग्रेसिव नीतियों की घोषणा करते हैं उसको अमल करके दिखायेंगे,

Page No 205

(205)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनको अमल में लाने का मौका दिया था। उन्होंने बहादुरी भी दिखाई थी और रिस्क भी ली थी और उनकी इस बहादुरी से कम्यूनिस्ट पार्टी को भरोसा हुआ था। अब वह भरोसा टूटता जा रहा है। एक बिलकुल परछाई नजर आ रही है। आज कनविक्शन चीफ मिनिस्टर का हो, मैं समझता हूं उनका खुद का इरादा, खुद की जमीन नाइन मेन कमेटी के साथ थी। जो उनको आइडिया है लेकिन कुलक लोबी से दबकर जिस तरह यहां बिल पेश हुआ है··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय जिस तरीके से इस सरकार ने इस बिल को जिस शक्ल में यहां पेश करके जिस तरीके से मंजूर करवाया है यह मौका भी नहीं था प्रत्येक सदस्यों ने विरोध किया था। चीफ मिनिस्टर साहब उनकी बात को सुनते और सुनकर चीफ मिनिस्टर साहब कोई संशोधन करते··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा उल्टे जो मंजूर किया गया—रि-एक्शनरी टाइप के संशोधन मंजूर किये गये। सारे के सारे पनिशमेंट से हटाने की बात है चाहे डीजल पम्प हो और चाहे इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूब वैल चलने वाले हों उन सबके सब ज्यादातर जनसंघ की तरफ से जो रखा गया था जनसंघ की विचार धारा के अनुकूल है उसका सम्मान किया गया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कानून पास किया। आप अपने बहुमत से इसको पास भी करवा सकेंगे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं··

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(10.55 रात्रि)

आज हिन्दुस्तान के गरीब किस तरह से सोच रहे हैं, हिन्दुस्तान के खेती हर मजदूर किस तरह से सोच रहे हैं, इसको देखकर चलें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केरल और आन्ध्र में रिवोल्यूशनरी चेन्जेज हुई। आन्ध्र भी मेजोरिटी पर नाज करता था। आप भी आज 145 की मेजोरिटी पर नाज करते हो। मैं कहना चाहता हूं आज आन्ध्र में भी आपकी तरह वही मेजोरिटी थी लेकिन प्रधान मंत्री के डिसीजन के कितने साथ रहे। वही सुब्बा रेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बगावत करके आज आग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो युनाइटेड आन्ध्र की बात कहे, उनको काट दो, आग लगा दो। मैं मुख्य मंत्री जी कहना चाहता हूं आज टेस्ट करना चाहते हैं उनको तो आपकी हालत भी नरसिंहराव से बढ़िया होने वाली नहीं है। जिस तरह चन्द लोग उनके साथ रह गये··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां पर कितने ही सुब्बा रेडी की तरह बैठे हुये है। (पुनः घंटी) यहां रामचन्द्र जी चौधरी बैठे हुये हैं। यहां पर भी वही रस्म अदा कर सकते है। लेकिन उनका वैस्टेड इन्टरेस्ट है। आपने उनको खुला हाथ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया है और (पुनः दीर्घ घंटी) जिस तरह से काम कर रहे हैं। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय इस सरकार को यह सोचना चाहिये। क्या केवल यही मेजर नहीं है। आज आप फूड ग्रेन्स का टेक ओवर करने वाले हो, आप कल बसों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। आप इस अलाइनमेंट आफ फोर्सेस से लैंड-लार्ड्स को साथ लेकर चलें और भूमिहीन मजदूरों को असन्तुष्ट करके क्या यह काम कर सकेंगे ? आप आज जो सीलिंग का काम कर रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स का काम कर रहे हैं और क्या बसों का राष्ट्रीयकरण कर सकेंगे ? इसलिये अध्यक्ष महोदय आन्ध्र के लैंड लार्ड हैं। आज वहां पर तलगाना और आन्ध्र के विभाजन की मांग नहीं है बल्कि सीलिंग लागू नहीं है, इसकी मांग है, फूड ग्रेन न हो इसकी मांग है। ये लोग घात में बैठे हुये हैं। आज इस अप्रेल और मई के महीने में येटैस्ट होने वाले हैं। आज मैं कहना चाहता हूं आप भी शिकार बन गये हो, एक कैदी बन गये उसी तरह से चलोगे तो आप इस फूड ग्रेन्स को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेक मार्केटियर्स की एक लोबी बनेगी, उनका एक इन्टरेस्ट बनेगा और शियर करने की कोशिश करेंगे, फेल करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज इस कानून के जरिये सोसियल जागरूकता ला सकते थे। इस सरकार के साथ गरीबों को साथ में ले सकते थे, भूमिहीनों को साथ ले सकते थे गरीब किसानों को साथ ले सकते थे, बुद्धि जीवियों को साथ ले सकते थे, किन्तु बिल आप जिस तरीके से लाये है आपने मारल सपोर्ट खो दिया है। मैंने स्पीच में कहा है एक बहुत बड़ा मासिव मेनडेट मिला है। 145 आप जीत कर आये हैं, चार हम जीते हैं। अपोजीशन का हौसला पस्त हो गया था। उस तमाम को आप खत्म करते जा रहे हैं। उसका इस्तेमाल गरीबों के हाथ में वेस्टेड इन्टरेस्ट को आप तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं, आर आज वही सुखाडिया साहब की नीति पर चल रहे हैं। और इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय आपकी मारफत यह कहना चाहता हूं राजस्थान की आज आम जनता के सामने सिवाय इसके कि इन नीतियों का मुकाबला संघर्ष के जरिये करें, इन नीतियों का मुकाबला दृढ़ता के साथ करें। जो जनतन्त्र के खिलाफ चले, उसका मुकाबला किया जाय और हर जगह मुकाबला किया जाय, हर तरीके से किया जाय, सदन में किया जाय, सदन के बाहर किया जाय और जिस तरह जनता के हितों के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं उससे लड़ने की कोशिश की जायगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आज का भाषण······

श्री गफ्फार अली : अध्यक्ष जी, मुझे भी बोलने का हक मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत बोल चुके हैं। आपकी पार्टी का व्यू पाइन्ट आ चुका है।

श्री गफ्फार अली : लेकिन व्यक्तिगत व्यू भी तो आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 'वन मैन फ्रोम दिस साइड'।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जोत की सीमा के संबंध में यह बिल पारित होने जा रहा है जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया कि सन् 55 के अन्दर जोधपुर शहर में जब अखिल भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ था उस समय हमने प्रस्ताव पारित किया था कि जोत की सीमा सिंचित भूमि की 20 एकड़ हो सका निर्णय लिया था। इसके पश्चात बंगलोर में, दिल्ली में और अन्तिम रूप से भागलपुर में बारबार प्रस्ताव पारित करके इसको दोहराया गया। हमने यह भी कहा कि काश्तकार के साथ में जोत की सीमा को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाये कि जोत से या निर्धारित सीमा के अन्दर जो कृषि उपज जमीन उसके पास रहेगी उससे कितनी आमदनी उसको होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार को हम देश के प्रवाह से अलग करके नहीं चल सकते, छोटे व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी, वकील, डाक्टर, बैरिस्टर, जज, विधायक यह लोग एक निश्चित आमदनी के साथ अपने जीवन का स्तर का निर्वाह करना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि जो काश्तकार सुबह से शाम तक मजदूरी करके, मेहनत करके खेत के ऊपर अपना खून और पसीना करके जेठ की कड़कड़ाती गर्मी के अन्दर, पोष माघ की कड़कड़ाती सर्दी के अन्दर और बरसात के अन्दर स धरती को सिंचित करके धान उपजा करके हमको देते हैं उसके साथ हम अलग से सौतेला व्यवहार करें। इस कारण से हमने बारबार कहा है कि कम से कम देश की धारा प्रवाह के अन्दर जब तक हम आमदनी का सीलिंग नहीं करते, मेक्सीमम आमदनी कितनी हो उसके बारे में निर्णय नहीं करते तब तक साधारणतया एक किसान जिसके परिवार में चार–पांच व्यक्ति मान लिये जायें तो उसको एक वर्ष में आठ, दस हजार की आमदनी है। निश्चित रूप से हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अभी मेरे पास में बैठे हु मान ीय सदस्य······

श्री बरकतुल्ला खां : नाम ले लीजिए कोई हर्ज नहीं।

श्री गुमानमल लोढा : अलवर से आये हुए रामानन्दजी बड़े जोर शोर से कह रहे थे दीवार की ओर देखिये क्या लिखा हुआ है। चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था केरल में। उसमें ट्रान्सफर्स के प्रोवीजन्स क्या थे। सीलिंग का कानून वहां भी था। उसमें ट्रान्सफर के लिए उन्होंने लिखा। आज तो जो कानून लाया गया है उसमें ट्रान्सफर्स के बारे में यह लिखा गया है कि यदि कोई ट्रान्सफर बोनाफाइडली किया गया है तो ही उसे स्वीकार किया जायेगा। केरल में क्या था? आउट ऑफ लव एण्ड अफेक्शन मिस्टर थॉमस और उनकी पत्नी····

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह कम्युनिस्ट मिनिस्टरी डिसमिसल होने के बाद बना है।

श्री गुमानमल लोढा : दीवारों पर देखिये केरल में क्या लिखा है। मैं कहता हूं कि अपनी अन्तरात्मा को देखिये,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अपने गर्दन में देखकर बतायें यह राजस्थान का कानून प्रोग्रेसिव है या केरल का था। जहां कम्युनिस्ट पार्टी राज्य करती थी। केवल किसी को गद्दार कह करके, सामन्तशाही कह करके काम नहीं चलता। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सन् 42 में कहां गये थे।

जिस समय अंग्रेजों का शासन था और तिरंगे झण्डे को लेकर आजादी का आन्दोलन चल रहा था और उस समय यही साथी थे जो कहते थे कि पीपुल्स वार चल रही है। महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस और उनके साथियों को यही लोग गद्दार कहते थे। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को सन् 67 के अन्दर जब संयुक्त दल बना हुआ था, भारतीय जनसंघ था, स्वतन्त्र पार्टी थी, इन्डीपेन्डेंट थे और कांग्रेस के बीच म संघर्ष था। और उस समय इन्हीं माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहा कि कांग्रेस डूब रही है इसको डूबने दिया जाये और संयुक्त दल के अन्दर अपना एक मत बढ़ा करके शासन के अन्दर नया चोला और नयी शेरवानी बना करके बैठने की तैयारी कर रहे थे। आज वह शासन के साथ में रहना चाहते हैं। सन् 72 में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जीत सकती और आज एक माननीय सदस्य सदन से उठकर ही चले गए, आये ही नहीं। जब कृषि मंत्रीजी ने कहा कि उनके पास गंगानगर में 21 मुरब्बे जमीन है तो वह दिन भर ही सदन में नहीं आये। क्या इसी प्रकार से समाजवाद आयेगा, इसी तरह से प्रजातंत्र आयेगा, क्या इसी तरह से समता आयेगी? केवल अल्ट्रा मॉडर्न बनकर जनता को धोखा देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय यदि स्वतन्त्र पार्टी के साथ में राज्य सरकार के अन्दर भागीदार बनने वाले उनको पता नहीं लगा····

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत बात है। सरकार में सम्मिलित होने की बात कभी नहीं थी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस बार भी यदि कांग्रेस आपकी मदद नहीं करती तो आपकी जमानत जब्त होती। यदि नहीं मान तो फिर से चुनाव लड़ लो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 67 में हम भी लड़े थे और आप भी, और कांग्रेस भी लड़ी थी और उस समय तुम्हारी जमानतें जब्त हुई थीं।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनावों में मुक्ति सेना भारत में आ रही है, आप नारे लगायें। जहां युगोस्लाविया की जनता और हंगरी के अन्दर टैंक लेकर आम मजदूरों की छाती पर रक्तपात किया-वह आज जनता को दुहाई दे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारतीय जनसंघ ने यहां पर भूमि सुधार, जागीरदारी अबॉलीशन बिल आया था उस समय में भारतीय जनसंघ के अन्दर पांच सदस्य इस बात पर इस्तीफा देकर चले गए कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। उसकी ओर हमने नहीं देखा लेकिन शासन के लिए संयुक्त दल के साथ में, स्वतन्त्र पार्टी के साथ में, जनसंघ के साथ में राज्यपाल महोदय के पास जाये और शासन नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बन सका तो कांग्रेस के अन्दर इंदिरा का नारा चल रहा है यह आप की पार्टी ने देखा, गरीबी हटाने का इसलिए उनके साथ में लग जाओ। गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरनी पार कर लें और यहां आ कर कहें कि वही गद्दार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह मानने के लिए तैयार हूं यदि मेरे साथी यह कहते कि उनके विचारों के अन्दर तर्क युक्ति नहीं तो समझ में आ सकता था लेकिन उन्होंने अपने शब्द जाल के आडम्बर के अन्दर सदन में बैठे हुए सारे व्यक्तियों के लिए कहा कि प्रतिक्रियावादी हैं, सामन्तशाही हैं, राजा-महाराजाओं के पीछे लगे हुए हैं और केवल चार ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जो दूध के धुले हुए है और प्रगतिवाद को लेकर रूस के झण्डे को लेकर चलना चाहते हैं ..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो तो गायब हो गए हैं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

वे तो वाक-आउट कर गए।

श्री अध्यक्ष : अपने नेता का तो सम्मान करो भाई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : किसी के हितों को बिठाने के लिए विधेयक पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, विधेयक की धाराओं पर निर्णय लिए जाते हैं, जनहित में। हमारे घोषणा-पत्र में, 57 के घोषणा-पत्र में भारतीय जनसंघ ने जोत की सीमा की बात कही थी, माननीय रामानन्दजी अग्रवाल उसको देख लें। केरल की सरकार ने जो कुछ इस बारे में किया है और जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार होते हुए जितना बड़ा प्रतिक्रियावादी बिल बनाया है उसके मुकाबले में यह बिल उससे अधिक भूमिहीन लोगों को राहत देने वाला है। इसके बाद भी..

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल गलत बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नारा लगाना हो तो नारे लगाए जा सकते हैं लेकिन काम करना दूसरी बात है। हम जानते हैं कि इसका विरोध किस आधार पर किया जा सकता है, इसमें उनका क्या उद्देश्य है। उनका उद्देश्य यह है कि वे हर एक वर्ग में क्लासवार चाहते हैं, वे वर्ग संघर्ष चाहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वे चाहते हैं कि इस देश में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा बन जाय। सारी भूमि जो भूमिहीन किसान अपने पास में रख कर चलते हैं वह उनके हाथ से चली जाय। जिस किसान को हम कहते हैं कि वह किसान हमारा अन्नदाता है, वह महान् है, उस किसान की भूमि को छीन कर राज्य के हाथ में देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसान के पास भूमि न हो। भूमि का फ्रेगमेंटशन हो जाय, होल्डिंग न रहे। किसान तबाह हो जाय, किसान बर्बाद हो जाय और उसके ऊपर, श्मशान की जलती हुई चिताओं पर, किसान की लाश की जलती हुई चिता पर वे अपनी रोटी सेकना चाहें तो गद्दार कौन है इसका जनता निर्णय करेगी। यह विधेयक किसान को गारण्टी देना चाहता है, वह चाहता है कि किसान जो खेतों से धन पैदा करता है, जो खेतों को लहलहाता है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सहयोग देता है,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उस किसान को इतनी भूमि मिल जाय कि वह उस पर अपना हल जोत कर वहां पर अपने खेत पर ट्रेक्टर चला कर और किसी प्रकार से काश्त करके अपने परिवार का जीवनोपार्जन कर सके । लेकिन माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं । वे चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में इस काश्तकार जमीन को सरकार को देने के लिए बाध्य हो जावे । सरकार इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दे और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी इकोनॉमी को तहस-नहस करके, जमीनों का फ्रैगमेंटेशन करके उनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर ले । भारतीय जनसंघ चाहता है कि राज्य सरकार किसानों की जमीनों को अपने हाथ में न लें और वह उनके पास रहे । यह उसूल का प्रश्न है । लेकिन कम से कम सीलिंग के नाम पर यह नहीं करने दिया जाएगा । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप के अन्दर यह विधेयक आया है उसके अन्दर हम चाहते थे कि जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि सीलिंग इन्कम की होनी चाहिए, उसमें किसान हो, मजदूर हों, काश्तकार हो, व्यापारी हों, कर्मचारी और बरिस्टर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अफसर हों, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इण्डस्ट्रियलिस्ट हों, लेकिन हो सकता है कि इस बारे में समय लगे और हमने जो बात सन् 55 में कही, हमने जो बात 58 में दोहराई और 59 में उसी बात को कहा और 72 में फिर कहा लेकिन हर बात के इम्प्लीकेशन्स को समझ कर हमारे यहां पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके अन्दर कभी इसको मान या न मानें यह दूसरी बात है लेकिन कम से कम हम यह कहना चाहेंगे कि अगर कम इन्कम की सीलिंग नहीं लगा सकते तो भी किसान को तो उसके हित के लिए एश्योर कर दें । जब एक विधायक को 500 रु० मासिक तनख्वाह मिलती है, एक एम० पी० को एक हजार रुपया मासिक, एक मिनिस्टर को डेढ़-दो हजार रुपया मासिक, एक हाई कोर्ट के जज को साढ़े तीन, चार हजार रुपया मासिक की इन्कम होती है और एक इण्डस्ट्रियलिस्ट पांच, सात हजार से ऊपर ले जाता है तो एक गांव में बैठ कर खेती वाले किसान का, जैसलमेर की ढाणी और बाड़मेर के बाड़े में, अलवर के गांव के अन्दर बैठने वाले किसान का यह हक है कि उसके बच्चे भी इंजीनियर बनें, उसके बच्चे भी डॉक्टर बनें, नई रोशनी में आवें, अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सके कि वे भी आज के सामाजिक धरातल पर फिट बैठ सकें । क्या हम इसके अनुसार कुछ भी व्यवस्था किसान से लिए कर पा रहे हैं । इसके ऊपर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाय कि यह बिल लैंडलोर्ड्स के लिए, जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के हकों को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान विधेयक में किया गया है तो मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है ।

जहां तक महाराजाओं का, राजाओं का प्रश्न है, चाहे वह पुराने हों या नए हों, उन्होंने अपनी कृषि भूमि को बेचा है या किसी प्रकार से कुछ किया है तो उसके लिए कानून के प्रावधान हैं । अगर हमने पहले सीलिंग कानून नहीं बनाया और इसके कारण जो कुछ भी रहे हों लेकिन भारतीय जनसंघ ने इस बात को 55 से कहा है और बराबर प्रयास करते रहे कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कृषि भूमि की सीमा निर्धारित की जाय लेकिन अभी तक सरकार सीलिंग नहीं लगा सकी तो उसके अन्दर जो कुछ भी भूमि बेची है या जमीनों का हस्तानान्तरण किया है तो उसका कारण मैं समझता हूं कि कानून का न बनना ही कारण रहा है। लेकिन आज जिस रूप में विधेयक आया है उस रूप के अन्दर मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह कानून मेरी समझ में कल्याणकारी कानून है, यथार्थवादी कानून है और इस कानून को हम स्वीकार करते हैं और मैं चाहता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाय, सरल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाय। नियम सरल बनाए जायं, कम से कम सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाय और काश्तकार को सरकारी दफ्तरों में कम से कम चक्कर लगाने पड़ें इस बात को अश्योर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह भी कहा गया, दूसरी बातों को लेकर, प्रिवी-पर्सेज को लेकर, नेशनेलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बातों को लेकर, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राज्य के अन्दर, देश के अन्दर जिस प्रकार की धाराएं चल रही हैं, जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं, आप हमारे प्रस्ताव को देखें हमने किस समय कहां पर क्या प्रस्ताव पारित किया और किन के साथ कन्धा से कन्धा भिड़ा कर मंहगाई के विरुद्ध, अकाल निवारण के विरुद्ध, अकाल के प्रश्न पर या अन्य प्रश्नों पर भारतीय जनसंघ ने हमेशा जनता के साथ में कन्धा से कन्धा भिड़ा कर, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे। हम किसी तरह से किसी के साथ में गठबन्धन करके, उनकी मदद लेकर विधान सभा में आने का प्रयास नहीं करते। अपने सिद्धान्तों को बलिवेदी पर चढ़ा कर उनसे मिलीभगत करके वोट ले लेना और फिर अन्दर आकर उनको ही गालियां देना, हम इस तरह के बहुरूपियापन के खेल को खेलना नहीं चाहते। हम जो बात स्पष्ट रूप से मंच पर कहते हैं वही यहां पर भी कहते हैं और अपने सिद्धान्त पर अटल रहते हैं और इस तरह के व्यवहार को तिरस्कृत करते हैं। वी मस्ट बी करेज ऑफ कन्विक्शन।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अधिक नहीं कह कर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का, जिस रूप के अन्दर संशोधनों के बाद में सामने आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की ढाई करोड़ जनता और भूमिहीनों के लिए जो यह विधेयक बनाया गया है उसको सही रूप में असली रूप में लाया जाय यह राज्य सरकार का कार्य है। मैं और मेरा दल हर प्रकार से इस विधेयक को इम्प्लीमेंट करने के अन्दर जितने सहयोग की आवश्यकता हो, सहयोग देने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि राजनैतिक रूप से, राजनैतिक दृष्टिकोण से आज अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इसको राजस्थान के भूमिहीन किसानों के साथ में अपनी प्रगतिशीलता का झूठा चोगा पहन कर इसको कितना ही रेडिकुलरिज्म बताने की बात कहें, वे भी मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए इसका स्वागत करना चाहि ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, छोटी-मोटी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बातों के बारे में चाहे कितना भी मतभेद हो लेकिन मोटे तौर पर जो विधेयक सामने आया है हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट का समय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। आप फिर बोल लेना।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, सबके लिए टाइम दें। मैं एक-दो मिनिट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय,...

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बाद में बोलूंगा?

श्री पूनमचन्द विश्नोई :...इस सीलिंग बिल को लेकर कई तरह की बातें कही गई और खास तौर से विरोधी पक्ष की ओर से माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने इसको प्रतिक्रियावादी और ऐसा-वैसा बिल बताया, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहता हुआ पुराने सीलिंग एक्ट और आज के सीलिंग एक्ट के मुकाबले के फिगर्स देना चाहता हूं। जैसलमेर जिले में पुराने सीलिंग एक्ट में दो ग्रुप में अधिक से अधिक 98 एकड़ और अधिक से अधिक 114 एकड़ रखा गया था। इस कानून के अनुसार खराब से खराब जमीन 54 एकड़ रख सकते हैं जो अब 48 हो गई है। और भी कम हो गई है। अलवर के अन्दर तीन ग्रुप्स में हाइएस्ट 91 एकड़ और 101 एकड़ और 126 एकड़ थी, अब 48 एकड़ है।

बाड़मेर के अन्दर दो ग्रुप्स में हाइएस्ट 182 एकड़ एक ग्रुप में और दूसरे में 256 एकड़ अब 175 एकड़ है।

भरतपुर में 3 ग्रुप्स में हाइएस्ट 83, 97 और 109 एकड़ है और अब है 48 एकड़ हाइएस्ट। भीलवाड़े में 104, 130, 190 और अब है 48 एकड़।

जयपुर में 5 ग्रुप्स 110, 118, हाइएस्ट है 144, 179, 205। अब फुलेरा तहसील को छोड़कर सब में 48 हैं या 54 कह दें।

सवाई माधोपुर में 3 ग्रुप्स हैं। हाइएस्ट फर्स्ट ग्रेड में 91, सैकण्ड में 104 और थर्ड में 122। अब है 48।

बूंदी में 120 और 190 एकड़ है और अब है 48।

और पाली में 122 हाइएस्ट 140 और अब है 54 एकड़।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यथार्थ को आप ओवरलुक कर रहे हैं। कमी हो गई है। आपने ज्यादातर बात कही है वह इर्रिगेटेड एरियाज के बारे में कही है। इर्रिगेटेड धरती जिसके बारे में आप खास तौर से हद लगा रहे थे वह ज्यादे से ज्यादा 10, 15 या 20 लाख एकड़ हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 60 लाख एकड़।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 60 लाख में कुए भी शामिल होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिंचित भूमि राजस्थान में 60 लाख एकड़ है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें कितनी धरती ऐसे लोगों के पास होगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुल 60 लाख एकड़ है जिसके लिए कहा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 6 लाख तो अकेली गंग केनाल के अन्दर है और 6 लाख भाखरा में होगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कितनी मिलेगी यह अलग बात है। वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहरों से सिंचित भूमि 20 लाख एकड़ है। उसके बाद में मीडियम......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह फीगर नहीं होते हैं। वह गलत है। 90 पर्सेन्ट धरती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका खुद का नारा है कि कमी है लेकिन उनको छोड़ दिया है। मैंने पढ़कर सुनाया है। एक जनरल क्लॉज के तहत वह अन्डर रह जायगी।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्षजी, मैं अधिक समय न लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एस० डी० एम० की अपील जो जिलाधीश के पास रखी है उसके बजाय उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के पास रख ली जाती तो इसमें कुछ सुधार हो सकता था और उसमें एक संविधान की बात हो जाती।

दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य अग्रवाल साहब के लिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होगी कि सारा सदन उन पर हावी हो जाय। बड़ी सुबह से ही उनकी पार्टी के एक सदस्य कुछ कारणों से गायब हैं और फिर वह एक थे वह भी चले गये। उस का मतलब यह नहीं है कि वह जानते नहीं हैं कि उन्होंने बंगाल म गलती की, नक्सलियों का साथ देकर और उसके बाद में कांग्रेस के साथ रहे तो आज महसूस हो गया कि गलती की। आज उन्होंने गलती महसूस की इसलिए मैं उनकी पार्टी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता।

अपने यहां आज भूमि सुधार और अधिकतम सीमा का विधेयक पास कर रहे हैं। इसको देखते हैं, तो चुनाव के समय जो आपकी नारेबाजी थी, जो आपका समाजवाद का नारा था, जो प्रगतिशीलता का नारा था, उस नारे को और आप लोगों को इस बिल ने नंगा कर दिया है कितनी जमीन मिलेगी, कितने गरीबों को दी जायगी और कितनी किस के पास जायगी यह कुछ नहीं है। हमने सीलिंग का हमेशा विरोध किया है और आज भी विरोध किया है। आपकी नारेबाजी को इस विधेयक ने बिल्कुल नंगा कर दिया है। जो गांवों में एक कहावत है कि लाला की रीरी मिट गई और लाली का कुंआरापन उतर गया वह हालत इस बिल से हुई है। आप ने बिल पास कर दिया तो भी कोई फर्क

(श्री मीठालाल)

नहीं पड़ेगा। बात ज्यों की त्यों है। कोई जमीन आयेगी नहीं, कोई जमीन गरीबों को मिलेगी नहीं और कोई भी जमीन जो पुराने जागीरदारों की है चाहे नये जागीरदारों की है वह चाहे आपकी तरफ बैठने वाले हों या इधर बैठने वाले हों उनको जमीन कहीं भी नहीं जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबसे ज्यादा नाराज तो यही लोग हैं।

श्री मीठालाल : इस 145 और 149 की मेजोरिटी वाले सदन में भी आज जो आपका विधेयक पेश हुआ है उसको पता नहीं कि केबिनेट ने किस तरह से बनाया है कि हर मिनिट पर पता नहीं है कि यह विधेयक क्या रूप धारण करेगा क्योंकि एक एक मिनिट पर परिवर्तन हो रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि चौधरी साहब सिगल कट कर रहे हैं। विधेयक जिस रूप में पेश किया गया था उसका रूप एकदम बदल गया है, और बदलने से जो रामानन्दजी को उम्मीद थी कि बिल इसी रूप में पास हो जाय वह उम्मेद मिट गई। आपका जो समाजवाद का नारा था उसको आज इस बिल ने नंगा कर दिया है। जो संशोधन यहां पेश हुए हैं और जो सरकार ने मन्जूर किये हैं उनके कारण इस विधेयक का और भी नंगा रूप सदन के सामने आ गया है। संशोधन जो शामिल किये गये हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उसमें जो किसानों के हित की बातें थी बिजली के सुधार के लिए वह भी इसमें शामिल की जातीं और इस विधेयक को किसानों के हित में लाया जाता तो मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता। परन्तु जो संशोधन स्वीकार नहीं किय गये और कई तरह की बातें थीं उनको लेकर किसानों के हित में ज्यादा सुधार की बातें नहीं कीं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को उनके लास्ट सेशन की बात याद दिलाऊंगा एक मिनिट में और उसका भी वह जवाब देंगे......

श्री अध्यक्ष : पहले सी० एम०।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो समाजवाद की बात कह कर ......

श्री मूलचन्द सामरिया : इन्होंने कहा था कि भूमि उसकी होगी जो कि उसको जोतेगा और जिन किसानों के पास भूमि नहीं होगी. . .(घंटी) अपने जवाब में आप इस बात का भी ध्यान रखें और इस का भी जवाब दें।

श्री बरकतुल्ला खां : जो शंका है कि इसको हाथ में नहीं लिया गया तो उसके लिए म विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय दूर नहीं है। यह कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मियांजी, मियांजी बाल कितने तो कटकर सामने आ जायेंगे। धोखा दे रहे हैं तो पता लग जायगा और इमानदारी से काम कर रहे हैं तो पता लग जायगा। किसी के मन में यह शुबाह हो कि हम लोग धोखा देना चाहते हैं तो यह अच्छा ही होगा कि यह शुबाह निकाल लें, क्योंकि

(श्री बरकतुल्ला खां)
पहले भी बहुत से लोगों ने शुबाह किया था तो उस शुबाह को जनता ने निकाल दिया और समाजवाद के अन्दर किसी का ठेका नहीं है । समाजवाद के हम कोई मालिक नहीं हैं और किसी के मुंह से कह देने पर कि यह समाजवाद है वह समाजवाद होता नहीं है । हम भी समाजवाद में आस्था रखते हैं और समाजवाद के साथ रहते हैं, लेकिन हमारा समाजवाद जो है वह हिन्दुस्तान की जमीं पर पैदा होगा, लेकिन समाजवाद होगा और समाजवाद से डिफरेन्ट नहीं हो सकता ।

इसी तरीके से मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि प्रापर्टी इस तरीके से की जायगी तो कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक है, कांग्रेस पार्टी रेस्पॉन्सिबल है और कांग्रेस पार्टी रेस्पॉन्सिबल है, तीनों चीजे हैं और यह 144 और प्लस 3 यानी 147 की ब्रूट मेजोरिटी का फायदा उठाना नहीं चाहते । सदन की राय है और कांग्रेस पार्टी के सदस्य साथ दे रहे हैं । कोई मरजी की बात नहीं है. ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज मन्शा साफ होना चाहिए ।

श्री बरकतुल्ला खां : तो मैं जो कह रहा था, माननीय अध्यक्ष, कि हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है और बराबर इस बात का ख्याल रखा है कि जो सीलिंग कानून है और जिसके ऊपर अब तक भारत सरकार और प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट मिली है उन दोनों कानूनों के मुकाबले में राजस्थान का कानून आप देखें ज्यादा प्रोग्रेसिव है। रिएक्शनरी नहीं है। जब भी मैंने कहा है तो मैंने यह कहा है कि कांग्रेस की नीति और ऑल इंडिया की पॉलिसी से गाइड होऊंगा । नाइन मैन कमेटी का मैं भी मेम्बर था। सारे चीफ मिनिस्टर्स वहां पर बैठे थे, केवल कांग्रेस के ही नहीं थे दूसरे भी थे वह भी बैठे थे । जब सारे लोगों ने यह तय किया उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने कुछ स्टेप ज्यादा ही लिये हैं । जो ऑल इंडिया के डाइरेक्टिव थे उनको सामने रखते हुए, अपने आपको ऑल इंडिया की पिक्चर में फिट करते हुए हमने रिट्रॉस्पेक्टिव डेट को रखा है ।

आरचर्ड्स का सवाल था तो उसकी तारीख उस दिन से नहीं ली गई, ऑर्डिनेंस निकला उस दिन से नहीं ली गई, लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टिर ने प्रेसाइज किया, चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और जिस दिन से अखबारों में आया उस दिन से रिट्रॉस्पेक्टिव इफैक्ट को लिया गया है ।

इस तरीके से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कल जब शहरी सम्पत्ति की बात आई तो हमने यह कहा कि पेनल ऑफेन्स भी होगा । आज इसको गलत नहीं समझना चाहिए ।

हमारे यहां गांवों में तालीम कितनी है, शिक्षा कितनी है, पढ़े कितने हैं । क्या हम चाहते हैं कि कानून का सहारा लेकर हमारे देहाती भाइयों को मजबूर कर दें कि वह जेल जायें । क्या हम यह मान कर बैठे हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो

(श्री बरकतुल्ला खां)

उनको जेल भेज दें। अगर वह पढे लिखे नहीं हैं तो यह हमारा कसूर है। लेकिन जिनके लिये कानून और वकील मिलते हैं उनके लिए हमने पीनल क्लॉज रखे हैं। ताकि वह बच नहीं सकते हैं। उसका और भी रास्ता निकलेगा ताकि लोग नाजायज फायदा नहीं लें:—

Let 99 guilty persons escape, but let not one innocent person suffer.

उसी लक्ष्य को सामने रखकर चलते हैं। और यह मानकर चलते हैं, जिन्होंने यह तब्दीली की है। यह तब्दीली यह सदन ला सकता है। पार्टी ला सकती है। गवर्नमेन्ट ला सकती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, इसके लिए हम ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। यह सदन हुआ तो कानून के रूप में ला सकते हैं। हमने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को भूमिहीनों में प्राथमिकता दी है। लेण्डलैस और लेबरर्स को प्राथमिकता दी है। वीकर सेक्शन को हम जानते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, जैसी कि आशा हमको प्राप्त करनी थी, हमने रेगिस्तान में 200 एकड़ से 75 एकड़ किया। 150 होना चाहिये था वही 125 किया। जो फर्टाइल लैण्ड है, उसको 48 किया। जो सेमी-फर्टाइल है, उसको 51 किया है। जो ओवर लिमिट थी उससे नीचे लाये हैं। पहाड़ों में हमने कनसेशन किया है। आदि-वासी भाई पहाड़ों पर रहते हैं। मकान वहां पर बनाते हैं। वहां कुछ उगता नहीं है। उन्होंने एक-दो गाय पाली होती है। छोटी जोत होती है। पहाड़ों के जरिये से वह अपने जानवरों को जिन्दा रख सकते हैं। जब हम कानून बनाते हैं तो सोशलिज्म का नाम लेते हैं। तो हम उनको जिन्दा रखेंगे। मैं मेरे प्यारे दोस्त से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कलैक्टिव फार्म में विश्वास नहीं रखते हैं। कांग्रेस की नीति को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। हम कलैक्टिव फार्मिंग में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान की यह परम्परा रही है। वैसे बड़े-बड़े भी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश ने जमींदारी खत्म की है लेकिन उसने किसानों से ही मुआवजा दिलाया है। यही जमींदारी जब राजस्थान में खत्म हुई तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर ली है। राजस्थान सरकार पीछे नहीं रही है। और, न पीछे रहेगी। कई बार काले चश्मे से भी पढा जा सकता है। आंखें बन्द करके भी पढा जा सकता है। कई दफा ऐसा होता है, सड़कों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। मैं भी अखबार देखता हूं तो पहले अपने लॉटरी के टिकट को देखता हूं कि नम्बर आया या नहीं आया है। जनता का क्या रेस्पोन्स है, हम सब उस से वाकिफ हैं। हमारा राजनैतिक सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से हो सकता है। जनसंघ से हो सकता है। स्वतन्त्र पार्टी से हो सकता है। लेकिन जो यह कहते हैं कि कांग्रेस समाजवाद में फेल हो गई है। जो ऐसा कहते ह, तो गले में ढोल डाल कर कहिये। इसके लिये मैं बधाई देता हूं। हमें खुशी होगी। जनता स्वागत करेगी। जुलूस निकालेगी। जय जयकार करेगी। लेकिन जनता भी यह जानती है कि हम कितना काम करते हैं। आज रेगिस्तान में जाकर कोई देखे जहां हर 3 साल में अकाल पड़ता है। जब वर्षा

(श्री बरकतुल्ला खां)
होती है तो क्या पैदा होता है मुट्ठी भर बाजरा पैदा होता है। कुछ घास पैदा हो जाती है। जिससे पशुपालन करते हैं। आज से नहीं वर्षों से हम देखते हैं कि बूढे, बच्चे, औरतें गाड़ियों में बैठ कर मालवा की तरफ जाते हैं। उस मुश्किल को मिटाने के लिए सब को मदद देते हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं रिपीटीशन नहीं करना चाहता, मैं उदयपुर में था। मेरी गैर मोजूदगी में फिगर्स शायद दे दिये गये होंगे। फिर भी मैं कहना चाहूंगा। राजस्थान में 30-6-72 तक 8,58,932 एकड़ भूमि 4,12,356 आदमियों को दी गई है। टोटल 98,15,095 एकड़ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना पर्सेण्टेज हुआ है।

श्री बरकतुल्ला खां : 4,58,932 आदमियों को दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमीन कितने पर्सेण्ट दी गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह एवरेज है।

श्री परसराम मदेरणा : अलॉटी में कोई फर्क नहीं है। शिड्यूल कास्ट कितने हैं और शिड्यूल ट्राइब्स कितने ह, यह फर्क नहीं किया जाता ह। अलॉट होती है तो वह बराबर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक प्रश्न कर लूं। युद्ध में वीरगति प्राप्त और जो अपंग सैनिक हैं, उनको दी हुई भूमि भी इसमें शामिल है?.

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि वह शामिल है तो जिन सैनिकों का सम्मान किया है और उनको जमीन दी है तो उनको दी हुई भूमि को इस कानून का पास करके उसे वापिस लेने का प्रस्ताव रखा है?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, मेरी जानकारी में इसमें सैनिकों की नहीं है। राजस्थान सरकार ने डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन सुरक्षित रखी है, जिन्होंने देश के लिए जानें दी हैं, उनके लिए। कुछ को अलॉट हो गई है। बाकी होने जा रही है। माननीय अध्यक्ष, मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि कम्पन्सेशन में हमने जमीन मालिकों के साथ में उदारता नहीं दिखाई है। टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/5 दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हम लोग कम्पेन्सेशन जरूर देते हैं शहरी सम्पत्ति लेते है तब भी देते हैं, गांवों की लेते हैं तब भी देते हैं, सबका देते हैं। अभी तक परम्परा है, चाहे जो कुछ हो, हमे कम्पेन्सेशन अन्डर दी कान्स्टीट्यूशन देना पड़ेगा। हरियाणा के अन्दर दो हजार रुपया पर एकड़ था, हरियाणा के दो हजार पर एकड़ मंजूरी आ चुकी थी, हमने सोलह सौ रखा, फिर हमने देखा कि सोलह सौ ज्यादा होगा, इसलिए वन-फिफ्थ ही रखा है, टोटल प्राड्यूस का रखा है ताकि उसको बहुत ज्यादा नहीं मिल सके। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आखिर में एक और निवेदन करूंगा, वह यह है कि सोशलिज्म के अन्दर विश्वास रखते हैं, रखेंगे। रिस्ट्रोस्पेक्टिव अफैक्ट से हमने इसको असर दिया है। आर्डिनन्स आने में देरी इसलिए हुई कि कई डिपार्टमेंटस से यह निकला है, खद

(श्री बरकतुल्ला खां)

जाकर बैठना पड़ा है, लोगों को समझाया है, भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग स्टेजेज से क्लिअर कराया है, सात मिनिस्ट्री से क्लिअर करवाया है, प्लानिंग से क्लिअर करवाया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से क्लिअर करवाया है। उसके बाद लॉ से क्लिअर करवाया है। इसी तरह······

श्री मूलचन्द सामरिया : रूस से क्लिअर करवाया है।

श्री बरकतुल्ला खां : इस कानून में कोई कमी नहीं रहे—इसकी कोशिश की है। फिर भी इन्सान से कमी रह सकती है। कमी रह सकती है तो उसको दूर करना हमारा फर्ज है और उसको दूर करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना परफेक्ट बना सकते हैं, जितना मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं उतना बनायें, और इसको बनाया है।

जो आज कुओं के बारे में कहा गया है, वह यह बात नहीं थी। पार्टी में डिस्कस किया था, क बार नहीं दो बार किया था, राजस्थान के अन्दर कहां कुओं में पानी कितना होता है, कितनी निचाई पर मिलता है। कई दफा पानी वर्षा के जमाने में आ जाता है, गर्मी के जमाने में कुएं खुश्क हो जाते हैं। उसके साथ साथ पूरे राजस्थान के अन्दर न बिजली दे पाये हैं, न सड़क ही ठीक करा पाये हैं। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, जहां पर एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, उस एश्योर्ड इरिगेशन को न करते हुए हमने सोचा, ईमानदारी से सोचा, जब एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है तो किसानों पर क्यों वजन डाला जाय। आखिर में एक निवेदन करूंगा, हमारे पड़ौस में जहां पर वही सिस्टम लगता है जो राजस्थान में लगता है, वहां के अन्दर 27 एकड़ जमीन की है, वहां दो सौ पर्सेन्ट पानी लगता है और राजस्थान का एवरेज 60 पर्सेन्ट पानी आता है केनाल से। जहां 60 आता है वहां 27 रखा है और जहां 200 आता है वहां 27 रखा है इसलिए समाजवाद से हम हटे नहीं हैं, लेकिन हम समाजवाद के नाम पर लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते। समाजवाद का मतलब भिखारी बनाना नहीं है। समाजवाद का अगर भिखारी बनाना होता तब तो बनाना बहुत आसान था। हम प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन होगा। राजस्थान के अन्दर भी अगर इस साल वर्षा की कमी नहीं होती तो हम थोड़ा बहुत अनाज पड़ौसी प्रदेशों को भेज सकते थे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को यह निवेदन करूंगा कि जो आज हमने सदन के सामने बिल रखा है उसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहो मत बहुत थक गये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 को यथा संशोधित पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल तारीख 28-2-73 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन कि कार्यवाही रात्रि 11 बज कर 44 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 28-2-73 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 173 की सूची)

सूची

वर्ष	धारा 91 रा० ले० रे० एक्ट के तहत विचारधीन मामलों की संख्या
1969	5
1970	11
1971	45
1972	117
1973	357
योग..	535

२२०

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची)

सूची प्रश्न के भाग-1 से संबंधित

चूरू से नागौर वाया रतनगढ़-पठोहारा-छापर-बीदासर-सांडवा-कोतर-लालगढ़

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थना-पत्र की तिथि
1	2	3
1.	सर्व श्री पीरथ राज सोनी, पुत्र श्री लालू राम सोनी, बीदासर, जिला चूरू	29-9-72
2.	भंवर लाल सोनी, पुत्र श्री बीगत राम सोनी, राजलदेसर, जिला चूरू	29-9-72
3.	बिहारी लाल, पुत्र श्री विसादू राम, थेली तलाई, बीकानेर	29-9-72
4.	पन्ना लाल, पुत्र श्री दलमचन्द, बीदासर	29-9-72
5.	सत्यपाल मिस्त्री, पुत्र श्री छगन लाल, चूरू	29-9-72
6.	भागीरथ मल जांगिड़, पुत्र श्री सूरजमल, कालटैक्स पेट्रोल पम्प, रानी सती रोड, झुंझुनू	29-9-72
7.	सूरज मल अहीर, पुत्र हनुमान राम, चूरू	29-9-72
8.	सूरज राम, ड्राईवर, पुत्र श्री नेम राम माली, बीदासर	30-9-72
9.	मेघ राज, पुत्र उमीनाराम, बीदासर	30-9-72
10.	राम लाल सोनी, पुत्र मूलचन्द्र सोनी, छापर जिला चूरू	30-9-72
11.	सम्पत मल सोनी, पुत्र पृथ्वी राज, बीदासर, जिला चूरू	30-9-72
12.	दलसिंह पुरोहित, पुत्र बालसिंह पुरोहित, मयाकलां, जिला नागौर	30-9-72
13.	इन्द्रचन्द सुनार, पुत्र मूलचन्द, रहलपुरा, जिला चूरू	30-9-72
14.	हनुमान मल सिंधी, पुत्र जवरीमल सिंधी	3-10-72
15.	सांवर मल सोनी, पुत्र डूंगर मल, चूरू	3-10-72
16.	राधेश्याम सोनी, पुत्र नथूराम, चूरू	3-10-72
17.	निजामुद्दीन, ड्राईवर, पुत्र हाजी गुलाम मोहम्मद, नागौर	3-10-72
18.	खिवसिंह, ड्राईवर, पुत्र जसवन्त सिंह, डेगाना	3-10-72
19.	राजूखान, पुत्र श्री गबरूखान, मारवाड़ मन्डवा	3-10-72
20.	सोहनसिंह, पुत्र खिवसिंह, नागौर	3-10-72
21.	नाथूराम जाट, ड्राईवर, पुत्र उमारा जाट, बीदासर	4-10-72

Page No 221

(221)

1	2	3
22.	अशोक कुमार, अग्रवाल, पुत्र राजकुमार, पुरोजिगली, राजगढ़	4-10-72
23.	ओम प्रकाश, पुत्र राम निवास गान्धी चौक, नागौर	4-10-72
24.	हनुमान सिंह, पुत्र लखसिंह सुल्ताना, जिला झुंझुनू	4-10-72
25.	जगदीश प्रसाद, पुत्र दुरा राम सोनी, सुजानगढ़	5-10-72
26.	दुर्गा दत जांगिड, पुत्र घासी राम जांगिड, नई रोड, चूरू	5-10-72
27.	नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री राम गोपाल, देहली गेट, नागौर	6-10-72
28.	ज्ञान मल, पुत्र मागी दत, देहली गेट, नागौर	6-10-72
29.	डालम चन्द्र, पुत्र जीतमल, बीदासर	27-9-72

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आउटडोर एवं इन्डोर में लाभान्वित मरीजों की संख्या
1 अप्रेल, 71 से 31 मार्च, 72 तक

क्र० सं०	नाम प्राथमिक स्वा० केन्द्र	आउटडोर	इन्डोर
1.	खन्डार	28,519	168
2.	गंगापुर सिटी	73,148	4,483
3.	मन्डावर	17,539	167
4.	बोंली	47,961	16
5.	बालघाट	13,900	48
6.	मासलपुर	19,508	390
7.	हाडौती	3,722	—
8.	गुडा चन्दरजी	7,577	17
9.	हिण्डोन	61,048	2,057
10.	भगवतगढ़	16,495	336

जिला सवाई माधोपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्टॉफ व व्यय का ब्यौरा

क्र० सं०	नाम संस्थाऐं	चिकित्सक	कम्पाउण्डर ग्रेड I	कम्पाउण्डर ग्रेड II	एल० एच० वी०	एल० एच० डब्लू०	स्वा० निरीक्षक	ए० एन० एम०	ड्राईवर	नर्स-दाई	दाई	च० श्रे० कर्मचारी	वेतन के व्यय का ब्यौरा
1.	मासलपुर	1	—	3	1	—	1	3	—	—	1	7	37,026
2.	गंगापुर	2	—	3	1	3	1	2	1	—	2	7	52,888
3.	हिन्डीन	2	—	4	1	3	1	4	1	—	—	8	50,881
4.	मन्डावर	1	—	4	1	2	1	1	1	—	3	6	45,607
5.	बोंली	1	1	1	1	3	1	2	—	—	2	6	40,689
6.	खण्डार	1	1	2	1	3	1	—	1	—	4	6	39,327
7.	गुढ़ाचन्दरजी	1	—	2	1	—	1	2	—	—	4	6	36,574
8.	हाडौती	1	1	1	—	3	1	—	—	—	4	7	42,410
9.	भगवतगढ़	1	—	3	—	—	1	—	—	—	3	5	36,226
10.	बनलघाट	1	—	4	1	—	1	—	—	—	4	4	33,502

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची)

बांई मुख्य नहर से सिंचित गांवों की सूची मय सिंचित क्षेत्र के

क्रमांक	नाव गांव का	क्षेत्र बीघा में
1	2	3
1.	भाटिया पेला	5)
2.	माण्डवा फला	180)
3.	मसारों की ओघरी	780)
4.	ढेलाना	510)
5.	ओड़वास	250)
6.	गुमानपुरा	570)
7.	देपुरा	1115)
8.	पगारा	265)
9.	गुड़ा	100)
10.	मगोर	240)
11.	कल्याणपुर	530)
12.	टोकर	2570)
13.	शक्तावतों का गुडा	1160)
14.	मोराई पाल	75)
15.	कटेव	985)
16.	पण्डयावाडा	575)
17.	अमरपुरा	750)
18.	महुवाड़ा	370)
19.	पहाडा	750)
20.	कानपुर	385)
21.	दोलपुरा	500)
22.	मूलूण	150)
23.	मानपुरा	70)
24.	श्यामपुरा	415)
25.	मोराई	100)
	कुल ..	13420) बीघा

225

दाईं नहर से सिंचित गांवों की सूची :—

1.	खाण्डी ओबरी का निचला फला	कुल 800 बीघा ग्रामवार सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।
2.	ऊपरला माण्डवा	
3.	नीचला माण्डवा	
4.	थोडी	
5.	वरना	
6.	टपाना	
7.	पानी शाला	
8.	बावरी खेड़ा	
9.	ओडा	
10.	मीमपुर	

———

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची)

क्र० सं० विवरण	मामलों की संख्या
1. सरपंच, उप-सरपंच एवं पूर्व सरपंचों के विरुद्ध पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत चल रहे मामले	657
2. प्रधानों के विरुद्ध विभागीय जांच	25
3. सरपंच तथा उप-सरपंच जो निलम्बित हैं	59

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं० 78 की सूची)

List of Senior Doctors :

EAR, NOSE & THROAT

Readers :

1. Dr. P. Chatterji.
2. Dr. H. K. Jain.
3. Dr. D. L. Chhangani.
4. Dr. N. L. Kogata.
5. Dr. K. C. Rai.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न सं० 79 की सूची)

जिला बाड़मेर में कुल पशुओं की संख्या 19,74,350 है प्रत्येक पशु का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) गाय, बैल व सांड़ :

1. तीन वर्ष से बड़े सांड व बैल	35,866
2. तीन वर्ष से बड़ी गाय	83,950
3. बछड़े-बछड़ी	59,810
योग..	1,79,626

(2) भैंस, भैंसे :

1. तीन वर्ष से बड़े भैंसें (नर)	477
2. तीन वर्ष से बड़ी भैंसे (मादा)	7,158
3. पाड़ा-पाड़ी	5,932
योग..	13,567

(3) भेड़	5,67,656
(4) बकरी	10,88,932
(5) घोड़े व टट्टू	1,393
(6) खच्चर	—
(7) गद्हे	24,913
(8) ऊंट	98,243
(9) सूअर	15
कुल योग..	19,74,350

228

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 1973)

क्रम संख्या	स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3		4	5
1.	3	ऊपर से	2	श्री गारी शंकर	श्री गोरी शंकर मुनिम
2.	18	"	8	श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाईमंत्री)	सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी)
3.	22	"	11	लेनेद	लेने दें
4.	23	"	1	(श्री रामचद्र चौधरी)	(श्री रामचन्द्र चौधरी)
5.	24	"	13	अख्यार	अख्तियार
6.	31	नीचे से	2	परस्वोसिव	परमुएसिव
7.	44	ऊपर से	12	दों ो	दोनों
8.	45	नीचे से	1	जवाव	जवाव
9.	51	"	4	श्री मालाराम प्रश्न संख्या 175	----
10.	57	शीर्ष		तारांकित प्रश्नोत्तर अनुपस्थित सदस्यों के -	
11.	65	ऊपर से	12	विद्ध	विरुद्ध
12.	66	"	5	(स्थगित किया)	(स्थगित किया गया)
13.	67	"	13	यदि हां	यदि नहीं
14.	68	"	11	लालसाट	लालसोट
15.	69	शीर्षक		अतारांकित	तारांकित
16.	69	नीचे से	2	पशुना	पशुगणना
17.	70	ऊपर से	2	कर	करें
18.	73	शीर्ष		अतारांकित प्रश्नोत्तर	रा० म० से प्राप्त सन्देश
19.	73	नीचे से	2	(1)	(क)
20.	77	"	19	मजदरी	मजदूरी
21.	81	"	10	महादय	महोदय
22.	90	ऊपर से	4	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेंट
23.	[illegible]	नीचे से	15	एकड़ा	एकड़
24.	116	नीचे से	12	उपाध्यक्ष मोदय	उपाध्यक्ष महोदय
25.	119	ऊपर से	2	अन्वथा	अन्यथा
26.	124	ऊपर से	13	कानन	कानून
27.			10	ारा	द्वारा

1	2	3		4	5
28.	138	नीचे से	3	मन	मैंने
29.	116	ऊपर से	17	बड	बैड
30.	152	नीचे से	17	कण्डका	लैण्ड को
31.		,,	8	सको	इसको
32.		,,	4	कता	करता
33.	163	ऊपर से	14	सकी	उसकी
34.	171	,,	1	आमदानी	आमदनी
35.	191	नीचे से	1	खा है	रखा है
36.		नीचे से	7	आथरेटी	आथोरिटी
37.	214	नीचे से	16	उमीन	जमीन
38.		,,	13	इन्द्रा गान्धी	इन्दिरा गान्धी
39.	246	नीचे से	2	मंत्र	मंत्री
40.	250	,,	14	जन	जैन
41.	252	,,	18	माननी	माननीय
42.	252	,,	17	सइमें	इसमें
43.	232	,,	11	आवा	?आवा
44.	257	ऊपर से	19	एशयर्ड	एशयोर्ड
45.	238	नीचे से	13	भमिहीन	भूमिहीन
46.	261	ऊपर से	14	कराब	करीब
47.	262	,,	1	इसलि	इसलिये
48.	262	नीचे से	1	बामान	नमात
49.	263	ऊपर से	4	अमेन्ड	अमेण्डमेंट
50.	268	नीचे से	17	क्लीयर	क्लियर्ड
51.	282	,,	1	खण्ड	खण्ड—6
52.	290	ऊपर से	6	श्री गिरवारी लाल भार्गव	श्री गिरधारी लाल भार्गव
53.	338	,,	7		(अनुपस्थित)
54.	347	नीचे से	7	(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)	(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)
55.	353	,,	8	माहावार	महावर
56.	380	,,	15	महां	वहां

1	2	3		4	5
57.	397	नीचे से	3	----	प्रश्न यह है कि अनुसूची यथा संशोधित स्वीकार की जाय ? (स्वीकृत) अनुसूची यथा संशोधित स्वीकार की गई।
58.	414	ऊपर से	11	हु	हुये
59.	433	नीचे से	8	शिडयूल	शिडयूल्ड
60.	436	ऊपर से	10	का अगर	का मतलब अगर
61.	436	नीचे से	8	विधेयक पारित	विधेयक यथा संशोधित पारित।
